पंचदश माला, खंड 20, अंक 5

सोमवार, 28 नवम्बर, 2011
7 अग्रहायण, 1933 (शक)

28 नवम्बर 2011

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 20 May 2014

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

' 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 5, सोमवार, 28 नवम्बर, 2011/7 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
बुल्गारिया से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की तीसरी बरसी	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100	3-79
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	79-603
सभा पटल पर रखे गए पत्र	603-608
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011	609
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 के बारे में विवरण	
श्रीमती अंबिका सोनी	609
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश में जापानी एनसेफेलाइटिस को रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदम्बिका पाल	610
(दो) उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच रेलवे लाईन के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री कमल किशोर कमांडो	610-611
(तीन) पंजाब में भू-जल स्तर के घटने की समस्या का निवारण करने की आवश्यकता	
श्री प्रताप सिंह बाजवा	611-612
(चार) नेशनल रेयॉन कारपोरेशन लिमिटेड, कल्याण (मुंबई) के कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	612

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गए।

विषय	कॉलम
(पांच) पाकिस्तान से आए व्यथित हिन्दू परिवारों को बसाने और उन्हें भारत में स्थायी घर प्रदान किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	612-613
(छह) नेपाल के साथ सामाजिक-आर्थिक संबंध सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता	
श्री हर्ष वर्धन	613
(सात) उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की कमी की समस्या का निवारण करने और किसानों को आसानी से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. संजय सिंह	614
(आठ) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	614-615
(नौ) कर्नाटक के बेलगाम में मच्छे में केन्द्रीय विद्यालय सं. 3 के विद्यालय भवन का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश अंगड़ी	615
(दस) भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा को गैर-इरादतन पार किए जाने से रोकने के लिए भारतीय मछुआरों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उन्हें बायोमीट्रिक कार्ड और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	615-616
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुगलसराय रेल मंडल में रेल ऊपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामकिशुन	616-617
(बारह) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनाई और बर्तन उद्योगों में कार्यरत कारीगरों की बेहतरी के लिए कल्याणकारी योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	617
(तेरह) निजी बैंकों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री कौशलेन्द्र कुमार	617
(चौदह) तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और माहे में एनटीसी मिलों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.आर. नटराजन	618
(पन्द्रह) डाकघर अभिकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु राष्ट्रीय लघु बचत निधि को लागू किए जाने के बारे में श्यामल गोपीनाथ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री आनंद प्रकाश परांजपे	618-619

विषय **कॉलम**

(सोलह) देश में यक्ष्मा उन्मूलन हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक 619-620

(सत्रह) दिल्ली सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 620-622

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 622

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 623-624

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 624-634

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 635-636

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 635-636

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वनाथन

लोक सभा

सोमवार, 28 नवम्बर, 2011/7 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

बुल्गारिया से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए बुल्गारिया की नेशनल असेम्बली की अध्यक्ष, माननीया श्रीमती सेटस्का साचेवा और बुल्गारिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं।

वे शनिवार, 26 नवम्बर, 2011 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से बुल्गारिया गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बुल्गारिया की मित्र जनता का अभिनन्दन करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की तीसरी बरसी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 26 नवम्बर, 2011 को मुम्बई में हुए दर्दनाक आतंकी हमले की तीसरी बरसी थी। इस हमले में बड़ी संख्या में निर्दोष भारतीय और विदेशी नागरिक मारे गए थे।

यह सभा हमारे उन सुरक्षा बलों और अन्य सिविलियन एजेंसियों की सराहना करती है जिन्होंने हमारे देश में तबाही मचाने के उद्देश्य से किए गए इस आतंकवादी हमले को निष्प्रभावी करने में अनुकरणीय भूमिका निभाई।

राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि के रूप में हम सभी प्रकार के आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। इस अवसर पर, यह सभा इस कायरतापूर्ण हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करेंगे। प्रश्न सं. 81

श्री हेमानंद बिसवाल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, एफडीआई का इश्यू पहले लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। यह क्या है। यह क्या हो रहा है? कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान) *

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय डॉ. एन. शिवप्रसाद, श्री रमेश राठौड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। कृपया शान्त होकर सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

***81. श्री हेमानंद बिसवाल:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक विकास दर/औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है और इसका सकल घरेलू उत्पाद तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) गत वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन विकास दर में लगातार भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुद्रास्फीति के दबाव तथा यूरोपीय देशों में हाल ही उत्पन्न असंतोष का औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) वर्ष 2010-2011 और 2011-12 के दौरान, मौटे तौर पर क्षेत्र-वार और माह-वार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी- आधार 2004-05), की दृष्टि से मापे गए अनुसार, भारत का औद्योगिक विकास नीचे तालिका-1 में दिया गया है:

तालिका-1: औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्रीय सूचकांक

	विकास दर (%)			
	खनन	विनिर्माण	विद्युत	समग्र उद्योग
1	2	3	4	5
		2010-11		
अप्रैल	9.2	14.4	6.5	13.1
मई	7.9	8.9	6.1	8.5
जून	6.9	7.9	3.5	7.4
जुलाई	8.7	10.8	3.7	9.9
अगस्त	5.9	4.7	1.0	4.5
सितम्बर	4.3	6.9	1.8	6.1
अक्तूबर	6.1	12.4	8.8	11.3
नवम्बर	6.9	6.5	4.6	6.4
दिसम्बर	5.9	8.7	6.0	8.2
जनवरी	1.7	8.1	10.5	7.5

1	2	3	4	5
फरवरी	1.2	7.5	6.8	6.7
मार्च	0.4	11.0	7.2	9.4
		2011-2012		
अप्रैल	1.6	5.7	6.4	5.3
मई	1.8	6.3	10.3	6.1
जून	-1.4	11.2	7.9	9.5
जुलाई	1.5	3.2	13.1	3.8
अगस्त	-4.1	4.0	9.5	3.6
सितम्बर	-5.6	2.1	9.0	1.9
अप्रैल-सितम्बर				
2010-11	7.2	8.8	3.8	8.2
2011-12	-1.0	5.4	9.4	5.0

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों का हिस्सा मिलकर 20.0 प्रतिशत था। अत: इन क्षेत्रों की वृद्धि में कमी का जीडीपी की वृद्धि पर उतना ही फर्क पड़ा जितना कि जीडीपी में उनका हिस्सा है।

(ख) औद्योगिक वृद्धि में कमी के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोग व्यय की वृद्धि में कमी, निर्माण क्षेत्र का अल्प कार्यनिष्पादन, ब्याज दरों में वृद्धि और उसके कारण पूंजी लागत में वृद्धि तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता थे।

(ग) और (घ) वैश्विक आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भारत के औद्योगिक कार्यनिष्पादन पर भी पड़ा। वर्तमान मुद्रास्फीति तथा औद्योगिक विकास में कोई एक सीधा संबंध नहीं है, तथापि, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति संबंधी आशाओं पर लगाम लगाने हेतु लागू की गई कठोर वित्तीय नीतियों का औद्योगिक कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ा। यह निर्धारण करना संभव नहीं है कि इनमें से प्रत्येक कारक का औद्योगिक विकास को धीमा करने में अलग से कितना योगदान था।

(ङ) सरकार ने पहले ही कुछ विश्वास निर्माण उपाय आरंभ कर दिए हैं। औद्योगिक वातावरण में सुधार हेतु बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं का निर्माण; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना; कारोबार वातावरण में सुधार; उद्योग की दृष्टि से प्रासंगिक कौशलों में सुधार; तथा औद्योगिक परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु उद्योग संघों के साथ नियमित बैठकें करना। सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा एक दशक में 25 प्रतिशत करने और 100 मिलियन रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति घोषित की है। इस नीति में ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें नियोजनीय बनाने पर बल दिया गया है। यह नीति राज्यों के साथ सहभागिता से औद्योगिकता विकास के सिद्धान्त पर आधारित है। केन्द्र सरकार सामर्थ्यकारी नीतिगत ढांचा सृजित करेगी, उचित वित्तपोषण साधनों के माध्यम से सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) आधार पर अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और राज्यों को नीति में दिए गए प्रस्ताव हरित प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन को छोड़कर आमतौर पर क्षेत्र निरपेक्ष, स्थान निरपेक्ष और प्रौद्योगिकी निरपेक्ष हैं। जबकि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) प्रमुख साधन हैं, फिर भी इस नीति में दिए गए प्रस्ताव पूरे देश के विनिर्माण उद्योगों के लिए लागू होते हैं, जिनमें वे सभी स्थान शामिल हैं, जहां पर उद्योग अपने आपको क्लस्टरों में संगठित करने और प्रतिपादित किए गए अनुसार स्व-नियमन मॉडल अपनाने में सक्षम हैं।

राजमार्गों को चौड़ा करना

***82. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिग्रहण के लिए बेहतर मुआवजा, विस्थापितों के लिए विशेष प्रकार का पुनर्वास पैकेज तथा राजमार्गों के बाइपासों पर ऐसे काम शुरू करना जिससे कम से कम विस्थापन हो जैसे उपायों द्वारा राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए एक त्रिआयामी प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षधारकों की राय ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए यथा अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। बाइपासों पर कार्य शुरू किए जाने के लिए कोई विशेष प्रकार का राज्जीय पुनर्वास पैकेज तैयार नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार विकास

***83. श्री राजीव रंजन सिंह** *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए सृजित रोजगार के अवसरों सहित वार्षिक रोजगार विकास दर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा वास्तव में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या रोजगार सृजन संबंधी वार्षिक विकास अर्थव्यवस्था विकास के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन की वार्षिक विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में लगभग 402 मिलियन एवं योजना के अंत में लगभग 460 मिलियन अनुमानित रोजगार से 2.73 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर से चालू दैनिक स्थिति आधार पर कुशल एवं अकुशल श्रम बल हेतु 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है। 2004-05 एवं 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के हाल ही के दो दौरों के परिणामों के अनुसार, वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान तकरीबन 1 प्रतिशत प्रति वर्ष औसत वृद्धि दर से लगभग 20 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए गए थे।

(ख) और (ग) 2004-05 से 2009-10 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की मिश्रित वृद्धि दर से वृद्धि हुई है जबकि वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर अनुमानित रोजगार में इसी अवधि के दौरान लगभग 1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

(घ) बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में उल्लेख किया गया है कि विकास को समग्र होने के लिए, इसे पर्याप्त आजीविका अवसर अवश्य सृजित करने चाहिए तथा वर्धमान श्रम बल की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर रोजगार में वृद्धि करनी चाहिए और अधिक टिकाऊ ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार/आजीविका अवसरों के सृजन की त्वरित गति की संभावना है। ऐसे रोजगार अवसर कृषि-प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा खेती के उन विभिन्न पहलुओं, जिनका सतत् आधुनिकीकरण हो रहा है, में आगतों हेतु तकनीकी कार्मिकों की बढ़ी हुई मांग, तथा ग्रामीण अवसंरचना के उपकरणों एवं अन्य तत्वों के अनुरक्षण में तीव्रतर विस्तार से आ सकते हैं। सेवा क्षेत्र को भी सतत् रूप से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर रोजगार/आजीविका अवसरों के सृजन हेतु ऐसा स्थल बनाना है।

[अनुवाद]

पटसन उत्पादन

***84. श्री बदरूद्दीन अजमल :**
श्री महेन्द्र कुमार राय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पटसन का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में पटसन और पटसन उत्पादों को सस्ते दामों पर बेचे जाने पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पटसन/पटसन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं ताकि किसानों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके; और

(ङ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश के पटसन किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कच्चे पटसन का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:

(प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की हजार गाठें)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12**
असम	647.5	715.3	652.0	
बिहार	1054.8	1118.4	1127.1	
झारखण्ड	0.0	0.8	0	
मेघालय	34.6	34.7	0	—
नागालैंड	1.3	2.0	0	—
उड़ीसा	19.9	30.4	36.4	—
त्रिपुरा	3.7	3.8	0	—
पश्चिम बंगाल	7872.6	9325.0	8137.5	—
अन्य	0	0	42.1	—
कुल	9634.4	11230.4	9995.1	10586.0

स्रोत: कृषि मंत्रालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

* चतुर्थ अग्रिम अनुमान

** प्रथम अग्रिम अनुमान। राज्य-वार उत्पादन का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। हाल के महीनों में कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट की घटना हुई है। भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) द्वारा एमएसपी अभियान के तहत विभिन्न ग्रेडों के कच्चे पटसन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है। इस वर्ष 21.11.2011 तक जेसीआई ने पटसन उत्पादक क्षेत्रों में अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से किसानों से कच्चे पटसन की 31,397 गांठों (56,515 क्विंटल) की खरीद की है। इसके परिणामस्वरूप, पटसन के मूल्य एमएसपी अर्थात 1675 रूपए प्रति क्विंटल (टीडी-5 एक्स असम ग्रेड) से नीचे नहीं गिरने दिए गए। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने पटसन वर्ष 2011-12 के दौरान जेसीआई द्वारा खरीदे गए पटसन के लिए ग्रेड और उत्पादन स्थान को ध्यान में न रखते हुए प्रति क्विंटल 100 रू. का विशेष बोनस दिया और यह बोनस पश्चिम बंगाल के किसानों तक पहुंच रहा है।

(घ) भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) सभी प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों में अपने 171 खरीद केंद्रों और राज्य सरकारी निकायों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए एमएसपी पर कच्ची पटसन की खरीद के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत की सरकार नोडल एजेंसी है। भारतीय पटसन निगम ने 12.10.2011 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियानों की शुरूआत की। 21.11.2011 तक 1644 रू. प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर किसानों से पटसन के विभिन्न ग्रेडों की 31,397 गांठें (56,515 क्विंटल) खरीदी है। जेसीआई द्वारा कच्चे पटसन

की खरीद की व्यवस्था लागू किये जाने के कारण मूल्यों को एमएसपी से नीचे नहीं गिरने दिया जाता ताकि किसानों को कठिनाई से बचाया जा सके।

पटसन उत्पादों के विषय में कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है।

(ङ) सरकार ने देश में पटसन किसानों की मुसीबतों को कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 355 करोड़ रू. के परिव्यय के पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) कार्यान्वित किया जा रहा है। जेटीएम के तहत लघु मिशन I, II और III के अंतर्गत अनेक योजनाएं प्रचालन में हैं जो पटसन उत्पादकों को लाभान्वित करती हैं और उन्हें पटसन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। लघु मिशन I का उद्देश्य पटसन क्षेत्र में उत्पादन एवं गुणवता में सुधार करने के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करना है। लघु मिशन II का उद्देश्य उत्पादन और कताई पश्चात संशोधित प्रौद्योगिक एवं एग्रोनोमिक प्रेक्टिस का हस्तांतरण करना है। लघु मिशन III के तहत सभी पटसन उत्पादक राज्यों में कच्चे पटसन का बाजार संपर्क उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड और राष्ट्रीय पटसन निगम बेहतर पटसन बीज और पटसन खेती के लिए संशोधित एग्रोनोमिकल प्रेक्टिस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (निरजाफट) और केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (क्रिजाफ) के साथ परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

(iii) किसानों को और अधिक पटसन उत्पादित करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष कच्ची पटसन और मेस्टा के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(iv) भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रमाणित बीजों को संवितरण कर रहे हैं।

(v) पटसन उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन के उद्देश्य से सरकार ने पटसन सामग्री में खाद्यान्न एवं चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए नीति को जारी रखा है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

***85. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के सृजन को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इसमें किए जाने वाले निवेश की पद्धति अनुमानित रोजगार सृजन और इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में होने वाली वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के परिणामस्वरूप विनिर्माण उद्योग को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा श्रम और रोज़गार मंत्रालय के बीच मतभेदों को दूर कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा):

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति:

(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) को प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में पारगमन करने वाले व्यक्तियों को एक उत्पादक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना तथा जोनिंग के आधार पर भूमि-उपयोग; स्वच्छ और ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकी; आवश्यक सामाजिक अवसंरचना; कौशल विकास सुविधाओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। एक एनआईएमजेड के पास कम-से-कम 5000 हेक्टेयर क्षेत्र होगा। राज्य सरकारें एनआईएमजेड के विकास के लिए उपयुक्त भूमि के चयन के प्रति उत्तरदायी होंगी। इस भूमि का संघटन सरकार की अपनी भूमि; प्रस्तावित एनआईएमजेड में आने वाली निजी भूमि; तथा मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित रूग्ण और निष्क्रिय इकाइयों की भूमि से किया जा सकता है एनआईएमजेड विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा प्रबंधित होंगे जो जोन की मास्टर प्लानिंग; जोन के भीतर निर्धारित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पूर्व-मंजूरी लेना तथा इस नीति के अनेक खंडों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कार्य आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे। एनआईएमजेड को एक स्व-

शासी और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए इसे राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 थ(ग)के अंतर्गत एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा।

केंद्र सरकार एनआईएमजेड के लिए मास्टर प्लानिंग की लागत वहन करेगी। यह यथासंभव सीमा तक अथवा एकमात्र रूप में सार्वजनिक तेजी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से एनआईएमजेड के लिए बाहरी भौतिक अवसंरचना संयोजन उपलब्ध कराएगी/उसमें सुधार करेगी। मौजूदा स्कीमों के जरिए अर्थक्षमता अंतराल निधियां (वीजीएफ) इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं आवश्यकत होगा इन संयोजनों के सृजन के लिए अपेक्षित बजटीय व्यवस्था भी की जाएगी। इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जाने का अवसंरचना विकास प्रमुख रूप से निजी डेवलॅपर्स द्वारा आरंभ किया जाएगा। दीर्घ तैयारी अवधियों तथा आमदनी शुरू होने से पहले पर्याप्त आरम्भिक समय को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय की 'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की सहायता के लिए खुली स्कीम' के अंतर्गत वीजीएफ के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता देने, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि सुलभ ऋणों का पता लगाने तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार जुटाने पर विचार किया गया है।

जैसा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के लक्ष्यों में परिकल्पना की गई है, यह आशा की जाती है कि इस नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के साथ वर्ष 2022 के अंत तक 100 मिलियन रोजगार सृजित किए जाएंगे।

नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह के संबंध में किन्हीं विशिष्ट लक्ष्यों पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, एनआईएमजेड में उन क्षेत्रों को स्वत: मार्ग से एफडीआई की अनुमति होगी जो वर्तमान में स्वत: मार्ग के अंतर्गत एफडीआई निवेशों को लुभाते हैं।

(ग) इस नीति में अत्याधुनिक सुविधाओं और रेल, सड़क, बंदरगाहों, विमान-पत्तनों और दूरसंचार जैसी पर्याप्त अवसंरचनाओं के साथ एनआईएमजेड के रूप में बड़ी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस नीति में परिकल्पित एनआईएमजेड के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) श्रमिक कल्याण सहित श्रम कानूनों से संबंधित मामलों और पर्यावरण संबंधी मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण मंजूरियों के संबंध में एक स्वशासी व स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा। इससे नई इकाइयों की स्थापना करते समय अनुपालन के दबाव को कम करने में उद्योग को कम करने में उद्योग को बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा, उद्योग लाभान्वित भी होगा क्योंकि, केंद्र सरकार अपनी संस्थाओं और स्कीमों के जरिए एनआईएमजेड के भीतर उत्पादकता, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, डिजाइन क्षमताओं, नवोन्मेष तथा कौशल-विकास के लिए संस्थागत अवसंरचना उपलब्ध कराएगी। देशज प्रौद्योगिकी विकास के लिए कर-रियायतों और उद्योग को सरकारी सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन भी इस नीति में समाविष्ट किए गए हैं।

नीति में विनिर्माण क्षेत्र के लिए निम्नलिखित राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों पर केंद्रित वेंचर कैपिटल फंड को टैक्स पास-थ्रू का दर्जा किया जाएगा;

ii. वाणिज्यिक बैंकों के लिए एमएसई ऋण लक्ष्यों के प्रति कमी का प्रयोग करके, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास एक अलग निधि का निर्माण किया जाएगा;

iii. व्यक्तिगत तौर पर आवासीय संपत्ति की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजी लाभ कर से आवर्ती राहत तब प्रदान की जाएगी, जब ऐसी बिक्री की राशि का निवेश नए संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु विनिर्माण क्षेत्र में नई एसएमई कंपनी की इक्विटी में किया जाए;

iv. विनिर्माण क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेंचर पूंजी निधियों में निवेश करने वाले बैंकों के लिए बैंक मानदंड उदार बनाने का कार्य आरबीआई के परामर्श से शुरू किया जाएगा;

v. विनिर्माण क्षेत्र में एसएमई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वेंचर पूंजी निधियों में निवेश करने वाली बीमा कंपनियों के लिए आईआरडीए दिशानिर्देशों का उदारीकरण आईआरडीए के परामर्श से आरंभ किया जाएगा;

vi. एनआईएमजेड में स्थापित आईटीआई में प्लेसमेंट सेल की लागत प्रथम पांच वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी;

vii. एनआईएमजेड में पालीटेक्निकों में और एसपीवी को पूंजीगत लागतों हेतु, वित्त मंत्रालय के वीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अर्थक्षमता अंतराल विधीयन प्रदान किया जाएगा;

viii. सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से कौशल विकास हेतु पीपीपी परियोजनाओं (जैसे कि निजी संस्थाएं, आईटीआई) पर किए गए व्यय की 150% भारित मानक कटौती प्रदान की जाएगी;

ix. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी/एलईईडी) अथवा जीआरआईएचए प्रणालियों के तहत एनआईएमजेड ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने वाले 2000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले सभी भवन 2 लाख रूपए के प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे;

x. शून्य जल विसर्जन का पालन करने वाली इकाइयां एक वर्ष के लिए वास्तविक उपयोग और अन्य पक्ष प्रमाणन की शर्त के अध्यधीन, संगत उपकरणों/प्रणालियों पर 10% एकबारगी राजसहायता की पात्र होंगी;

xi. एमएसई को 1 लाख रूपए की अधिकतम सीमा शर्त के तहत पर्यावरण लेखा-परीक्षा पर किए गए व्यय का 25% प्रदान किया जाएगा;

xii. एमएसई को 1 लाख रूपए की अधिकतम सीमा शर्त के तहत पर्यावरण लेखा-परीक्षा पर किए गए व्यय का 25% प्रदान किया जाएगा;

xiii. पेटेंटीकृत प्रौद्योगिकी को हासिल करने के प्रयोजनार्थ, एसएमई अधिकतम 20 लाख रूपए तक के लिए पेटेंट तक पूल तक पहुंच और/अथवा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण लागतों के भाग की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे; तथा

xiv. प्रदूषण को नियंत्रित करने, ऊर्जा खपत घटाने और जल संरक्षण के उपकरणों/मशीनों/साधनों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (टीएडीएफ) में से प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जो ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा लिए जाने वाले मामूली ब्याज की पांच प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति एवं दस प्रतिशत पूंजी राजसहायता के रूप में होंगे।

(घ) और (ङ) जी, हां। 14 अक्तूबर 2011 को आयोजित मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित मंत्रालयों के सचिव श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान करने के लिए एक उपयुक्त सूत्रण (फार्मूलेशन) तैयार करेंगे। सहमत सूत्रण मंत्री समूह द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया था तथा इसे उपयुक्त रूप से नीति में शामिल किया गया।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

***86. श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितने व्यक्ति बीड़ी कामगारों के रूप में नियोजित हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीड़ी कामगारों के जीवन स्तर पर इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है/कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) दिनांक 31.7.2001 की स्थिति के अनुसार बीड़ी कामगारों के रूप में नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) देश में बीड़ी कामगारों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत किए गए आबंटन और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कल्याण योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं:

(1) बीड़ी कामगारों के रहन-सहन की दशा और जीवन-स्तर के संबंध में आवास योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2011 में क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विश्लेषण समिति, गुड़गांव द्वारा एक अध्ययन किया गया था। आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने यह मत व्यक्त किया था कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

(2) छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2008 में श्री राम औद्योगिक संबंध एवं मानव संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा एक अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट में कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के यौक्तिकीकरण और पिछली अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर पात्रता संबंधी मानदंड की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया था।

विवरण I

दिनांक 31.7.2011 की स्थिति के अनुसार बीड़ी कामगारों को जारी किए गए पहचान-पत्रों की संख्या

क्षेत्र	राज्य	पुरुष	महिला	कुल
अजमेर	राजस्थान	3603	36713	40316
	गुजरात	25589	20680	46269
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	93311	330480	423791
बंगलौर	कर्नाटक	25003	206940	231943
	केरल	15092	34442	60534
भुवनेश्वर	उड़ीसा	45782	183127	228909
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	34177	320252	354429
	तमिलनाडु	62140	565111	627251
जबलपुर	मध्य प्रदेश	408504	612755	1021259
	छत्तीसगढ़	9439	14159	23598
कर्मा	बिहार	103455	152421	255876
	झारखंड	45678	61251	106929
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	504038	936070	1440108
	असम	2543	4722	7265
	त्रिपुरा	4333	8047	12380
नागपुर	महाराष्ट्र	49470	197879	247349
कुल		1432157	3696049	5128206

विवरण II

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

स्वास्थ्य

बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को पूरे देश में 7 अस्पतालों तथा 204 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा प्रदान की जाती है। झालदा में एक अस्पताल निर्माणाधीन है और बीड़ी कामगारों के लिए हाल ही में 4 अस्पतालों तथा 40 औषधालयों की संस्वीकृति प्रदान की गयी है।

कामगारों के लिए विविधीकृत चिकित्सा सहायता

प्रयोजन	सहायता का स्वरूप
1	2
नेत्र संबंधी समस्याएं	चश्मों की खरीद के लिए 300 रुपये की वित्तीय सहायता।

1	2
तपेदिक	कामगारों के लिए तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण तथा घर पर रहकर इलाज कराने की सुविधा। कामगारों को 750 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।
हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
कैंसर	कामगारों अथवा उनके आश्रितों द्वारा इलाज, औषधियों तथा खुराक प्रभारों पर किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।
हर्निया, अपेन्डेक्टोमी अलसर, प्रसूति रोगों तथा प्रोस्टेट रोगों जैसी लघु शल्य क्रिया	कामगारों और उनके आश्रितों के लिए 30,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
मानसिक रोग	कामगारों को मानसिक बीमारी के इलाज, खुराक, रेलवे भड़ा और निर्वाह भत्ता हेतु वित्तीय सहायता।
कुष्ठ रोग	कामगारों को अंतरंग इलाज के लिए 30 रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन और बहिरंग इलाज के लिए 6 रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन की वित्तीय सहायता। कामगारों को आश्रितों के साथ 300 रुपये प्रतिमाह का और आश्रितों के बिना 200 रुपये प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता।
प्रसूति लाभ	महिला कामगार को प्रति प्रसव (प्रथम दो प्रसवों के लिए) 1000 रुपये का अनुदान।
परिवार कल्याण	नसबन्दी कराने वाले कामगारों को 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक प्रोत्साहन।
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह	विधवा/विधुर कामगारों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए 5000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
अन्त्येष्टि संबंधी व्यय	मृत कामगारों के अंत्येष्टि संबंधी व्यय के लिए 1500 रुपये।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बीड़ी कामगारों को समूह बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 10,000 रुपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये का भुगतान करता है।

शिक्षा

(i) कामगारों के कक्षा-1 से व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को निम्नानुसार 250 रुपये से 8000 रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:

समूह	कक्षा	दरें	
		बालिकाएं	बालक
1	2	3	4
समूह-I	कक्षा I से IV	250	250
समूह-II	कक्षा V से VIII	940	500

1	2	3	4
समूह-III	कक्षा IX	1140	700
समूह-IV	कक्षा X	1840	1400
समूह-V	कक्षा XI से XII	2440	2000
समूह-VI	अव्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम, अव्यावसायिक परा स्नातक पाठ्यक्रम, 2/3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी.सी.ए., बी.बी.ए. और पीजीडीसीए	3000	3000
समूह-VII	व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम (बी.ई./बी.टेक/एमबीबीएस/बीएएमएस/बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) तथा एमसीए/एमबीए)	8000	8000

मनोरंजन

कामगारों और उनके परिवारों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिताओं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आयोजन के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) विभाग द्वारा खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये प्रति प्रतियोगिता की अधिकतम सीमा के अध्यधीन लागत का 75 प्रतिशत।

(ii) एक वित्तीय वर्ष में 7,500 रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन तीन राष्ट्रीय उत्सवों को मनाने के लिए 2,500 रुपये प्रति समारोह का प्रावधान।

(iii) एक वित्तीय वर्ष में सात सामाजिक समारोहों को मनाने के लिए 14,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रति समारोह 2,000 रुपये का प्रावधान।

संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस)

आरआईएचएस 2007, जो 1.4.2007 से प्रभावी है, के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम कल्याण के अंतर्गत क्षेत्र में कल्याण आयुक्तों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी है। 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दो समान किस्तों में जारी की जाती है। कामगारों का अंशदान 5000 रुपये है जिसे महानिदेशक, श्रम कल्याण के कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात जमा किया जाता है। छत-स्तर तक के निर्माण हेतु प्रथम किस्त पेशगी जारी की जाएगी। कामगारों को हर प्रकार से निर्माण कार्य पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए छत स्तर तक निर्माण कार्य पहुंचने पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी। दूसरी किस्त के साथ कामगारों को उनका 5000 रुपये का अंशदान लौटा दिया जाएगा।

विवरण III

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र-वार आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

2008-2009

प्रशासन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	16.90	44.52	84.29	77.36	57.37	65.56	57.67	70.70	67.29	70.39	612.05
व्यय	16.90	42.30	58.62	72.32	53.94	64.84	55.37	69.95	62.57	69.71	566.52

स्वास्थ्य	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	0	244.22	409.47	915.34	367.54	900.92	707.86	454.06	903.83	321.12	5224.36
व्यय	0	242.69	387.89	915.71	363.90	867.19	695.55	447.05	601.99	320.94	4842.91

शिक्षा	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आवंटन	0	271.79	258.00	3076.25	397.15	3004.75	540.87	182.90	2244.13	641.20	10617.04
व्यय	0	271.78	253.63	3076.08	394.31	3004.67	466.29	182.89	2232.00	640.52	10522.17

मनोरंजन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	0	7.79	0	0	5.05	0	1.10	3.09	2.00	.52	19.55
व्यय	0	7.79	0	0	5.04	0	.36	2.96	1.93	.52	18.60

आवास	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	6753.87	0	3.32	27.00	139.90	18.10	30.50	3.00	80.00	0	7055.69
व्यय	6485.86	0	3.04	25.00	139.87	18.10	30.44	1.51	79.92	18.01	6801.75

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र-वार आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

2009-2010

प्रशासन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	19.40	54.55	83.19	103.61	70.35	92.50	85.50	107.85	85.42	93.81	796.18
व्यय	1940	54.33	75.64	104.70	69.19	77.37	80.00	107.85	84.06	93.82	766.36

स्वास्थ्य	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	0	314.52	568.51	1224.48	507.08	1010.76	993.06	625.30	1350.93	397.08	6991.71
व्यय	0	319.87	502.40	1224.42	506.58	993.15	912.45	607.38	732.73	397.05	6196.04

शिक्षा	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	0	257.28	208.00	3270.20	364.56	3880.51	267.60	230.75	4058.40	693.15	13230.45
व्यय	0	257.27	207.63	3269.47	364.55	3875.22	213.98	200.69	4035.57	693.12	13117.50

मनोरंजन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	0	9.80	0	0	5.04	0	.40	5.25	2.05	.54	23.08
व्यय	0	9.99	0	0	5.03	0	.40	3.44	2.03	.54	21.43
आवास	**मुख्यालय**	**अजमेर**	**इलाहाबाद**	**बंगलौर**	**भुवनेश्वर**	**हैदराबाद**	**जबलपुर**	**कर्मा**	**कोलकाता**	**नागपुर**	**कुल**
आबंटन	5907.31	0	2.89	0	0	0	0	0	0	0	5910.20
व्यय	5951.38	0	2.53	0	0	0	0	0	0	0	4653.91

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र-वार आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

2010-2011

प्रशासन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	16.95	53.33	95.95	106.78	76.95	88.15	80.50	79.30	83.13	82.20	763.24
व्यय	16.05	54.43	92.22	103.46	72.88	90.05	79.20	84.35	84.12	85.16	761.92
स्वास्थ्य	**मुख्यालय**	**अजमेर**	**इलाहाबाद**	**बंगलौर**	**भुवनेश्वर**	**हैदराबाद**	**जबलपुर**	**कर्मा**	**कोलकाता**	**नागपुर**	**कुल**
व्यय	2.50	314.83	630.72	1178.65	476.10	1094.95	917.00	629.24	1051.74	432.85	6728.58
व्यय	2.50	319.01	631.50	1195.87	479.03	1089.09	907.79	630.05	710.06	437.72	6402.62
शिक्षा	**मुख्यालय**	**अजमेर**	**इलाहाबाद**	**बंगलौर**	**भुवनेश्वर**	**हैदराबाद**	**जबलपुर**	**कर्मा**	**कोलकाता**	**नागपुर**	**कुल**
आबंटन	0	269.37	203.38	2613.00	314.28	3409.00	296.25	143.00	3318.33	591.86	11158.47
व्यय	0	268.82	186.25	2612.95	314.13	3405.82	280.67	136.90	3318.14	591.03	11114.71
मनोरंजन	**मुख्यालय**	**अजमेर**	**इलाहाबाद**	**बंगलौर**	**भुवनेश्वर**	**हैदराबाद**	**जबलपुर**	**कर्मा**	**कोलकाता**	**नागपुर**	**कुल**
आबंटन	.01	10.17	0	.10	6.00	0	1.66	.10	2.20	.70	20.94
व्यय	0	10.17	0	.10	5.96	0	.91	.02	1.66	.70	19.52
आवास	**मुख्यालय**	**अजमेर**	**इलाहाबाद**	**बंगलौर**	**भुवनेश्वर**	**हैदराबाद**	**जबलपुर**	**कर्मा**	**कोलकाता**	**नागपुर**	**कुल**
आबंटन	5500.01	0	2.29	0	0	0	14.00	0	29.99	0	5546.29
व्यय	4692.26	0	2.29	0	0	0	13.97	0	0	0	4708.52

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र-वार आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)
(सितम्बर 2011 तक व्यय)

2011-2012

प्रशासन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	23.40	68.65	84.15	108.93	74.65	105.15	87.15	89.55	88.41	84.15	814.19
व्यय	4.59	28.61	49.77	51.72	32.89	48.76	45.19	49.53	41.82	47.31	400.19
स्वास्थ्य	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	2.50	327.35	615.05	1354.74	424.50	1131.50	935.00	636.10	1051.20	413.65	6891.59
व्यय	0	217.85	345.37	728.82	249.97	649.19	536.05	368.16	414.79	270.27	3780.47
शिक्षा	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	0	241.00	203.50	1851.00	271.50	2390.98	215.00	151.00	2382.03	482.50	8188.51
व्यय	0	3.69	0	292.80	.91	1403.62	.16	32.51	1378.35	68.05	3180.09
मनोरंजन	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	1	10.98	0	.19	6.10	0	2.60	1.00	3.30	.70	24.88
व्यय	0	4.24	0	0	3.13	0	0	0	.28	0	7.65
आवास	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
आबंटन	5200.01	0	17.83	0	0	0	0	0	29.99	0	5247.83
व्यय	0	0	1.34	0	0	0	0	0	0	0	1.34

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की समीक्षा

***87. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति में किन्हीं खामियों का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का संगत कानून या इसकी प्रक्रिया में संशोधन किए जाने सहित इस नीति में सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय विशेष आर्थिक क्षेत्रों कानून/निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है और वे कथित रूप से अपने अधिकांश उत्पादों का निर्यात करने की बजाय उनकी बिक्री स्वदेश में ही कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

वाणिज्य और मंत्री उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) एसईजेडों को अनुमत्य वित्तीय रियायतें तथा शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 में अंतर्निहित हैं। ये छूटें निर्यात हेतु प्रोत्साहनों के स्वरूप में है और उन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जो

सामान्यत: सरकार की निर्यात संवर्धन पहलों हेतु निर्देशित हैं। दिए गए प्रोत्साहन सुविचारित सार्वजनिक नीतिगत कार्रवाई हैं और इन्हें राजस्व का नुकसान नहीं कहा जा सकता है।

(ख) सरकारी स्कीमों का विश्लेषणात्मक आकलन और उनमें सुधार करना सार्वजनिक नीति के साथ गहराई से जुड़ा होता है। एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियम के बाद एसईजेडों की वृद्धि के तौर तरीकों ने भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने, देश में एसईजेडों के भौगोलिक वितरण, एसईजेडों के वस्तुक्षेत्रवार वितरण आदि जैसे मुद्दों के मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया है।

(ग) हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त पूरक सूचना और एसईजेड स्कीम के कार्यचालन की जांच के आधार पर एसईजेड परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रचालन को सुकर बनाने के लिए समय-समय पर एसईजेड नियमावली एवं क्रियाविधि की समीक्षा की जाती है।

(घ) एसईजेड यूनिटों को सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जन, जिसकी गणना उत्पादन की शुरूआत से 5 वर्ष की अवधि हेतु संचयी आधार पर की जानी है, प्राप्त करने की बाध्यता होती है, जिसे प्राप्त न किए जाने पर यूनिटों के विरूद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तथापि विशेष आर्थिक जानों हेतु कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। एसईजेड अधिनियम 2005 में विशेष आर्थिक जोन में स्थित यूनिट द्वारा वस्तुओं पर, जब ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत जहां लागू हो, पाटनरोधी शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क सहित प्रभारणीय सीमाशुल्क के भुगतान पर घरेलू निकासी का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 के दौरान एसईजेडों द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एसईजेड के टर्नओवर के लगभग 88% में भारत से बाहर किए गए निर्यात शामिल हैं। इस अवधि के दौरान कुल टर्नओवर में लगभग 12% का हिस्सा एसईजेडों द्वारा की गई घरेलू आपूर्तियों का था, जिसमें से टर्नओर के 4% की गणना एनएफई के प्रयोजनार्थ नहीं की गई थी।

(ङ) सभी जोनों हेतु विकास आयुक्तों की अध्यक्षता में गठित अनुमोदन समितियों, जिनमें सीमाशुल्क विभाग, आयकर विभाग, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, को एसईजेड यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एक स्वतंत्र सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है।

तोपखाने का आधुनिकीकरण

***88. श्री संजय भोई:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में गुणवत्तापरक शस्त्रों तथा उपकरणों विशेष रूप से गन सिस्टमों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सेना ने भी विद्यमान गन सिस्टमों में तकनीकी और प्रचालनात्मक समस्याओं के बारे में बताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने बोफोर्स गन खरीदते समय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का अधिकार सुरक्षित कर लिया था;

(च) यदि हां, तो इन गनों का देश में ही विनिर्माण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(छ) सेना के तोपखाना स्कंध के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए क्या विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय आर्टिलरी में तोप प्रणालियों सहित हथियार और उपस्कर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आर्टिलरी का आधुनिकीकरण, जिसमें पुरानी प्रौद्योगिकी के उपस्करों का प्रतिस्थापन शामिल है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जा रही है कि आर्टिलरी आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित रहे।

(ग) और (घ) मौजूदा तोप प्रणालियों की किन्हीं उल्लेखनीय समस्याओं की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, गोला-बारूद की कतिपय किस्मों/संघटकों की कमी की जब भी सूचनाएं मिली हैं, उन पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) आयुध निर्माणी बोर्ड ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संविदा के अनुसार सभी तकनीकी दस्तावेज प्राप्त कर लिए थे। यद्यपि मैं ए.बी. बोफोर्स के साथ आगे का लेन-देन निलंबित कर दिया गया था,

आयुध निर्माणी बोर्ड इस तोप के प्रमुख संघटकों यथा बैरल, ब्रीच तंत्र, मज़ल ब्रेक, लोडिंग थ्रू, इलिवेटिंग एवं ट्रेवर्सिंग सिलेंडरों सहित रिकॉयल प्रणाली आदि का विनिर्माण कर रहा है और सेना को उसके सहायक पुर्जो के रूप में आपूर्ति कर रहा है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने बोफोर्स तोप के लिए आवश्यक गोला-बारूद का स्वदेशीकरण भी किया है और सेना को उसकी नियमित रूप से आपूर्ति कर रहा है।

(छ) सेना द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्टिलरी के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालीन कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इस योजना की शर्तों के अनुसार, कई महत्वपूर्ण शस्त्र प्रणालियां अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में है। इस बारे में और अधिक ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

परिणाम और कार्यनिष्पादन आधारित सड़क संबंधी ठेके

***89. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क निर्माण तथा अनुरक्षण में बेहतर पद्धति विकसित करने की दिशा में विश्व बैंक द्वारा तैयार "परिणाम और कार्यनिष्पादन आधारित सड़क संबंधी ठेके" नामक नई आदर्श ठेका प्रणाली की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उक्त प्रणाली को शुरू कर दिया है या शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) से (घ) जी हां। विश्व बैंक द्वारा "परिणाम और कार्यनिष्पादन आधारित सड़क ठेका (ओपीआरसी)" दस्तावेजों के मसौदे उपलब्ध कराए गए हैं और विश्व बैंक ऋण सहायता से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इन पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस प्रणाली को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अभी शुरू नहीं किया गया है।

परियोजनाओं के लिए वन भूमि संबंधी मानदंडों में छूट देना

***90. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया है जिनके लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त छूट देने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने वन भूमि के अन्यत्र उपयोग को कम करने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के संदर्भ में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करता है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के पैरा 8(V) में उल्लेख है कि "संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं अथवा कार्य-कलाप अथवा स्क्रीनिंग अथवा विस्तार अथवा मूल्यांकन अथवा निर्णय के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के आवेदनों के प्राप्त होने से पूर्व अन्य विनियामक निकायों अथवा प्राधिकरणों से मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी" जब तक कि इनमें से कोई या तो कानून की अपेक्षा के कारण अथवा आवश्यक तकनीकी कारणों से अनुवर्ती रूप से ऐसी मंजूरी पर निर्भर न हो।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के विचारार्थ दिनांक 31 मार्च, 2011 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रक्रिया निर्धारित की है जिसमें वन भूमि शामिल हैं। इसमें वन भूमि वाली परियोजनाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व चरण-I वानिकी मंजूरी प्राप्त करें।

दिनांक 9 सितम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन के तहत पूर्व कार्यालय ज्ञापन को इस सीमा तक संशोधित किया गया कि वन भूमि वाली परियोजनाएं वानिकी मंजूरी प्रदान करने की प्रतीक्षा किए बिना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है। तथापि, पर्यावरणीय मंजूरी चरण-I वानिकी मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही जारी की जाएगी।

(ग) और (घ) चूंकि पर्यावरणीय मंजूरी को प्रदान करना चरण-I वानिकी मंजूरी प्रदान करने से सम्बद्ध होना जारी रहेगा, अतः परिवर्त्तित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

(ङ) और (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है जो कि वन अपवर्तन के कार्यतंत्र और प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु विनियामक प्रकृति के हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव

***91. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं;

(ख) ऐसे राजमार्गों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और जिनकी मरम्मत किये जाने की जरूरत है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार मरम्मत किये गये राजागों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आबंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नवनिर्मित राजमार्गों के रखरखाव/मरम्मत के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस संबंध में ठेकेदारों के साथ करार किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव/मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन जैसी निष्पादक एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण, एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थितियों का आवधिक मूल्यांकन, निष्पादक एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उनकी स्थितियों के आकलन के आधार पर, यातायात घनत्व और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए, उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।

तदनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान, निधियों की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुसरण और मरम्मत कार्य किये गये।

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुसरण और मरम्मत के लिए आबंटित निधियों और किये गये व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में लिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के लोक वित्त-पोषित खंडों के पूर्ण हो चुके खंडों का अनुरक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों अथवा दीर्घकालिक प्रचालन-अनुरक्षण-पथकर रियायतों के माध्यम से किया जाता है। प्रचालन और अनुरक्षण ठेके सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के अल्पकालिक ठेके होते हैं। ये ठेके, मद-दर आधारित ठेके होते हैं। प्रचालन-अनुरक्षण-पथकर अवधारणा के अंतर्गत किसी रियायतग्राही को चार अथवा 9 वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षण कार्य सौंपा जाता है। रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान पथकर संग्रहीत करता है और प्रचालन और अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराता है। रियायतग्राहियों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी स्वतः इंजीनियर द्वारा रखी जाती हैं।

(च) और (छ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों का और की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण I

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2		4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 6, 7, 9, 16, 18, 18ए, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222 और 234	4537
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार और 37 विस्तार	1992
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 76ए, 113 और 228	3281
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, 236 और एनई-2	1518
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88 और 73ए	1409
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4396
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213 और 220	1457
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86 और 92	5027

1	2		4
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26वी, 50, 69, 204, 211 और 222	4191
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पुडुचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 3ए, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 65ए, 71बी, 76, 76ए, 76बी, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114, 116 और 116ए	6373
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230 और 234	4832
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तराखण्ड	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	2042
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 3ए, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, '28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 68, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235 और एनई-2	6788
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी विस्तार, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2578
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300

विवरण II

गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान, (31.10.2001 की स्थिति के अनुसार) आवधिक नवीकरण कार्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुसरण और मरम्मत के लिए आबंटित निधियों और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	83.25	97.70	56.25	68.39	67.06	64.13	53.68	18.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.82	0.02	0.91	2.73	26.53	27.07	21.41	0.00
3.	असम	40.20	40.47	78.85	67.19	111.36	99.04	46.07	22.25
4.	बिहार	44.50	38.02	69.51	50.92	93.84	79.06	70.42	28.35
5.	चंडीगढ़	0.68	0.80	0.75	0.67	0.66	0.31	0.68	0.34
6.	छत्तीसगढ़	27.26	27.76	33.40	31.94	22.66	22.66	23.24	5.66
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
8.	गोवा	5.01	4.61	5.35	4.93	4.85	1.66	10.58	0.73
9.	गुजरात	42.04	41.92	43.03	41.68	82.74	82.21	62.41	50.06
10.	हरियाणा	19.64	19.79	18.97	18.61	30.06	28.15	16.47	13.22
11.	हिमाचल प्रदेश	18.84	20.94	31.37	26.43	22.25	21.69	24.79	16.27
12.	झारखंड	20.38	18.56	28.97	18.23	33.20	32.92	17.08	1.79
13.	कर्नाटक	71.24	67.04	64.76	66.98	77.61	61.43	42.82	24.32
14.	केरल	21.75	30.12	28.50	60.45	52.08	41.88	24.85	1.90
15.	मध्य प्रदेश	48.66	50.37	57.15	59.53	45.39	43.30	19.09	5.67
16.	महाराष्ट्र	62.92	53.04	66.98	65.38	104.40	99.50	82.98	48.44
17.	मणिपुर	10.24	9.72	7.24	7.61	18.68	17.46	16.61	0.04
18.	मेघालय	17.53	17.41	14.78	17.79	48.92	44.93	27.18	6.32
19.	मिजोरम	9.20	7.40	3.58	2.22	39.69	37.44	18.23	2.81
20.	नागालैंड	10.78	12.55	12.30	10.72	14.57	12.77	14.80	9.66
21.	ओडिशा	52.56	61.88	59.50	61.83	80.77	80.77	34.00	12.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पुडुचेरी	1.10	1.47	1.63	0.89	3.46	1.64	1.27	0.00
23.	पंजाब	25.85	27.47	23.00	26.86	21.38	16.13	19.36	11.84
24.	राजस्थान	72.35	75.06	76.53	48.39	85.72	77.30	65.16	31.01
25.	तमिलनाडु	49.40	46.55	32.62	41.21	54.36	53.90	38.16	21.72
26.	उत्तर प्रदेश	55.22	61.04	73.93	84.83	97.50	97.11	99.68	44.71
27.	उत्तराखंड	21.87	20.86	25.31	23.40	73.59	59.46	52.12	17.72
28.	पश्चिम बंगाल	31.49	21.69	27.15	36.70	57.65	54.75	22.89	7.45
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	—	—	4.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण@	70.00	70.00	87.94	87.94	617.65	617.65	30.00	30.00
31.	सीमा सड़क संगठन#	26.35	21.68	24.00	23.73	65.00	44.50	44.00	22.23

@अक्तूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार

#भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता।

विवरण III

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों का और की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	रारा सं./खंड	राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा	उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	2	3	4	5
1.	झारखंड	रारा 2 पर किमी 180-किमी 320 तक औरंगाबाद-गौरहर खंड के लिए अनुरक्षण ठेका कार्य	गुणता, अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के संबंध में शिकायतें	सक्षम प्राधिकारी ने अधिकारियों, ठेकेदारों और परामर्शदाता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

1	2	3	4	5
2.	मध्य प्रदेश	रारा 59ए (म.प्र. का इन्दौर-बेतूल खंड) का अनुरक्षण और निर्माण	गुणता, अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के संबंध में शिकायतें	जांच चल रही है।
3.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में रारा 4 के पुणे-सतारा खंड का अनुरक्षण	गुणता, अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के संबंध में शिकायतें	आगे की जांच के लिए शिकायतकर्ता से शिकायत की पुष्टि मांगी गई है।
4.	तमिलनाडु	चेन्नै से कृष्णागिरी, रारा 4 और रारा 46 का लघुकालिक सुधार और अनुरक्षण	गुणता, अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के संबंध में शिकायतें	कार्यस्थल पर जांच की गई है तथा रिपोर्ट विचाराधीन है।
5.	उत्तर प्रदेश	किमी 1 से किमी 79.00 तक रारा 93 का अनुरक्षण कार्य	गुणता, अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के संबंध में शिकायतें	संवीक्षा और मामले में आगे पूछताछ के लिए संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं।
6.	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर-बालासोर-लक्ष्मणनाथ खंड, रारा 7 का लघुकालिक सुधार और अनुरक्षण	गुणता, अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के संबंध में शिकायतें	सक्षम प्राधिकारी ने अधिकारियों और परामर्शदाता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

सड़कों के नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता

***92. श्री महाबल मिश्रा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में जमा धनराशि तथा इसमें से मरम्मत तथा राज्य की सड़कों के अन्य कार्यों के लिए उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सड़कों की मरम्मत तथा नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगने हेतु दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे स्वीकृत प्रस्तावों तथा स्वीकृत, जारी तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित और मंजूर किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में उपार्जित राशि और इसमें से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए उपयोग की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) उक्त अवधि के दौरान, राज्यीय सड़कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मांगने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से 52 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रक्रमण, केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियमावली, 2007 के अनुसार, निधि की समग्र उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन किया जाता है और 376.60 करोड़ रुपये के 14 प्रस्ताव संस्वीकृत किये जा चुके हैं किंतु धन की वास्तविक निर्मुक्ति, राज्य के उपार्जन तक सीमित रहेगी। उक्त अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा अभी तक 58.40 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में उपार्जित राशि और इसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (31.10.11 तक)	
		उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	148.91	175.05	170.33	172.20	187.65	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.38	18.44	35.42	35.72	39.51	11.52
3.	असम	35.05	32.87	38.91	45.47	43.62	7.37
4.	बिहार	46.28	50.49	53.61	48.30	60.89	0.00
5.	छत्तीसगढ़	58.43	22.19	6639	64.99	73.63	46.31
6.	गोवा	5.87	2.82	6.19	17.02	6.48	0.00
7.	गुजरात	107.48	0.00	119.81	208.03	132.58	0.00
8.	हरियाणा	47.55	18.16	55.36	50.57	64.99	64.99
9.	हिमाचल प्रदेश	24.81	12.06	27.48	17.44	30.66	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	86.81	86.81	96.97	97.79	108.61	34.37
11.	झारखंड	39.44	32.64	44.13	40.88	49.66	0.00
12.	कर्नाटक	105.84	120.30	118.45	96.01	131.28	131.28
13.	केरल	36.54	49.27	40.26	80.49	44.48	0.00
14.	मध्य प्रदेश	133.63	45.76	152.33	281.58	169.93	94.03
15.	महाराष्ट्र	174.92	72.97	119.75	256.82	221.54	0.00
16.	मणिपुर	8.90	2.20	10.07	5.28	11.23	0.00
17.	मेघालय	10.40	3.04	11.81	16.76	13.17	4.13
18.	मिजोरम	8.20	6.73	9.29	3.10	10.36	0.00
19.	नागालैंड	6.61	4.63	7.35	2.17	8.42	0.00
20.	ओडिशा	70.56	70.56	79.74	91.50	89.83	0.00
21.	पंजाब	48.69	68.69	50.71	80.35	56.79	29.51

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	158.91	158.91	117.30	178.79	197.57	140.96
23.	सिक्किम	2.99	3.41	3.48	2.48	3.89	0.00
24.	तमिलनाडु	93.98	54.89	109.16	203.01	121.57	0.00
25.	त्रिपुरा	4.62	5.27	5.22	7.95	5.83	5.83
26.	उत्तराखंड	25.74	8.01	28.84	34.49	32.60	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	140.65	161.07	157.93	189.87	177.06	177.06
28.	पश्चिम बंगाल	53.02	53.02	59.23	67.51	65.43	19.71
संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.50	1.21	3.94	2.18	4.39	0.00
30.	चंडीगढ़	3.75	3.19	4.23	0.00	4.72	0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	1.75	0.32	1.98	0.00	2.21	0.00
32.	दमन और दीव	1.33	0.00	1.50	0.00	1.67	0.00
33.	दिल्ली	51.78	0.00	58.40	58.40	65.13	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.15	0.00	0.16	0.00
35.	पुडुचेरी	8.11	0.00	9.15	3.14	10.21	0.00

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

***93. श्री गुरूदास दासगुप्तः**
श्री गोपीनाथ मुंडेः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारूति सुजुकी लिमिटेड सहित विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कथित रूप से श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है और कामगारों को संयंत्रों में प्रवेश देने से पूर्व उनसे अच्छा व्यवहार करने का लिखित वचनपत्र मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए ऐसी दोषी कंपनियों के विरूद्ध किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा दोषी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) मारूति उद्योग लिमिटेड सहित बहु-राष्ट्रीय कंपनियों में श्रम कानून संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि मारूति उद्योग लिमिटेड के मानेसर संयंत्र के प्रबंधन ने यूनिट में प्रवेश करने के लिए कामगारों द्वारा अच्छे आचरण का बंध-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त अधिरोपित की है क्योंकि कामगारों द्वारा व्यापक अनुशासनहीनता और तोड़-फोड़ के कृत्यों तथा दोषपूर्ण वाहनों के उत्पादन की रिपार्ट थी। कामगारों को काम शुरू करने की अनुमति देने से पहले पूर्व शर्त के रूप उनसे अच्छे आचरण के बंध-पत्र की मांग एक मनमाना कृत्य है तथा यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की पांचवीं अनुसूची में दर्ज अनुचित श्रम परिपाटी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कार्रवाई करना अपेक्षित है।

पोत भंजन और हानिकारक अपशिष्ट

***94. चौधरी लाल सिंह:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देश जहाजों को तोड़ने के लिए पोत भेजकर भारत में हानिकारक अपशिष्ट का ढेर लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान विधिक व्यवस्था ऐसे दोषियों को सजा देने तथा मुआवजा दिलाने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं तो क्या इस संबंध में कोई कठोर विनियामक तंत्र तैयार करने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी, नहीं। रिसाईक्लिंग के लिए भेजे पोत में इसके भार के 1% से कम के खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से युक्त हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(ख) जैसा ऊपर बताया गया है, तोड़ने के लिए लाए गए पोत, इसके भार के 1% से कम के खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से युक्त हैं, जो निम्नानुसार हैं:

वर्ष	पोतों की संख्या संख्या	हल्का हटाए जाने वाला टनभार (एलटीडी)	मिलियन टन में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ	पोत के भार की तुलना में % अपशिष्ट पदार्थ
2008-09	264	1944162	5027.84	0.25%
2009-10	348	2937802	5418.04	0.18%
2010-11	357	2816236	8215.31	0.29%
2011-12 (अक्तूबर -2011 तक)	217	1886274	2660.37	0.36%

(ग) और (घ) राज्य समुद्रीय बोर्डों को उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को संभालने से संबंधित नियम अधिसूचित है। पोतों की रिसाईक्लिंग से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उपचार और निपटान के लिए पोत रिसाईक्लिंग क्षेत्र में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सुविधा के विकास और संचालन के लिए विधिक तंत्र मौजूद है। अत: तटों पर अपशिष्ट पदार्थ डालने की अनुमति नहीं दी जाती और इसलिए तट संरक्षित।

(ङ) और (च) जैसा कि उत्तर के पैरा (ग) और (घ) में बताया गया है, राज्य समुद्रीय बोर्डों को उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को संभालने से संबंधित नियम अधिसूचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

***95. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:**
डॉ. कृपारानी किल्ली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों विशेषकर जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की बाहुल्यता है तथा जहां गरीब और बेरोजगार लोग रहते हैं, में औद्योगिक विकास के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलनों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों/जिलों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया है ताकि उनका व्यापक विकास किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पिछड़ेपन को दूर करने तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज, यदि कोई दिया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष पैकेज़ सहित प्रत्येक राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यापक कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए 123 जिलों को पहले ही चिन्हित किया था। इन जिलों को कर छूट प्रदान करने वाली योजना 1994 से प्रभावी हुई तथा 2005 तक चलती रही। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए योजना आयोग ने अगस्त, 2006 में एक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का गठन किया जिसके अंतर्गत पिछड़े जिलों के रूप में चिन्हित 250 जिले आते हैं।

(ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किये गये औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों (आईईएम), आशय-पत्रों (एलओआई)/जारी किये गये प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों (डीआईएल) की दृष्टि से निवेश के आशयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए, जिनमें से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित हैं, केन्द्र सरकार इस प्रयास की पूर्ति करती है।

उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का, जिनमें से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित हैं, कार्यान्वयन किया जाता है:

* विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए) के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें;
* पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों के लिए) के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007;
* परिवहन राजसहायता योजना (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए);
* औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस);
* एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग औद्योगिक विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं, जो निम्नानुसार हैं:

* निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों (एएसआईडीई) को विकसित करने के लिए राज्यों की सहायता हेतु स्कीम।
* सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)
* एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी)
* प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

इसके अलावा, 1483 कि.मी. लंबे वेस्टर्न डेडीकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ दोनों तरफ दादरी (उत्तर प्रदेश) और जेएनपीटी (नवी मुंबई) के बीच दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो औद्योगिक वृद्धि को तेज करने तथा निवेश के अवसरों में सुधार लाने के लिए प्रमुख पहल है।

विवरण

दर्ज आईईएम, जारी एलओआई/डीआईएल के संबंध में निवेश के आशय का राज्य-वार ब्यौरा

जनवरी 2008 से सितम्बर 2011 तक

राज्य का नाम	2008				2009				2010				2011 (सितम्बर तक)			
	सं	प्रतिशतता	प्रस्तावित निवेश	प्रतिशतता	सं	प्रतिशतता	प्रस्तावित निवेश	प्रतिशतता	सं	प्रतिशतता	प्रस्तावित निवेश	प्रतिशतता	सं	प्रतिशतता	प्रस्तावित निवेश	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.02	123	0.01	1	0.03	13	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आंध्र प्रदेश	405	9.91	132289	8.68	319	9.18	104998	10.09	519	11.97	176245	10.15	324	10.40	97103	7.24
अरुणाचल प्रदेश	7	0.17	147	0.01	4	0.12	1303	0.13	5	0.12	848	0.05	6	0.19	930	0.07
असम	32	0.78	7428	0.49	45	1.29	2860	0.27	37	0.85	8423	0.49	22	0.71	710	0.05
बिहार	29	0.71	13577	0.89	32	0.92	13710	1.32	46	1.06	65190	3.75	28	0.90	43915	3.27
चंडीगढ़	1	0.02	9	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	24	0.00	1	0.03	10	0.00
छत्तीसगढ़	285	6.98	221863	14.56	293	8.43	130630	12.56	256	5.90	285583	16.45	84	2.70	77805	5.80
दादरा और नगर हवेली	40	0.98	1791	0.12	50	1.44	1709	0.16	63	1.45	11148	0.64	46	1.48	3681	0.27
दमन और दीव	45	1.10	967	0.06	39	1.12	858	0.08	35	0.81	598	0.03	18	0.58	630	0.05
दिल्ली	12	0.29	59	0.00	21	0.60	289	0त03	19	0.444	130	0.01	11	0.35	68	0.01
गोवा	37	0.91	1000	0.07	46	1.32	1382	0.13	39	0.90	2441	0.14	16	0.51	346	0.03
गुजरात	363	8.89	125376	8.23	376	10.82	142239	13.67	497	11.46	149718	8.62	417	13.38	127869	9.53
हरियाणा	123	3.01	6432	0.42	85	2.45	2423	0.23	141	3.25	10436	0.60	89	2.86	7662	0.57
हिमाचल प्रदेश	39	0.95	3972	0.26	41	1.18	6065	0.58	54	1.25	3580	0.21	28	0.90	1293	0.10
जम्मू और कश्मीर	29	0.71	1115	0.07	23	0.66	1223	0.12	23	0.53	1234	0.07	20	0.64	1503	0.11
झारखंड	74	1.81	142702	9.36	65	1.87	79502	7.64	53	1.22	41549	2.39	23	0.74	3178	0.24
कर्नाटक	210	5.14	142284	9.34	179	5.15	92054	8.85	269	6.20	140289	8.08	159	5.10	86659	6.46
केरल	16	0.39	269	0.02	8	0.23	171	0.02	8	0.18	99	0.01	10	0.32	3946	0.29
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मध्य प्रदेश	306	7.49	199159	13.07	182	5.24	66669	6.41	226	5.21	202486	11.77	167	5.39	101776	7.59
महाराष्ट्र	717	17.55	92287	6.06	594	17.09	68073	6.54	759	17.50	176259	10.15	791	25.39	117864	8.79
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00	1	0.03	13	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मेघालय	18	0.44	2587	0.17	10	0.29	970	0.09	14	0.32	1733	0.10	5	0.16	1316	0.10
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	27	0.00
नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	38	0.00
उड़ीसा	160	3.92	253201	16.62	99	2.85	167932	16.14	179	4.13	315772	18.19	93	2.98	229459	17.10
पुडुचेरी	24	0.59	1020	0.07	14	0.40	712	0.07	14	0.32	282	0.02	7	0.22	44	0.00
पंजाब	102	2.50	9482	0.62	68	1.96	9731	0.94	103	2.38	6779	0.39	88	2.82	11771	0.88
राजस्थान	103	2.52	21899	1.44	88	2.53	13461	1.29	125	2.88	29700	1.71	129	4.14	13670	1.02
सिक्किम	13	0.32	575	0.04	8	0.23	150	0.01	13	0.30	795	0.05	11	0.35	585	0.04
तमिलनाडु	310	7.59	24506	1.61	236	6.79	67224	6.46	237	5.47	38595	2.22	204	6.55	67226	5.01
त्रिपुरा	3	0.07	68	0.00	2	0.06	83	0.01	1	0.02	18	0.00	2	0.06	59	0.00
उत्तर प्रदेश	207	5.07	16550	1.09	176	5.06	10142	0.97	172	3.97	13793	0.79	133	4.27	33045	2.46
उत्तरांचल	150	3.67	6115	0.40	165	4.75	9293	0.89	217	5.00	7997	0.46	63	2.02	6339	0.47
पश्चिम बंगाल	223	5.46	95000	6.23	206	5.93	44390	4.27	209	4.82	42765	2.46	116	3.72	300938	22.43
एक राज्य से अधिक में स्थान स्थिति	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	13	0.00	1	0.03	0	0.00
कुल	4085	100.00	1523852	100.00	3475	100.00	1040259	100.00	4336	100.00	173622	100.00	3116	100.00	1341478	100.00

निवेश करोड़ रु. है।

आईईएम: लाइसेंस मुक्त किये गये क्षेत्र के लिए दर्ज औद्योगिक उद्यम ज्ञापन; एलओआई: जारी किये गये आशय पत्र; डीआईएल: प्रदान किये गये प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्द्धन हेतु प्रोत्साहन

***96. श्री के. सुगुमारः**
श्री सी. शिवासामीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका और यूरोपीय संघ में हाल ही में कोई आई आर्थिक मंदी के कारण नुकसान उठाने वाले निर्यातकों को कतिपय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के वार्षिक सप्लीमेंट में शामिल किए जाने वाले प्रोत्साहनों का तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के लिए विभिन्न उत्पादों के निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित ब्याज राजसहायता, 'ड्यूटी क्रेडिट' तथा विशेष बोनस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'फोकस प्रोडक्ट स्कीम' और 'मार्किट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम' में कुछ नए उत्पादों को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) सरकार विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की आवधिक

तौर पर समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं। सरकार ने 13 अक्तूबर, 2011 को कुछेक उपायों की घोषणा की है जिनका ब्यौरा हमारे वेबसाइट www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है। इस घोषणा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी एचएस वर्गीकरण के अध्याय 61 तथा अध्याय 62 के अंतर्गत शामिल सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात को बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएनएफपीएस) में शामिल किया गया है।

(ii) इंजीनियरी, भेषज तथा रसायन क्षेत्रों में 49 उत्पादों को 6 महीने की अवधि के लिए 1% की दर पर विशेष सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष बोनस लाभ स्कीम शुरू की गई है।

(iii) 41 देशों (लैटिन अमरीकी क्षेत्र के 12 देश, अफ्रीकी क्षेत्र के 22 देश तथा सीआईएस क्षेत्र के 7 देश) को निर्यात किए जाने पर 1% अतिरिक्त शुल्क ऋण प्रदान करने हेतु विशेष फोकस बाजार स्कीम (एसएफएमएस) की घोषणा की गई है।

(iv) हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन तथा लघु एवं मंझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों के लिए ब्याज सहायता को दिनांक 01/04/2011 से 31/03/2012 की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

(v) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) के तहत मदों की सूची में 130 अतिरिक्त मदों को शामिल किया गया है।

(vi) सरकार ने विनिर्दिष्ट देशों को किए जाने वाले नई मदों के निर्यात को शामिल करने के लिए बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) के तहत मदों की सूची का भी विस्तार किया है।

दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

***97. श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित धनराशि/प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना की सहायता से प्रत्येक राज्य में कितने विशेष विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने नि:शक्त बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों विशेष रूप से गुजरात को और अधिक धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए निर्मुक्त सहायता अनुदान दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण 1 के अनुरूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष 2010-2011 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत समर्थित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों की संख्या तथा लाभ प्राप्त भिन्न रूप से सक्षम बच्चों की राज्य-वार संख्या वितरण-II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2010-2011 से दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत विशेष रूप से किसी भी राज्य सरकार ने अपने आवंटन में बढ़ोत्तरी के लिए नहीं कहा है।

विवरण-I

विगत तीन वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	जारी राशि (लाख रूपए)		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1317.78	1586.81	2063.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.37	6.72	3.36

1	2	3	4	5
3.	असम	121.92	87.40	184.57
4.	बिहार	87.75	45.48	100.57
5.	छत्तीसगढ़	76.69	31.52	20.07
6.	गोवा	13.09	18.30	14.05
7.	गुजरात	82.20	57.40	50.88
8.	हरियाणा	127.92	78.36	107.58
9.	हिमाचल प्रदेश	40.83	17.99	52.39
10.	जम्मू और कश्मीर	27.93	7.19	21.92
11.	झारखण्ड	10.06	12.01	24.02
12.	कर्नाटक	814.66	857.24	1057.62
13.	केरल	378..40	386.96	789.99
14.	मध्य प्रदेश	170.35	99.56	175.81
15.	महाराष्ट्र	254.23	150.51	217.50
16.	मणिपुर	196.76	130.14	305.91
17.	मेघालय	75.65	25.64	73.60
18.	मिजोरम	19.60	6.58	40.45
19.	उड़ीसा	367.34	448.66	591.15
20.	पंजाब	94.00	35.38	130.28
21.	राजस्थान	93.14	168.81	179.45
22.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	474.37	366.18	421.49
24.	त्रिपुरा	10.81	21.36	6.20
25.	उत्तर प्रदेश	700.21	718.82	612.36
26.	उत्तराखंड	63.02	53.60	132.60
27.	पश्चिम बंगाल	641.12	543.22	591.74

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	0.00	10.50	0.00
2.	दिल्ली	193.55	170.24	249.67
3.	पुडुचेरी	15.63	13.36	6.55
	कुल	6476.38	6155.94	8225.64

विवरण-II

विशेष विद्यालयों तथा लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	101	11609
2.	असम	6	532
3.	बिहार	4	527
4.	छत्तीसगढ़	3	188
5.	दिल्ली	15	1635
6.	गोवा	1	175
7.	गुजरात	6	345
8.	हरियाणा	14	1029
9.	हिमाचल प्रदेश	8	267
10.	जम्मू और कश्मीर	3	126
11.	झारखण्ड	2	143
12.	कर्नाटक	69	7145
13.	केरल	55	3988
14.	मध्य प्रदेश	13	944
15.	महाराष्ट्र	10	908
16.	मणिपुर	10	926
17.	मेघालय	6	646
18.	मिजोरम	2	256
19.	उड़ीसा	34	1774
20.	पुडुचेरी	1	106
21.	पंजाब	14	2460
22.	राजस्थान	13	1106
23.	तमिलनाडु	27	3909
24.	त्रिपुरा	2	111
25.	उत्तर प्रदेश	35	3811
26.	उत्तरांचल	8	565
27.	पश्चिम बंगाल	36	3737
	कुल	498	50542

[हिन्दी]

वानिकी परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

***98. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं ने वनों पर जीविकोपार्जन के लिए निर्भर रहने वाले समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वन क्षेत्रों/वानिकी परियोजनाओं के संरक्षण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सहायता का उपयोग करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के कुल वन क्षेत्र में हुई वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी हां। विभिन्न राज्यों में विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता से कार्यान्वित की जा रही बाहरी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) बाहरी सहायता का उपयोग, ऋण समझौतों और समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाता है।

(ङ) वर्ष 2005 और 2007 के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 और 2007 के बीच वनावरण में हुए परिवर्तन का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन/ कार्यकारी एजेंसियां/ राज्य	परियोजना के उद्देश्य	परियोजना लागत/ दानकर्ता एजेंसी/ राज्य-क्षेत्र या केन्द्रीय-क्षेत्र	परियोजना अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी निराकरण परियोजना	राज्य सरकार/ हरियाणा	क. वन भूमि की पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत प्रकार से पुनर्व्यवस्था ख. ग्रामीणों और सटे हुए वनों की जीवन गुणवत्ता में सुधार	286 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2004-05 से 2010-11 (अभी पूर्ण होनी हैं)
2.	तमिलनाडु एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट फेज-2	राज्य सरकार/ तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनीकरण द्वारा पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना करने और परियोजना वाले गांवों के निवासियों के जीवन में सुधार हेतु वनों का पुनः सृजन, जो क्षेत्र में गरीबी कम करने में योगदान देगी।	567 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2005-06 से 2012-13

1	2	3	4	5	6
3.	कर्नाटक सस्टेनेबल फॉरेस्ट्स मैनेजमेंट एंड बायो-डायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट	राज्य सरकार/ कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में संयुक्त वन योजना और प्रबंधन (जेएफपीएम) के माध्यम से वनीकरण द्वारा पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना करने और परियोजना गांवों के निवासियों के जीवन में सुधार हेतु वनों का पुन: सृजन, जो क्षेत्र में गरीबी कम करने में और जैवविविधता संरक्षण का परिरक्षण करने में योगदान देगा।	745 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2005-06 से 2012-13
4.	उड़ीसा फॉरेस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	राज्य सरकार/ उड़ीसा	जेएफएम पौधारोपण और समुदाय/जनजातीय विकास सहित सतत् वन प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए अवक्रमित वनों का पुन: सृजन और ग्रामीणों के आमदनी स्तर में सुधार करना, जिससे पर्यावरण में सुधार और गरीबी निराकरण होगा।	660 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2006-07 से 2012-13
5.	स्वान नदी एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन परियोजना	राज्य सरकार/ हिमाचल प्रदेश	वनीकरण, मृदा हेतु सिविल कार्य और नदी प्रबंधन, मृदा संरक्षण और भूमि पुनरुद्धार और जीविका सुधार कार्यकलापों सहित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यकलाप चलाते हुए स्वान नदी, हिमाचल प्रदेश राज्य के कैचमेंट क्षेत्र में वनों का पुन:सृजन, कृषि भूमि का संरक्षण और कृषि और वानिकी उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे कैचमेंट क्षेत्र में निर्धनों सहित लोगों की रहन-सहन दशाओं में सुधार होगा।	162 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2006-07 से 2013-13

1	2	3	4	5	6
6.	त्रिपुरा फोरेस्ट एनवायरनमेंटल इम्प्रूवमेंट एंड पावर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट	राज्य सरकार/ त्रिपुरा	जेएफएम के माध्यम से अवक्रमित वनों का पुनः सृजन और परम्परागत शिफ्टिंग खेती में लगे जनजातीय परिवारों सहित ग्रामीणों की जीविका संबंधी पहलुओं में सुधार करना और सतत् वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, जिससे पर्यावरण में सुधार और गरीबी निराकरण होगा।	460 करोड़ रु./2 जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2007-08 से 014-15
7.	गुजरात वानिकी विकास परियोजना-चरण-2	राज्य सरकार/ गुजरात	पारिस्थितिकीय संरक्षण और पुनः सृजन, वनस्पतिजात, प्राणिजात और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, वनों के भीतर और बाहर वनावरण में वृद्धि, लोगों की भागीदारी बढ़ाना, स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता, त्वरित आपर्तियों की उत्पादकता में वृद्धि, अनुसंधान और विकास, संगठनात्मक क्षमता निर्माण	830 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2007-08 से 2015-16
8.	उत्तर प्रदेश सहभागिता वन प्रबंधन और गरीबी निराकरण परियोजना	राज्य सरकार/ उत्तर प्रदेश	जेएफएम पौधारोपण और समुदाय विकास सहित सतत् वन प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए अवक्रमित वनों का पुनः सृजन, वन संसाधनों में वृद्धि और वनों पर निर्भर स्तानीय लोगों की जीविका में सुधार और शक्ति प्रदान करना, जिससे पर्यावरण में सुधार और गरीबी निराकरण होगा।	575 करोड़ रु./2 जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2008-09 से 015-16
9.	वन प्रबंधन हेतु क्षमता विकास	केन्द्रीय सरकार पर्यावरण एवं वन	राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्वास और संयुक्त वन	225 करोड़ रु.	2008-09 से 2013-14

1	2	3	4	5	6
	और कार्मिकों का प्रशिक्षण	मंत्रालय (आरटी प्रभाग)/वन शिक्षा निदेशालय (डीएफई)	प्रबंधन (जेएफएम) पर बल देते हुए अग्रपंक्ति के वानिकी स्टाफ की क्षमता निर्माण के माध्यम से अग्रपंक्ति स्टाफ हेतु प्रशिक्षण वातावरण में सुधार, जिससे सतत वन प्रबंधन हेतु मानव संसाधन विकास सुदृढ़ होगा।	जीआईसीए/ अनुदान के रूप में राज्यों को दिया गया भारत सरकार का 225 करोड़ रु. का ऋण	
10.	सिक्किम बायो-डायवर्सिटी कन्जर्वेशन एंड फॉरेस्ट्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट	राज्य सरकार/ सिक्किम	समुदाय विकास हेतु पारि-पर्यटन सहित सतत जैव-विविधता संरक्षण, वनीकरण और आय सृजन को बढ़ावा देते हुए जैव विविधता संरक्षण कार्यकलापों और वन प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना और वन पर निर्भर रहने वाले स्थानीय लोगों की जीविका में सुधार करना जिससे सिक्किम के पर्यावरण संरक्षण और सद्भावनापूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग होगा।	330 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2010-11 से 2019-20
11.	तमिलनाडु बायो-डायवर्सिटी कन्जर्वेशन एंड ग्रीनिंग प्रोजेक्ट	राज्य सरकार/ तमिलनाडु	पारि-प्रणाली और प्रबंधन क्षमता में सुधार करते हुए जैवविविधता संरक्षण को सुदृढ़ करना और साथ ही दर्ज किये गये वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण करते हुए तमिलनाडु के पर्यावरण संरक्षण और सद्भावनापूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग देना।	686 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2011-12 से 2018-19
12.	राजस्थान वानिकी और जैवविविधता परियोजना (चरण-2)	राज्य सरकार/ राजस्थान	जेएफएम दृष्टिकोण के माध्यम से वनीकरण और जैवविविधता संरक्षण उपायों द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाना और वन पर निर्भर लोगों के लिए	1152 करोड़ रु./ जीआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2011-12 से 2018-19

1	2	3	4	5	6
			जीविका के अवसरों में वृद्धि करना और जैवविविधता का संरक्षण करते हुए राजस्थान के पर्यावरण और संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग देना।		
			कुल	6678 करोड़ रु.	

लीजैंड: जीआईसीए-जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी।

विवरण II

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वनावरण में परिवर्तन
1	2
आंध्र प्रदेश	-129
अरुणाचल प्रदेश	-119
असम	-66
बिहार	-3
छत्तीसगढ़	-59
दिल्ली	0
गोवा	-5
गुजरात	16
हरियाणा	-10
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	-3
झारखंड	172
कर्नाटक	-10
केरल	40
मध्य प्रदेश	-39
महाराष्ट्र	-11
मणिपुर	328
मेघालय	116
मिजोरम	640
नागालैंड	-201
उड़ीसा	100
पंजाब	4
राजस्थान	24
सिक्किम	0
तमिलनाडु	24
त्रिपुरा	-100
उत्तर प्रदेश	-5
उत्तराखंड	2
पश्चिम बंगाल	24
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-1
चंडीगढ़	0
दादरा और नगर हवेली	-5

1	2
दमन और दीव	0
लक्षद्वीप	0
पुडुचेरी	2
कुल	728

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

***99. श्री भक्त चरण दास:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नि:शक्त सैनिकों/नि:शक्तसैनिकों के आश्रितों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा उनके बच्चों के डाटाबेस रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष रूप से ओडिशा राज्य में उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण स्कीमों के ब्यौरे विवरण I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) नि:शक्त सैनिक, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं तथा उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिक स्वयं को जिला और राज्य सैनिक बोर्डों में पंजीकृत करवाते हैं जो सीधे राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर आंकड़े विवरण II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के ब्यौर विवरण III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से वित्तीय सहायता

1. निम्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता

   (क) किरकी और मोहाली में अधरांगघात पुनर्वास केन्द्र (पीआरसी)।

   (ख) सेंट डंस्टन आफटर केयर संगठन।

   (ग) दिल्ली, देहरादून, लखनऊ स्थित चेशर होम्स।

2. गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता केवल गैर-पेंशन-भोगियों के लिए।

3. भूतपूर्व सैनिकों को होंडा एक्टिवा (सेल्फ स्टार्टर) स्कूटर की आपूर्ति।

4. भूतपूर्व सैनिक तकनीशियनों के लिए औज़ार किट।

5. युद्ध में अनाथ, युद्ध में नि:शक्त तथा शांति के समय हुए हताहतों तथा उनके आश्रितों को आवास के निर्माण के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर अनुदान सहायता के जरिए ब्याज की प्रतिपूर्ति।

6. सैनिक अस्पतालों तथा अन्य स्थानों में प्रशिक्षण-सह-निर्माण केंद्रों को अनुदान सहायता।

7. युद्ध स्मारक होस्टल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में नि:शक्त कार्मिकों, सम्बद्ध मामलों से संबंधित बच्चों को आश्रय प्रदान करने की दृष्टि से युद्ध स्मारक होस्टलों का निर्माण किया गया था।

8. सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण की लागत में साझेदारी।

9. रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष (आरएमडीएफ) से वित्तीय सहायता। विभिन्न उद्देश्यों के लिए रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. प्रधानमंत्री की स्कॉलरशिप स्कीम।

11. भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)।

II. पुन:स्थापन तथा पुनर्वास स्कीमें:

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) अफसर प्रशिक्षण

(ii) जेसीओ/अन्य रैंक प्रशिक्षण

(iii) भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण

ख. पुन: रोजगार

(i) केंद्र और राज्य सरकार

(ii) पुनर्वास महानिदेशालय के जरिए पुन: रोजगार

(iii) पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा योजना

ग. ऋण संबंधी कल्याण योजनाएं

(i) उद्यम योजनाएं

(ii) जड़ी-बूटी (हर्बल) तथा औषधीय पौधे

(iii) बागबानी

(iv) पुष्प खेती

(v) फ्रेंचाइज़िंग

(vi) अन्य व्यापारिक गतिविधियां

घ. स्व-रोजगार योजनाएं

(i) भूतपूर्व सैनिक कोल लदान तथा परिवहन योजना

(ii) कोल टिप्पर अटैचमेंट योजना

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक (अफसरों) द्वारा सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन

(iv) मदर डेयरी मिल्क बूथ तथा फल एवं सब्जी (सफल) दुकानें

(v) 8% रक्षा कोटे के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन

(vi) 18% कोटे के अंतर्गत नियमित एलपीजी वितरण का आबंटन

(vii) सीओसीओ ऑपरेटरशिप के भूतपूर्व सैनिक (अफसरों) को प्रायोजित करना

(viii) सेना अतिरिक्त वाहनों का आबंटन

(ix) सेना अतिरिक्त वाहनों का आबंटन

विवरण-II

नि:शक्त सैनिकों/नि:शक्त सैनिकों के आश्रितों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा उनके बच्चों से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे

भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या के ब्यौरे

नि:शक्त		विधवाएं				शहीद सैनिकों की विधवाएं		आश्रित			
सैन्य कारण/ अपवृद्धि	गैर-आरोप्य	अफसर		पीबीओआर		अफसर	पीबीओर	अभिभावक	पत्नी	बच्चे	
		पेंशन	गैर-पेंशन	पेंशन	गैर-पेंशन					पुत्र	पुत्री
8827	3532	3913	910	224921	36655	290	8350	665320	822750	1244414	687667

विवरण-III

स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं के ब्यौरे

1. निम्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(क) किरकी और मोहाली में अधरांगघात पुनर्वास केंद्र (पीआरसी)।

(ख) सेंट डंस्टन आफटर केयर संगठन।

(ग) चेशर होम्स

(i) चेशर होम, दिल्ली

(ii) रेफल रायडर इंटरनेशनल चेशर होम, देहरादून

(iii) चेशर होम, लखनऊ

2. गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता:

3. भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस):

4. प्रधानमंत्री की मेरिट स्कॉलरशिप योजना:

5. रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के लिए चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय इस्पात नीति

***100. श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर के परिणामस्वरूप देश को इस्पात के आयात पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से लौह-अयस्क के निर्यात को रोकने के लिए इस्पात संबंधी निर्यात शुल्क पर यथानुपात आधार पर वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भावी आवश्यकता के मुद्दे के समाधान के लिए नई राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करने का है तथा इस्पात क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों पर गौर करने के लिए उप-समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई नीति को अंतिम रूप देने में सरकार द्वारा कितना समय लिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान फिनिश्ड स्टील की वास्तविक खपत, इसका बिक्री हेतु कुल उत्पादन और आयात एवं निर्यात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	कुल फिनिश्ड स्टील (मिलियन टन)			
	विक्रय हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक खपत
2008-09	57.16	5.84	4.44	52.35
2009-10	60.62	7.38	3.25	59.33
2010-11*	66.01	6.80	3.46	65.61
2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)*	34.86	2.88	2.26	34.03
%परिवर्तन**	9.5	(-)35.8	53.3	2.8

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

*अनंतिम

**गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा गया है कि देश में फिनिश्ड स्टील का बिक्री हेतु उत्पादन देश में स्टील की वास्तविक खपत की तुलना में निरंतर अधिक रहा है। तथापि, कुछ मात्रा में स्टील के विभिन्न उत्पादों का आयात और निर्यात अलग-अलग कंपनियों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर होता है। अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान आयात की मात्रा में पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 35.8 प्रतिशत की पर्याप्त कमी आई है।

(ग) इस्पात मंत्रालय ने स्टील पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से हाल ही में कोई अनुरोध नहीं किया है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। वैश्विक और घरेलू दृष्टि से बदली हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर इस्पात मंत्रालय ने विद्यमान राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के स्थान पर एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को तैयार करने की प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है जिसमें योजना आयोग, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विषय के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर ड्राफ्ट नीति के दस्तावेजों पर अध्ययन करने, विश्लेषण करने, परामर्श करने और उन्हें तैयार करने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों की अध्यक्षता में चार कार्य बल गठित किए गए हैं। सभी संबंधित मुद्दों को अभिज्ञात करने और नीति निर्धारण करने के लिए ये कार्य

बल वर्तमान में इस उद्योग के स्टेक होल्डरों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात और इन कार्य बलों की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात नई राष्ट्रीय इस्पात नीति पर कोई अंतिम मत बनाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

जीएम फसल पर कुछ समय के लिए रोक

921. **श्री रायापति सांबासिवा रावः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बीटी बैंगन इवेंट ईई-I आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसल के वाणिज्यीकरण पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रोक कब तक हटा दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 9.2.2010 को देश में बीटी बैंगन इवेंट ईई-I आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसल के वाणिज्यीकरण पर उस समय तक रोक लगा दी है जब तक कि स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्थापित न हो जाए कि बीटी बैंगन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है।

(ग) बीटी बैंगन पर लगाई गई रोक का अनुपालन करते हुए, 27 अप्रैल, 2011 को बीटी बैंगन की सुरक्षा पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईसी) की एक बैठक बुलाई थी। जबकि, अनेक विशेषज्ञों ने बीटी बैंगन बीजों को इसके निष्पादन को मूल्यांकित करने के लिए कड़े निरीक्षण के अंतर्गत सीमित रूप में जारी करने की सिफारिश की, कुछ विशेषज्ञों ने जैव विविधता और स्वास्थ्य पर इसके दीर्घकालीन प्रभावों के संबंध में अतिरिक्त जैव सुरक्षा अध्ययनों का सुझाव दिया। सर्वसम्मति के अभाव में इस मुद्दे पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए कुछ महीनों से लेकर कई वर्ष लग सकते हैं। अतः, इस समय कोई सुनिश्चित समय अवधि देना उचित नहीं होगा। इस विषय पर अन्तिम निर्णय, जब भी उपलब्ध होगा, उसकी सार्वजनिक सूचना दे दी जाएगी।

सैनिकों के लिए सामान की खरीद

922. **श्री जगदीश ठाकोरः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) 16000 फुट और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिए खरीदे जा रहे सामानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खरीद हेतु दिए गए आदेशों का मद-वार और फर्म-वार ब्यौरा क्या है और कितने मूल्य के आदेश दिए गए; और

(ग) उक्त मदों के लिए निरीक्षक एजेंसी द्वारा बनाए गए विनिर्देशनों का ब्यौरा क्या है और एक सामान्यकृत विनिर्देशन न बनाने के कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों को विशेष वस्त्रादि तथा पर्वतारोहण उपस्करों की 55 मदें प्राधिकृत हैं। सैन्य टुकड़ियों की आवश्यकता के आधार पर हन मदों की अधिप्राप्ति विभिन्न स्वदेशी और विदेशी स्त्रोतों से की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जैकेटों, पतलूनों, दस्तानों, जूतों, धूप के चश्मों, ऊन के जुराबों, स्लीपिंग बैगों तथा बर्फ तोड़ने की कुल्हाड़ी और शावलों सहित विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति के आर्डर दिए गए हैं। इस संबंध में और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

(ग) अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अधिकांश मदों की अधिप्राप्ति गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा तैयार सामान्य विनिर्दिष्टियों पर आधारित होती है। केवल कुछ मामलों में, जहां पर मद की विनिर्माता फर्म की प्रौद्योगिकी विशिष्ट होती है अथवा किसी विशिष्ट मद ने प्रयोक्ता परीक्षण पास कर लिया हो, अधिप्राप्ति विक्रेता की विनिर्दिष्टि के आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत पेंशन का संशोधन

923. **श्री अर्जुन राम मेघवालः**
श्री बद्रीराम जाखड़ः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों को एक नियत दर पर पेंशन दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पीएफ स्कीम के तहत कर्मचारियों की पेंशन संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने पेंशन के परिशोधन सहित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की संपूर्ण समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष 5 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत की तथा समिति की सिफारिशें केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के समक्ष 15 सितम्बर, 2010 को विचारार्थ रखी गई। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट पर सर्वप्रथम पेंशन कार्यान्वयन समिति द्वारा विचार किया जाए। पेंशन कार्यान्वयन समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप ले लिया है तथा मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भेज दी है।

दवाइयों की जब्ती

924. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और यूरोपियन यूनियन प्रमुख भारतीय दवा निर्माण कंपनियों की जेनेटिक दवाइयों की जब्ती से संबंधित विवादों के समाधान हेतु विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत ने ईयू के जरिए पारगमन के दौरान भारतीय जेनेरिक औषधियों को जब्त किए जाने के मुद्दे पर यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ विश्व व्यापार संगठन ('डबल्यूटीओ') में दिनांक 11 मई, 2010 को विवाद निपटान परामर्श शुरू किया है। ईसी के विनियमन 1383/2003 जिसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के उल्लंघन के संदेह वाली वस्तुओं के विरूद्ध कार्यवाही के लिए सीमाशुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं, का प्रयोग करते हुए जब्ती की गई थी। भारत तथा ब्राजील ने संयुक्त रूप से दिनांक 7-8 जुलाई, 2010 और 13-14 सितम्बर, 2010 को ईयू के साथ परामर्श के दो दौर आयोजित किए थे। इन परामर्शों के दौरान ईयू ने स्वीकार किया कि भारतीय जेनेरिक औषधियों को जब्त करते समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईसी विनियमन 1383 के कुछ उपबंधों की गलत व्याख्या की गई थी। ईयू ने हमारे द्वारा डब्ल्यूटीओ विवाद पैनल का सहारा लिए बिना इस विवाद के समाधान की इच्छा प्रकट की थी।

व्यापक परामर्शों के कई दौरों के बाद भारत और ईयू, ईयू में बौद्धिक सम्पदा के सीमा पर प्रवर्तन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में एक 'समझौते' पर पहुंचे थे। इसमें अन्य के साथ-साथ समझौते का यह मुख्य सिद्धांत शामिल है कि केवल यह तथ्य कि ईयू भू-भाग के जरिए औषधियों का पारगमन किया जा रहा है और यह कि ईयू भू-भाग में ऐसे औषधियों के लिए पेटेंट टाइटल लागू है, से ईयू के किसी सदस्य देश में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के लिए यह शंका करने का पर्याप्त आधार नहीं मिलता है कि संबंधित औषधियों से पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन होता है। ईयू इस समझौते में दिए गए सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए दिशा-निर्देश जारी करने पर भी सहमत हुआ था।

ईयू ने विनियम 1383/2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए नए विनियम हेतु अपने प्रस्ताव में भी इस समझौते में दिए गए सिद्धांतों का उल्लेख करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय आयोग ने विनियम 1383/2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए नए विनियम हेतु प्रस्ताव को अंगीकार कर लिया है और प्रस्तावित नया विनियम ईयू की संसद के विचाराधीन है। भारत ने प्रस्तावित विनियम पर अपने मत की सूचना ईयू को दे दी है। इस दौरान, जब तक ईयू के जरिए भेजी जा रही जेनेरिक औषधियों के संबंध में ईयू तथा उसके सदस्य देशों द्वारा समझौते में निहित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, तब तक भारत ने डब्ल्यूटीओ में विवाद निपटान पैनल का गठन किए जाने का अनुरोध न करने का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

एमएमटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय

925. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) ने अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राज्यों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात कुल स्टाफ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नया रामपुर, छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में एमएमटीसी को कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। एमएमटीसी लिमिटेड का अपने व्यापारिक कार्यकलाप कुशलता से करने के लिए विभिन्न राज्यों में, क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों का एक बड़ा कार्यतंत्र है।

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कुल कर्मचारियों के विवरण के साथ स्थानवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

एमएमटीसी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल कर्मचारियों के विवरण के साथ क्षेत्रवार ब्यौरा

	राज्यवार स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय		मानव शक्ति		
क्र.सं.	राज्य का नाम	क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय के नाम	बोर्ड स्तर	प्रबंध स्तर	स्टॉफ स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली	1	कॉर्पोरेट कार्यालय	4	223	333
		2.	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय		22	32
		3.	जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय		35	58
2.	उत्तर प्रदेश	1.	आगरा		1	
		2.	कानपुर		2	1
		3.	नोएडा		3	3
3.	गुजरात	1.	अहमदाबाद		19	13
4.	पंजाब	1.	लुधियाना		3	8
5.	कर्नाटक	1.	बंगलौर		13	10
		2.	मंगलौर		0	2
		3.	बानिहाल्टी		1	2
		4.	बेल्लारी		8	43
		5.	बेल्लारी कैंट		0	5
		6.	हॉस्पेट		0	7
		7.	कारीगानुरू		0	8
		8.	रंजीतपुरा		1	0
		9.	तारानागालु		2	14
		10.	गजेन्द्रगढ़		1	4

1	2	3	4	5	6	7
6.	उड़ीसा	1.	भुवनेश्वर		28	37
		2.	नाल्डा		6	68
		3.	पारादीप		8	17
		4.	डुबरी		2	8
7.	तमिलनाडु	1.	चेन्नई		48	105
		2.	एन्नोर पोर्ट		1	0
		3.	तूतीकोरिन		1	0
8.	केरल	1	कोचिन		5	2
9.	हरियाणा	1.	अंबाला		1	1
		2.	फरीदाबाद		2	4
10.	गोवा	1.	वास्को-दि-गामा		9	26
		2.	सनवोर्डम		0	4
11.	पश्चिम बंगाल	1.	कोलकाता		31	88
		2.	हल्दिया		4	16
12.	आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद		19	10
		2.	पखाल		0	2
		3.	विजयवाड़ा		3	0
		4.	विजाग		23	35
		5.	काकीनाडा		4	4
13.	मध्य प्रदेश	1	इंदौर		0	1
14.	राजस्थान	1	जयपुर		9	17
15.	झारखंड	1.	जमशेदपुर		1	1
		2.	अभ्रक नगर		1	31
16.	महाराष्ट्र	1	मुम्बई		39	95
17.	असम	1.	गुवाहाटी		1	3
18.	जम्मू और कश्मीर	1.	माता वैष्णो देवी श्राइन		1	4
	कुल			4	581	1117

नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया

926. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालयों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार देने के लिए चयन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया चयन की बजाय अस्वीकृति पर आधारित है;

(ख) क्या नियोक्ता और रोजगार एजेंसियां उम्मीदवारों को नौकरी हेतु फिट नहीं समझती क्योंकि वे सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षित नहीं होते; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं और उनका परिणाम क्या रहा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) पात्र आवेदकों में से उत्कृष्ट के चयन के उद्देश्य के साथ, चयन प्रक्रिया का आधार रोजगार की अपेक्षाएं हैं। पदों के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करना होता है।

(ग) भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन/सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे समकालीन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

पोतों का स्वदेश में निर्माण

927. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम स्वदेश में पोतों और नौसैनिक जलयानों के निर्माण संबंधी ठेके नहीं ले पाते और निजी कंपनियां ये ठेके ले लेती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त रक्षा उपक्रमों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2011, अध्याय-III, रक्षा पोतनिर्माण प्रक्रिया के अनुसार पोतों तथा अन्य नौसेना यानों के स्वदेशी निर्माण के लिए - रक्षा शिपयार्डों को कुछ संविदाएं नामांकन आधार पर तथा अन्य संविदाएं प्रतियोगी आधार पर दी गई हैं। रक्षा शिपयार्ड, निजी यार्डों के साथ खुली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ मामलों में वे निजी शिपयार्डों से पीछे रह गए हैं।

(ख) रक्षा शिपयार्डों ने नौसेना अपतटीय गश्ती जलयानों, बार्जों हॉवरक्राफ्टों, तीव्र गश्ती जलयानों, अंतर्रोधी नौकाओं, कैडेट प्रशिक्षण पोतों तथा तीव्र अंतर्रोधी यानों के लिए कोटेशन दी हैं परंतु वे निजी यार्डों के आगे विफल रहे। रक्षा शिपयार्डों ने विफलता के निम्नलिखित प्रमुख कारण बताएं हैं:-

(i) श्रमिकों के लिए उच्चतर मजदूरी दर इसकी वजह से उपरिव्ययों में बढ़ोतरी।;

(ii) निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सामग्रियों की अधिप्राप्ति में अधिक समय लगना इसकी वजह से उनके मूल्य में वृद्धि होना।

(ग) भविष्य में प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(i) रक्षा शिपयार्डों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का नवीनतम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण तथा आधुनिक एकीकृत निर्माण कार्य प्रणाली शुरू किया जाना।

(ii) डिजाइन तथा उत्पादन सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(iii) कुशल श्रमिक स्तर तथा प्रबंधन स्तर-दोनों में कार्मिकशक्ति को शामिल करना।

सीमेंट का उत्पादन और खपत

928. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में देश में सीमेंट का कितना वार्षिक उत्पादन/खपत और निर्यात हुआ;

(ख) क्या सीमेंट की कीमतों में अत्याधिक बढ़ोतरी के कारण रिहायशी आवासों के निर्माण की लागत बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उचित मूल्य पर सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में (31.10.2011 तक) सीमेंट के उत्पादन, खपत और निर्यात का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	सीमेंट का उत्पादन	सीमेंट की खपत	सीमेंट का निर्यात
2008-09	181.61	177.98	3.20
2009-10	201.06	198.04	2.27
2010-11	210.69	207.90	1.99
2011-12 (अप्रैल-अक्तूबर)	123.38	121.45	1.77

(ख) और (ग) रिहायशी मकानों के निर्माण की लागत में सीमेंट सहित विभिन्न मदों की लागतें शामिल होती हैं। अत: रिहायशी मकानों के निर्माण की लागत में परिवर्तनों का केवल सीमेंट के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों से सहसंबंध स्थापित करना संभव नहीं है। सीमेंट से मूल्य और वितरण संबंधी नियंत्रण मार्च, 1989 से हटा लिया गया था और सीमेंट उद्योग को 1991 में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया था। सीमेंट के मूल्य मांग और आपूर्ति बाज़ार की शक्तियों से संचालित होते हैं।

भारत-अफ्रीका सम्मेलन में डीआरडीओ

929. श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अभी हाल ही में हैदराबाद में सम्पन्न दो दिवसीय भारत-अफ्रीका व्यापार-सम्मेलन में अपनी प्रयोगशालाओं की अनेक प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित कीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रदर्शनियों का उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी हां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में सामाजिक हित वाली अपनी सहायक प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित करने के लिए भाग लिया।

(ग) भारत-अफ्रीका व्यापार प्रतिभागिता सम्मेलन भारत-अफ्रीका क्षेत्र में व्यापार में महत्वपूर्ण भागीदारों को विचार-विमर्श के लिए एक मंच पर लाने तथा पारस्परिक वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशक नीतियां तैयार करने की तरफ एक बड़ा कदम है।

आरएफआईडी

930. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कतिपय राजमार्गों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) स्मार्ट टैग लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त स्कीम को देश के अन्य भागों में भी लागू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल पर पथकर सड़कें बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरएफआईडी प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रव्यापी अंतरप्रचालनीय ईटीसी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए टोल प्लाजा सर्वर और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण प्रणाली के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) ट्रांसीवर्स, आरएफआईडी टैग एवं डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट संबंधी विनिर्देश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आरएफआईडी, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण के लिए ईपीसी जेन-2, आईएसओ 18000-6सी मानक पर आधारित होगी।

(ग) और (घ) जी हां। इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण स्कीम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की जाएगी।

(ङ) और (च) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति को सुपुर्दगी की वरीय पद्धति के रूप में अपनाया है। पीपीपी पद्धति के दो भिन्न-भिन्न स्वरूप अर्थात् निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) अपनाए गए हैं। अभी तक बीओटी (पथकर) पद्धति से 13791.25 किमी लंबाई की 149 परियोजनाएं और बीओटी (वार्षिकी) पद्धति से 3311.42 किमी लंबाई की 29 परियोजनाएं सौंपी गई हैं।

[हिन्दी]

श्रमिकों का शोषण

931. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय श्रमिक संगठनों से इंडिया-ओमान रिफाइनरी लि., बीना में श्रमिकों के शोषण की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों की तत्संबंधी प्रकृति और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने सूचित किया है कि इंडिया-ओमान रिफाइनरी लि. बीना में श्रमिकों के शोषण की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

तटरक्षक स्टेशन

932. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की तटरेखा के साथ-साथ तटरक्षक स्टेशनों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण गुजरात में बड़े और महत्वपूर्ण औद्योगिक परिसरों के मद्देनज़र वहां प्रस्तावित स्टेशनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) किसी स्थान विशेष पर तटरक्षक स्टेशन की स्थापना खतरे की संभावना, भेद्य अंतराल विश्लेषण और निकट में अन्य स्टेशनों की मौजूदगी को देखते हुए की जाती है। गांधी नगर, पोरबंदर, ओखा, जखुआ, वादीनगर, मुन्दरा और वेरावल में सात तटरक्षक स्टेशन अवस्थित हैं। पोरबंदर में एक एयर एनक्लेव मौजूद है।

सरकार ने गुजरात में पिपावव में एक तटरक्षक स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुमोदन भी प्रदान किया है।

गुजरात में तटीय सुरक्षा की मॉनीटरी करने के लिए गांधीनगर में एक क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तर-पश्चिम) की भी स्थापना की है। ओखा, जामनगर और पोरबंदर में नौसेना स्टेशन हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित तटीय सुरक्षा योजना चरण-I, के तहत दस तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है और दक्षिण गुजरात को शामिल करते हुए योजना के चरण-II के तहत बारह अतिरिक्त तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए अनुमोदन दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल गुजरात तट के पास सुरक्षा संक्रियाओं और अभ्यासों का आयोजन और गुजरात के मछुआरों के गांव में नियमित रूप से जागरूकता अभियान भी चल रहा है। नौसेना, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और अन्य संबंधितों के साथ नियमित रूप से संयुक्त रूप से गश्तें की जा रही हैं। दक्षिण गुजरात सहित गुजरात तट के लिए सात रडार स्टेशनों को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में महिला कामगार

933. **श्री अंजनकुमार एम. यादव:**
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण एकल महिला कामगारों को श्रम संबंधी कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त मजदूरी विसंगति समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(घ) महिला कामगारों को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है और इन महिला कामगारों के लिए कितना न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) देश के कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के 66वें चरण के अनुसार विभिन्न राज्यों में कृषि में कार्यरत महिला कामगारों का वितरण (प्रति हजार) विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण एकांगी महिला कामगारों और उनकी मजदूरी पर अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी पुरुष और महिला कामगारों के लिए एक समान है।

विवरण

कृषि में कार्यरत महिला कामगारों का राज्य-वार वितरण (प्रति हजार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	प्रति हजार महिला कामगार
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	675
2.	अरुणाचल प्रदेश	797
3.	असम	809
4.	बिहार	793
5.	छत्तीसगढ़	855
6.	दिल्ली	0
7.	गोवा	82
8.	गुजरात	745
9.	हरियाणा	687
10.	हिमाचल प्रदेश	853
11.	जम्मू और कश्मीर	807
12.	झारखंड	658
13.	कर्नाटक	680
14.	केरल	348
15.	मध्य प्रदेश	787
16.	महाराष्ट्र	737
17.	मणिपुर	296
18.	मेघालय	652
19.	मिजोरम	690
20.	नागालैंड	809
21.	उड़ीसा	726
22.	पंजाब	698
23.	राजस्थान	684
24.	सिक्किम	610
25.	तमिलनाडु	594
26.	त्रिपुरा	124
27.	उत्तराखंड	687
28.	उत्तर प्रदेश	778
29.	पश्चिम बंगाल	335
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	271
31.	चंडीगढ़	0
32.	दादरा और नगर हवेली	655
33.	दमन और दीव	681
34.	लक्षद्वीप	361
35.	पुडुचेरी	348

दिल्ली-बागपत-शामली-सहारनपुर राजमार्ग

934. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-बागपत-शामली-सहारनपुर राजमार्ग अत्यंत खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राजमार्ग की मरम्मत और उसे दो लेन का बनाने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) यह मंत्रालय, मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। विचाराधीन सड़क अर्थात् दिल्ली-बागपत-शामली-सहारनपुर राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह राजमार्ग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन है। उक्त राजमार्ग के अनुरक्षण एवं विकास की जिम्मेदारी, इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

जोधपुर शहर में रिंग रोड/बाईपास का निर्माण

935. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण-7 के तहत जोधपुर शहर में एक रिंग रोड/बाइपास रोड के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त रिंग रोड/बाइपास का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ/पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने रारा-65 को नागौर की ओर से रारा-112 और रारा-114 से जोड़ते हुए जोधपुर शहर के लिए एक बाइपास का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण-7 के अंतर्गत शामिल किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया है तथा साध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए कार्यस्थल पर कार्य शुरू हो गया है। कार्यान्वयन में साध्यता अध्ययन, रियायतग्राही का प्रापण और चयनित रियायतग्राही द्वारा निर्माण किया जाना शामिल है। चूंकि परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन, बीओटी (पथकर) आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता पर आधारित है इसलिए परियोजना संस्वीकृत किये जाने का समय बता पाना अभी संभव नहीं है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का निर्माण

936. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनकी लम्बाई कितनी है;

(ख) उक्त राजमार्गों में से कितने राजमार्ग चार लेन में परिवर्तित कर दिए गए हैं;

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़े गए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या राज्य में निर्माणाधीन राजमार्गों और पुलों में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उक्त निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा नियत की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) गुजरात राज्य में रारा सं. 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 76ए, 113 और 228 नामक 13 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 3188 कि.मी. है और अहमदाबाद से वड़ोदरा तक राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग (एनई-1) है जिसकी लम्बाई 93.0 कि.मी. है।

(ख) चार लेन में परिवर्तित राष्ट्रीय राजमार्ग विवरण में दिया गया है।

(ग) गुजरात से होकर गुजरने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग, राजस्थान/गुजरात सीमा से अहमदाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8, अहमदाबाद से वड़ोदरा तक राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग और वड़ोदरा से गुजरात/महाराष्ट्र सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8 है।

(घ) जी हां। दो चालू सड़क कार्यों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए के गागोधर से गारामोड़ में 4 लेन तथा रारा-8 के सूरत-दहिसर खंड

में 6 लेन बनाए जाने में विलंब हुआ है। इन कार्यों में लेन की अपेक्षित चौड़ाई के अनुसार, खंडों पर पड़ने वाले पुलों, फ्लाईओवरों और आरओबी आदि जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाना भी शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए के कि.मी. 68/200 कि.मी. 78/200 कि.मी. 190/00 पर तीन पुल कार्य नियम समय से पीछे चल रहे हैं।

(ङ) भूमि अधिग्रहण, कार्य व्याप्ति में परिवर्तन, मौसम की प्रतिकूल स्थिति, तकनीकी समस्या और रियायतग्राही की ओर से विलम्ब, कार्य पूरा होने में विलम्ब के कारण बने हैं। उक्त कार्यों को पूरा किये जाने की संभावित समयावधि मार्च, 2012 है।

विवरण

चार लेन में परिवर्तित राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनकी लम्बाई

क्रमांक	रारा सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
1.	8	604.60
2.	एनई-1	93.0
3.	8ए	363.94
4.	8सी	44.42
5.	8डी	2.00
6.	8ई	12.65
7.	14	154.00
8.	15	142.50
9.	8बी	213.00
10.	228	46.40
	कुल	1676.51

[अनुवाद]

मैरिटाइम यूनिवर्सिटी

937. **श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार का 'मैरिटाइम यूनिवर्सिटी' की स्थापना से संबंधित अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्रेणी की परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय अनुमति

938. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अत्यंत प्रदूषित क्षेत्रों में श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति/राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईएसी/एसईआईए) को वापिस सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में प्रावधान है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर अभिज्ञात अत्यंत प्रदूषित क्षेत्रों की 10 किमी. की सीमा के भीतर आने वाली सभी परियोजनाएं, उक्त अधिसूचना की अनुसूची की मद 8 के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को छोड़कर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए श्रेणी 'क' परियोजनाओं के रूप में मानी जाएगी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री प्रदूषण

939. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समुद्रतटीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग अपशिष्ट समुद्र में ही बहा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उक्त उद्योगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) तटीय क्षेत्रों के अधिकांश प्रदूषित औद्योगिक समूह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित हैं। इन उद्योगों की मुख्य श्रेणियों में तेल रिफाइनरी, पेट्रो-केमिकल उद्योग, रसायन और उर्वरक, ताप विद्युत संयंत्र, क्लोर-अलकली और कास्टिक सोडा उद्योग है। ऐसे उद्योगों की श्रेणी-वार और राज्य-वार सूची विवरण में दी गई है।

सभी तटीय राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार अपने संबंधित राज्यों में अपशिष्ट जल संग्रहण, शोधन और निपटान का नियंत्रण कर रहे हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव मानक निर्धारित किए हैं ताकि उद्योगों द्वारा मानकों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त तटीय पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से तटीय जल कृषि कार्यों को विनियमित करने के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तटीय जल कृषि प्राधिकरण स्थापित किया गया। सीआरजेड कार्यों को विनियमित करने के लिए तटीय भागों को तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) को घोषित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत धारा 3(1) और धारा 3(2) V और पर्यावरण (संरक्षण) विनियमावली, 1986 की धारा 5(3) (घ) के अंतर्गत व्यापक कानून अधिनियमित किए गए हैं।

विवरण

तटीय राज्यों में स्थित रिफाइनरियों/पेट्रोकेमिकल्स की सूची

क्र.सं.	रिफाइनरी इकाईयों का नाम	समीपवर्ती स्थान
01.	मैसर्स रिलायंस रिफाइनरी लि.	जामनगर, गुजरात
02.	मैसर्स रिलायंस रिफाइनरी लि.	जामनगर, गुजरात
03.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	मुम्बई, महाराष्ट्र
04.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	मुम्बई, महाराष्ट्र
05.	मैसर्स मंगलौर रिफाइनरिज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	मंगलौर, कर्नाटक
06.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	कोच्चि, केरल
07.	मैसर्स चैन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	नागापटनम, तमिलनाडु
08.	मैसर्स चैन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	मनाली, चैन्नई
09.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
10.	मैसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (निर्माणाधीन)	पाराद्वीप, उड़ीसा
11.	मैसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.	हल्दिया, पश्चिम बंगाल

तटीय राज्यों में स्थित फर्टिलाइज़र्स उद्योगों की सूची

क्र.सं.	फर्टिलाइज़र्स इकाई का नाम	समीपवर्ती स्थान
1	2	3
01.	मैसर्स जीएसएफसी	जामनगर, गुजरात
02.	मैसर्स आईएफएफसीओ	कांडला, गुजरात

1	2	3
03.	मैसर्स कृभको	सूरत, गुजरात
04.	मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	चेम्बूर, महाराष्ट्र
05.	मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	थाल, महाराष्ट्र
06.	मैसर्स जुअरी अग्रो केमिकल्स लि., जुअरी	वास्को, गोवा
07.	मैसर्स मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	मंगलौर, कर्नाटक
08.	मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि., उद्योगमंडल	कोच्चि, केरल
09.	मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि. अम्बालामिट्टु	कोच्चि, केरल
10.	मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मनाली	चैन्नई
11.	मैसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि., इन्नौर	चैन्नई
12.	मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रिज कॉरपॉरेशन	तूतीकोरिन
13.	मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स	काकीनाडा
14.	मैसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स	काकीनाडा
15.	मैसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि.	विशाखापट्टनम
16.	मैसर्स आईएफएफसीओ,	पाराद्वीप
17.	मैसर्स पाराद्वीप फास्फेटस लि.	पाराद्वीप

तटीय राज्यों में स्थित कास्टिक सोडा/क्लोरलकली इंड्स्ट्रीज़ की सूची

क्र.सं.	कास्टिक सोडा इकाई के नाम	समीपवर्ती स्थान
1	2	3
1.	आदित्य बिरला न्यूवो लि.	वेरावल, गुजरात
2.	अतुल लि.	वलसाड, गुजरात
3.	गुजरात अल्कलाइंस (दाहेज)	दाहेज, गुजरात
4.	गुजरात फलूरो केमिकल्स लि.	दाहेज, गुजरात
5.	मेघमणि फाइनेकेम लि.	दाहेज, गुजरात
6.	निरमा लि.[4]	भावनगर, गुजरात
7.	रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि.[7]	दाहेज, गुजरात

1	2	3
8.	टाटा केमिकल्स लि.	जामनगर, गुजरात
9.	केम्पलास्ट सेनमर लि. (कराईकाल)	कराईकाल,
10.	केम्पफाब अल्कलिज लि.[8]	पुडुचेरी
11.	डीसीडब्ल्यू लि.	पुद्दुचेरी
12.	सोलारिज केमटेक लि.	करंवार, कर्नाटक
13.	तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि.	मनाली, चैन्नई
14.	द त्रावणकोर कोचीन केमिकल्स लि.	कोच्चि, केरल

तटीय राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों की सूची

क्र.सं.	नाम	राज्य
1.	सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश
2.	अदानी, मुंद्रा	गुजरात
3.	दहानु, आरईएल	महाराष्ट्र
4.	टाटा, ट्रोम्बे	महाराष्ट्र
5.	जेएसडब्ल्यू, रत्नागिरी	महाराष्ट्र
6.	दाभोल, एनटीपीसी	महाराष्ट्र
7.	जानोर - गंधार, एनटीपीसी	गुजरात
8.	कयाम - कुलाम एनटीपीसी	केरल
9.	इन्नौर	तमिलनाडु
10.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु
11.	नॉर्थ-चैन्नई	तमिलनाडु
12.	मेट्टूर	तमिलनाडु
13.	अबन, लेंको	तमिलनाडु
14.	एसटी - सीएमएस	तमिलनाडु
15.	बज - बज	पश्चिम बंगाल

एमवी रैक का डूबना

940. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुम्बई तट पर मालवाहक एमवी रैक के डूबने की घटना की जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। इस घटना पर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग XII की धारा 358 के प्रावधान के तहत पोत परिवहन दुर्घटना के रूप में कार्रवाई की गई। तदनुसार, सरकार द्वारा इस पोत परिवहन दुर्घटना में वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 359(2) के तहत आरंभिक जांच के आदेश दिए गए थे। यह जांच पोत परिवहन महानिदेशालय के सहायक कार्यालय वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा पूरी की गई। इसका निष्कर्ष यह है कि एमवी रैक कैरियर सिंगापुर से दाहेज की समुद्री यात्रा पर था। समुद्री यात्रा के दौरान पोत की कई मशीनरी फेल हो गई और इसके कार्गो तल भंडार में पानी भी भर गया। कल-पुर्जों की कमी के कारण मशीनरी की कोई मरम्मत नहीं की जा सकी। यह पोत 19.7.2011 को मुंबई तट के पास पहुंचा और अतिरिक्त कल-पुर्जों की प्रतीक्षा में था। तथापि, कार्गो तल भंडार में पानी घुसने की मात्रा बढ़ने के कारण यह पोत 4.8.2011 को उलट गया। इस घटना का प्रमुख कारण पोत की घटिया मरम्मत और पोत मालिक द्वारा अप्रभावी मानीटरी तथा सहायता है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पत्तन राज्य नियंत्रण तंत्र के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों का दौरा करने वाले घटिया विदेशी पोतों का निरीक्षण, तेल प्रदूषण रोकने तथा सफाई के लिए कदम न उठाने संबंधी अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करने वाली पोत के सुरक्षा एवं सुरक्षा क्लब को काली सूची में डालना तथा समुद्री यातायात चेतावनी के उद्देश्य के लिए डुबे हुए पोत के भग्नावशेष के बोया अंकित करने कदम उठाए गए हैं।

मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों के विकास हेतु गृह

941. **श्रीमती जे. शांता:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कई राज्यों विशेषकर कर्नाटक में मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों के विकास तथा उनकी देखभाल हेतु बाल गृहों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्थापित बाल गृहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ राज्यों के उक्त बाल गृहों में मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों की देखभाल समुचित रूप से नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने राज्यों में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए ऐसे किसी गृह की स्थापना नहीं की है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित गृहों से संबंधित सूचना का रखरखाव मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जबकि इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन जब भी ऐसी घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है, उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है।

भा.व.से. का सुदृढ़ीकरण

942. **श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के सुदृढ़ीकरण हेतु किसी समिति की नियुक्ति ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आईएफएस संवर्ग हेतु कोई पुनश्चर्या पाठयक्रम प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वनों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित कार्यढांचा, पद्धति, तैनाती, प्रोत्साहन, पाठयक्रम प्रशिक्षण आदि को शामिल करते हुए भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के लिए व्यापक

भर्ती योजना की जांच करने के लिए दिनांक 17 मार्च, 2010 को सेवानिवृत्त वन महा निदेशक और विशेष सचिव श्री जे.सी. काला की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई। दिनांक 22 मार्च, 2011 को प्रस्तुत समिति के निष्कर्ष मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.nic.in/modules/others/?f=kala पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) इस समय आईएफएस की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित पाठयक्रम आयोजित किए जाते हैं :-

(i) सेवा में एक सप्ताह का प्रशिक्षण और दो दिनों की कार्यशाला

(ii) वर्तमान नियमों और अनुदेशों के अनुसार करिअर के दौरान अनिवार्य प्रशिक्षण

संवर्ग के लिए किसी अन्य पुर्नश्चर्या कोर्स को शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रक्षा सौदों का रद्द होना

943. **श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय रक्षा फर्मो के साथ रक्षा सौदे रद्द किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किन रक्षा सौदों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इनके कारण क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों से कुल कितने मूल्य के रक्षा उपकरण खरीदे गए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कामगारों हेतु बीमा कवरेज

944. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2013-2014 तक कामगारों हेतु बीमा योजना के कवरेज को बढ़ाकर 6 करोड़ रूपये करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा योजना के बढ़ाए गए कवरेज से कामगारों को कई प्रकार से लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) बीपीएल सर्वेक्षण 2002 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) की अनुमानित संख्या लगभग 6 करोड़ है। आरंभ में सभी 6 करोड़ बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव था जिसके माध्यम से प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000/- रूपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना था। तथापि, अनुभव यह बताते हैं कि बीपीएल परिवारों के सिर्फ 60% ही नामांकन हेतु उपलब्ध हैं। इस प्रकार, लगभग 3.6 करोड़ बीपीएल परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है। सरकार का यह प्रयास है कि ऐसे सभी परिवारों को 2012-13 तक शामिल कर लिया जाए।

[हिन्दी]

वन्य जीवों के लिए सुरक्षा

945. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन संरक्षित अभयारण्यों को अतिरिक्त सुरक्षा और बजट मुहैया कराने का है जिनमें वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) देश में सुरक्षित क्षेत्र, वैज्ञानिक रूप से तैयार प्रबंधन योजनाओं के अनुसार संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार तैयार की गई प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय में उन सुरक्षित क्षेत्रों के लिए जहां वन्य पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, अतिरिक्त सुरक्षा और बजट प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नही है। गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों को जारी धनराशि के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (17.11.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73.48	85.91	87.872	107.86
2.	आंध्र प्रदेश	92.378	102.02	64.341	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	193.31	193.14	213.197	00
4.	असम	161.095	114.79	186.63	00
5.	बिहार	37.558	42.29	19.889	00
6.	छत्तीसगढ़	323.235	851.15	281.966	190.64
8.	चंडीगढ़	00	00	12.29	19.98
9.	दादरा और नगर हवेली	15.62	14.88	00	00
10.	गोवा	41.94	71.03	32.879	0
11.	गुजरात	318.52	426.10	1106.749	00
12.	हरियाणा	86.02	17.22	15.114	23.50
13.	हिमाचल प्रदेश	241.983	265.92	253.80	195.35
14.	जम्मू और कश्मीर	470.87	375.397	537.336	355.465
15.	झारखंड	99.753	80.267	63.64	46.7475
16.	कर्नाटक	625.1501	566.71	412.252	212.87
17.	केरल	864.96	432.48	366.786	22.18
18.	मध्य प्रदेश	613.34	541.98	635.366	382.47
19.	महाराष्ट्र	390.22	273.679	343.32	281.281
20.	मणिपुर	100.095	118.31	88.316	00
21.	मेघालय	58.007	59.75	58.03	00
22.	मिजोरम	289.09	186.85	707.763	83.80

1	2	3	4	5	6
23.	नागालैंड	28.415	34.115	33.595	00
24.	उड़ीसा	576.88	390.95	315.331	191.132
25.	पंजाब	40.29	36.26	25.12	00
26.	राजस्थान	414.58	496.746	348.068	186.782
27.	सिक्किम	187.73	240.93	183.78	131.793
28.	तमिलनाडु	727.91	518.67	334.449	150.71
29.	त्रिपुरा	0.00	13.00	2.84	00
30.	उत्तरप्रदेश	307.173	274.45	295.179	162.271
31.	उत्तराखंड	216.09	145.08	134.90	201.144
32.	पश्चिम बंगाल	345.78	381.318	276.385	112.15
33.	दिल्ली	0.00	0.00	00	00
	दमन और दीव	6.12	6.05	00	00
	कुल	7947.5921	7357.442	7438.183	3259.1255

[अनुवाद]

स्वतंत्रता पूर्व के पूर्व-सैनिकों हेतु पेंशन

946. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता पूर्व सेनानिवृत्त हुए कई सैन्यकर्मी जो अभी जीवित हैं, किसी भी प्रकार के पेंशन लाभों के हकदार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पेंशन लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाने हेतु पेंशनर घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) अफसर रैंक से नीचे के रैंक में 15 वर्षो से कम सेवा वाले तथा कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में 20 वर्षों से कम सेवा वाले भूतपूर्व सैनिक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अनिवार्य आवश्यकता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) मौजूदा सेना, नौसेना तथा वायुसेना पेंशन विनियमों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं में पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अनिवार्य मानदण्ड है।

कौशल विकास पहल

947. **श्रीमती श्रुति चौधरी:**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग में कुशल कामगारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कामगारों को प्रशिक्षण देने हेतु कौशल विकास परियोजना चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कार्य कर रहे/स्थापित किए जाने वाले वस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों तथा उक्त केंद्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मुहैया करायी/आबंटित की गयी धनराशि/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से इस प्रकार के केंद्र स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के केंद्रों को वित्तीय तथा अन्य सहायता कब तक मुहैया कराये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने 228.99 करोड़ रू. के वित्तीय आबंटन से 2.5 लाख कुशल जनशक्ति विकसित करने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना में वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) शुरू की है।

(ग) आईएसडीएस को वस्त्र मंत्रालय के अधीन अपैरल प्रशिक्षण विकास केंद्र, वस्त्र अनुसंधान संघ, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी/पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, विकास आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प और वस्त्र समिति जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब तक, आईएसडीएस के अंतर्गत 434 करोड़ रू. की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) और (ङ) सरकार को आगामी 5 वर्ष में आईएसडीएस के तहत 2 लाख वस्त्र कामगारों को प्रशिक्षण हेतु सहयोग के लिए आंध्र प्रदेश स्थित राजीव शिक्षा एवं रोजगार मिशन (आरईईएमएपी), आंध्र प्रदेश से एक आशय पत्र प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

आगरा में एलेवेटिड सड़क

948. प्रो. रामशंकर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा में एलेवेटिड सड़क बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लंबाई कितनी है; और

(ग) परियोजना की कुल लागत और पूरा होने का लक्षित समय क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) आगरा शहर में उत्थापित सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनन परियोजनाओं को स्वीकृति

949. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रस्तावित क्षेत्र प्रजाति विविधता तथा वनों से समृद्ध है, छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरांड वन क्षेत्र में प्रस्तावित आठ खनन परियोजनाओं पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन सलाहकार समिति ने यह निर्णय लिया था कि संपूर्ण वन ब्लाक को यथावत रखा जाए;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ कोयला ब्लाकों को उक्त क्षेत्र में खनन पट्टे आबंटित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन ब्लाकों में खनन पट्टे की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरांड वन क्षेत्र में खनन हेतु वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए आठ प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। वन सलाहकार समिति द्वारा वन मंजूरी हेतु प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो एक सिफारिश करने वाला निकाय है और मंत्रालय परियोजनाओं के गुणावगुणों के आधार पर अनुमोदन हेतु निर्णय लेता है। तारा, परसा और 'परसा पूर्व और काएन्ता बसन' के कोयला ब्लॉकों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है जबकि 'चोटिया I और II' कोयला ब्लॉक को अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है। पितुरिया गिधुमुरी, 'नकिया I और II, मोर्गा II और मदनपुर दक्षिण कोयला ब्लॉकों से संबंधित शेष चार प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केवल वन और पर्यावरणीय मंजूरियां प्रदान करता है जबकि खनन पट्टों का आबंटन कोयला मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से परामर्श करते हुए किया जाता है।

एचएएल का प्रबंधन

950. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड; (एचएएल) देश का एकमात्र घरेलू विमान विनिर्माता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब तक एचएएल की कमान नौकरशाह ही संभालते रहे हैं;

(ग) यदि हां तो क्या भारतीय वायुसेना ने सरकार से कुशलकार्यकरण हेतु एचएएल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है/किया जा रहा है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमनद पर रिपोर्ट

951. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में ही हिमनद अध्ययन पर कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सिफारिशों के क्रियान्वयन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा गठित अध्ययन समूह द्वारा तैयार की गई 'हिमालयी ग्लेशियरों पर अध्ययन समूह की रिपोर्ट' मार्च, 2011 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें विज्ञान मुद्दों पर दीर्घकालिक व्यापक अध्ययन, मानक संसाधनों के विकास, क्षेत्रीय आयोजना और पारिप्रणाली प्रबंधन तथा ग्लेशियोलॉजी हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, जो आंकड़ों के रिपोजिटरी की सेवा प्रदान कर सकता है, संबंधित है।

(ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) 30 जून, 2008 को आरंभ की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, हिमालयी ग्लेशियरों पर नजर रखने और मानीटरन हेतु प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हिमालयी पारि-प्रणाली को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। मिशन के कार्यकलापों में हिमालयी ग्लेशियोलॉजी हेतु राष्ट्रीय केन्द्र, ज्ञान संस्थानों की नेटवर्किंग, ग्लेशियोलॉजिस्टों का प्रशिक्षण और विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करना शामिल है।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों को छूट

952. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिक छूट देने के लिए हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संगठनों से राज्य-वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उक्त बुनकरों को मुहैया करायी जा रही छूट का ब्यौरा क्या है और पिछड़े क्षेत्रों में इन छूटों से उक्त कितने बुनकर लाभान्वित हुए हैं।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय को योजनेत्तर 10 प्रतिशत छूट योजना को 3 वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों और सहकारी सोसाइटियों से 18 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। योजना में राज्यों के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण त्योहारों और आयोजनों में उनके इंपोरियमों और बिक्री के अन्य स्टॉलों के माध्यम से एक वर्ष में 128 दिनों के लिए हथकरघा कपड़ों की बिक्री तथा विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा अनुमोदित हथकरघा प्रदर्शनियों, जिला स्तरीय आयोजनों आदि के दौरान हुई बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति करके राज्यों को विपणन सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। यह योजना दिनांक 1.4.2009 से बंद हो गई है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन

क्र.सं.	राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के नाम	पत्र सं. और तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार	दिनांक 26.9.2008 का आरसी सं. 3225/2008-12	10 प्रतिशत छूट योजना जारी
2.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, असम सरकार	दिनांक 23.9.2008 का सं. डीएचटीपी/150/2007/23	-तदैव-
3.	ग्रामीण उद्योग निदेशक, छत्तीसगढ़ सरकार	दिनांक 7.5.2009 का सं.ह.बु.यो./10 प्रतिशत रिबेट/2009-10/693	-तदैव
4.	कॉटेज और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार	दिनांक 21.10.2008 का सं. एचएसएल/सीएच-6/02/2438/08	-तदैव-
5.	निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश सरकार	दिनांक 22.10.2008 का सं. आईएनडी.डीईवी.एफ (31)/202/2004/वोल. 2	-तदैव-
6.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, केरल सरकार	दिनांक 18.10.2008 सं. डीएचटी/एचएलएस/टीआई-2/10 रिबेट/19/2007-08	-तदैव
7.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, कर्नाटक सरकार	दिनांक 30.9.2008 का सं. एचएल/सी8/6246/08	-तदैव-
8.	हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार	दिनांक 17.10.2008 का सं.ह.बुन.एडब्ल्यूएचए/2008/4095	-तदैव
9.	निदेशक, (वस्त्र), महाराष्ट्र सरकार	दिनांक 24.9.2008 का सं. डेस्क-4/10 रीबेट/90963/2008	-तदैव
10.	उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, नागालैंड सरकार	दिनांक 3.11.2008 का सं. आईएनडी/एचएल/रिबेट/24/2004	-तदैव
11.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, उड़ीसा सरकार	दिनांक 22.9.2008 का . 18505/एचएल-3-रिबेट 5/6	-तदैव-
12.	वस्त्र अधिकारी (एच) उद्योग एवं वाणिज्य व निदेशालय, पंजाब सरकार	दिनांक 20.11.2008 का सं.एल/टेक्स/10 रिबेट स्कीम/11065-69	-तदैव-
13.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, तमिलनाडु सरकार	दिनांक 25.9.2008 आरसी सं./45394/2006/एफ 1	-तदैव-

1	2	3	4
14.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	दिनांक 25.9.2008 का सं. 948/ह.क.-रिबेट/2008-09	10 प्रतिशत छूट योजना जारी
15.	हथकरघा और वस्त्र निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार	दिनांक 3.10.2008 का सं. 355/एचएल/टैक्स/आर-13/2002-03	-तदैव-
		वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन	
1.	प्रधान सचिव, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र एवं खादी विभाग, तमिलनाडु सरकार	दिनांक 30.9.2009 का सं. 9119/डी/09	10 प्रतिशत छूट योजना जारी
2.	महाप्रबंधक कुल्लू जिला सहकारी विकास संघ लि., कुल्लू (हि.प्र.)	दिनांक 17.8.2009 का सं. कुल्लू को. फेड/1-589/09	-तदैव-
		वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन	
1.	महाप्रबंधक कुल्लू जिला सहकारी विकास संघ लि., कुल्लू (हि.प्र.)	दिनांक 25.2.2011 का सं. कुल्लू को. फेड/1137/011	10 प्रतिशत छूट योजना जारी
		वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन	
		शून्य	

[अनुवाद]

सेल पर आर्थिक मंदी के प्रभाव

953. श्री एम.बी. राजेश: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी का भारतीय इस्पात प्राधिकरण; (सेल) पर प्रभाव पड़ा है जिसके कारण हाल ही में इसके मुनाफे में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'सेल' ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीलरों की नियुक्ति करने सहित किसी विस्तार कार्यक्रम की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सेल की योजना व्यापक भर्ती अभियान चलाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) यद्यपि वैश्विक आर्थिक मंदी ने इस्पात की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को स्थिर बनाए रखने में एक सीमा तक भूमिका निभाई है तथापि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के वित्तीय निष्पादन पर वैश्विक मंदी के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है। सेल के कर-पश्चात लाभ में अप्रैल-सितम्बर, 2011-12 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 41 प्रतिशत गिरावट आई जिसका कारण आदान लागत में वृद्धि और भारतीय रूपये की तुलना में अमेरिकन डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।

(ग) और (घ) सेल वर्तमान चरण में कच्चे इस्पात की वर्तमान उत्पादन क्षमता को 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष से 21.40 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर स्थित अपने 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों एवं सेलम स्थित विशेष इस्पात संयंत्र पर आधुनिकीकरण और विस्तार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। खानों के विकास में निवेश के लिए 10264 करोड़ रूपये के प्रावधान के अलावा आधुनिकीकरण और विस्तार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। खानों के विकास में निवेश के लिए 10264 करोड़ रूपये के प्रावधान के अलावा आधुनिकीकरण और विस्तार के वर्तमान चरण हेतु सांकेतिक निवेश की राशि 61870 करोड़ रूपये है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए सेल ने चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक, तहसील और तालुका स्तर पर ग्रामीण डीलरों की नियुक्ति करके अपने डीलर नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई है।

(ङ) जी, नहीं। सेल उच्चतर श्रम उत्पादकता प्राप्त करने और पृथक्करण और चयनात्मक भर्तियों के जरिए जनशक्ति के आकार को उपयुक्त बनाने पर बल देता है। पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्तैनाती तथा बहु-कौशल प्रशिक्षण से विद्यमान कर्मचारियों में से ही कुशल/अर्धकुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में सुगमता मिलेगी।

नशा-मुक्ति केन्द्रों की स्थापना

954. **श्री नरहरि महतो:**
श्री नृपेन्द्रनाथ राय:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों सहित देश में युवाओं के बीच नशे की लत चिंताजनक रूप से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में नशा मुक्ति केन्द्र खोलकर इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की योजना बनायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों सहित देश में नशे के आदी युवकों को निर्णायक रूप से दर्शाने वाला कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण हेतु सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना" कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत नशे के आदी व्यक्तियों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन एवं रख-रखाव हेतु गैर-सरकारी तथा अन्य पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो नशे पर आश्रित व्यक्तियों को जागरूकता सृजन, परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं सामाजिक पुन: एकीकरण जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 416 आईआरसीए को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) राज्यों में नशीली दवाओं की आवक को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से नशीली दवा दुरूपयोग के जोखिम के विरूद्ध जागरूकता अभियानों सहित मांग में कमी संबंधी विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करना।

(ii) आयात, निर्यात स्थानों एवं नशीली दवा आवक के ज्ञात रास्तों पर सख्त निगरानी और प्रवर्तन।

(iii) सीमाओं पर स्वापक, नशीले एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने एवं पता लगाने के लिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) एवं सशस्त्र सेना बल (एसएसबी) जैसे सीमा रक्षक बलों को सशक्त किया गया है।

(iv) नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए विधि प्रवर्तन पदाधिकारियों के कौशल के उन्नयन हेतु उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) नशीले पदार्थों की स्थिति की समीक्षा करने और एनडीपीएस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु राज्यों में शीर्ष स्तरीय समन्वय समिति (मुख्य सचिवों/वरिष्ठ सचिव की अध्यक्षता में) गठित की गई है।

(vi) अपनी स्वापक-रोधी यूनिटों को मजबूत करने के लिए पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(vii) स्वापक पदार्थों की जब्ती कराने वाली सूचना के लिए सूचना देने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को वित्तीय पुरस्कार।

पारिस्थितिकीय सुधार

955. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार से देश में पारिस्थितिकीय सुधारों की गति बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा उनके आस-पास क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पारिस्थितिकीय संरक्षण

की गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से दो परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को गंगा नदी बेसिन के संरक्षण हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त है। विश्व बैंक की सहायता से जैवविविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना नामक एक और परियोजना आरंभ की गई है।

(ग) इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद में मुसी नदी, भद्राचलम, मनवेरियल, राजामुंद्री और रामागुंडम में गोदावरी नदी के संरक्षण हेतु 367.51 करोड़ रू. की लागत की परियोजनाए मंजूर की हैं। अब तक, भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 259.80 करोड़ रू. की निधियां जारी की जा चुकी है और 600 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया जा चुका है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत हैदराबाद में 4.30 करोड़ रू. की लागत से 'बंजारा झील की पुनर्व्यवस्था और पुनरूद्धार' नामक परियोजना मंजूर की गई है। अब तक इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2.70 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

निधियों का आबंटन

956. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), नि:शक्तों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों हेतु जारी की गई धनराशि का वर्ग-वार और राज्य-वार-ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय सरकार द्वारा आबंटित धनराशि से उपरोक्त सभी वर्गों की सहायता कर पाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) मंत्रालय का अधिदेश अपने लक्ष्य समूहों, अर्थात् (i) अनुसूचित जातियां, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) विकलांग व्यक्ति, (iv) वरिष्ठ नागरिक तथा (v) मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरूपयोग पीड़ितों को यथा उपयुक्त शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास और पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के लक्ष्य समूहों के सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए भी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय किसी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त योजनागत बजट के भीतर अपने लक्ष्य समूहों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आबंटन करता है। वर्ष 2010-11 के लिए मंत्रालय का वार्षिक योजना परिव्यय 4500 करोड़ रूपए था, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 2500 करोड़ रूपए के परिव्यय से 80% अधिक था। चालू वर्ष के दौरान इसे बढ़ा कर 5375 करोड़ रूपए किया गया था। इसलिए, मंत्रालय अपने लक्ष्य समूहों के सशक्तिकरण और विकास के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विकलांग व्यक्तियों, महिला तथा सामाजिक सुरक्षा (वरिष्ठ नागरिक तथा मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरूपयोग पीड़ितों) के विकास के लिए निर्मुक्त राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति विकास			पिछड़ा वर्ग विकास			विकलांगता			महिला			समाज रक्षा		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	राज्य															
1.	आंध्र प्रदेश	25498.53	24347.31	59309.57	2627.29	5435.29	9755.58	1438.78	1723.81	2063.86	391.85	429.96	37937.73	499.72	531.08	557.45
2	बिहार	3488.42	1191.32	6454.06	2426.86	4179.71	11469.30	156.37	90.86	727.57	268.25	84.77	3844.09	07.76	52.07	107.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	छत्तीसगढ़	437.44	266.47	1487.11	19.75	19.15	38.30	117.44	39.02	168.07	19.82	7.81	1456.03	26.38	17.74	15.56
4.	गोवा	1.00	2.39	21.80	46.12	62.12	149.24	17.09	18.30	14.05	3.51	0.00	148.68	0.00	8.89	7.50
5.	गुजरात	4621.69	6607.72	9650.54	995.02	1986.93	4449.52	236.95	142.85	414.58	27.50	15.08	1722.81	18.83	37.21	22.66
6.	हरियाणा	652.38	7190.05	4226.90	706.60	1426.51	2425.87	180.92	101.86	121.58	85.28	48.40	584.67	56.13	165.16	155.07
7.	हिमाचल प्रदेश	24.38	57.94	2811.24	49.58	477.58	152.41	62.08	42.99	112.20	0.00	0.83	380.30	12.11	14.19	13.86
8.	जम्मू और कश्मीर	393.52	174.59	125.71	190.65	190.65	749.30	93.947	7.19	97.92	18.28	16.57	475.50	14.27	8.89	0.00
9.	झारखण्ड	232.88	554.28	145.00	631.65	994.98	3164.49	37.48	58.01	127.02	41.40	76.81	1308.89	0.00	0.00	1.40
10.	कर्नाटक	4495.01	13139.53	16831.42	511.62	708.79	1663.41	905.91	930.24	1381.62	640.04	768.53	2630.78	366.67	487.77	479.90
11.	केरल	8382.80	3624.04	2943.07	695.93	1230.50	3045.43	385.15	558.89	789.99	235.87	60..49	1645.04	156.83	176.44	211.80
12.	मध्य प्रदेश	3299.09	5456.69	9649.43	1747.69	3884.48	9961.76	359.00	297.83	1139.60	172.26	238.00	3585.92	75.70	79.48	45.85
13.	महाराष्ट्र	2256.47	14791.51	30308.00	2952.48	5610.16	14266.30	445.11	279.76	396.84	389.39	343.24	4165.79	309.17	374.07	497.40
14.	उड़ीसा	3561.82	226.780	3752.44	465.02	573.95	1260.19	460.34	568.16	789.94	423.97	423.80	2923.36	475.14	563.93	581.68
15.	पंजाब	387.23	76.35	6425.35	676.35	676.35	1843.70	138.45	91.88	138.61	222.68	98.81	1069.53	81.60	70.87	298.99
16.	राजस्थान	12140.64	8317.77	7701.49	1089.93	1962.85	5489.78	289.64	296.81	488.45	67.55	8.40	2656.00	67.58	80.98	139.54
17.	तमिलनाडु	2012.24	7084.00	20427.17	2057.95	3707.27	9192.15	677.75	525.29	712.99	369.42	384.72	2487.77	278.97	539.32	516.92
18.	उत्तर प्रदेश	7246.58	21135.63	52158.14	4917.84	11033.96	27942.21	1087.37	959.07	2227.63	307.51	692.89	6548.12	374.13	148.09	307.53
19.	उत्तराखंड	1282.30	885.70	2174.34	200.08	444.07	1270.8	84.39	71.35	177.60	112.02	104.51	620.54	43.33	31.26	55.39
20.	पश्चिम बंगाल	4107.47	3925.60	3488.28	882.71	892.49	2254.17	703.02	643.42	638.10	292.04	264.04	3040.36	348.18	270.13	205.24
	पूर्वोत्तर राज्य															
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.37	59.72	52.36	4.85	32.88	153.87	6.86	9.32	11.27
22.	असम	212.14	1092.24	1589.99	176.79	1103.65	1545.21	446.60	404.90	522.05	449.21	123.73	2665.42	113.59	119.65	135.87
23.	मणिपुर	188.67	221.19	166.79	410.27	524.63	1286.07	281.42	149.49	363.53	281.12	178.01	571.58	120.16	291.13	379.49
24.	मेघालय	0.00	0.00	43.16	125.00	233.36	426.72	115.65	65.64	113.60	0.00	0.00	231.24	157.66	6.5	11.25
25.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	53.60	40.58	94.45	39.02	27.97	112.49	22.63	45.06	65.75
26.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.13	37.00	0.00	176.48	159.94	293.33	51.65	21.94	48.97
27.	त्रिपुरा	527.56	458.59	543.06	32052	696.62	1268.14	81.81	92.36	6.20	14.89	18.69	355.48	39.97	10.85	13.75
28.	सिक्किम	9.39	9.18	22.96	136.52	143.72	292.60	22.00	0.00	0.00	5.08	3.55	60.82	6.54	9.95	4.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	संघ शासित राज्य															
29.	चंडीगढ़	3.00	0.00	15.00	1.09	3.48	4.57	0.00	10.50	0.00	3.51	55.34	152.93	0.00	60.55	0.00
30.	दिल्ली	238.90	80.68	511.77	52.50	77.56	151.43	222.05	175.84	268.67	22.09	705.98	1291.72	31.38	17.88	106.20
31.	पुडुचेरी	52.24	157.71	293.08	65.59	65.59	131.18	23.13	13.36	19.55	16.31	4.26	18.12	0.00	0.00	0.00
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	5.49	0.00	4.63	4.63	4.00	0.00	6.00	3.34	4.35	55.78	0..00	0.77	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	3.00	0.00	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	4.57	0.00	8.94	5.28	5.28	34.14	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	2.65	59.23	60.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	3.00	0.00	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00

एफ-16 विमानों की खरीद

957. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एफ-16 युद्धक विमानों की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह भारतीय वायुसेना की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमान खरीदे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोस्को इस्पात संयंत्र

958. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कोरिया की प्रमुख इस्पात कंपनी पोस्को ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के सहयोग से भारत में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या पोस्को ने ओडिशा में अपने प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना को लेकर कुछ आपत्तियां जतायी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) फिनिक्स प्रौद्योगिकी आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना और कोल्ड रोल्ड नॉनओरिएंटेड (सीआरएनओ) उत्पादों के उत्पादन एवं वाणिज्यीकरण के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ करने के संबंध में सेल और पॉस्को ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर कुछ निश्चित करार संबंधित बोर्डों के अनुमोदन की शर्त पर किए जा सकते हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सेल और पॉस्को द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बोकारो में एक 3 एमटीपीए क्षमता के फिनिक्स प्रौद्योगिकी आधारित इस्पात संयंत्र और महाराष्ट्र के विले भागड़ इंडस्ट्रियल ऐरिया में एक 30,0000 टन क्षमता की सीआरएनओ यूनिट की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पोस्को ने 12.00 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) क्षमता के इस्पात संयंत्र को 2 चरणों के बजाय 3 चरणों में क्रियान्वित करने की सूचना प्रदान की है जैसाकि 22 जून, 2005 को हुए समझौता ज्ञापन में वचनबद्धता की गई है। राज्य सरकार पॉस्को द्वारा प्रस्तावित संशोधित क्रियान्वित अनुसूची पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ङ) पॉस्को द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को सूचित की गई संशोधित क्रियान्वयन अनुसूची के अनुसार इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण को संयंत्र निर्माण प्रारंभ होने की तिथि से 36 माह के भीतर कमीशन करने का लक्ष्य बनाया गया है, परियोजना के चरण-2 को चरण-1 को कमीशन किए जाने से छत्तीस माह के भीतर कमीशन करने का लक्ष्य बनाया गया है और चरण-3 को चरण-2 को कमीशन किए जाने से 36 माह के भीतर कमीशन किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सुविधाएं

959. श्री के सी सिंह 'बाबा': क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ रेस्टोरेन्ट सहित सुविधाओं के विकास की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या दिशा निर्देश बनाए गए हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने-जाने वालों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ डेवेलपरों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) इन उपायों के माध्यम से अर्जित/प्रस्तावित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विकास हेतु पहचान किए गए स्थलों की राष्ट्रीय राजमार्ग-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 11 उपलब्ध स्थान पट्टे पर दे दिए हैं जिनमें से 6 स्थान पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। सृजित होने वाले प्रस्तावित राजस्व के साथ 11 स्थानों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्रचलित मानदंडों के अनुसार डेवेलपरों को पांच होटलों/रेस्तंराओं की श्रृंखला अथवा ईंधन स्टेशन अथवा दो मनोरंजन पार्कों के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्थलों के चयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश विवरण-II में दिए गए हैं। इन मार्गस्थ सुविधाओं में कारों, बसों और ट्रकों के लिए पार्किंग, जलपान गृह, अल्प ठहराव के लिए विश्राम स्थल, साफ-सुथरे शौचालय, ईंधन स्टेशन/सेवा केन्द्र आदि शामिल होंगे।

(घ) पहले से ही पट्टे पर दिए गए 11 स्थानों से सृजित होने वाला प्रस्तावित राजस्व विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) उक्त (ख) में उल्लिखित 11 स्थानों के अलावा, 60 नए स्थान भी चरणबद्ध रूप से मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं। मार्गस्थ सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित स्थलों का राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

प्राप्त होने वाले प्रस्तावित राजस्व का ब्यौरा

क्र.सं.	अवस्थिति			क्षेत्र	स्वीकृत पट्टा वार्षिक राशि (लाख रू)	सौंपे जाने का वर्ष	पट्टा अवधि (वर्ष)	कुल राजस्व (लाख रू)
	चैनेज	रारा सं.	राज्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	किमी. 61. 130 से किमी. 61. 330 (बाईं ओर)	7	तमिलनाडु	4.06 हेक्टेयर	20.16	2006	15	302.40
2.	किमी. 46.700 से किमी. 46.900 (बाईं ओर)	4	कर्नाटक	2.22 हेक्टेयर	28.80	2006	15	432.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	किमी. 20.432 से किमी. 20.732 (बाईं ओर)	8	राजस्थान	4.50 हेक्टेयर	18.00	2006	15	270.00
4.	किमी. 20.057 से किमी. 20.357 (दाहिनी ओर)	8	राजस्थान	4.50 हेक्टेयर	33.60	2006	15	504.00
5.	किमी. 531.662 (दाहिनी ओर)	2	पश्चिम बंगाल	2.0 हेक्टेयर	51.00	2008	15	765.00
6.	किमी. 621.00 (दाहिनी ओर)	2	पश्चिम बंगाल	2.20 हेक्टेयर	63.00	2008	15	945.00
7.	किमी. 285.396 से किमी. 285.656 (दाहिनी ओर)	5	आंध्र प्रदेश	4.524 हेक्टेयर	33.00	2009	15	495.00
8.	किमी. 213.420 से किमी. 213.735 (बाईं ओर)	5	आंध्र प्रदेश	4.652 हेक्टेयर	15.00	2009	15	225.00
9.	किमी. 366(बाईं ओर)	1	पंजाब	1.89 हेक्टेयर	5.50	2010	30	165.00
10.	किमी. 202 (बाई ओर) (नया चैनेज किमी. 672.870)	2	उत्तर प्रदेश	1.21 हेक्टेयर	13.65	2010	30	409.50
11.	किमी. 74 1.600 से किमी. 741.900 (दाहिनी ओर)	4	महाराष्ट्र	5.09 हेक्टेयर	2.08	2010	30	62.40
	कुल							4575.30

विवरण-II

स्थलों के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्थलों के चयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:-

1. मार्गस्थ सुविधाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों के उच्च यातायात घनत्व वाले उन महामार्गों पर उपलब्ध कराई जाएंगी जहां इस समय ये सुविधाएं मौजूद न हों अथवा जहां उनकी कमी हो।

2. अवसरंचना विकास के लिए अपेक्षित भूमि की सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। आसपास लगभ 15,000 से 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र होना अपेक्षित है।

3. स्थल शहरी इलाके और इसी प्रकार के अन्य किसी सड़क किनारे के परिसरों से दूर होना चाहिए।

4. इन सुविधाओं को प्राकृतिक सौन्दर्य/ऐतिहासिक/पर्यटक स्थलों के समीप अवस्थित करने की साध्यता को ध्यान में रखा जाएगा।

5. नियत किए जाने वाले स्थान का प्रयोग सड़क यात्रियों/पर्यट्कों द्वारा किए जाने की अच्छी संभावनाएं होनी चाहिए।

6. स्थल का रोड जंक्शन से 200 से 250 मी. दूर होना वांछनीय हैं।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी पहुंच वाले अथवा कम घुमाव वाले ऐसे स्थान को वरीयता दी जाएगी जो दूरी से पर्याप्त आसानी से और दिख सके। यह सुविधा, किसी भी स्थिति में तीक्ष्ण मोड़ पर स्थित नहीं होनी चाहिए।

8. सड़क संरेखण और परिसर के पास ढलान वरीयत: सुगम होना चाहिए।

9. स्थल के समीप पीने के पानी, बिजली और जल-मल-निकासी जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर विधिवत रूप से विचार किया जाए।

10. पर्यावरण की दृष्टि से इन सुविधाओं से आसपास के क्षेत्र में असुविधा न्यूनतम होनी चाहिए।

11. प्रस्तावित स्थल के समीप किसी मौजूदा पेट्रोल पम्प/मरम्मत/अतिरिक्त कल-पुर्जा सुविधाओं की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

12. सुविधाओं का प्रकार, प्रत्याशित यात्री श्रेणी के अनुरूप होना चाहिए जैसे कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों के बारंबार आवागमन वाले स्थानों पर स्वयं सेवा स्नेक्स बार/फास्ट फूड सामग्री बेहतर रहेगी जबकि अपनी कारों/डीलक्स बसों आदि से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए वरीयत: रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।

13. मार्गस्थ सुविधाओं की योजना इस प्रकार से बनानी चाहिए कि वहां चरणबद्ध विकास हो सके और वहां प्रथम चरण में ही न्यूनतम विनिर्दिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इसके अलावा, स्थल का चयन करने के लिए निम्नलिखित कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर विचार किया जाना भी उपयुक्त होगा :-

(क) मार्गस्थ सुविधा स्थल उचित प्रकाश वाला और आस-पास के सामान्य परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए।

(ख) जहां कहीं संभव हो वहां पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण के रूप में मनोरंजन पार्क के प्रावधान पर भी विचार किया जाए।

(ग) स्थानीय/क्षेत्रीय वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत झलकाने के लिए सड़क किनारे की सुविधाओं के विकास के लिए जिस सीमा तक भी व्यवहार्य हो सके, भू-दृश्य विकसित करने के लिए स्थानीय/पुन:प्रयुक्त सामग्री, क्षेत्रीय विनिर्माताओं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(घ) मार्गस्थ सुविधाओं तक आसानी से पहुंचने, बेहतर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए वरीयत: उचित प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाने चाहिए।

विवरण-III

स्थलों का ब्यौरा जहां मार्गस्थ सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को पहले ही कार्य आबंटित कर दिए गए हैं

क्रमांक	रारा सं.	राज्य	स्थलों की संख्या
1.	1	पंजाब	1
2.	2	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	3
3.	4	महाराष्ट्र, कर्नाटक	2
4.	5	आंध्र प्रदेश	2
5.	7	तमिलनाडु	1
6.	8	राजस्थान	2
	कुल		11

मार्गस्थ सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित नए स्थलों का ब्यौरा

क्रमांक	रारा सं.	राज्य	स्थलों की संख्या
1	2	3	4
1.	2	उत्तर प्रदेश	2
2.	7	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	18

1	2	3	4
3.	8	गुजरात	1
4.	8ए	गुजरात	3
5.	8बी	राजस्थान	4
6.	14	राजस्थान, गुजरात	3
7.	15	गुजरात	4
8.	25	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	9
9.	58	उत्तर प्रदेश	2
10.	76	राजस्थान, मध्य प्रदेश	13
11.	203	उड़ीसा	1
	कुल		60

वशिष्ठी नदी के ऊपर पुल

960. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर वशिष्ठी नदी के ऊपर चिपलूण में पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी श्रमिकों हेतु भविष्य निधि

961. **श्री सुरेन्द सिंह नागर:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगत प्रावधानों के अधीन गैर-सरकारी श्रमिकों के भविष्य निधि की धनराशि किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जाती है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु सभी राष्ट्रीयकृत बैंक प्राधिकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर गैर-सरकारी श्रमिकों का भविष्य निधि अंशदान भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के उपबंधों के अनुसार निधि से संबंधित समस्त धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में जमा की जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य निधि अंशदान जमा करने के लिए अन्य कोई अनुसूचित बैंक नामोदिष्ट नहीं किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु धनराशि

962. **श्री लक्ष्मण टुडुः**
श्री यशवंत लागुरीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में प्रदूषण कम करने के लिए ओडिशा सहित राज्य सरकारों को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सहायता में राज्य-वार कौन-से कार्य शुरू किये गए; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) जी हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ओडिशा को निधियां जारी की थीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय औद्योगिक और साथ ही पर्यावरणीय प्रदूषण उपशमन हेतु अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों की प्रकृति सतत जारी रहने वाली हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार और योजनावार जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कुछ मामलों में प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने, उपस्करों की खरीद और वेतन सहायता हेतु उपयोग किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्रों (सीईटीपी), साझा बहिस्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) और उपचार भंडारण निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) की स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए भी पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषण किया गया है। विभिन्न राज्यों में नदी और झील की सफाई से संबंधित परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। इस अवधि के दौरान राज्यों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु एसपीसीबी/पीसीसी और साझा उपचार सुविधाओं की क्षमताओं में भी वृद्धि की गई है।

उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन की केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मॉनीटरन/समीक्षा की जाती है। निधियन पैटर्न और कार्य में हुई प्रगति तथा गुणवत्ता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। विभिन्न एसपीसीबी/पीसीसी तथा एजेंसियों को उपयोग प्रमाणपत्रों और पूर्व में जारी निधियों के संबंध में संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं। सीपीसीबी विभिन्न परियोजनाओं जैसे एसटीपी/सीईटीपी/टीएसडीएफ इत्यादि के निरीक्षण करता है तथा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्यवार और योजनावार जारी की गई धनराशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/स्कीम	2008-09 जारी की गई राशि	2009-10 जारी की गई राशि	2010-11 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता			
	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.12	00.00
	आंध्र प्रदेश	0.50	00.00	00.00
	असम	0.26	0.03	0.67
	बिहार	00.00	00.00	0.50
	छत्तीसगढ़	0.12	0.24	0.31

1	2	3	4	5
	(विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली)	0.10	00.00	0.24
	दिल्ली सरकार	0.30	0.59	00.00
	एनआईसीएसआई (एनआईसी)	0.20	0.05	00.00
	गुजरात	00.00	0.56	00.00
	गोवा	0.59	00.00	0.46
	हिमाचल प्रदेश	00.00	00.00	0.07
	कर्नाटक	00.00	00.00	0.38
	महाराष्ट्र	0.35	00.00	1.21
	मणिपुर	0.15	0.22	0.34
	मध्य प्रदेश	0.63	0.63	00.00
	मेघालय	0.04	0.50	0.46
	मिजोरम	0.16	0.15	0.22
	नागालैंड	0.25	0.08	0.69
	ओडिशा	0.05	0.01	0.10
	पंजाब	00.00	0.64	00.00
	पुडुचेरी	00.00	0.09	00.00
	सिक्किम	0.01	00.00	0.23
	त्रिपुरा	0.09	0.09	0.13
	उत्तर प्रदेश	00.00	00.00	1.00
	कुल	3.84	4.10	6.01
2.	**साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपीएस)**			
	आंध्र प्रदेश	0.72	0.60	
	गुजरात	0.44	3.05	4.19
	महाराष्ट्र	3.24	0.50	1.51
	राजस्थान		0.82	
	कुल	4.40	4.97	5.70

1	2	3	4	5
3.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**			
	आंध्र प्रदेश	25.38	36.89	0.00
	बिहार	0.00	15.37	20.00
	गुजरात	1.49	0.00	0.39
	गोवा	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा	20.80	14.90	4.10
	कर्नाटक	2.25	0.00	0.96
	केरल	1.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश	3.35	0.90	0.00
	महाराष्ट्र	0.35	7.38	11.82
	ओडिशा	16.44	0.00	0.00
	पंजाब	0.00	0.00	45.75
	राजस्थान	0.00	20.00	0.00
	तमिलनाडु	9.52	3.10	0.00
	उत्तर प्रदेश	105.60	112.80	238.59
	उत्तराखंड	2.50	17.94	31.88
	पश्चिम बंगाल	29.60	57.08	194.13
	दिल्ली	45.85	66.50	83.29
	सिक्किम	5.00	15.00	26.14
	कुल	269.13	367.86	657.05
4.	**राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना**			
	जम्मू और कश्मीर	12.50	27.85	17.43
	कर्नाटक	4.84	0.00	6.50
	महाराष्ट्र	0.76	3.77	2.75
	राजस्थान	13.55	4.64	6.28
	उत्तराखंड	3.40	0.00	3.00
	पश्चिम बंगाल	4.00	0.00	01.30

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	4.00	2.73	12.70
	ओडिशा	1.00	0.00	0.00
	नागालैंड	0.00	5.81	0.00
	मध्य प्रदेश	0.60	0.00	0.00
	कुल	44.65	44.80	49.96
5.	**उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं**			
	महाराष्ट्र		2.40	
	मध्य प्रदेश		—	0.80
	केरल		0.80	0.40
	पश्चिम बंगाल		—	1.0
	उत्तर प्रदेश		—	—
	केरल		0.80	—
	कुल		4.00	2.20

तंबाकू उत्पादकों का कल्याण

963. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तंबाकू उत्पादकों के कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) सरकार तंबाकू उत्पादक/कामगारों के लिए आशोधित वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तंबाकू कामगार भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत व्याप्त हैं जिसमें असंगठित क्षेत्र में स्मार्ट कार्ड आधारित 30000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार (पांच की एक इकाई) के नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था है।

विवरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित कीमत स्थिरीकरण निधि न्यास द्वारा 2005 में आशोधित वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई तथा दिसम्बर, 2008 में आशोधन किया गया। योजना 1.00 लाख रुपये का बीमा कवर करती है तथी देय प्रीमियम 22.06 है, जिसमें से कीमत स्थिरीकरण निधि न्यास द्वारा 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत तंबाकू उत्पादकों के साथ-साथ उत्पादकों के परिजनों तथा उत्पादकों के अधीन कार्यरत कामगार भी योजना में शामिल होने के पात्र हैं। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

रुपये में

1.	दुर्घटना के कारण मृत्यु	1.00 लाख
2.	दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण अपंगता	1.00 लाख
3.	दो पैरों अथवा दो आंखों की हानि	1.00 लाख
4.	एक आंख और एक पैर की हानि	1.00 लाख

5.	एक आंख अथवा एक पैर की हानि	0.60 लाख
6.	तीन महीने अथवा इससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए बड़ी और गंभीर अप्रत्याशित चोट के कारण कामगारों को रोजगार की हानि की क्षतिपूर्ति	0.15 लाख या तीन माह की संप्रभाव मजदूरी के समतुल्य, जो भी कम हो।

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान विक्रेता एजेंसी राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड थी तथा 2011-12 एवं 2012-13 के लिए विक्रेता एजेंसी मैसर्स चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड है। वर्ष 2011-12 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 21413 तंबाकू उत्पादक तथा 27949 कामगार योजना के अधीन शामिल हुए हैं।

[अनुवाद]

पत्तन नीति

964. श्री समीर भुजबल: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने हेतु व्यापक पत्तन नीति बनाने के लिए तटीय राज्यों के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित सभी तटीय राज्य-सरकारों को एक नए महापत्तन अथवा एक नया पोत निर्माण यार्ड या एक संयुक्त पत्तन और पोत निर्माण यार्ड परियोजना स्थापित किए जाने के लिए भूमि का चयन करने तथा मुहैया करवाने के लिए लिखा है।

महाराष्ट्र राज्य से उत्तर प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

बम निष्क्रियता केन्द्रों में चोरी के मामले

965. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में बम निष्क्रिय करने में सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन केन्द्रों से निष्क्रिय किए गए/फट गए बमों के बचे अवशेष चोरी किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने ऐसे मामलों के कारण वित्तीय हानि उठायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चोरी की गतिविधियों में कितने लगों ने अपनी जान गंवाई; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) बम निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण मिलिटरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे में दिया जाता है। ये युक्तियां बेंगलुरू, रुड़की तथा किर्की (पुणे) स्थित इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्रों में भी आयोजित की जाती हैं।

(ख) निष्क्रिय किये गये/फट गए बमों की कोई चोरी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रशिक्षण सामग्री की मांग, एकत्र करने तथा उनका लेखा-जोखा रखने के लिए कड़ी प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में भर्ती

966. श्री जयराम पांगी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान ओडिशा के रायगढ़ और कोरापुट जिलों में कितने भर्ती कैम्प/सेना अभियान आयोजित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन जिलों में कितने लोगों की भर्ती की गयी; और

(ग) इन जिलों से और अधिक जनजातीय लोगों की भर्त्ती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सफाई कर्मचारियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

967. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अस्वच्छ कार्यों (सफाई कर्मचारी) में लगे बच्चों को केन्द्र प्रायोजित योजना मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ क्षेत्र-वार इससे कितने छात्र लाभान्वित हुए;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गयी धनराशि के बीच मेल नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्धारित समयबद्ध ढ़ंग से इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे तथा शामिल लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति उपयोग प्रमाण पत्र सहित पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति के अध्यधीन है।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का नियमित और समय पर भुगतान करने के लिए समुचित कार्रवाई करने, यह सुनिश्चित करने का छात्रवृत्ति धनराशि डाकघरों/बैंकों में उनके व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए भुगतान की जाए तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नामित करने की सलाह दी गई है।

योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य समाज कल्याण मंत्रियों/कल्याण सचिवों के सम्मेलन में तथा मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के राज्यों के दौरों के दौरान भी समीक्षा की जाती है।

विवरण

"अस्वच्छ" व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राज्य-वार केन्द्रीय सहायता तथा शामिल लाभार्थी

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	28636*	2171.5	32044	880.00	35550
2.	असम	92.38	7883	52.17	5096	0.00	5405*
3.	बिहार	0.00	4742*	0	6825*	117.59	9190
4.	छत्तीसगढ़	110.79	18509	192.08	20270	170.73	22238
5.	गोवा	0.00	154*	0.89	167	0.50	200

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	2820.60	297034	3639.90	355264	3658.52	289513
7.	जम्मू और कश्मीर	15.05	1784	24.59	N.A.	0.00	2291*
8.	केरल	0.00	1485*	6.11	1496	15.00	1481
9.	मध्य प्रदेश	296.41	33742	232.59	31657	0.00	31657*
10.	महाराष्ट्र	691.12	69033	0	77108*	0.00	84306*
11.	उड़ीसा	35.72	2076	0	1967*	0.00	2378*
12.	पुडुचेरी	2.24	1650	7.71	N.A.	6.00	N.A.
13.	पंजाब	0.00	8339*	0	6349*	112.07	7244
14.	राजस्थान	1042.42	68910	598,95	70846	568.76	7791*
15.	तमिलनाडु	678.08	62323	971.88	70494	236.00	75018
16.	त्रिपुरा	86.02	4754	47.83	4199	41.70	4596
17.	उत्तराखण्ड	14.72	1689	1.55	1144	1.00	1938
18.	पश्चिम बंगाल	41.73	4630	26.27	2609	39.90	4239
	कुल	5927.28	618277	7974.02	688965	5847.77	662565

*तथापि कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई थी, लाभार्थी संबंधित राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयता/उनके पास उपलब्ध केन्द्रीय सहायता की अप्रयुक्त शेष धनराशि में शामिल थे।

एन ए. - उपलब्ध नहीं।

बेरोजगारी भत्ता

968. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नदियों का संरक्षण

969. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नदियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए तथा उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की दिशा में खर्च की गयी धनराशि तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) नदी संरक्षण कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जीएपी) के साथ की गई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), जिसमें इस समय 20 से भी अधिक राज्यों में फैले 190 शहरों में 39 नदियां शामिल हैं, के अन्तर्गत अन्य प्रमुख नदियों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में अनुपचारित सीवेज का अवरोधन एवं विपथन और सीवेज उपचार संयंत्रों इत्यादि की स्थापना शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 4418 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरसीपी के अंतर्गत राज्य वार जारी की गई निधियों का विवरण संलग्न है।

केन्द्र सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण के लिए समग्र प्रणाली अपनाकर फरवरी, 2009 में एक सशक्त प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है "स्वच्छ गंगा मिशन" के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2020 तक अनुपचारित नगरीय सीवेज और औद्योगिक बहि: स्राव गंगा में नहीं बहाया जाएगा। एनजीआरबीए के अंतर्गत 2589 करोड़ रू. की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। विश्व बैंक की सहायता से अप्रैल, 2011 में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 7000 करोड़ रूपए की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

(ग) यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारत सरकार यमुना नदी के प्रदूषण के उपशमन के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी, जापान सरकार की सहायता से एक चरणबद्ध तरीके से यमुना कार्य योजना (वीईएपी) क्रियान्वित कर रही है। वाईएपी के अंतर्गत शुरू किए गए प्रदूषण, उपशमन कार्यों में अनुपचारित सीवेज का अवरोधन और दिशा परिवर्तन, सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय बनाना, विद्युत/उन्न्त काष्ठ शवदाह गृह तैयार करना और नदी मुहाना विकास शामिल है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में 39 सीवेज उपचार संयंत्रों सहित कुल 276 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और वाईएपी के अंतर्गत 753.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता का सृजन किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 401.25 एमएलडी, हरियाणा में 322 एमएलडी और दिल्ली में 30 एमएलडी है। इस योजना के दोनों चरणों में अब तक 767.25 करोड़ रू. (राज्य के हिस्से सहित) की राशि व्यय की जा चुकी है।

यमुना नदी के दिल्ली क्षेत्र में केवल उपचारित बहिस्राव छोड़ा जाना सुनिश्चित करने के लिए, जिसका नदी के प्रदूषण भार में अधिकतम योगदान होता है, दिल्ली जल बोर्ड ने तीन प्रमुख नालों नामत: नजफगढ़, शाहदरा और सप्लीमेंटरी के साथ-साथ इंटरसेप्टर सीवर बिछाने, सीवेज उपचार क्षमता में वृद्धि, नालों के इंटरसेप्शन, ट्रंक सीवरों की पुनर्व्यवस्था, सीवर रहित कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली लगाने तथा परिधीय/आंतरिक सीवरों की गाद हटाने हेतु योजनाएं तैयार की है। सीवेज उपचार क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर होने और नदी में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु ताजे पानी की उपलब्धता में कमी होने के कारण नदी की जल गुणवत्ता में वांछित सुधार नहीं दिखाई दिया है।

नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है। अन्य केन्द्रीय स्कीमों के साथ-साथ राज्य क्षेत्र की स्कीमों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत सीवेज प्रबंधन तथा निपटान हेतु अवसंरचना का सृजन किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 2008 से 2011 के दौरान जारी की गई राज्यवार और वर्षवार निधियां

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	नदी	भारत सरकार द्वारा मंजूर और जारी की गई निधियां		
			2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी और मुसी	25.38	36.89	0.00
2.	बिहार	गंगा	0.00	15.37	20.00

1	2	3	4	5	6
3.	झारखण्ड	दामोदर, गंगा और सुबर्नरेखा	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	साबरमती	1.49	0.00	0.39
5.	गोवा	मांडवी	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंगा और पेन्नार	2.25	0.00	0.96
7.	महाराष्ट्र	कृष्णा और गोदावरी	0.35	7.38	11.82
8.	मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, बाणगंगा, खान, नर्मदा, क्षिप्रा, बीहड. और चंबल	3.35	0.90	0.00
9.	उड़ीसा	ब्राहमणी और महानदी	16.44	0.00	0.00
10.	पंजाब	सतलुज	0.00	0.00	45.75
11.	राजस्थान	चंबल	0.00	20.00	0.00
12.	तमिलनाडु	कावेरी, अडियार, कूअम, वेन्नार, वेगई और तंबारानी	9.52	3.10	0.00
13.	दिल्ली	यमुना	45.85	66.50	83.29
14.	हरियाणा	यमुना	20.80	14.90	4.10
15.	उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा और गोमती	105.60	112.80	238.59
16.	उत्तराखंड	गंगा	2.50	17.94	31.88
17.	पश्चिम बंगाल	गंगा, गोदावरी और महानंदा	29.60	57.08	194.13
18.	केरल	पम्वा	1.00	0.00	0.00
19.	सिक्किम	रानी चू	5.00	15.00	26.14
20.	नागालैंड	दीफू और धनश्री	0.00	0.00	0.00
	कुल		269.13	367.86	657.05

पत्तनों में विनिवेश

970. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन्नोर पत्तन, कोचीन शिपयार्ड एण्ड ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विनिवेश के परिणामस्वरूप उगाही जाने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाने तथा कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीएनडी टोल एक्सप्रेसवे

971. श्री महेश्वर हजारी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) टोल एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत कितनी है;

(ख) क्या कंपनी के साथ किए गए करार में 20 प्रतिशत वार्षिक आय की गारंटी संबंधी उपबंध है जिसके कारण पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें रिटर्न देय थी, के लाभ में हुई कमी को परियोजना लागत में जोड़ा गया है और इस प्रकार पथकर के भुगतान की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तिथि अनुसार कंपनी द्वारा पथकर के माध्यम से लोगों से वसूल की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान स्थिति के अनुसार कब तक वसूल किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) यह मंत्रालय, मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। विचाराधीन पुल (डीएनडी टोल एक्सप्रेसवे), राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह पुल नोडा टोल ब्रिज कंपनी के नियंत्रण में है। डीएनडी टोल एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण एवं विकास और पथकर संग्रहण का दायित्व, इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

आवास को पट्टे पर देने की योजना का क्रियान्वयन

972. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) आवास को पट्टे पर देने की योजना का क्रियान्वयन भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न चरणों सहित अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने आवास पट्टे पर दिये गये तथा अब तक इनसे संयंत्र-वार कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(ग) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में योजना का छठा चरण अभी भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा उक्त योजना को कब तक लागू किया जाएगा?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) भिलाई इस्पात संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में फिलहाल लीज पर घर देने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एनजीओ को वित्तीय सहायता

973. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं, जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है तथा इस वित्तीय सहायता का महाराष्ट्र सहित योजना-वार तथा राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी एनजीओ के कार्यकरण में कोई अनियमितता पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चूककर्ता एनजीओ के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

घरेलू कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी

974. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू कामगारों के लिए घंटे के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें छुट्टी, बीमा और अन्य लाभों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) घरेलू कार्य राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है। राज्य सरकारें,

घरेलू कार्य को अनुसूचित नियोजन के रूप में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल करने हेतु सशक्त हैं। केन्द्र सरकार ने घरेलू कार्य को अनुसूचित नियोजन के रूप में शामिल करने तथा घरेलू कामगारों की मजदूरी की न्यूनतमदरों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। कुछ राज्यों द्वारा घरेलू कामगारों हेतु अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) सरकार ने विनियामक तंत्र के प्रसंगवश तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु घरेलू कामगारों के लिए एक नीति रूपरेखा विकसित करने हेतु एक कार्यबल गठित किया है। अब कार्यबल ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु कतिपय उपायों की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कार्यबल ने घरेलू कामगारों हेतु प्रारूप राष्ट्रीय नीति भी निर्मित की है। रिपोर्ट एवं प्रारूप राष्ट्रीय नीति की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा घरेलू नौकरों/ कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामगारों की श्रेणियां	न्यूनतम मजदूरी की दरें रुपयों में
1.	आंध्र प्रदेश		100 प्रतिदिन (2600 प्रतिमाह)
2.	बिहार	कपड़े/बर्तन धोना, हाउस कीपिंग (1000 वर्गफीट का घर-एक घंटा)	430 प्रतिमाह
		कपड़े/बर्तन धोना, हाउसकीपिंग, बच्चों की देखभाल करना, स्कूल ले जाना तथा लाना एवं अन्य विविध घरेलू कार्य (8 घंटे)	3433 प्रतिमाह
3.	कर्नाटक		149.89 प्रतिदिन
4.	केरल	न्यूनतम	136.50 प्रतिदिन
		अधिकतम	157.50 प्रतिदिन
5.	राजस्थान	कपड़े धोना/बर्तन धोना/हाउस कीपिंग/अन्य घरेलू कार्य (अधिकतम 60 मिनट प्रतिदिन)	504 प्रतिमाह
		कपड़े धोना, बर्तन धोना, हाउस कीपिंग, बच्चों की देखभाल करना, स्कूल ले जाना तथा लाना इत्यादि घरेलू कार्य (एक दिन का कार्य)	4030 प्रतिमाह
6.	दादरा और नगर हवेली		147.60 प्रतिदिन

फैक्ट्री में बम विस्फोट

975. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम फिलिंग सेक्शन में ओवर लोडिंग और ओवर स्टाफिंग के कारण खमरिया और जबलपुर आयुध निर्माणियों में बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर में बम भरण अनुभागों में हाल ही में बम विस्फोट की ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वीरता पुरस्कार विजेताओं के परिवार

976. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वीरता पुरस्कार विजेताओं के परिवारों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है जो कि सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) इन शिकायतों की प्रकृति क्या है तथा इन पर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभ्यावेदनों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु उपयोजना

977. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, परिवारों या अनुसूचित जाति बस्तियों को सीधे लाभ देने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु विशेष उप-योजना के गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश/राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के वार्षिक योजना परिव्यय के एक भाग को अनुसूचित जातियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्दिष्ट किए जाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे परिव्यय से अनुसूचित जाति उप-योजना बनाई जाती है।

दिसम्बर, 2010 में योजना आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशिष्ट मंत्रालय-वार विस्तार तक अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत परिव्यय विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जाती है, जैसाकि दिशा-निर्देशों में अनुबद्ध है।

अनुसूचित जाति उप-योजना परिव्यय को बजट में एक अलग लघु शीष ''789'' के अंतर्गत दर्शाया गया है। केन्द्रीय बजट 2011-2012 में उपरोक्त लघु शीर्ष में अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत दर्शाया गया कुल परिव्यय 31272.05 करोड़ रूपए था।

अपहृत जहाज के भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई

978. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोमालिया के जल दस्यु द्वारा अपहरण किए गए इटली के कार्गो शिप मोंटेसरियों पर कितने भारतीय कर्मी थे जिन्हें हाल ही में यू.के. के बलों द्वारा बचाया गया;

(ख) क्या सभी कर्मियों को यू.के. के बलों द्वारा बचा लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए; और

(घ) मुक्त कराए गए भारतीय कर्मी सदस्यों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (ग) "मोंटे क्रिस्टो" नामक जलयान का सोमालिया के जल दस्यु द्वारा 10 अक्तूबर, 2011 को सोमाली तट से लगभग 620 मील दूर अपहरण कर लिया गया था। कर्मीदल में कुल 23 सदस्य थे जिनमें 10 भारतीय और 4 सुरक्षा गार्ड शामिल थे। यह जलयान स्क्रैप लोहे के कार्गो के साथ लिवरपूल (यू.के.) से वियतनाम की यात्रा पर जा रहा था। अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना बलों ने अपहृत जलयान के कर्मिदल को दस भारतीयों सहित 11 अक्तूबर, 2011 को आज़ाद करवा लिया जिन्होंने पोत के "सिटाडेल" में शरण ली थी और उन्होंने 11 समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया था।

(घ) नौवहन महानिदेशालय ने सभी संबंधित प्राधिकारियों का अपहृत कर्मीदल के परिवार से संपर्क करने, वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने और परिवार के सदस्यों और स्वयं नाविकों के लिए पेशेवर परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए भी व्यवस्था किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

रेडियोधर्मी तत्वों से प्रदूषण

979. श्री भूदेव चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र के जल में रेडियोधर्मी तत्वों के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर नाभिकीय संयंत्र के प्रबंधकों और विशेषज्ञों का आकलन क्या है; और

(ग) भविष्य में समुद्र के जल में रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की रिपोर्ट के अनुसार, रेडियोधर्मी तत्वों से समुद्र के जल में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। इस सुविधा की कमीशनिंग से पहले ही सभी परमाणु विद्युत केन्द्र स्थलों तथा खनन स्थलों पर डीएई के अंतर्गत पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाती है। ईएसएल द्वारा स्थल पर और इसके आस-पास प्रचालन पूर्व बेसलाइन रेडियोधर्मिता स्तरों को स्थापित करने के लिए प्रचालन पूर्व सर्वेक्षण किये जाते हैं। रिएक्टर के प्रचालन के दौरान, पर्यावरणीय नमूने जैसे वायु, जल (जहां कहीं लागू हो, समुद्र के जल सहित), सतह के जल, मिट्टी, वनस्पति, कृषिगत उत्पादों के नमूने आवधिक रूप से एकत्र किये जाते हैं और रेडियोधर्मिता के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है। ईएसएल में उच्चकोटि के संवेदनशील उपकरण तथा पर्याप्त अवसंरचना विद्यमान है ताकि पर्यावरहणीय नमूनों में रेडियोधर्मिता के अत्यंत निम्न स्तरों का विश्लेषण किया जा सके। पर्यावरणीय नमूनों में रेडियोधर्मिता की तुलना संबंधित मैटरिक्स में पूर्व प्रचालन मानों के साथ की जाती है। विभिन्न विद्युत केन्द्रों पर किये गये अध्ययनों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि किसी भी पर्यावरणीय मैटरिक्स में रेडियोधर्मिता नहीं बन रही है और यही बात तटीय स्थलों जैसे तारापुर तथा कलपक्कम स्थित सुविधाओं के समुद्री जल के लिए भी सत्य है। रिएक्टर के बहिस्रावों से आम जनता को प्राप्त होने वाली वार्षिक मात्रा अत्यन्त निम्न है और यह परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा निर्धारित विनियामक सीमाओं से काफी कम है।

(ख) नियमित रूप से की जाने वाली सुव्यवस्थित पर्यावरणीय मॉनीटरन से जन क्षेत्र में पर्यावरणीय कार्यकलाप का प्रबंधन सुनिश्चित होता है और इसे एईआरबी की निर्धारित सीमा से काफी कम रखने में सहायता मिलती है।

(ग) एईआरबी द्वारा जन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रेडियोधर्मिता की सीमाओं का सख्त विनियामक लागू किया जाता है। संयंत्र प्रबंधन द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। ईएसएल द्वारा नियमित मॉनीटरन किया जाता है और इसके परिणाम एईआरबी को प्रस्तुत किये जाते हैं।

दुर्गावती जलाशय परियोजना को स्वीकृति

980. श्री जगदानंद सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुर्गावती जलाशय परियोजना को चरण-1 की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को अंतिम मंजूरी देने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कब तक इसे अंतिम स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत

सरकार ने पत्र सं. 8-62/2004-एफसी दिनांक 13 अप्रैल, 2010 द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना को चरण-1 की स्वीकृति दी है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने उक्त परियोजना को अंतिम स्वीकृति देने के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। उक्त शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) इन शर्तों का अनुपालन बिहार राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। अनुपालन की प्राप्ति होते ही मंत्रालय अंतिम स्वीकृति की मंजूरी पर विचार करेगा।

विवरण

दुर्गावती जलाशय परियोजना को अंतिम स्वीकृति देने हेतु शर्तें

1. वनेतर उपयोग हेतु विचार की जा रही वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2. अनुमत दुगुने अभयारण्य क्षेत्र को विपथित किया जाना है अर्थात् कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 1200 हेक्टेयर वनेत्तर क्षेत्र को शामिल किया जाना है और अपवर्तन हेतु अंतिम अनुमोदन से पूर्व वन्यजीव अभयारण्य के भाग के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

3. विपथित भूमि की सीमा की मानचित्र में स्पष्ट रूप से रूपरेखा प्रस्तुत करने के साथ-साथ संख्या और बियरिंग सहित जमीन पर चार फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों को बनाकर सीमांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न हो।

4. बिहार राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संरक्षण, सुरक्षा और सुधार हेतु परियोजना प्राधिकरणों द्वारा परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत हेतु पांच प्रतिशत धनराशि जमा की जाएगी। निधि की उपयोगिता हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक समिति को पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें प्रधान सचिव (वन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू इसके सदस्य हों और एक अधिकारी जो मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो, इसका सदस्य सचिव हों। इस धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक (बैंकों) में ब्याज प्राप्त होने वाले खाते (खातों) में जमा किया जाना चाहिए, जिसका रखरखाव समिति द्वारा किया जाए तथा ब्याज के रूप में प्राप्त आय को राज्य में वन और वन्यजीव के संरक्षण, सुरक्षा और विकास हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।

5. राज्य के सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू के परामर्श से एक वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी और परियोजना प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित सीमा तक निधियों का आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

6. परियोजना लागत पर समान वनेतर भूमि (2029.802 हे.) पर क्षतिपूर्ति वनीकरण (सीए) शुरू किया जाएगा तथा उसका रखरखाव किया जाएगा।

7. क्षतिपूर्ति वनीकरण (सीए) हेतु निर्धारित की गई वनेतर भूमि प्राप्त की जाएगी और राज्य वन विभाग को परिवर्तित और हस्तान्तरित की जाएगी।

8. राज्य सरकार इस पत्र के जारी होने की तिथि के छः महीनों के अंदर आरएफ/पीएफ के रूप में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अभिज्ञात वनेतर भूमि को संघटित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अथवा तदनुरूप स्तानीय अधिनियम) की धारा 4 (जैसा मामला हो, धारा 29 हेतु) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करेगा। नोडल अधिकारी इसके अनुपालन की सूचना प्रेषित करेगा।

9. राज्य सरकार इस प्रस्ताव के तहत विपथित वन क्षेत्र का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) माननीय उच्चतम न्यायालय के डब्ल्यू पी (सी.) सं. 202/1995 में आई.ए. सं. 566 में दिनांक 30.10.2002 और 1.8.2003 के आदेश द्वारा और इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा पत्र सं. 5-1/1988-एफसी (पार्ट-2), दिनांक 18.9.2003 और 22.9.2003 के साथ-साथ पत्र सं. 5-2/2006-एफसी, दिनांक 3.10.2006 द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त करेगा।

10. विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट की प्राप्ति पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एनपीवी की अतिरिक्त राशि के संबंध में अंतिम निर्णय के पश्चात देय होने वाली विपथित वन भूमि की राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त की जाएगी। उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाएगी।

11. उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी निधियां तदर्थ पीएएमपीए को कार्पोरेशन बैंक के खाता सं. 1576, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में अंतरित की जाएगी।

12. किसी भी प्रकार के वृक्ष की कटाई राज्य वन विभाग के कड़े पर्यवेक्षण में और केवल आवश्यक होने पर की जाएगी।

13. इस परियोजना के अंतर्गत सृजित जलाशय को विनियमित मत्स्य-ग्रहण अधिकारों सहित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित किया जाएगा।

14. वृक्ष के काटने की अनुमति केवल एफआरएल-4 मीटर स्तर तक ही दी जाएगी।

15. आसपास के क्षेत्रों में नर्सरी/वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को निशुल्क पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

16. राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना लागत पर कैचमेंट क्षेत्र उपचार योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

17. वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।

18. उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र में वन्यजीव को कोई क्षति न पहुंचे।

19. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति आवश्यक होने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी के अध्यधीन है।

20. वन भूमि का उपयोग, प्रस्ताव में यथानिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

21. वन क्षेत्र में वनस्पतिजात तथा प्राणिजात के संरक्षण तथा सुधार के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ सीसीएफ (मध्य) क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा लगाई जाने वाली कोई भी शर्त परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगी।

22. राज्य सरकार और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वननिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 और किसी अन्य अधिनियम, नियम आदि के प्रचलित एवं इस मामले में प्रयोज्य उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

[अनुवाद]

निगरानी प्रणाली की खरीद

981. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इजराइल से हवाई निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समझौता निर्धारित खरीद नीति और प्रक्रिया के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या प्रणाली की प्रचालन दक्षता की जांच कर ली गई है/सिद्ध हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भूमि समुपयोजन प्रणाली के साथ-साथ हवाई निगरानी पॉड्स की अधिप्राप्ति के लिए 31 दिसम्बर, 2004 को मैसर्स एल्टा, इजराइल और 06 फरवरी, 2009 को मैसर्स रैफल, इजराइल के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैसर्स आईएआई, इजराइल से निगरानी उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए 2010 में एक तीसरी संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) ये अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार हैं।

(ङ) अधिप्राप्ति किए गए उपकरण, भारतीय वायुसेना की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

दिहाड़ी मजदूर

982. श्री हरीश चौधरी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दिहाड़ी मजदूरों और नियमित वेतन पर कार्य कर रहे नियोजित लोगों की कुल संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) दिहाड़ी मजदूरों और निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को कानूनी रूप से दी गई रोजगार सुरक्षा का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या एक कर्मचारी निजी कंपनी प्रबंधन से कानूनी रूप से अपनी नौकरी पुन: प्राप्त कर सकता है यदि उसे अचानक और मनमाने तरीके से निकाल दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन दिहाड़ी मजदूरों और निजी क्षेत्र के कामगारों को रोजगार आश्वासन देने तथा कर्मचारी और प्रबंधन के बीच उत्पादन विवाद के समाधान के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तर्ज पर न्यायाधिकरण की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) दिहाड़ी मजदूरों और देश में नियमित वेतन पाने वाले नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या के आंकड़े केन्द्रीकृत नहीं किये जाते हैं।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अध्याय 5क और अध्याय 5ख छंटनी/निकालने तथा समापन से सुरक्षा प्रदान करता है। कामगार सेवा से निकालने की स्थिति में संराधन अधिकारी/श्रम न्यायालय में जा सकते हैं।

(ग) निजी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अचानक और मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(क) के अंतर्गत संराधन अधिकारी तथा न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय के समक्ष भी विवाद उठा सकता है।

(घ) कर्मचारी और प्रबंधन के बीच होने वाले औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णयन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ने समुचित सरकार के पास श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण गठित करने के लिए प्रावधान पहले से विद्यमान है।

संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणियों का संरक्षण

983. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए निधि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार के पास राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार, स्थान-वार संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र के लिए कितनी निधि जारी की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय को वर्ष 2011-2012 के दौरान, संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणियों का संरक्षण के घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संरक्षित क्षेत्रों तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण क्रमश: I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा (संरक्षित क्षेत्रवार)

(राशि: लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय पार्क का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य	9.55	12.25	9.23	0
		कवल वन्यजीव अभयारण्य	19.92	0	0	0
		किन्नेरसानी वन्यजीव अभयारण्य	9.41	12.2	6.6	0
		महावीर हरीना वनस्थली एनपी	1.008	13.45	4.951	0
		पापीकोन्डा वन्यजीव अभयारण्य	10.87	0	5.89	0

1	2	3	4	5	7	8
		श्री पेनिनसुला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य	8.85	0	4.24	0
		प्रानाहिता वन्यजीव अभयारण्य	4.32	9.36	4	0
		पूलीकाट वन्यजीव अभयारण्य	0.48	8.32	7	0
		रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य	7	9.72	6.27	0
		श्री वेंकटेश्वर एनपी	12	13.34	6.06	0
		लंकामालेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य	8.97	19.33	6.25	0
		नेलाप्पाट्टू वन्यजीव अभयारण्य, फा.सं. 13000901/डब्ल्यूएल	0	4.05	3.85	0
		कुल	92.378	102.02	64.341	0
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	कैम्पबेल बेएनपी	12	5.32	8	19.76
		कुथबर्ट बे सेंचुरी	12	10.4	10.4	7.44
		महात्मा गांधी मॅरीन एनपी	37	19.12	21.68	24.72
		इन्टरव्यू आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य	7.48	11.4	8.8	22.13
		माउंट हरीयत एनपी	5	8.68	14.32	15.2
		प्रोजेक्ट एडीबल नेस्ट स्वीफ्टलेट	0	30.99	24.672	0
		कुल	73.48	85.91	87.872	89.25
3.	बिहार	भीमबैंड वन्यजीव अभयारण्य	7.5	12.14	7.899	0
		कैमर वन्यजीव अभयारण्य	9.14	4.87	0	0
		नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य	2.724	8.57	0	0
		नेगी डैम वन्यजीव अभयारण्य	2.724	7.39	0	0
		पंत वन्यजीव अभयारण्य	7.56	0	0	0
		उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य	7.91	9.32	11.99	0
		कुल	37.558	42.29	19.889	
4.	चंडीगढ़	सुकना वन्यजीव अभयारण्य	0	0	12.29	19.98
		कुल	0	0	12.29	19.98

1	2	3	4	5	7	8
5.	छत्तीसगढ़	बडलखोल वन्यजीव अभयारण्य*	29.17	26.54	24.46	22.48
		बैरामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	15.01	22.13	28.73	10.64
		बरनावापारा वन्यजीव अभयारण्य	41.1	42.52	33.55	20.56
		भोरामदेव वन्यजीव अभयारण्य	34.9	38	39.5	30.56
		गोमार्दा वन्यजीव अभयारण्य	38.5	37	18.425	20.52
		गुरू घासीदास एनपी	36.57	38	42.82	26.37
		कंगेर वैली एनपी	31.395	21.935	11.216	22.33
		पमादे वन्यजीव अभयारण्य	25.255	29.35	32.775	13.75
		समरसोत वन्यजीव अभयारण्य	40.87	22.31	17.16	2.5
		तोमारपिंगला वन्यजीव अभयारण्य*	30.465	33.36	33.330	20.93
		बरनावापारा से गांवों को अन्यत्र बसाना	0	540		
		कुल	323.235	851.145	281.966	190.64
6.	दादरा और नगर हवेली वन्यजीव अभयारण्य	दादर एवं नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य	15.62	14.88	0	0
		कुल	15.62	14.88		
7.	दमन और दीव	फुदम बर्ड सेन्चुरी	6.12	6.05	0	0
		कुल	6.12	6.05	0	0
8.	गोवा	भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य	0.83	9.79	0	0
		बोंडला वन्यजीव अभयारण्य	9.49	10.516	6.049	0
		सालीम अली बर्ड सेन्चुरी	6.4	7.14	8.02	0
		कोटीगाओ वन्यजीव अभयारण्य	13.15	11.67	9.12	0
		मोल्लेम एनपी	12.07	10.65	9.69	0
		मादेई वन्यजीव अभयारण्य	0	13.9	0	0
		नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य	0	7.36	0	0
		कुल	41.94	71.026	32.879	
9.	गुजरात	बलराम अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य	16.470	30.600	30.240	0
		बर्दा वन्यजीव अभयारण्य*	17.416	24.160	0	0

1	2	3	4	5	7	8
		गागा जीआईबी वन्यजीव अभयारण्य	7.030	8.810	8.640	0
		गिर वन्यजीव अभयारण्य	32.00	78.460	64.480	0
		हिंगोलगध वन्यजीव अभयारण्य	7.310	9.600	7.288	0
		जम्बूगोधा वन्यजीव अभयारण्य	16.55	19.89	20.50	0
		जेसोर वन्यजीव अभयारण्य*	22.88	10.52	0	0
		खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य	12.786	9.85	13.80	0
		कच्छ बस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य	15.00	17.08	19.96	0
		कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभयारण्य	25.73	24.10	35.80	0
		मॅरीन एनपी	15.97	21.28	21.71	0
		मितियाला वन्यजीव अभयारण्य	2.70	18.61	5.76	0
		नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य	0.00	10.52	16.41	0
		नारायणसरोवर वन्यजीव अभयारण्य	37.843	23.23	26.73	0
		पनिया वन्यजीव अभयारण्य	4.94	11.45	5.76	0
		पोरबन्दर वन्यजीव अभयारण्य	1.42	2.33	3.96	0
		पुर्ना वन्यजीव अभयारण्य	4.68	11.93	11.78	0
		रामपारा वन्यजीव अभयारण्य	10.65	12.62	20.39	0
		रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य	16.82	7.95	9.89	0
		शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	14.00	29.24	28.90	0
		वंसदा एनपी	19.095	9.045	17.00	0
		वेलवादर एनपी*	7.86	15.00	24.60	0
		वाइल्ड ऐस वन्यजीव अभयारण्य	11.87	15.20	15.80	0
		थौल वन्यजीव अभयारण्य	1.68	4.62	8.80	0
		गिरनार वन्यजीव अभयारण्य	0	0	14.00	0
		प्रोजेक्ट लॉयन	0	0	674.541	0
		कुल	318.52	426.10	1106.749	0

1	2	3	4	5	7	8
10.	हरियाणा	सुल्तानपुर	9.07	0	2.92	0
		बीर शिकारगढ़	6.964	6.72	10	3.345
		खोल-ही-रैतन सेन्चुरी	15.59	5.385	0	0
		कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	8.326	0	2.194	6.075
		भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य	8.07	5.11	0	0
		कालेसर एनपी	0	0	0	8.48
		वलचर	38	0		5.6
		कुल	86.02	17.22	15.114	23.50
11.	हिमाचल प्रदेश	बांदली वन्यजीव अभयारण्य*	8.63	8.98	4.37	7.397
		चैल वन्यजीव अभयारण्य	3.05	12.20	6.79	10.70
		चुरधर वन्यजीव अभयारण्य	12.536	6.93	9.44	8.00
		दाराघाटी वन्यजीव अभयारण्य	11.061	7.98	6.7	0
		धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य	11.5	12.20	11.77	10.746
		गामगुल सियाबेही	13.952	8.66	7.15	0
		ग्रेट हिमालय एनपी	15.00	17.88	13.90	3.94
		कैस वन्यजीव अभयारण्य	5.964	8.20	0	1.60
		कालाटोप खज्जर वन्यजीव अभयारण्य	11.698	10.90	13.57	0
		कानावर वन्यजीव अभयारण्य	8.9	6.31	4.484	6.072
		किब्बर वन्यजीव अभयारण्य	10.38	9.15	9.29	0
		कोखन वन्यजीव अभयारण्य	0	0	4.32	4.521
		कुगती वन्यजीव अभयारण्य	9	9.83	10.055	0
		माजाथल वन्यजीव अभयारण्य	6.252	4.65	9.854	0
		लीपा आसरंग वन्यजीव अभयारण्य	0	0	4.96	0
		नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य	14.319	0	0	4.05
		नारगू वन्यजीव अभयारण्य	9.69	3.24	6.212	4.18
		पिन वैली एनपी	9.69	12.10	7.24	0

1	2	3	4	5	7	8
		पांग डैम वन्यजीव अभयारण्य	14	16.30	21.76	14.94
		रेनूका जी वन्यजीव अभयारण्य	0	0	8.70	7.055
		रूपी बाबा वन्यजीव अभयारण्य	12	9.38	6.17	6.20
		सांगला वन्यजीव अभयारण्य	0	0	7	0
		सैंज वन्यजीव अभयारण्य	9.82	6.63	10.29	0
		शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य	0	0	5.58	5.651
		राकछम चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	2.15
		सिम्बलबारा वन्यजीव अभयारण्य*	13.741	14.60	14.26	14.65
		शिमला वाटर कैचमेंट वन्यजीव अभयारण्य	0	0	8.91	6.45
		तालरा वन्यजीव अभयारण्य	11.2	0	3.07	8.00
		तीरथन वन्यजीव अभयारण्य	9.60	6.714	0	0
		तुनदाह वन्यजीव अभयारण्य	10.00	11.23	8.43	0
		सुचू तूवानला वन्यजीव अभयारण्य	0	0	5	0
		प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड	0	0	24.16	69.04
		कुल	241.983	204.064	253.435	195.342
12.	जम्मू और कश्मीर	ताजवास सेन्चुरी	9.11	26.3	19.8	21.68
		काजी-नग एनपी	13.32	23.15	24	26.54
		किश्तवार हाई अल्टीट्यूट एनपी	6	0	23.9	20.668
		ओवेरा आरु वन्यजीव अभयारण्य	9.38	22.47	25	22.14
		मानसर सूरीसर	4.75	13.93	22.3	21.136
		राजपारीन	15.04	18.77	12.6	15.96
		नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य	8.45	17.264	18.1	18.723
		हीरपोरा वन्यजीव अभयारण्य	9.23	20.833	0	18.1
		सुध महादेव कंजर्वेशन रिजर्व	0	0	15	17.82
		काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य	22	25.29	19.8	0.76
		रामनगर वन्यजीव अभयारण्य	7.62	13.78	18	16.662

1	2	3	4	5	7	8
		अच्छाबल वन्यजीव अभयारण्य	10.5	25.94	23.6	11.33
		गुलमार्ग वन्यजीव अभयारण्य	18.1	28.74	20.1	14.8
		जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य	3.238	2.73	18.8	13.028
		हेमाइस एनपी	23.71	0	22.7	11.5
		चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य	23.86	30.44	19.6	3.16
		दाचिगम एनपी	35	37.48	34.6	41.035
		लिम्बर वन्यजीव अभयारण्य	0	20	18	18.02
		लीचापोरा	26.56	31.9	23.8	19.5
		प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड	126	16.38	43.2	0
		प्रोजेक्ट हंगुल	99	0	89.6	0
		वांगनाथ कंजर्वेशन रिजर्व	0	0	24.9	22.9
		कुल	470.868	375.397	537.4	355.462
13.	झारखंड	दलमा वन्यजीव अभयारण्य	16	16.144	11.85	10.391
		गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य	4.726	6.814	3.73	3.828
		हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य	14	16.55	15.33	10.57
		कोडेरमा वन्यजीव अभयारण्य	23.337	6.779	6.42	2.71
		लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य	6.49	7.56	5.615	1.39
		माहोदनर-वॉल्फ वन्यजीव अभयारण्य	7	0	3.52	4.48
		पालकोट वन्यजीव अभयारण्य	7.71	11.16	2.855	2.775
		पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य	6.44	3.57	3.792	3.235
		तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य	6.63	6.6	8.375	4.6675
		ऊडूवा वन्यजीव अभयारण्य	7.42	5.09	2.16	2.84
		कुल	99.753	80.267	63.647	46.8865
14.	कर्नाटक	आदिचुनचनागिरी पिकॉक सेंचुरी	10.75	10.76	4..01	2.264
		अराबिथीटू डब्ल्यूएल	19.57	19.07	17.45	9.12
		अट्टीवेरी वन्यजीव अभयारण्य	8.59	14.00	6.29	3.00

1	2	3	4	5	7	8
		बनेरघाटा एनपी	52.73111	29.28	0	0
		ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य	29.19	38.854	24.045	20.79
		बीआरटी वन्यजीव अभयारण्य	33.63	55.86	20.96	0
		कावेरी वन्यजीव अभयारण्य	38.02	38.02	12.584	16.00
		दरोजी वन्यजीव अभयारण्य	39.596	37.015	23.005	10.08
		घाटप्रभा बर्ड सेंचुरी	12.63	11.78	12.47	4.78
		गुदवी बर्ड सेंचुरी	4.46	0	0	0
		कुदरेमुख एनपी	36.45	49.73	28.387	14.73
		मेलूकोट वन्यजीव अभयारण्य	34.31	32.20	32.21	13.88
		मोकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य	21.589	28.07	21.9396	8.638
		नुगु वन्यजीव अभयारण्य	16.38	14.77	17.85	5.27
		पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य	23.40	34.665	28.060	19.58
		राणेबेन्नुर (ब्लेक बक सेंचुरी)	32.154	20	28.778	21.60
		रंगानाथीतू बर्ड सेंचुरी	47.40	39.065	12.050	7.00
		शर्वाथी वन्यजीव अभयारण्य	22.214	25.45	9.42	18.441
		शेट्टीहाली वन्यजीव अभयारण्य	19.28	26.26	12.385	18.456
		सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	16.316	13.826	20.609	9.826
		तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य	26.49	28.04	15.20	15.10
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	0	0	64.546	0
		कुल	545.15011	566.715	412.252	218.545
15.	केरल	अन्नामुदी शोला एनपी	15.175	9.05	9.14	11.51
		अरालम सेंचुरी	42.63	28.49	24.73	18.07
		चिम्मोनी सेंचुरी	38.38	20.98	8.57	10.91
		चिन्नर सेंचुरी	33.84	21	26.06	16.04
		इराविकुलम	40.90	32.68	33.94	12.87
		इडुकी सेंचुरी	39.91	11.38	34.78	16.89

1	2	3	4	5	7	8
		मंगालावनम वन्यजीव अभयारण्य	2.51	5.73	4.33	4.00
		मथीकेत्तन शोला एनपी	14.65	11.80	13.25	10.51
		नेयार वन्यजीव अभयारण्य	35.38	36.36	20.69	13.15
		पाम्बाद्रम शोला एनपी	9.71	11.15	10.01	12.24
		पीची-वजाहनी सेंचुरी	31.85	29.96	10.54	14.23
		पेप्पारा सेंचुरी	17.82	15.68	18.17	10.58
		सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य	23.50	24.45	19.24	14.12
		साइलेंट वेली नेशनल पार्क	57.91	87.20	52.06	17.20
		थाट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी	39.14	18.25	17.60	16.14
		वायानाद वन्यजीव अभयारण्य	79.11	45.07	20.92	13.43
		कुरीन्जीमाला वन्यजीव अभयारण्य	14.25	8.29	11.87	0.25
		कडालुंडी-वल्लाककाडावू कंजर्वेशन रिजर्व	15.20	0	0	0
		चूलान्नूर पिकॉक वन्यजीव अभयारण्य	5.88	4.49	6.61	0
		मालाबार वन्यजीव अभयारण्य	0	10.47	24.26	15.08
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	307.22	0	0	0
		कुल	864.965	432.48	366.786	227.22
16.	मध्य प्रदेश	बगदारा वन्यजीव अभयारण्य	35.042	32.40	36	20.78
		गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य	25.040	23.34	35.96	24.83
		घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी	37.85	28.60	29.14	17.60
		करेरा वन्यजीव अभयारण्य	15.33	15.05	17.08	8.49
		केन घड़ियाल सेंचुरी	36.364	19.46	27.97	13.30
		खेयोनी वन्यजीव अभयारण्य	32.651	35.97	31.55	22.96
		कूनो पालपुर	46.715	52.94	68.78	31.68
		माधव एनपी*	49.918	46.77	46.62	25.19
		नरसिंघगढ़ सेंचुरी*	30.111	32.57	31.78	16.52

1	2	3	4	5	7	8
		नेशनल चम्बल वन्यजीव अभयारण्य	18.031	13.14	16.87	0
		नेयोरादेही वन्यजीव अभयारण्य	30.215	29.30	19.30	20.17
		ओरछा वन्यजीव अभयारण्य	28.4830	16.37	20.19	17.63
		पन्ना (गंगू) वन्यजीव अभयारण्य	29.636	33.688	20.34	21.37
		रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य*	14.90	21.28	24.24	19.39
		रातापानी वन्यजीव अभयारण्य	34.415	40.82	43.54	35.73
		सैलाना वन्यजीव अभयारण्य	14.34	9.64	13.29	9.56
		सरदार खामोरे सेंचुरी	15.445	8.58	17.87	14.70
		सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य	24.66	38.97	45.54	16.41
		सन घारियल वन्यजीव अभयारण्य*	10.123	11.358	34.00	17.09
		वन विहार एनपी*	23.96	14.56	23.205	12.34
		वीरांगना दुर्गावती	23.115	17.18	21.05	16.74
		फेन वन्यजीव अभयारण्य	0	0	11.08	0
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	37			
		कुल	613.344	541.986	635.395	382.48
17.	महाराष्ट्र	अम्बाबरूवा	17.3	0	0	00
		अनैरडैम वन्यजीव अभयारण्य	4.23	5.15	7.7	5.112
		बोर वन्यजीव अभयारण्य	15.23	17.01	20.29	0
		भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य	0	1.6	3.983	0
		भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य	9.705	9.188	6.26	7.576
		चंदोली वन्यजीव अभयारण्य	21.95	17.10	0	0
		छपराला वन्यजीव अभयारण्य	4.463	13.96	20.69	9.04
		दौलगांव रेहेकुरी ब्लेक बक	1.9	3.46	5.35	4.936
		ध्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य	6.6375	6.8	12	9.8
		गौतला औतरामघाट	10.31	8.454	8.7	6.3
		जीआईबी सेंचुरी	19.2	12.285	16.32	14.92

1	2	3	4	5	7	8
		कालसुभाई हरीशचन्द्रगढ़	15.75	7.05	8.86	7.6
		करंजा सोहल वन्यजीव अभयारण्य	0	7.25	1.47	9.92
		जैकवाड़ी वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0.885	0.459
		करनाला बर्ड सेंचुरी	13.825	7.85	11.205	9.348
		काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य	6.45	7.44	11.59	9.192
		कोयना वन्यजीव अभयारण्य	15.09	5.74	0	2.788
		लोनार वन्यजीव अभयारण्य	15.48	4.5	3.84	0
		म्योरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	2.05	4.61	10.66	7.888
		नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य	16.05	17.23	22.15	13.59
		नैगांव पिकॉक सेंचुरी	5.36	5.29	11.35	8.21
		ननदुरामाधेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	4.85	1.92	8.5	8.52
		नारनाला वन्यजीव अभयारण्य	7.30	0	0	0
		नवेगांव एनपी	23.15	16.98	26.9	20.38
		पणगंगा वन्यजीव अभयारण्य	13.75	8.56	11.52	9.56
		फनसद वन्यजीव अभयारण्य	13.685	9.76	15.565	13.16
		राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य	9.73	3.45	3.155	7.04
		मागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	6.87	4.445	6.99	9.95
		संजय गांधी एनपी	19.515	14.38	12.6	18.72
		तंसा वन्यजीव अभयारण्य	17.3012	8.77	18.76	16.456
		तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य	20.37	9.205	16.78	18.216
		तुंगारेश्ववर वन्यजीव अभयारण्य	10.00	12.96	10.5	12.149
		वन सेंचुरी	22.00	0	0	0
		यावल	17.23	18.49	20.00	12.90
		येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य	3.492	2.792	8.8	7.55
		कुल	390.2237	273.679	343.373	281.28

1	2	3	4	5	7	8
18.	उड़ीसा	बद्रामा वन्यजीव अभयारण्य	24.50	31.56	32.07	26.08
		बैसापल्ली	27.76	0	0	0
		बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य	43.19	22.89	18.73	10.71
		भितारकनिका वन्यजीव अभयारण्य	27.50	28.7	29.95	17.88
		भितारकनिका एनपी	33.85	36	18.92	21.50
		चंदाका-दम्पारा	39.485	26.12	15.725	0
		चिल्का वन्यजीव अभयारण्य	32.01	21.65	22.63	8.52
		डेबरीगढ़	23.4	18.92	21.3	15.73
		गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य	48.98	37.92	22.60	17.10
		हादगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	28.95	20.48	19.95	10.43
		करलापथ वन्यजीव अभयारण्य	23.45	24.63	22.19	14.64
		खालासुनी वन्यजीव अभयारण्य	13.75	13.71	12.125	11.29
		कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	25.68	23.56	13.798	20.62
		कुलदीहा वन्यजीव अभयारण्य	28.480	23.054	20.975	8.293
		लाखरी वैली वन्यजीव अभयारण्य	19.85	19.67	16.78	15.97
		नन्दनकानन वन्यजीव अभयारण्य	12.425	3.515	4.752	4.4
		सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य	46.67	38.57	22.84	15.3699
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	76.95	0	0	0
		कुल	576.88	390.949	315.335	218.393
19.	राजस्थान	बस्सी	17.095	33.23	23.679	18.311
		भैंसरोडगढ़	20.52	27.59	24.64	14.987
		डेजर्ट एनपी	22.84	34.13	28.05	20.18
		दुराह वन्यजीव अभयारण्य	23.529	30.899	16.693	20.51
		जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य	30.555	35.197	25.555	15.963
		जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य	17.34	16	18.452	4.347
		जाम्वा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	1.83

1	2	3	4	5	7	8
		केलाडे एनपी	28.00	69.04	61.54	4.1
		कुम्बलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	36.213	58.27	21.613	20.061
		माउंट आबू	28.755	27.888	13.78	0
		नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	0.60
		नेशनल चम्बल वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	0
		फुलवारी की नल	41.587	47.125	27.071	17.221
		सज्जनगढ़	19.847	27.685	22.1	15.75
		सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य	26.31	47.412	27.582	14.172
		तलछप्पर	7.415	5.45	5.9	4.9
		तोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य	28.89	36.83	31.718	8.49
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	65.68			
		कुल	414.58	496.746	348.373	181.422
20.	पंजाब	हरिका वन्यजीव अभयारण्य	11.56	12.44	8.92	0
		बीर भुनेरहेरी वन्यजीव अभयारण्य	7.73	2.76	2.04	0
		तखनी-रेहमापुर वन्यजीव अभयारण्य	0	0	4.06	0
		बीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभयारण्य, 13000319/डब्ल्यूएल	0	3.7	2.7	00
		झारझर बचौली, वन्यजीव अभयारण्य, 13 000819/डब्ल्यूएल	0	5.4	2.2	0
		बीर एश्विन वन्यजीव अभयारण्य, 1300 0819/डब्ल्यू एल	0	4.36	1.4	0
		बीर भदसन वन्यजीव अभयारण्य, 1300 0719/डब्ल्यूएल	0	7.6	1.4	0
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	5.00	0	0	
		वल्चर	16	0	2.4	
		कुल	40.29	36.26	25.12	0
21.	तमिलनाडु	चितरंग गुडी पक्षी अभयारण्य	14.2	12.76	11.43	0
		ग्रिजल्ड जाएंट स्किविरल अभयारण्य	70.62	47.25	31.655	13.94

1	2	3	4	5	7	8
		गूएंडी नेशनल पार्क	24.85	33.2	25.37	16.14
		गल्फ ऑफ मन्नार मॅरीन नेशनल पार्क	33.63	39.22	28.064	28.86
		कूंठाकुलम पक्षी अभयारण्य	13.25	16.62	10.45	6.99
		करंजीराकुलम बीएस	14.29	11.2	8.00	0
		कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य	39.20	47.34	30.04	0
		कराएवेत्ती पक्षी अभयारण्य	10.48	15.58	8.85	5.87
		करायकिल्ली पक्षी अभयारण्य	12.50	16.39	7.44	4.89
		मेलासिल्वानूर एंड कीलासिल्वानूर पक्षी अभयारण्य	10.79	12.13	10.27	0
		मुकुथी नेशनल पार्क	14.80	28.95	15.67	13.54
		पोइंट कैलीमेयर वन्यजीव अभयारण्य	25.40	49.65	21.66	0
		पुलिकेट पक्षी अभयारण्य	10.00	17.00	10.60	10.98
		सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य	12.00	35.98	13.27	15.38
		उदयमारथंडपूरम पक्षी अभयारण्य	15.50	19.48	14.55	2.40
		वदूवूर पक्षी अभयारण्य	9.68	16.38	9.12	7.20
		वेदनथंगल वन्यजीव अभयारण्य	15.7	18.95	12.26	7.35
		वेलांडू ब्लेक बक अभयारण्य	21.23	23.3	21.96	0
		वेल्लोड पक्षी अभयारण्य	14.69	19.98	7.28	8.56
		वेतुंगुडी पक्षी अभयारण्य	20.10	24.055	11.40	4.45
		तिरूमकुडाइमारूथर पक्षी संरक्षण रिजर्व	0	8.46	7.00	4.16
		मेगामालाई वन्यजीव अभयारण्य	0	0	16.36	0
		थिरथंगल पक्षी वन्यजीव अभयारण्य	0	0	1.75	0
		संरक्षित क्षेत्र के बाहर	325	0	0	0
		रिकवरीकार्यक्रम-नीलगिरी तहर	0	4.8	0	0
		कुल	727.91	518.675	334.449	150.71
22.	उत्तर प्रदेश	भीमराव अम्बेडकर	9.32	7.64	0	5.69
		बखीरा वन्यजीव अभयारण्य	20.78	8.16	8.46	4.62

1	2	3	4	5	7	8
		चन्द्रप्रभा	12.00	20.27	21.69	8.11
		हस्तिनापुर	3.84	15.28	8.92	14.96
		जय प्रकाश नारायण (सुरहातल)	8.015	10.7	8.275	3.56
		कछुआ	26.125	11.75	9.225	9.66
		कैमुर वन्यजीव अभयारण्य	16.83	25.975	30.9	16.83
		लख बाहोसी	8.87	0	12.71	6.49
		महावीर स्वामी	23	12.52	18.93	12.88
		नेशनल चम्बल	3.961	19.092	20.75	0
		नवाबगंज	16.774	5.76	8.025	6.495
		ओखला वन्यजीव अभयारण्य	13.45	12.928	12.485	5.7
		पार्वती अरगा वन्यजीव अभयारण्य	11.915	15.68	15.98	5.77
		पटना बर्ड सेंचुरी	16.71	8.395	5.655	4.45
		रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	16.82	13.02	17.06	11.54
		समन बर्ड सेंचुरी	12.4	6.86	5.805	4.5
		समसपुर	15.78	4.295	13.425	8.74
		सांदी बर्ड सेंचुरी	19.18	16.15	7.53	5.86
		सोहागीबरवा वन्यजीव अभयारण्य	27.50	22.23	19.01	8.15
		सोहेलवा	16.62	24.51	34.49	5.11
		सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी	7.85	9.69	10.245	6.96
		विजय सागर	0	3.55	6.62	6.20
		कुल	307.74	274.455	296.19	162.275
23.	पश्चिम बंगाल	छपरामारी वन्यजीव अभयारण्य	28.55	24.188	11.825	8.05
		गोरूमारा एनपी	46.75	76.61	51.00	18.21
		जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य	68.585	68.75	53.71	21.5
		महानंदा वन्यजीव अभयारण्य	43.195	50.95	45.600	15.25
		नेयोरा वैली एनपी	51.3	55.5	35.620	19.13

1	2	3	4	5	7	8
		रायगंज वन्यजीव अभयारण्य	18.05	11.42	12.970	0.25
		संचल वन्यजीव अभयारण्य	47.6	46.5	37.410	13.4
		सिंघालिला एनपी	41.75	47.4	28.250	16.36
		कुल	345.78	381.318	276.385	112.15
24.	उत्तराखंड	आसकोट वन्यजीव अभयारण्य	11.8	0	0	0
		आसन कंजरवेशन रिजर्व	6.45	8.6	0	0
		बिनसर वन्यजीव अभयारण्य	15.49	21.25	21.98	20.126
		गंगोत्री एनपी	19.17	20.50	26.53	27.29
		गोविंद पसु विहार एनपी	25.08	35.00	52.18	44.44
		जिमील झील कंजरवेशन रिजर्व	6.68	0	0	0
		मसूरी वन्यजीव अभयारण्य	6.6	21.29	0	9.34
		नंदा देवी एनपी	20.26	20.78	12.6	59.81
		वैली ऑफ फ्लावर एनपी	18.16	17.66	21.6	40.70
		स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट	86.4			
		कुल	216.09	145.08	134.89	201.706
25.	अरुणाचल प्रदेश	डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य	25	30.36	34.270	0
		देबांग वन्यजीव अभयारण्य	14.5	11.92	15.050	0
		इगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य	25.815	18.22	16.940	0
		इटानगर वन्यजीव अभयारण्य	20.65	20.3	21.2	0
		कमलांग वन्यजीव अभयारण्य	17.55	13.759	17.380	0
		काने वन्यजीव अभयारण्य	14.41	15.179	19.185	0
		महोओ वन्यजीव अभयारण्य	17.62	16.854	10.090	0
		मोलिंग एनपी	26	27.2	30.992	0
		सेसा ओर्चिड वन्यजीव अभयारण्य	11.766	16.45	16.490	0
		टाली वन्यजीव अभयारण्य	20	19.695	31.600	0
		स्नो लेपर्ड	0	3.2	0	0
		कुल	193.311	193.137	213.197	0

1	2	3	4	5	7	8
26.	असम	आमचंग वन्यजीव अभयारण्य	0.00	0	0	0
		बरील वन्यजीव अभयारण्य	9.88	9.9	17.49	0
		बरदोईबूम बीलमुक वन्यजीव अभयारण्य	4.125	6.705	4.53	0
		बरनादी वन्यजीव अभयारण्य	3.72	6.8	9.84	0
		बोराजन भीरजन पादमनी वन्यजीव अभयारण्य	8.56	6.4	9.76	0
		चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य	6.68	8.3	8.94	0
		दीपार भील डब्ल्यू एस	10	8.92	0	0
		डिब्रू सैखोवा एनपी	13.68	0	0	0
		दिहींग पटकई वन्यजीव अभयारण्य	8.35	3.65	5.71	0
		ईस्ट कारबी अंगलोंग वन्यजीव अभयारण्य	6.68	3.98	8.56	0
		गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य	5.36	6.84	10.68	0
		कर्बी अंगलिंग नॉर्थ वन्यजीव अभयारण्य	0	0	11.00	0
		गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य	8.25	9.51	14.63	0
		सोनई रूपम वन्यजीव अभयारण्य	7.32	8.24	100.98	0
		लखोवा वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	0
		मरत लोंगरी वन्यजीव अभयारण्य	6.2	7.92	17.36	0
		नम्बर दोईगुरंग वन्यजीव अभयारण्य	3	9.08	16.97	0
		ओरंग एनपी*	23.3	3.4	13.1	0
		पानीदेहिंग वन्यजीव अभयारण्य	6.62	8.04	9.12	0
		पोबीटोरा वन्यजीव अभयारण्य	16.87	0	16.105	0
		सोनई रूपम वन्यजीव अभयारण्य	12.5	7.1	7.85	0
		कुल	161.085	114.785	282.625	0
27.	मणिपुर	जीरी मकरू वन्यजीव अभयारण्य	15.698	18.91	12.672	0
		केबुल लमजाऊ नेशनल पार्क	41.886	33.98	32.48	0

1	2	3	4	5	7	8
		शिरोय नेशनल पार्क	21.991	15	12.424	0
		यानगोपोक्पी लोक्चाऊ वन्यजीव अभयारण्य*	21.33	16.46	30.74	0
		प्रोजेक्ट संगाई/मणिपुर डांसिंग डीयर	0	33.96	0	0
		कुल	100.905	118.31	88.316	0
28.	मेघालय	बाघमारा	5.57	2.84	2.86	0
		बालपाकरम एनपी	19.75	21.52	17.82	0
		नोकरेक एनपी	13.00	16.64	15.08	0
		नांगखईल्लेम	9.107	12.44	15.99	0
		सिज्जू	10.58	6.31	6.28	0
		कुल	58.007	59.75	58.03	0
29.	सिक्किम	बारसे रोडोडेड्रॉन	23.58	25.13	19.460	17.67
		फामबांग एलएचओ	21.5	33.19	30.990	15.33
		खांगचेन्दजोंगा एनपी	33.3	36.79	31.610	21.4
		किताम पक्षी अभयारण्य	18.53	18.71	8.990	15.4
		क्योंगनोसला अल्पाईन	20.29	26.79	28.010	14.844
		मैनम वन्यजीव अभयारण्य	26.19	26.94	18.260	16.2
		पनगोलखा वन्यजीव अभयारण्य	30.89	38.47	26.99	14.549
		शिंगबा (रोडोडेंड्रॉन)	13.45	34.91	18.47	16.4
		कुल	187.73	240.93	182.78	131.793
30.	मिजोरम	खांगलंग वन्यजीव अभयारण्य	28.40	23.87	32.693	9.71
		लेनतेंग	23.65	28.00	27.20	9.12
		मुरलेन	39.684	22.4	24.05	9.63
		एनजेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य	29.51	25	21.16	10.38
		फांगपुई एनपी	28.212	26.52	22.826	7.54
		पुआलरेंग	23.31	0	24.60	7.93

1	2	3	4	5	7	8
		तावी	29.375	23.96	26.924	9.37
		थुरांगटैंग	26.605	26.09	30.61	10.68
		तोकालो वन्यजीव अभयारण्य	2.40	11.01	9.70	8.65
		गांवों का पुनःस्थापन	0	0	488	0
		कुल	231.146	186.85	707.763	83.01
31.	त्रिपुरा	रोआ वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	0
		सिपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य	0	0	0	0
		तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य	0	13	0.44	0
		क्लोडेड लेपर्ड एनपी	0	0	2.40	0
		कुल	0	13.00	2.84	0
32.	नागालैंड	इतांकी एनपी	21.885	6.065	10.065	0
		फाकीम वन्यजीव अभयारण्य	6.53	4.69	4.00	0
		बोंचू कॉम्युनिटी रिजर्व	0	10.96	0	0
		खोर्खरोपफू-लेफोरी सीआर	0	12.4	0	0
		एसकेली-मोमचुकेट	0	0	8.80	0
		सियोंगथन वन्यजीव अभयारण्य	0	0	10.73	0
		कुल	28.415	34.115	33.595	0
		कुल योग	7750.91681	7789.539	7533.276	3271.8445

विवरण II

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बाहरी संरक्षित क्षेत्र के लिए जारी निधियों का ब्यौरा (क्षेत्रवार)

(धनराशि: लाख रुपये में)

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र से बाहर क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	केरल		प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	(क) मनकुलम एचवीबीए	35.95			
	(ख) गुदरीकल एचवीबीए	41.15			

1	2	3	4	5	6
	(ग) ककायम एचवीबीए	40.60			
	(घ) कोले वेटलैंड एचवीबीए	37.05			
	(ङ) वेमबनादू एचवीबीए	33.95			
	(च) वजहाचल एचवीबीए	38.70			
	(छ) न्यू अमरामबलम एचवीबीए	41.90			
	(ज) मुथीकुलम एचवीबीए	36.42			
	(झ) कुरीचयमाला बनासुरमाला एचवीबीए	39.60			
	(ञ) मलायत्तूर एचवीबीए	38.70			
2.	मिजोरम		प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	(क) लेंगटेंग एचवीबीए	21.80			
	(ख) थूरंगतलंग एचवीबीए	27.50			
	(ग) खावंगलंग एचवीबीए	23.12			
3.	मध्य प्रदेश		प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	(क) मोहगांव एचवीबीए	26.50			
	(ख) वेस्ट मंडला एचवीबीए	26.50			
4.	उड़ीसा		प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	(क) रूशीकुलया रूकेरी एचवीबीए	38.18			
	(ख) तलासरी एचवीबीए	19.43			
	(ग) धर्मा मुहान एचवीबीए	38.58			
5.	पंजाब		प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	(क) ब्यास नदी एचवीबीए	3.00			
	(ख) शल्ला पट्टन एचवीबीए	3.00			
6.	कर्नाटक		प्राप्त नहीं		प्राप्त नहीं
	(क) मलाई महादेश्वर एचवीबीए	27.50		7.90	
	(ख) कुंदापुर एचवीबीए	37.75		39.85	
	(ग) मैसूर एचवीबीए	33.80		33.495	
7.	तमिलनाडु	325.00	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	मोयर वैली एलीफैन्ट कोरीडोर एंड कल्लार जेक्कानरी एलीफैन्ट कोरीडोर				
	कुल	1035.68	शून्य	81.245	शून्य

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना

984. श्री उदय सिंह:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री अब्दुल रहमान:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री जे. शांता:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री ए. सम्पत:
श्री मिथिलेश कुमार:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री के. सुगुमार:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर महाराष्ट्र और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गवार कुल कितनी दुर्घटनाओं की सूचना मिली तथा सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए तथा साथ ही इससे कुल कितनी आर्थिक हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजामार्गों/एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना संभावित सड़क खण्डों की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सड़क खंडों पर दुर्घटना रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इन राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके; और

(च) दुर्घटनाओं से निपटने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) वर्ष 2007-2009 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं और इनमें मारे गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा गठित सड़क दुर्घटना, चोट निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यदल ने वर्ष 1999-2000 में यह प्राक्कलित किया कि सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक लागत जीडीपी की 3% है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दस्तावेज में 1999-2000 में सड़क दुर्घटनाओं की आर्थिक लागत 55,000 करोड़ रू. प्राक्कलित की गई थी।

(ग) और (घ) 'दुर्घटना प्रवण स्थलों के अभिनिर्धारण और सुधार हेतु प्रणाली की स्थापना' नामक एक अनुसंधान परियोजना (आर-64) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई थी कि जिसके निष्कर्ष इस प्रकार थे:-

(i) अधिकतम दुर्घटनाएं, विशेषकर घातक दुर्घटनाएं उच्च गति के कारण सीधी सड़कों पर घटित होती हैं।

(ii) मुख्यतः अपर्याप्त स्थल दूरी, यातायात मार्ग निर्देशों की कमी, सड़क चिन्हांकन न होने और सड़क की गलत ज्यामिति के कारण चौराहे सर्वाधिक नाजुक स्थल होते हैं।

(iii) आमने-सामने की टक्करें आमतौर पर उच्च गति और गलत तरीके से ओवरटेकिंग किए जाने के कारण होती हैं।

(iv) पैदल यात्री, सर्वाधिक नाजुक पीड़ित होते हैं। पैदल यात्री गलतियां करने में दूसरे नम्बर पर आते हैं और वे दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक होते हैं।

(v) अधिसंख्य दुर्घटनाओं में मुख्य कारण, चालक की गलती पाई गई है।

(vi) रात्रि के समय दुर्घटनाओं में अधिकतम संख्या में ट्रक संलिप्त होते हैं।

(vii) दुर्घटनाओं में लापरवाही और अधिक गति का हिस्सा 90% होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों में सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करनी शुरू कर दी है और फलाईओवर, अंडरपास, बाईपास, सर्विस रोड आदि बनाकर स्थानीय और सीधे गुजरने वाले यातायात को पृथक-पृथक करने और सड़क चिन्हांकन, संकेतक, क्रैश बैरियर, रेज्ड पेवमेंट मार्कर्स लगाकर सुरक्षा फीचर उपलब्ध कराने और जेबरा क्रासिंग, पैदलयात्री अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, पैदल यात्री गार्ड रेल्स आदि जैसी पदयात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के रूप में आवश्यक उपचारात्मक उपाय कर रहा है।

(ङ) शराब की दुकानों को लाइसेंस प्रदान करने का कार्य राज्यों की आबकारी नीति के अंतर्गत आता है। नई दिल्ली में 15-01-2004 को हुई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 7वीं बैठक में यह सर्वसम्मति बनी कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाने चाहिए। इस संबंध में कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

(च) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं के पश्चात् पीड़ितों को नजदीकी चिकित्सा सहायता केन्द्र तक पहुंचाने जैसे राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलैंस उपलब्ध कराता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक 50 किमी के खंड पर बीओटी (पथकर) परियोजनाओं के निजी रियायतग्राहियों के माध्यम से एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 732.75 करोड़ रू. के कुल परिव्यय में 140 से अभिनिर्धारित राज्य सरकारी अस्पतालों में अभिघात चिकित्सा सुविधाएं उन्नत करके राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों पर 'एकीकृत अभिघात केन्द्र नेटवर्क की स्थापना' नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या*			राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या*		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13040	12327	11856	4370	4172	4655
2.	अरुणाचल प्रदेश	67	101	113	23	28	49
3.	असम	2334	2683	2808	983	1245	1275
4.	बिहार	3159	3862	4305	1555	1868	1993
5.	छत्तीसगढ़	3421	4001	4622	790	1002	1093
6.	गोवा	1398	1593	1467	143	134	. 125
7.	गुजरात	7253	7025	6640	1812	1857	1958
8.	हरियाणा	4042	3990	4086	1765	1775	1800
9.	हिमाचल प्रदेश	1947	1080	1066	585	258	324
10.	जम्मू और कश्मीर	2385	2365	2637	404	487	446
11.	झारखण्ड	1718	1860	1894	746	882	455
12.	कर्नाटक	13310	12949	13893	2921	2838	3147

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	11000	9997	9425	1453	1403	1373
14.	मध्य प्रदेश	10468	10359	10769	1857	1909	2198
15.	महाराष्ट्र	13563	13866	12911	3148	3662	3359
16.	मणिपुर	307	292	320	63	81	61
17.	मेघालय	153	186	235	77	73	100
18.	मिजोरम	23	58	45	12	35	30
19.	नागालैंड	121	36	37	49	31	28
20.	उड़ीसा	3699	3635	4216	1389	1472	1769
21.	पंजाब	2240	1903	1684	1346	1149	1140
22.	राजस्थान	8218	7811	7932	3059	3495	3432
23.	सिक्किम	38	47	211	12	15	22
24.	तमिलनाडु	19910	19158	21198	4430	4417	5282
25.	त्रिपुरा	445	270	295	124	65	90
26.	उत्तराखण्ड	788	818	792	504	634	475
27.	उत्तर प्रदेश	8105	9795	10917	4580	5210	5958
28.	पश्चिम बंगाल	4343	4621	4714	2026	2115	2143
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	37	54	0	6	9
2.	चंडीगढ़	99	89	64	45	36	35
3.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
4.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	956	875	796	286	278	329
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
7.	पुडुचेरी	372	306	509	55	38	69
	कुल	138922	137995	142511	40612	42670	45222

*एक्सप्रेस मार्ग शामिल हैं

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या*			राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या*		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	44325	42657	43600	13549	13812	14770
2.	अरुणाचल प्रदेश	240	280	306	95	134	158
3.	असम	4403	4683	4869	1604	1807	1991
4.	बिहार	7774	8991	10065	3482	3940	4390
5.	छत्तीसगढ़	12296	12945	12888	2607	2966	2865
6.	गोवा	4020	4178	4165	322	318	321
7.	गुजरात	33623	33671	31034	6915	7070	6983
8.	हरियाणा	11998	11596	11915	4415	4494	4603
9.	हिमाचल प्रदेश	2955	2756	3051	979	848	1140
10.	जम्मू और कश्मीर	5864	5326	5945	958	950	1100
11.	झारखण्ड	5285	4985	4996	2081	1979	2170
12.	कर्नाटक	46363	46279	45190	8777	8814	8714
13.	केरल	39917	37263	35433	3778	3901	3830
14.	मध्य प्रदेश	41981	43852	47267	6671	6670	7365
15.	महाराष्ट्र	7366!	75527	71996	11212	12397	11396
16.	मणिपुर	538	573	578	114	151	125
17.	मेघालय	300	294	398	127	123	145
18.	मिजोरम	77	110	86	50	63	60
19.	नागालैंड	239	76	63	89	70	55
20.	उड़ीसा	8213	8181	8887	3000	3079	3527
21.	पंजाब	5208	5115	5570	3363	3206	3668
22.	राजस्थान	23885	23704	25114	8145	8388	9045
23.	सिक्किम	150	196	564	52	79	87

1	2	3	4	5	4	5	6
24.	तमिलनाडु	59140	60409	60794	12036	12784	13746
25	त्रिपुरा	801	767	865	223	221	229
26.	उत्तराखण्ड	1529	1417	1401	992	1073	852
27.	उत्तर प्रदेश	21522	25684	28155	11398	13165	14638
28.	पश्चिम बंगाल**	11660	12206	11134	4745	4789	4860
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	173	191	271	23	22	33
2.	चंडीगढ़	534	482	424	151	148	171
3.	दादरा और नगर हवेली	116	116	79	66	65	45
4.	दमन और दीव	60	50	63	29	29	33
5.	दिल्ली	8620	8435	7516	2141	2093	2325
6.	लक्षद्वीप	2	12	4	0	0	2
7.	पुडुचेरी	1744	1697	1698	255	212	218
	कुल	479216	484704	486384	114444	119860	125660

* एक्सप्रेस मार्ग शामिल हैं

** कोलकाता शहर को छोड़कर

हवाई अड्डे का उन्नयन

985. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री बलीराम जाधव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में न्योमा एडवान्सड लैंडिंग ग्राउंड को विभिन्न प्रकार के लड़ाकू/परिवहन विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु इसके उन्नयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि क्या है तथा इस हवाई अड्डे को कब तक पूरी तरह प्रचालन योग्य बनाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का इरादा करगिल हवाई अड्डे सहित अन्य रणनीतिक हवाई अड्डों के उन्नयन का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उभरती रणनीतिक सुरक्षा आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना मौजूदा बेड़े की ओवरहालिंग के लिए क्या कार्य योजना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ङ) एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंडों/एयरफील्डों का विकास/उन्नयन तथा भारतीय वायुसेना के मौजूदा बेड़े की ओवरहालिंग सेनाओं की प्रचालनात्मक तथा सामरिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है जिसकी सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

परिवहन राजसहायता योजना

986. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए परिवहन राजसहायता योजना का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) योजना के शुरूआत से इसके अंतर्गत आवंटित/प्रयुक्त निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार संभावित लिंकेज और दुरूपयोग को रोकने के लिए योजना का मूल्यांकन किया है/कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) परिवहन राजसहायता स्कीम (टीएसएस) 23.7.1971 से दूरस्थ, पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पात्र औद्योगिक इकाइयों को कच्ची सामग्री व तैयार सामानों को इकाई-स्थल से निर्दिष्ट रेल हेड तक लाने-ले जाने के लिए परिवहन लागत में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक राजसहायता दी जाती है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने संभावित लीकेज और दुरूपयोग रोकने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी अर्थात् मैसर्स डिलोइट तोशी तोहात्सु इंडिया लि., गुड़गाँव से इस स्कीम का मूल्यांकन कराया है। नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय ने भी परिवहन राजसहायता स्कीम के कार्यनिष्पादन की लेखा परीक्षा की है।

विवरण

परिवहन राजसहायता स्कीम के अंतर्गत वर्षवार जारी धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र का नाम	1971-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	हिमाचल प्रदेश	164.09	40.38	22.38	11.75	10.45	10.82	4.50	6.50	14.20	-	15.74	46.08	-	346.89
2.	जम्मू और कश्मीर	25.89	2.76	0.7	1.91	4.5	5.00	-	5.00	8.60	-	9.55	-	-	63.91
3.	उत्तराखण्ड	15.902	0.008	-	-	-	4.42	-	-	-	-	-		-	20.33
	कुल	205.88	43.15	23.08	13.66	14.95	20.24	4.50	11.50	22.80	-	25.29	46.08	-	431.13
1.	अरुणाचल प्रदेश	28.87	-	-	-	-	-	-	-	39.15	-	59.79	62.87	32.29	-
2.	असम	183.66	-	-	-	-	-	-	-	297.36	-	160.83	155.58	149.55	
3.	मणिपुर	3.24	-	-	-	-	-	-	-	2.93	-	1.28	4.53		
4.	मेघालय	22.657	-	-	-	-	-	-	-	166.19	-	148.40	117.94	97.93	
5.	मिजोरम	14.99	-	-	-	-	-	-	-	25.95	-	1.68	6.12		
6.	नागालैंड	36.49	-	-	-	-	-	-	-	55.45	-	1.79	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	त्रिपुरा	5.07	-	-	-	-	-	-	-	6.60	-	1.26	2.01	-	
8.	सिक्किम	6.36	-	0.70	-	-	0.001	-	2.52	2.00	-	-	4.37		
	कुल	301.34	42.52	66.53	94.98	2.24	54.00	92.46	27.52	595.65	-	375.03+4 =379.03	353.43	279.77	*2289.47
1.	अंडमान एवं निकोबार समूह	22.82	0.34	0.03	0.008	0.008	0.009	0.14	-	0.86	-	0.51	0.49		25.21
2.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिला)	0.8	-	0.36	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88
	कुल	23.62	0.34	0.39	0.368	0.008	0.369	0.14	-	0.86	-	0.51	0.49	-	27.09
	कुल योग	530.84	86.01	90.00	109.008	17.198	74.609	97.10	39.02	619.31	-	404.83	400.00	279.77	2747.69

- वर्ष 2008-09 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में मात्र 1 करोड़ रूपए दिए गए थे।
- समग्र रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में वर्षवार कुल जारी धनराशि का निरूपण।

लवासा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

987. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री पी. कुमार:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एच सी सी) के पुणे के निकट लवासा में हिल सिटी परियोजना को कुछ शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उक्त परियोजना के विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) गांव मुलशी और वेल्टे तालुका, जिला पुणे, महाराष्ट्र में परियोजना प्रस्तावक मैसर्स लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हिल स्टेशन परियोजना के विकास के प्रथम चरण (2000 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय मूल्यांकन किया गया था। संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित पांच पूर्व शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर विचार करते हुए उचित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात, विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हुए इस परियोजना को 9 नवम्बर, 2011 को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी।

(ग) और (घ) सचिव, पर्यावरण, महाराष्ट्र सरकार से परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। तदनुसार, आरसीसी सं. 4671/2011 द्वारा पुणे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 4.11.2011 को एक शिकायत दर्ज की गई।

(ङ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ हिल कटिंग पर पाबंदी, पर्यावरणीय बहाली योजना और उच्च स्तरीय सत्यापन एवं मॉनीटरिंग समिति का गठन और साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के लिए निधियों का निर्धारण किया जाना शामिल है।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और आयात

988. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
श्री एंटो एंटोनी:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में उत्पादित और देश में आयातित प्राकृतिक रबड़ की अलग-अलग मात्रा और मूल्य क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ पर लगाये गये आयात शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की लगातार गिरती कीमतों को रोकने के लिए इस पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में घरेलू रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में उत्पादित और देश में आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा और मूल्य साथ ही उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ पर लगाए गए आयात शुल्क का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	उत्पादन		आयात		आयात शुल्क
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रू.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रू.)	
1	2	3	4	5	6
2008-09	864500	8397	77762	937.20	*लेटेक्स - 70% *प्राकृतिक रबड़ का शुष्क रूप- 20%
2009-10	831400	9132	177130	1602.15	*लेटेक्स - 70% *प्राकृतिक रबड़ का शुष्क रूप- 20%
2010-11	861950	15698	188337	2906.79	*लेटेक्स - 70% *प्राकृतिक रबड़ का शुष्क रूप- 20% *(22 दिसम्बर 2010 से)* *लेटेक्स - 70% *प्राकृतिक रबड़ का शुष्क रूप- 20% या 20 रू. प्रति किग्रा. जो भी कम हो *7.5% शुल्क पर प्राकृतिक रबड़ के शुष्क रूप के 40,000 टन के आयात का टैरिफ रेट कोटा
2011-12 (अप्रैल से	480700	10093	96830	2087.13	*लेटेक्स - 70% *प्राकृतिक रबड़ का शुष्क रूप - 20%

1	2	3	4	5	6
या अक्तूबर 2011)					20 रू. प्रति किग्रा. जो भी कम हो *2010-11 में स्वीकृत 40,000 टन तथा अब तक आयातित नहीं के संतुलन हेतु 7.5% शुल्क पर प्राकृतिक रबड़ के शुष्क रूप का टीआरक्यू आयात

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में प्राकृतिक रबड़ के औसत मूल्यों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	घरेलू आरएसएस 4 (रू./किग्रा.)	अंतर्राष्ट्रीय आरएसएस 3 (रू./किग्रा.)
2008-09	101.12	103.79
2009-10	114.98	111.13
2010-11	190.03	195.55
2011-12	218.46	223.90

(ङ) रबड़ उपजकर्ताओं के लाभ हेतु स्कीमों को 11वीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों के संघटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। घरेलू उपजकर्ताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु स्कीमों को प्रतिपादित किया जा रहा है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

989. श्री एंटो एंटोनी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "इन्वेलिड केरिज" के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कतिपय उपबन्धों के कारण नि:शक्त व्यक्तियों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन उपबंधों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को नि:शक्त व्यक्तियों से अपनी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कोई शिकायतें/अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ङ) शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों की गतिशीलता सुकर बनाने के लिए इस मंत्रालय ने, दुपहिया वाहनों में फेरबदल के संबंध में, राज्य सरकारों को ऐसे मामले अनुमोदित करने हेतु अधिकार प्रदान करने के लिए जुलाई, 2008 में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की थी। शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को पेश आ रही समस्याओं में और भी कमी लाने के लिए मोटर यानों में फेरबदल के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों को दिनांक 05/05/2011 को जारी कर दिए गए हैं।

जहाज का पता लगाने में असफलता

990. डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय सुरक्षा के लिए नियुक्त त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा के बावजूद महाराष्ट्र में समुद्र तट पर एक विदेशी देश के झंडे वाला एक विदेशी पोत बिना पता लगे तट पर आ गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की गंभीर सुरक्षा चूक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तटीय सुरक्षा के उपकरणों में क्या सुधारात्मक उपाय शामिल किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) 31 जुलाई, 2011 को पनामा ध्वजयुक्त व्यापारिक पोत एमपी पावित मुम्बई के कोलाबा प्वाइंट के 14 समुद्री मील उत्तर में जमीन में 1-2 मीटर की गहराई में धंसा हुआ पाया गया था। एम वी पावित 30 जून, 2011 को ओमान तट के पास छोड़ दिया गया था और सभी तेरह भारतीय कर्मियों को रॉयल नेवी के पोत ने निकाल लिया था और सिक्का गुजरात में उतारे जाने के लिए उन्हें एमटी जग पुष्पा में भेज दिया गया था। पोत को छोड़ दिए जाने तक संकट के पूरे समय में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) मुम्बई उस पोत के संपर्क में रहा और उसके स्वामी से अनुरोध किया कि वे पोत की निगरानी करें। तथापि, उसके स्वामी ने एमआरसीसी को सूचित किया था कि जलयान पहले ही डूब चुका है।

भारतीय नौसेना द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चला कि एमवी पावित का पता न लग पाने के कारण संभवत: पोत के डूब जाने की सूचना, पोत का ऐसे मार्ग से संवहन जो रेडार की सीमा में नहीं आते थे, मौनसून मौसम का होना (नीचे और मोटे बादलों की परत, अल्पदृश्यता, भारी वर्षा, अशांत समुद्र) रहे जिनकी वजह से रेडार द्वारा संतोषजनक ढंग से खोजा जाना अथवा दृष्टिगत पहचान अवरूद्ध हो गई और एमवी पावित में बिजली आपूर्ति अथवा बैटरियों के न होने के कारण इस पोत में प्रचलित स्वचालित पहचान प्रणाली नहीं थी।

(घ) सरकार ने तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए निगरानी तंत्र में सुधार करना एवं पहले से अधिक गश्त लगाना शामिल है। द्वीपीय प्रदेशों सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य संस्थाओं के बीच नियमित रूप से संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्य-तंत्रों की पुनरीक्षा और निगरानी व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों सहित विभिन्न अभिकरण शामिल हैं। संयुक्त संक्रिया केंद्रों तथा बहु रेखा तथा द्वीपों को कवर करते हुए रेडार का लगाए जाना भी इस प्रक्रिया का एक अत्यावश्यक हिस्सा है। समुद्री तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी राष्ट्रीय समिति नामक एक शीर्षस्थ निकाय भी बनाया गया है जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव हैं।

मानदंडों का उल्लंघन

991. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री अब्दुल रहमान:
डॉ संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्रवार अवार्ड की गई राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सरकार-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत अवार्ड की गई परियोजनाओं के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या पीपीपी योजना के तहत कतिपय परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए विहित मानदंडों का प्रतिदिन 20 किमी निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत परियोजनाएं अवार्ड करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पीपीपी परियोजनाएं, सरकार द्वारा प्रकाशित आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित निविदा मानदंडों के अनुसार सौंपे जाते हैं। बीओटी (पथकर) परियोजनाओं के लिए कार्य, निविदा की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के पश्चात् निविदादाता द्वारा अपेक्षित न्यूनतम वित्तीय अनुदान के आधार पर सौंपे जाते हैं। निविदादाता, अनुदान की मांग करने की बजाय, रियायत सौंपे जाने के लिए राजस्व हिस्से और/अथवा एकमुश्त भुगतान के होंगे। बीओटी (वार्षिकी) परियोजनओं के लिए निविदाओं का मूल्यांकन, इक्विटी आईआरआर की स्वीकार्य सीमाओं के अंदर न्यूनतम उद्धृत वार्षिकी राशि के मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पीपीपी परियोजनाएं, आवश्यक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के बाद सौंपी जाती हैं।

विवरण

गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए देश में सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (31-10-2011) की स्थिति के अनुसार

क्र.सं	राज्य	रारा परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	85
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	119
4.	बिहार	177
5.	छत्तीसगढ़	40
6.	गोवा	25
7.	गुजरात	61
8.	हरियाणा	56
9.	हिमाचल प्रदेश	63
10.	जम्मू और कश्मीर	4
11.	झारखण्ड	74
12.	कर्नाटक	81
13.	केरल	72
14.	मध्य प्रदेश	129
15.	महाराष्ट्र	167
16.	मणिपुर	17
17.	मेघालय	16
18.	मिजोरम	16
19.	नागालैंड	10
20.	ओडिशा	121
21.	पंजाब	51
22.	राजस्थान	73
23.	तमिलनाडु	81
24.	उत्तर प्रदेश	159
25.	उत्तराखण्ड	144
26.	पश्चिम बंगाल	37
	संघ राज्य क्षेत्र	
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8
28.	चंडीगढ़	3
29.	दिल्ली	6

कपास का उत्पादन और निर्यात

992. श्री एल. राजगोपाल:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
डॉ. के.एस. राव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में कपास निर्यात के संबंध में भारत की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा देश को कपास निर्यात में अग्रणी बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में कपास निर्यात कोटे की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या कपास निर्यात और प्रस्तावित समीक्षा के संबंध में कपास सलाहकार बोर्ड के साथ कोई पूर्व सलाह-मश्विरा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात हेतु अनुमेय शुल्क-मुक्त कोटे की कुल मात्रा कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक

है। 02 अगस्त, 2011 से भारतीय कपास निर्यात को बिना किसी मात्रात्मक सीमा के ओजीएल के तहत रखा गया है। कपास सलाहकार बोर्ड ने 15 नवम्बर, 2011 को कपास तुलन-पत्र की समीक्षा की है और 80 लाख गांठों के कपास निर्यात का अनुमान लगाया है।

भारतीय नौवहन निगम

993. **श्री अब्दुल रहमान:**
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नौवहन निगम (एस सो आई) के स्वामित्व वाले पोतों की कुल संख्या कितनी है और अब कितने पोत खरीदे जाने का प्रस्ताव है तथा इससे इसकी क्षमता उपयोग में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) को लगातार घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एससीआई की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के अपने 82 जलयान हैं और अपनी आर्थिक आयु पूरी करने के पश्चात् उन्हें हटाए जाने के लिए मौजूदा जलयानों के प्रतिस्थापन के हिस्से के रूप में और एससीआई के बेड़े में विस्तार के लिए भी 25 जलयानों की खरीद के आदेश दिए है। 25 जलयानों की खरीद के आदेश तथा जलयानों को हटाए जाने से, एससीआई के कुल बेड़े की संख्या 5.81 मिलियन टन डीडब्ल्यूटी की क्षमता से युक्त 82 जलयानों से मौजूदा स्तर से बढ़कर, 7.12 मिलियन टन डीडब्ल्यूटी की क्षमता से युक्त 86 जलयान तक बढ़ जाने की आशा है। एससीआई के सभी जलयानों का इष्टतम उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) एससीआई ने विगत में कोई हानि नहीं दर्शाई है, यद्यपि अप्रैल, 2011 से सितंबर, 2011 की अवधि के दौरान, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, एससीआई को 140.63 करोड़ रूपए का घाटा हो गया है। नौवहन उद्योग इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और इस समय हर प्रकार के कार्गो में भाड़ा दरें कम हैं, जिससे एससीआई के 2011-12 का वित्तीय निष्पादन प्रभावित हुआ है। पिछले दो वर्षों का एससीआई का संक्षिप्त वित्तीय निष्पादन, निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपए में)

	2009-10	2010-11	अप्रैल-सितंबर, 2011
टर्न ओवर	3896.33	4019.77	2121.14
कुल आय	6337.00	7168.13	7018.92
कर के बाद निवल लाभ	376.91	567.35	(-)140.63
नकद शेष	2676.46	2466.74	1914.99

(घ) नौवहन बाजार में आई मौजूदा मंदी के कारण, एससीआई ने अपने जलयान खरीद कार्यक्रम को धीमा कर दिया है। पोत परिवहन मंत्रालय, वित्तीय निष्पादन सहित एससीआई के समग्र निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है और एससीआई को मौजूदा वित्तीय निष्पादन के मद्देनजर, वित्तीय मामलों में अधिक सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में जनशक्ति की कमी

994. **श्री कमल किशोर कमांडो:**
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में विभिन्न रैंकों में जनशक्ति की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सेवा-वार और रैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे सशस्त्र बलों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का सशस्त्र बलों में अधिकारियों और अन्य रैंकों के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो सेवा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का सीमा पर तैनात करने के लिए हजारों सैनिकों की भर्ती करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का सशस्त्र बलों में युवकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रवासी पक्षियों की रक्षा

995. श्री वरूण गांधी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रवासी पक्षियों की संख्या में भारी कमी आने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रवासी पक्षियों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिनमें पर्यावास की गुणवत्ता एवं अभिरूचि, उनके प्रवासीय मार्ग में मानवीय विघ्न, प्रदूषण, शिकार और अन्य जैव कारक आदि शामिल हैं तथापि, वेटलैन्ड्स इन्टरनेशनल द्वारा समन्वित नवीनतम 'एशियाई जल पक्षी गणना' के अनुसार, मध्य साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशियाई गणराज्यों, ईरान, अफगानिस्तान, खाड़ी के देशों और भारतीय उप-महाद्वीप सहित सम्पूर्ण आव्रजन मार्ग क्षेत्र में संकटापन्न प्रवासी पक्षियों की संख्या या तो कम हो रही है अथवा स्थिर है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों और उनके पर्यावास की संख्याओं की मानीटरिंग के लिए विभिन्न अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान (एसएसीओएन), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) आदि को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों और भारत में उनके पर्यावासों की स्थिति संबंधी महत्वपूर्ण अध्ययन हैं:

1. डब्ल्यूआईआई, बीएनएचएस और एसएसीओएन द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के प्रवासी पक्षियों की मॉनीटरिंग।
2. बीएनएचएस द्वारा प्वाइंट कैलीमेयर पर पक्षियों की प्रवासी प्रवृत्ति।
3. बीएनएचएस द्वारा पोंग डैम, हिमाचल प्रदेश के बीच बार हेडेड गीज और चुनिंदा बतखों और उनके प्रजनन स्थलों की सैटेलाइट ट्रैकिंग।
4. डब्ल्यूआईआई द्वारा भीतर कनिका वन्यजीव अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों पर एक अध्ययन।
5. डब्ल्यूआईआई द्वारा हिमालय पारीय पक्षियों पर एक अध्ययन।
6. उत्तर प्रदेश के पक्षियों की प्रवासी प्रवृत्तियां।
7. डब्ल्यूआईआई द्वारा प्रवासी सहित हिमालयी पक्षियों की स्थिति एवं वितरण का पैटर्न।
8. बीएनएचएस द्वारा हीरोनरीज ऑफ साउदर्न इन्डिया।

(ङ) प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(i) प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातियों को उच्चतम संरक्षण देते हुए उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची - I में शामिल किया गया है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।

(iii) पक्षियों तथा उनके पर्यावासों के बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

(iv) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(v) वन्यजीव तथा इसके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

कार्गो पोत का निरीक्षण

996. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सामान लाने वाले और देश से बाहर ले जाने वाले कार्गो पोत का निरीक्षण करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या कार्गो पोत के निरीक्षण के लिए कोई दिशा/निर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय नौवहन रजिस्ट्रार द्वारा उक्त दिशानिर्देशों/निदेशों के उल्लंघन के कितने मामले ध्यान में आए/पता लगाए गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) निरीक्षण विभिन्न वाणिज्यिक पोत परिवहन नियमों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के समझौतों के अनुसार किए जाते हैं। यह कार्य अब इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग तथा अन्य मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाईटियों को सौंप दिया गया है।

(ख) और (ग) निरीक्षण, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (यथासंशोधित) के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न वाणिज्यिक नियमों के अनुसार किए जाते हैं जैसे कि वाणिज्यिक पोत परिवहन कार्गो पोत निर्माण एवं सर्वेक्षण नियम, आदि।

(घ) सर्वेक्षणकर्ता द्वारा इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाईटीज़, प्रासीजरल रिक्वायरमैंट्स - 17 (आई ए सी एस पी आर-17) तभी तैयार किया जाता है जब भी उनके द्वारा शुरूआती, मध्यवर्ती, नवीकरण, कभीकभार किए जाने वाले सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण और सांविधिक सर्वेक्षण के दौरान संभावित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की असफलता से संबंधित कमियां देखी जाती हैं।

वर्ष 2009 से सूचित की गई कमियों की संख्या

2009	20
2010	19
2011 (24/11/2011 तक)	22

नौवहन महानिदेशालय द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर पोतों का अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली परीक्षण किया जाता है।

विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का विकास

997. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पी.के. बिजू:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
डॉ. संजय सिंह:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्रीमती जे. शांता:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर में कितने विशेष आर्थिक जोन चल रहे हैं/स्थापित किये जाएंगे और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां जारी/उपयोग की गईं और कितने क्षेत्रफल का अर्जन किया जाना है;

(ख) क्या लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनेक एसईजेड डेवलेपरों का समय बढ़ाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों और उद्योगपतियों सहित विभिन्न पक्षों पर एसईजेड नीति के प्रभाव और नति के समग्र लाभों का पता

लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इकाइयों को एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में ले जाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी नीति पर एक राय बनाने का प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) एसईजेड परियोजनाओं की स्थापना से छोटे कृषि और ग्रामीण उद्योगों को पहुंचे लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार एसईजेड में इकाइयों हेतु कड़े मानदण्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन से पूर्व गठित केन्द्र सरकार के सात विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेडों) और राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एसईजेडों के अतिरिक्त 582 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 382 एसईजेडों को अधिसूचित कर दिया गया है। कुल 148 एसईजेड पहले से निर्यात कर रहे हैं। एसईजेड अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित किए जा रहे एसईजेड मुख्यत: निजी निवेश प्रधान हैं। अधिसूचित एसईजेडों में शामिल कुल भू-क्षेत्र 45,849 हेक्टेयर है। भूमि राज्य से संबंधित विषय है और इसका प्रापण राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। यदि एसईजेडों हेतु अपेक्षित भूमि में से कुछ का अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसा संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ख) एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जिसके भीतर विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने होते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी/अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब आदि को समय-विस्तार के अनुरोध का आधार बनाते हुए विभिन्न विकासकर्ताओं से तीन वर्ष की आरंभिक अवधि के बाद वैधता अवधि को बढ़ाए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों और उद्धृत कारणों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर मूल अनुमोदन में यथा-परिकल्पित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन ऐसे मामलों में आरंभिक 3 वर्ष के बाद अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाए जाने की अनुमति दी है।

(ग) वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार नए कार्यकलापों के सृजन, खपत की प्रवृत्ति तथा सामाजिक जीवन में परिवर्तन, शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण आदि जैसी मानव विकास सुविधाओं के रूप में एसईजेडों का स्थानीय प्रभाव उल्लेखनीय रहा है।

(घ) सरकार को समय-समय पर औद्योगिक इकाइयों को एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में स्थानांतरित करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह मामला अनुमोदन बोर्ड के निर्देशार्थ प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे स्थानांतरण के संबंध में सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। तथापि औद्योगिक इकाइयों के स्थानांतरण संबंधी सभी प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए और मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) एसईजेडों में लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों और कृषकों से संबंधित एसईजेड इकाइयों की स्थापना की भी अनुमति है। एसईजेड इकाइयों हेतु सामान्य: अनुमत वित्तीय लाभ और शुल्क संबंधी रियायतें लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों और कृषकों द्वारा स्थापित इकाइयों के संबंध में भी स्वीकार्य है।

(च) एसईजेड इकाइयों के लिए उत्पादन की शुरूआत से 5 वर्ष की अवधि के लिए संचयी रूप से परिकलनीय सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय प्राप्त करना अनिवार्य है और ऐसा न करने की स्थिति में विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत उक्त इकाई के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान वायु क्षेत्र में सेना का हेलीकॉप्टर

998. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री के. सुधाकरण:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैसा कि हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई है क्या सेना का एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान वायुक्षेत्र में भटक गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर की पूर्ण रूप से जांच की और कथित रूप से उसमें स्टोर किए गए कुछ संवेदनशील आंकड़े हासिल कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर 23 अक्तूबर, 2011 को पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में भटक गया था। यह संभव है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इस हेलीकॉप्टर की जांच की हो। इस घटना की जांच कराई जा रही है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना को स्वीकृति

999. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना के निर्माण के दौरान अनुमोदित शर्तों का पालन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी निगरानी समिति अथवा मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने सरकार को कोई सिफारिशें सौंपी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं को जून, 1987 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। पर्यावरणीय मंजूरी की एक शर्त के अनुसार, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) को यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं का कार्य की प्रगति के अनुरूप पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय नियोजित एवं कार्यान्वित हों। तदनुसार, एनसीए के पर्यावरण उप-समूह द्वारा परियोजनाओं के सुरक्षा उपायों तथा अनुपालन का नियमित रूप से मॉनीटरन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों संबंधी योजनाओं के सर्वेक्षण/अध्ययन/आयोजना और कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु श्री देवेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

(ङ) और (च) ऊपर पैरा (ग) और (घ) में उल्लिखित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ एसएसपी अथवा आईएसपी पर आगे किसी रिजर्वायर फिलिंग की अनुमति का नहीं दिया जाना, राज्य सरकारों द्वारा शेष पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वियन हेतु समय अनुसूची सहित कार्य योजनाओं को तैयार किया जाना शामिल है। इस रिपोर्ट पर पर्यावरणीय उप-समूह की अप्रैल तथा मई, 2011 के दौरान आयोजित बैठकों में विचार किया गया था।

[अनुवाद]

कुशल कामगार

1000. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री सुशील कुमार सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कुशल कामगारों की कमी को दूर करने के लिए नए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुशल कामगारों की कुल कितनी आवश्यकता का आंकलन किया गया है;

(ग) व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम किस हद तक कुशल या तकनीकी व्यक्तियों को अपनी आजीविका प्राप्त करने में मदद कर रहा है;

(घ) कुशल कामगारों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लागू किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) जी हां, सरकार के पास देश में कुशल कामगारों की कमी को पूर्ण करने के लिए नए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की योजनाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने नए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु निम्न योजनाएं तैयार की हैं:-

(i) भारत के विभिन्न हिस्सों में कौशल विकास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईएज) तथा 5000 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसीएज)।

(ii) प्रशिक्षकों/अनुदेशकों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 15 उच्च प्रशिक्षण संस्थान (एटीआईज)।

(iii) आर्थिक कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पीपीपी के तहत 12 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआईज) ।

(iv) अवांछित गतिविधियों से युवाओं को दूर रखने के लिए "वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास" नामक योजना के तहत 34 आईटीआईएज तथा 68 एसडीसीएज।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुशल कामगारों की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन आरंभ नहीं किया है।

(ग) व्यक्तियों की उत्पादकता एवं रोजगार संभाव्यता बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं पुनः प्रशिक्षित किया जाता है जिससे उन्हें बेहतर रोजगार पाने एवं आजीविका कमाने में सहायता मिलती है। कुशल व्यक्तियों का सीधे ही व्यवसाय, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण भी किया जाता है ताकि उनकी गतिशीलता एवं बाजार में मांग को बढ़ाया जा सके।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से श्रम और रोजगार मंत्रालय हेतु 100 मिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसे निम्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाने की योजना है:-

(आंकड़े लाख में)

योजना	लक्ष्य	31/10/2011 के अनुसार सीट क्षमता
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	294	13.21
कौशल विकास केन्द्र	572	0
शिक्षुता प्रशिक्षण योजना	54	3.26
एमईएस के माध्यम से कौशल विकास पहल	110	12.61
डीजीईटी क्षेत्र संस्थान	5	0.28
कुल	1035	29.86

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 7953.58 करोड़ रू. की अनुमानित राशि की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

पथकर नीति

1001. **श्रीमती सुमित्रा महाजनः**
श्री सी. राजेन्द्रनः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पथकर नीति का ब्यौरा क्या है और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अत्यधिक पथकर संग्रहण/राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरा होने से पहले ही कतिपय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरा होने से पहले पथकर का किन नियमों के आधार पर संग्रहण किया जाता है;

(घ) क्या कतिपय राजमार्गों पर पथकर की दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो ऐसे राजमार्गों पर पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पथकर संग्रहण के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ङ) क्या पथकर नीति की समीक्षा किये जाने अथवा किफायती पथकर दरों और पथकर संग्रहण की उचित निगरानी के लिए अलग से एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर आना-जाना किफायती बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पथकर अदा करने से छूट प्रदत्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों और वाहनों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण संबंधी नीति, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के उपबंधों पर आधारित है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 209 शुल्क प्लाजा हैं।

(ख) और (ग) एआईएमटीसी से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। वर्तमान नीति के अनुसार छः लेन बनाने की परियोजनाओं जहां पर चार लेन सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, के मामले में राजमार्ग पूरा होने से पहले ही पथकर संग्रहण तुरंत शुरू कर दिया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुल्क दरों को संशोधित किया जाना होता है।

बीओटी और एसपीवी सहित सभी खंडों से कुल पथकर संग्रहण इस प्रकार हैं:

2009-10	4062.56 करोड़ रु.
2010-11	5448.86 करोड़ रु.
2011-12 (अक्तूबर, 2011 तक)	3625.47 करोड़ रु.

(ङ) और (च) विशिष्ट पथकर मुद्दों पर नीतिगत निर्णय, आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर लिये जाते हैं। वर्तमान में एक अलग विनियामक प्राधिकरण के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 11 के अनुसार छूट प्राप्त उच्च-पदाधिकारियों और वाहनों का विवरण संलग्न है।

विवरण

"11. फीस के संदाय से छूट—(1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी:

(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं:

(1) भारत के राष्ट्रपति;

(2) भारत के उप-राष्ट्रपति;

(3) भारत के प्रधानमंत्री;

(4) किसी राज्य के राज्यपाल;

(5) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति;

(6) लोक सभा अध्यक्ष;

(7) संघ के कैबिनेट मंत्री;

(8) किसी राज्य के मुख्य मंत्री;

(9) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति;

(10) संघ के राज्य मंत्री;

(11) संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल;

(12) चीफ ऑफ स्टाफ जिसका रैंक पूरे जनरल अथवा समकक्ष रैंक का हो;

(13) राज्य विधान परिषद के सभापति;

(14) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष;

(15) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;

(16) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;

(17) संसद सदस्य;

(18) सेना कमांडर/उप-सेना प्रमुख अथवा अन्य सेवाओं के समकक्ष अधिकारी;

(19) संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार के मुख्य सचिव;

(20) भारत सरकार के सचिव;

(21) सचिव, राज्य सभा;

(22) सचिव, लोक सभा;

(23) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(24) अपने-अपने संबंधित राज्यों में राज्य विधान सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद् के सदस्य, यदि वह संबंधित राज्य विधान मंडल द्वारा जारी किया गया अपना कार्ड प्रस्तुत करता/करती है;

(25) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे वीरता पुरस्कार पाने वालों से संबंधित यान, यदि ऐसा पुरस्कार विजेता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है:

(1) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे यान भी शामिल हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना पर भी लागू किये गये हैं, के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं;

(2) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्रबल;

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट;

(4) अग्नि शमन विभाग या संगठन और

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य सरकारी संगठन जो ऐसे यान का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है।

(ग) एंबुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन; और

(घ) शव वाहन के रूप में प्रयुक्त वाहन।

नदियों में प्रदूषण

1002. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
डॉ. संजय सिंह:
श्री लालचन्द कटारिया:
श्री सुशील कुमार सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषित हिस्सों को साफ करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदियों को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गंगा कार्ययोजना 1 और 2 के तहत बड़ी धन राशि व्यय करने के बावजूद भी गंगा नदी में जल की गुणवत्ता में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अभी भी बड़े पैमाने पर आशोधित मलजल, खुले नाले तथा औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में बह रहे हैं और सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी इष्टतम क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो गंगा नदी में 10 अथवा 20 वर्ष पूर्व के स्तर का जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ज) तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण पिछले कई वर्षों में प्रमुख नदियों का प्रदूषण का भार बढ़ा है। सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, बिजली आदि के लिए जल के दोहन से यह चुनौती और भी जटिल हो जाती है। नदियों के किनारे बसे शहरों से बहाया गया अनुपचारित अपशिष्टजल नदियों में प्रदूषण भार का मुख्य स्रोत है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के श्रेणी 1 के शहरों और श्रेणी 2 के कस्बों

से लगभग 38254 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) अनुमानित सीवेज उत्पन्न होने की तुलना में, 11787 एमएलडी के लिए उपचार क्षमता उपलब्ध है। इस अंतराल को समाप्त करने के लिए 26467 एमएलडी की अतिरिक्त सीवेज उपचार क्षमता सृजित की जानी आवश्यक है।

नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है और केन्द्र सरकार, केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के नदी संरक्षण प्रयासों को पूरा कर रही है। अन्य केन्द्रीय स्कीमों के साथ-साथ राज्य क्षेत्र की स्कीमों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत सीवेज प्रबंधन तथा निपटान हेतु अवसंरचना का सृजन किया जा रहा है।

नदी संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जीएपी) के साथ की गई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), जिसमें इस समय 20 से भी अधिक राज्यों में फैले 190 शहरों में 39 नदियां शामिल हैं,के अंतर्गत अन्य प्रमुख नदियों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था। आरंभ की गई प्रदूषण उपशमन स्कीमों में सीवेज का अवरोधन, विपथन और उपचार; नदियों के किनारों पर अल्प लागत स्वच्छता कार्य: विद्युत उन्नत काष्ठ शवदाह गृह आदि शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 4434.49 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है और 4418 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की जा चुकी है।

गंगा नदी में विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु 1045 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है और 1091 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। अब तक पूर्ण किये गये प्रदूषण उपशमन कार्यों के साथ, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि और गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद प्रमुख मॉनीटरिंग स्थलों पर गंगा कार्य योजना से पूर्व की जलगुणवत्ता की तुलना में बीओडी (जैव-रासायनिक मांग) की दृष्टि से जल गुणवत्ता में सुधार पाया गया है। तथापि, फीकल कॉलीफॉर्म की दृष्टि से जीवाणु जनित संदूषण के स्तर अनेक स्थलों पर अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक पाये गये हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों जैसे सीवेज उपचार संयंत्रों के प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की होती है। सरकार ने कार्यान्वयन एवं निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपचारी उपाय किये हैं, जिनमें परियोजनाओं की मंजूरी से पहले राज्य सरकारों द्वारा एक विस्तृत प्रचालन एवं रखरखाव योजना प्रस्तुत करने, राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों आदि के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता शामिल है।

नदी बेसिन को योजना की एक इकाई के रूप में लेने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक अधिकार प्राप्त आयोजना, वित्त पोषण, मानीटरिंग और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में 20.2.2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के एक संघ को जुलाई, 2010 में एक व्यापक गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना की तैयारी का कार्य सौंपा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रवाहों का मूल्यांकन शामिल है।

वन्य जीवों की रक्षा के लिए निधियां

1003. श्री विजय बहादुर सिंहः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के वन्य क्षेत्रों में कितने वन्य जीव मारे गये हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान वन्य जीवों की रक्षा के लिए निधियां उपलब्ध कराईं है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तथा वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वन क्षेत्रों में मारे गए वन्यजीवों के विवरणों का संकलन केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, वन्यजीवों के मारे जाने संबंधी सामान्य कारणों में आखेट/अवैध शिकार, जहर दिया जाना, बिजली लगना और मानव-वन्यजीव टकराव आदि शामिल है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाये महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध जीव-जंतुओं को विधिक सुरक्षा दी गई है।

(2) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है तथा इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों

के मामले में सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध हेतु किया गया हो, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(3) संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावास सहित वन्यजीव को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश भर में महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए वन्य जीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों को सृजित किया गया है।

(4) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(5) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव के अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।

(6) राज्य सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर और उनके आस-पास क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और गश्त में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(7) वन्यजीव और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को स्थापित किया गया है।

(8) प्रभावी संचार तंत्र के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम—वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास के अन्तर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (17.11.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	82.86	73.48	85.91	87.872	107.86
2.	आंध्र प्रदेश	168.0553	92.378	102.02	64.341	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	125.05	193.31	193.14	213.197	00
4.	असम	81.775	161.095	114.79	186.63	0
5.	बिहार	4.00	37.558	42.29	19.889	00
6.	छत्तीसगढ़	379.197	323.235	851.15	281.966	190.64
7.	चंडीगढ़	0.00	00	00	12.29	19.98

1	2	3	4	5	6	7
8.	दादरा और नगर हवेली	11.78	15.62	14.88	00	00
9.	गोवा	31.59	41.94	71.03	32.879	00
10.	गुजरात	332.084	318.52	426.10	1106.749	00
11.	हरियाणा	70.03	86.02	17.22	15.114	23.50
12.	हिमाचल प्रदेश	233.319	241.983	265.92	253.80	195.35
13.	जम्मू और कश्मीर	221.54	470.87	375.397	537.336	355.465
14.	झारखंड	98.128	99.753	80.267	63.64	46.7475
15.	कर्नाटक	630.643	625.1501	566.71	412.252	212.87
16.	केरल	493.574	864.96	432.48	366.786	223.18
17.	मध्य प्रदेश	800.915	613.34	541.98	635.366	382.47
18.	महाराष्ट्र	331.32564	390.22	273.679	343.32	281.281
19.	मणिपुर	105.8948	100.095	118.31	88.316	00
20.	मेघालय	64.88	58.007	59.75	58.03	00
21.	मिजोरम	169.46	289.09	186.85	707.763	83.80
22.	नागालैण्ड	19.11	28.415	34.115	33.595	00
23.	उड़ीसा	357.081	576.88	390.95	315.331	191.132
24.	पंजाब	0.00	40.29	36.26	25.12	00
25.	राजस्थान	347.24	414.58	496.746	348.068	186.782
26.	सिक्किम	159.22	187.73	240.93	183.78	131.793
27.	तमिलनाडु	274.64	727.91	518.67	334.449	150.71
28.	त्रिपुरा	36.00	0.00	13.00	2.84	00
29.	उत्तर प्रदेश	332.362	307.173	274.45	296.179	162.271
30.	उत्तराखंड	76.671	216.09	145.08	134.90	201.144
31.	पश्चिम बंगाल	356.215	345.78	381.318	276.385	112.15
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	00	00
33.	दमन और दीव	4.721	6.12	6.05	00	00
	कुल	6399.36074	7947.5921	7357.442	7438.183	3259.1255

विवरण II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "बाघ परियोजना" के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी 2007-08	जारी 2008-09	जारी 2009-10	जारी 2010-11	जारी 2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	73.9175	56.9830	138.2540	155.6450	00
2.	अरुणाचल प्रदेश	110.2542	246.1710	64.7100	226.70020	236.7857
3.	असम	95.6140	1092.3790	194.2900	1509.4720	947.5788
4.	बिहार	98.3205	49.6730	8.8560	158.3550	172.193
5.	छत्तीसगढ़	35.2250	169.8700	1383.5020	1813.7250	702.726
6.	झारखंड	45.1600	115.3770	117.1386	130.6160	156.3465
7.	कर्नाटक	1159.7149	689.8390	657.0620	1660.0500	885.7126
8.	केरल	153.2449	267.0900	311.4200	323.4600	345.08
9.	मध्य प्रदेश	2975.9411	6998.5420	2582.4762	3962.730	1484.7212
10.	महाराष्ट्र	295.7191	411.1250	373.5170	2789.0600	719.0165
11.	मिजोरम	82.9000	241.4500	2171.00	187.6900	225.288
12.	उड़ीसा	43.2800	625.9900	221.7400	815.2900	555.0761
13.	राजस्थान	410.6800	2708.9500	10694.1700	2368.925	00
14.	तमिलनाडु	45.0000	690.8060	258.3540	520.9450	545.266
15.	उत्तराखंड	202.0050	462.8500	246.2050	339.9450	319.389
16.	उत्तर प्रदेश	134.8900	417.5130	431.5170	407.4600	337.4975
17.	पश्चिम बंगाल	308.6741	228.3940	298.7850	502.4800	155.66
	कुल	6,270.5403	15,473.002	20,152.997	17,872.391	7788.3369

विवरण III

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथी परियोजना के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	60.00	45.00	17.85	15.00	00
अरुणाचल प्रदेश	54.50	65.00	60.00	10.00	55.00

1	2	3	4	5	6
असम	144.00	175.19	160.26	139.55	200.00
छत्तीसगढ़	83.77	60.43	111.22	75.00	00
हरियाणा	00	00	00	100.00	00
झारखंड	132.17	80.00	80.00	80.00	70.00
कर्नाटक	212.65	249.00	247.16	300.76	165.46
केरल	147.70	356.80	286.70	265.39	190.00
महाराष्ट्र	56.86	77.76	49.18	29.00	16.00
मेघालय	68.39	50.00	80.483	103.838	00
मिजोरम	1.33	00	00	00	00
नागालैण्ड	26.60	17.45	50.00	41.30	00
उड़ीसा	148.50	180.60	100.00	113.50	170.00
तमिलनाडु	124.978	269.163	358.58	226.879	170.00
त्रिपुरा	12.00	28.96	14.80	0	6.00
उत्तर प्रदेश	55.33	58.24	38.45	80.15	20.00
उत्तराखंड	126.46	209.45	221.55	206.82	86.34
पश्चिम बंगाल	185.725	176.096	207.06	410.406	80.00
कुल	1640.963	2099.139	990.44	2197.593	1228.80

अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों को सम्मिलित किया जाना

1004. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से मल्लाह, नोनिया, तत्वा, तांती पाल(गरेडिया) कुम्हार, तुर्हा आदि जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन जातियों के नृजाति विज्ञान के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति इन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र बनाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) बिहार सरकार ने बिहार के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में तांती (तत्वा) जाति को शामिल करने की अनुशंसा की है।

तथापि, उससे राज्य में अनुसूचित जातियों में मल्लाह, नोनिया,

तांतीपाल (गरेडिया) कुम्हार तथा तुर्हा जातियों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने बिहार के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में इसे शामिल करने की अनुशंसा के साथ तांती (तत्वा) जाति के नृजातीय ब्यौरे प्रस्तुत किये हैं।

(घ) अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार, इस मंत्रालय ने बिहार के संबध में अनुसूचित जातियों की सूची में तांती (तत्वा) जाति को शामिल करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार को प्रस्ताव भेजा है।

[अनुवाद]

रेशम उद्योग का संवर्धन

1005. **श्री राजू शेट्टी:**
श्री रमेन डेका:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात सहित देश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असम में मुगु कोकोन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 12वीं योजना के लिए रेशम उद्योग के संवर्धन के वास्ते निम्नलिखितानुसार कार्य योजना तैयार की है जिसमें महाराष्ट्र व गुजरात में रेशम उत्पादन का विकास शामिल है:-

- आर एंड डी, टीओटी, उद्यम विकास में गहन प्रयासों के माध्यम से 12वीं योजना के अंतिम वर्ष तक 32,000 एमटी (उत्तर द्विफसलीय रेशम का 3500 एमटी सहित) रेशम उत्पादन;
- गैर-शहतूती क्षेत्र में मौजूदा विकास गति के अग्रेषण को कायम रखने और उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए द्विफसलीय एवं बहुफसलीय रेशम की उत्पादन रणनीतियों माइक्रो लेबल शिफट;
- रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, उत्पादकता सुधार एवं निवेश सृजन के प्रति लक्षित सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए डिलीवरी तंत्र को पुनर्गठित एवं सुदृढ़ करना;
- रेशम उत्पादन के माध्यम से लाभकारी रोजगार के बेहतर अवसर सृजित करके ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर महिला एवं आदिवासियों का सम्मिलित विकास;
- उत्पादन में वृद्धि और द्विफसलीय रेशम के गुणवता मानको से समानता के लिए तीसरी जेनरेशन बहुफसलीय क्रास ब्रीड विकसित करना;
- दूसरे देशों से रेशम आयातों को कम करने के लिए 3 ए ग्रेड और उससे ऊपर की गुणवता रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना;
- अन्य भारतीय एवं विदेशी संस्थानों के सहयोग से भौगोलिय स्थिति के अनुसार द्विफसलीय ब्रीड तैयार करना;
- ऑन-फॉर्म विकास, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण उद्योग के लिए निजी निवेश बढ़ाना;
- बाजार उतार-चढ़ाव एवं नीतिगत बदलाव को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत मूल्य सहायता तंत्र शुरू करना;
- अन्य रेशम उत्पादन में और वृद्धि करना और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय् बाजारों में बेहतर कीमत प्राप्ति की संभावना तलाशना;
- नकली रेशम उत्पादों को समाप्त करने और प्राथमिक उत्पादों की उच्च मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेशम का जेनरिक संवर्धन;

12वीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के लिए निर्धारित किए गए रेशम उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार है :-

(रेशम का उत्पादन एमटी में)

रेशम किस्में	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
द्विफसलीय	110	120	130	140	166
बहुफसलीय	120	125	131	136	140
तसर	10	12	14	17	17
कुल	240	257	275	293	323

गुजरात में रेशम उद्योग से संबंधित प्रमुख क्रियाकलाप प्रसंस्करण क्षेत्र में है। सरकार ने विशिष्ट पश्च कोया योजनाओं के माध्यम से 12वीं योजना के दौरान इन प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता का प्रस्ताव किया है।

वर्तमान में, सीएसबी, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य के रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केंद्रीय रूप से प्रायोजित 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। 11वीं योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान सीडीपी के तहत कोया-पूर्व एवं कोया-पश्चात विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र को 1044.08 लाख रू. और गुजरात को 32.57 लाख रू. की सीडीपी सहायता प्रदान की गई।

11वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सीडीपी के तहत हुई प्रमुख वास्तविक उपलब्धियां अनुबंध-I में दी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केंद्रीय रेशम बोर्ड राज्य में रेशम उद्योग के विकास के लिए असम में निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

अनुसंधान एवं विकास: केंद्रीय मूगा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएमईआर एंड टीआई) मूगा रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए अपेक्षित आर एंड डी सहायता उपलब्ध कराने के लिए लाहदोईगढ़ में कार्य कर रहा है। यह संस्थान मूगा रेश कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) में और गुणन के लिए पी4 स्तर के उच्च गुणवत्ता मूगामूल डीएफएलएस तैयार कर रहा है। असम में बोको में के क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान स्टेशन भी कार्य कर रहा है।

अभी हाल ही में, सीएसबी ने मूगा रेशम उद्योग के पश्च कोया क्षेत्र को आर एंड डी सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय रेश्खम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है। गुणवत्ता मूगा यार्न के उत्पादन के लिए संशोधित रीलिंग-सह-ट्वस्टिंग मशीनों और स्पिनिंग व्हील्स को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

उत्प्रेरक विकास (सीडीपी) : सीएसबी, असम राज्य के रेशम उत्पादन विभाग के सहयोग से केंद्रीय प्रायोजित योजना नामत: 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम' (सीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत राज्य रेशम उत्पादन विभाग के माध्यम से रेशम के स्टेक हॉल्डरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सीडीपी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए अनुसंधान संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में तैयार की गई एक प्रभावी साधन है। सीडीपी के तहत संघटकों में परपोषी पादप का विकास एवं विस्तार, बीज उत्पादन के लिए सहायता, फार्म तथा पश्च कोया अवसंरचना का विकास, रेशम में रीलिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम, विस्तारण एवं प्रचार के लिए सहायता आदि शामिल है। सीडीपी के विभिन्न संघटक रेशम उत्पादन करने वाले मौजूदा एवं नए किसानों दोनों के लिए लाभकारी हैं। असम में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का फोकस असम में मूगा रेशम का विकास करना है। मूगा क्षेत्र सहित रेशम उद्योग के विकास के लिए 11वीं योजना के अंतिम चार वर्षों (2007-08 से 2010-11) के दौरान सीडीपी के तहत असम को उपलब्ध करायी गयी केंद्रीय सहायता इस प्रकार हैं:-

वर्ष	11वीं योजना के दौरान असम को जारी की गई सीडीपी राशि (लाख रू.)
2007-08	1464.86
2008-09	388.51
2009-10	1162.19
2010-11	2472.04
कुल	5487.60

पिछले चार वर्षों (2007-08 से 2010-11) के दौरान असम के विषय में 11वीं योजना के दौरान सीडीपी के तहत हुई प्रमुख वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

#	सीडीपी संघटक/योजना	उपलब्धि
1.	मूगा ग्रन्यूर्स (संख्या)	734
2.	मूगा बीज गुणन अवसंरचना (संख्या)	25
3.	मूगा खाद्य प्लाटेशन (एसी)	4596
4.	वन्य स्पिनिंग मशीन (संख्या)	2298
5.	वण्य रीलिंग-कम-ट्विस्टिंग मशीनें	727
6.	प्रमाणित हथकरघें (संख्या)	485
7.	करघें उन्नयन (संख्या)	307
8.	कंप्यूटर सहायित वस्त्र डिजाइनिंग इकाइयां (संख्या)	8
9.	साझा सुविधा केन्द्र (संख्या)	5
10.	लाभकारी सशक्तिकरण कार्यक्रम (संख्या)	4154

बीज सहायता : केंद्रीय रेशम बोर्ड ने गुणवत्ता रेशम कीट बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुवाहाटी में एक मूगा रेशम कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) स्थापित किया था। 2007-08 से 2010-11 वर्षों के लिए मूगा मूल बीज स्टेशनों का निष्पादन इस प्रकार हैं:-

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
मूगा बीजों का उत्पादन (डीएफएलएस लाख में)	1.36	1.14	1.48	2.74

मूगा कच्ची सामग्री बैंक, शिवसागर के माध्यम से बाजार सहायता:

वास्तविक मूगा कोया उत्पादकों को आर्थिक और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से धाकुखाना, सुआलकुची (असम) में दो उप डिपो के साथ असम में शिवसागर में एक मूगा कच्ची सामग्री बैंक कार्य कर रहा है। 11वीं योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान एमआरएमबी द्वारा मूगा कोया की गई खरीद एवं बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(यूनिट : मात्रा लाखों में और मूल्य लाख रू. में)

पिछले चार वर्षों के दौरान एमआरएमबी द्वारा की गई लेनदेन		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कोया खरीद	मात्रा	8.20	4.79	4.02	4.92
	मूल्य	3.90	3.39	3.02	3.80
कोया की बिक्री मात्रा		7.36	4.79	4.02	4.92
	मूल्य	4.21	4.23	3.29	4.23

समूह विकास कार्यक्रम : केंद्रीय रेशम बोर्ड 11वीं योजना के दौरान असम सहित संपूर्ण देश में राज्य रेशम उत्पादन विभाग के निकट सहयोग से समूह मोड पहल पर रेशम उत्पादन के विकास को संविर्धित कर रहा है। इस समूह संवर्धन कार्यक्रम के तहत सीएसबी ने असम में मूगा विकास के लिए दो मॉडल रेशम उत्पादन समूहों गोलाघाट और लखीमपुर प्रत्येक में एक, की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध करायी है। सीएसबी ने मूगा के लिए 11वीं योजना के दौरान असम को केंद्रीय अंशदान के रूप में 2.02 करोड़ की राशि जारी/स्वीकृत की है।

अनुबंध-I

महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में 11वीं योजना के दौरान सीडीपी के तहत हुई प्रमुख वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं

#	सीडीपी के संघटक	महाराष्ट्र
1.	शहतूत के लिए सिंचाई (हे.)	567
2.	शहतूत रियरिंग गृह (संख्या)	1682
3.	चॉकी रियरिंग केंद्र (संख्या)	10
4.	किसानों को रियरिंग उपस्करों की आपूर्ति	850
5.	निजी तसर उत्पादकों को सहायता (संख्या.)	38
6.	तसर बीज गुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (पीपीसी की सं.)	6
7.	तसर पौधे रखरखाव (हे.)	160
8.	तसर बीज रियरर (संख्या)	450
9.	मल्टीएंड रेशम रीलिंग मशीन (संख्या)	6
10.	कुटीर बेसन रीलिंग इकाईयां (संख्या)	2
11.	हॉट एयर ड्राइंग चैम्बर (संख्या)	6
12.	वन्य रीलिंग/स्पिनिंग उपकरण (संख्या)	280
13.	शटल रहित करघों की स्थापना के लिए सहायता (संख्या)	3
		गुजरात
1.	शुरूआती औजारों के साथ कास्टर/तपिओका उत्पादकों के लिए सहायता (संख्या.)	110
2.	एरी रियरिंग गृहों का निर्माण	110
3.	हॉट एयर ड्राइंग चैम्बर (संख्या)	1
4.	वण्य क्षेत्र की सहायता के लिए कोया बैंकों/बाजार की स्थापना (संख्या.)	1
5.	वन्य रीलिंग/स्पिनिंग उपकरण (संख्या)	22
6.	जैक्कार्ड के माध्यम से करघों को उन्नयन (संख्या.)	20
7.	लाभकारी सशक्तिकरण कार्यक्रम (संख्या)	183

वस्त्र और कपड़ों का निर्यात

1006. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री हमदुल्ला सईद:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वैश्विक मंदी के कारण परिधान सहित वस्त्र और कपड़ों के उत्पादन और निर्यात पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है और कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये;

(ग) क्या अध्याय 61 और 62 के तहत संयुक्त राज्य अमरीका सहित विभिन्न देशों को निर्यात हेतु 'फोकस प्रोडक्ट स्कीम' (एफपीएस) बाजार से जुड़ी 'फोकस प्रोडक्ट स्कीम' (एमएलएफपीएस) के तहत तैयार परिधान ओर अन्य वस्त्र उत्पादों को कवर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान उपरोक्त स्कीम के तहत इनका कितने मूल्य का निर्यात किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में सूती स्पन यार्न, कपड़े और अन्य वस्त्र एवं क्लोदिंग मदों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2007-08 से 2009-10 की अवधि में कपास का उत्पादन 258 लाख गांठों से बढ़कर 295 लाख गांठ, स्पन यार्न 2896 मिलियन कि.ग्रा. से बढ़कर 3079 मिलियन कि.ग्रा. और कपड़ा 1781 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर 2016 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। 2008-09 से 2010 से11 तक की अवधि में वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा 70.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है। 2008-09 और 2010-11 के लिए 52.04 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य है। वैश्विक मंदी के कारण 2009-10 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जुलाई 2011) में वस्त्र निर्यातों से अर्जित की गई विदेश मुद्रा 32.35 बिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 10.32 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

(ग) और (घ) अमरीकी और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) बाजार संपर्क फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) के तहत अध्याय 61 एवं 62 की मदों को शामिल किया गया है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुसार 01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अमरीका और यूरोपीय संघ को किए गए वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात मूल्य पर एफओबी का 2% लाभ उपलब्ध है।

(ङ) सरकार ने टी एंड सी क्षेत्र निर्यातों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए विदेश व्यापार नीति 2009-14 में अनेक प्रावधान किए हैं और अगस्त 2010 में इनमें और वृद्धि की गई है। इनमें परिधान उद्योग के लिए फोकस बाजारों एवं फोकस उत्पादों के निर्यातों की पहलों में शुल्क हकदारी पासबुक योजना को बढ़ाना, प्री-शिपमेंट ऋण पर ब्याज अनुदान, ट्रिमिंग का शुल्क मुक्त आयात और हस्तशिल्प उद्योग द्वारा अपेक्षित औजारों का शुल्क मुक्त आयात आदि शामिल है। यह मौजूदा बाजारों और नए उभरते बाजारों में क्षमता निर्धारित करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना और बाजार पहुंच पहल योजना के तहत निर्यातकों को उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है।

[हिन्दी]

वन संसाधनों की रक्षा

1007. श्री गोपाल सिंह शेखावत:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **पर्यावरणीय और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश, विशेषकर राजस्थान में अत्यंत मूल्यवान तथा सुमेध वन संसाधनों की रक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) राजस्थान राज्य सहित देश में वन संसाधन और वन्यजीव वास-स्थल, मुख्यत: संबधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मुख्यतया संचालित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार वन संसाधनों और वन्यजीव वास-स्थलों के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामश: 'वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण', राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, 'वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास', बाघ परियोजना और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा हेतु निम्नवत महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं:

1. वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल करके उन्हें उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों में चम्बल और गिरवा नदियों में अपने प्राकृतिक वास-स्थल में संवेदनशील रूप से संकटापन्न घड़ियाल की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय त्रि-राज्य-चम्बल अभयारण्य प्रबंधन और समन्वय समिति (एनटीआरआईएस-सीएएसएमएसीसी) गठित की है।

3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित करके उसे वन्जीव संबंधी अपराधों के विरुद्ध और अधिक सख्त बनाया गया है।

4. वन्यजीव और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

5. वन्यजीव और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

6. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वन्यजीव समृद्ध क्षेत्रों में और उसके आस-पास फील्ड फार्मेशन को सुदृढ़ बनाने और गहन रूप से गश्त लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तराखण्ड में रामनगर और टेहरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग

1008. श्री ओम प्रकाश यादवः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखण्ड में रामनगर और टिहरी के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) उत्तराखंड में अवस्थित रामनगर और टिहरी, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 121, 119, 58 और 94 से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात अनुकूल स्थिति में बनाए रखने के लिए निधि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और यातायात के आधार पर कार्य शुरू किए जाते हैं।

हाथियों से गांवों की रक्षा

1009. श्री पी. विश्वनाथनः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा के निकट कितने हाथी मारे गए;

(ख) क्या सरकार को नेपाल सरकार के सहयोग से भारत-नेपाल सीमा के निकट हाथियों के लिए पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इन जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हाथियों से फसल, भूमि और गांवों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा के निकट मारे गए हाथियों की संख्या का संकलन पर्यावरण और वन मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय, हाथियों से फसल, भूमि और गांवों को बचाने के लिए लूटमार विरोधी दस्तों की तैनाती, वास्तविक अवरोधकों का सृजन, वास-स्थलों का सुधार आदि जैसे निवारक उपायों को करने के लिए 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

सरकारी-निजी भागीदारी के अन्तर्गत पत्तनों का विकास

1010. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मंगलौर पत्तन सहित देश के विभिन्न पत्तनों पर अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) प्रमुख पत्तन विकास परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पहले से की कार्यान्वित/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पीपीपी पद्धति के अन्तर्गत विकास हेतु चिन्हित 23 परियोजनाओं में से अब तक केवल एक परियोजना ही सौंपी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी, हां।

(ख) 31.10.2011 को मौजूद स्थिति के अनुसार मंगलूर पत्तन सहित राष्ट्रीय समुद्री विकास परियोजनाओं की पत्तन-वार वस्तुस्थिति विवरण-I पर दी गई है।

(ग) सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जा चुकी/की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पत्तन परियोजनाओं का कार्य सौंपे जाने में होने वाला विलंब आमतौर पर विभिन्न कारणों से होता है जैसे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलंब, निविदा रद्द कर दिया जाना, सुरक्षा ऐजेंसियों द्वारा बोलीदाताओं से संबंधित सुरक्षा अनापत्ति प्रदान करने में विलंब, अग्रिम प्रशुल्क निर्धारण में विलंब, कानूनी कार्रवाई आदि।

विवरण-I

31-10-2011 को मौजूद स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय समुद्री विकास परियोजनाओं की पत्तन वार स्थिति

(करोड़ रू. में)

पत्तन	एनएमडी पी के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या	मूल अनुमानित लागत (करोड़ रू में)	अनुमानित लागत (करोड़ रू. में)	क्षमता आवर्द्धन (मीट्रिक टन में)	परियोजना कार्य पूरा कर लिया गया	कार्य चल रहा है अभी सौंपा जाना है	अनुमोदित परन्तु कार्य परन्तु अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन	अंतिम रूप दे दिया गया चरण में	प्राथमिक आयोजना	रद्द कर दी गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11
कोलकाता	25	5302.20	5855.75	0.70	64.11 (4)	120.00 (2)	- (-)	0.00 (-)	5671.64 (19)	- (-)
हल्दिया	15	1193.25	1537.13	20.50	185.86 (5)	330.00 (2)	24.70 (1)	146.57 (2)	850.00 (5)	- (-)
पाराद्वीप	28	2402.83	3159.50	15.00	571.87 (10)	1581.63 (9)	288.00 (2)	0.00 (-)	418.00 (2)	300.00 (5)
विशाखापट्टनम	38	2621.00	407332	65.11	175.93 (4)	1566.82 (13)	1101.97 (5)	473.60 (4)	523.00 (8)	232.00 (4)
इन्नौर	14	6466.00	8652.07	67.00	1169.13 (4)	1932.62 (4)	0.00 (-)	1150.32 (3)	4400.00 (3)	- (-)
चेन्नई	14	2247.14	2244.14	0.58	492.00 (1)	943.00 (4)	48.00 (1)	- (-)	300.00 (1)	461.14 (7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तूतीकोरिन	24	4571.25	4659.25	61.85	129.25	638.00	207.00	0.00	3685.00	
					(5)	(6)	(4)	(-)	(9)	(-)
कोचीन	14	7920.00	9524.83	24.00	767.58	7352.25	-	195.00	815.00	395.00
					(2)	(6)	(-)	(1)	(3)	(2)
नव मंगलूर	20	7148.00	5976.90	18.9.	415.40	410.68	275.82	432.00	50.00	4393.00
					(5)	(3)	(1)	(4)	(1)	(6)
मुरगांव	12	808.00	2181.20	36.00	189.20	112.00	721.00	839.00	135.00	185.00
					(3)	(3)	(1)	(2)	(2)	(1)
मुंबई	14	2766.06	3135.55	37.66	183.03	1843.52	469.00		490.00	150.00
					(4)	(3)	(2)	(-)	(4)	(1)
जे. एन. पी. टी.	32	7278.00	8778.30	65.20	1746.30	640.00	0.00	5645.00	747.00	(-)
					(10)	(8)	(-)	(6)	(8)	(-)
कांडला	26	5081.00	5014.84	60.70	1511.95	1100.20	1058.16	621.53	570.00	153.00
					(12)	(6)	(1)	(1)	(3)	(3)
जोड़	276	55803.73	64792.78	473.21	7631.61	18570.72	4193.65	9503.02	18654.64	6269.14
					(69)	(69)	(18)	(23)	(68)	(29)

नोट: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या है।

विवरण-II

कार्यान्वित कर दी गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पत्तन	अनुमानित लागत (करोड़ रू. में)	क्षमता (एम अी पी ए)
1	2	3	4	5
1.	कंटेनर टर्मिनल, एन एस आई सी टी	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	750.00	13.2
2.	बी पी सी एल जेटी	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	200	5.5
3.	तीसरा कंटेनर टर्मिनल	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	900	15.6
4.	बल्क कार्गो घाट सं. 5ए और 6ए	मुरगांव पत्तन न्यास	250	5.0
5.	पांचवीं में तेल जेटी से संबंधित सुविधाएं (इफफको)	कांडला पत्तन न्यास	21.50	2.0

1	2	3	4	5
6.	वाडिनार में तेल जेटी से संबंधित सुविधाएं (एस्सार)	कांडला पत्तन न्यास	750.00	12.0
7.	मैसर्स आई सो सी एल को दी गई तेल जेटी	कांडला पत्तन न्यास	20.70	2.0
8.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	कांडला पत्तन न्यास	41.07	3.0
9.	कंटेनर टर्मिनल (फेज I और II)	कांडला पत्तन न्यास	446.54	7.2
10.	कंटेनर टर्मिनल (घाट सं. 7)	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	100.00	5.0
11.	कंटेनर टर्मिनल, बाहरी बंदरगाह	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास	108	1.6
12.	बहुउद्देशीय घाट - ई क्यू-8 और ई क्यू-9	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास	196.00	6.0
13.	कैप्टिव उर्वरक घाट	पारादीप पत्तन न्यास	26.17	4.0
14.	पारादीप पत्तन में कार्गो संभलाई परियोजना-1 का यांत्रिकीकरण	पारादीप पत्तन न्यास	37.32	2.0
15.	पारादीप पत्तन में कार्गो संभलाई परियोजना-2 का यांत्रिकीकरण	पारादीप पत्तन न्यास	25.13	2.0
16.	केन्द्रीय क्वे-III घाट का यांत्रिकीकरण	पारादीप पत्तन न्यास	40.00	2.0
17.	एस पीएम कैप्टिव घाट का निर्माण	पारादीप पत्तन न्यास	500	10.0
18.	पी पी एल को कैप्टिव उर्वरक घाट	पारादीप पत्तन न्यास	20	4.0
19.	चेन्नई में कंटनेर टर्मिनल	चेन्नई पत्तन न्यास	10 करोड़ रू के अग्रिम शुल्क पर निजी प्रचालक को मौजूदा टर्मिनल सौंप दिया गया	6.0
20.	दूसरे कंटनेर टर्मिनल का विकास	चेन्नई पत्तन न्यास	495.00	9.6
21.	बहुउद्देशीय घाट सं. 4ए	कोलकाता पत्तन न्यास (एच डी सी)	150.0	3.0
22.	बहुउद्देशीय घाट सं. 12	कोलकाता पत्तन न्यास	30.07	0.45
23.	एच डी सी घाट सं. 2 का यांत्रिकीकरण	कोलकाता पत्तन न्यास	75	4.0
24.	एच डी सी घाट सं. 8 का यांत्रिकीकरण	कोलकाता पत्तन न्यास	75	4.0
25.	इन्नौर में सुमद्री तरल टर्मिनल	इन्नौर पत्तन लि.	249.43	3.0

1	2	3	4	5
26.	इन्नौर में बी ओ टी आधार पर एक लौह अयस्क टर्मिनल का विकास	इन्नौर पत्तन लि.	480	12.0 (फ़ेज-I-360) (फ़ेज-I-120)
27.	इन्नौर में बी ओ टी आधार पर एक लौह अलावा प्रयोक्ताओं के लिए कोयला टर्मिनल का विकास	इन्नौर पत्तन लि.	399.13	8.0
28.	कोचीन वल्लारपदम में आई सी टी टी	कोचीन पत्तन न्यास	2118 (पहला फ़ेज 1262)	36.0
29.	कच्चे तेल की संभलाई की सुविधा	कोचीन पत्तन न्यास	703.34	13.50
30.	मैसर्स एन पी सी एल द्वारा कोयले की हेतु कैप्टिव जेटी का निर्माण	नवमंगलूर पत्तन न्यास	230.00	3.0

कार्यान्वयनाधीन/निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	पत्तन	अनुमानित लागत (करोड़ रू. में)	Capacity (MTPA)
1	2	3	4	5
1.	इन्नौर में कंटेनर टर्मिनल का विकास	इन्नौर पत्तन	1407	15
2.	कोचीन में एल एन जी पुन: गैसीयकरण टर्मिनल	कोचीन पत्तन	3500	2.5
3.	मुंबई पत्तन में मुंबई बंदरगाह पर बी ओ टी आधार पर अपतटीय कंटेनर घाटों का निर्माण और टर्मिनल का विकास	मुंबई पत्तन	1460.52	9.6
4.	एन एल सी के लिए एन बी डब्ल्यू पर कोयला घाट का निर्माण - तूतीकोरिन पर टी एन ई बी	वी ओ सी पत्तन, तूतीकोरिन	49.50 (Captive)	6.3
5.	तूतीकोरिन में उत्तरी कार्गो घाट-II का निर्माण	वी ओ सी पत्तन, तूतीकोरिन	332.16	5
6.	पारादीप में गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क घाट का निर्माण	पारादीप पत्तन	591.35	10
7.	पारादीप में गहरे डुबाव वाले कोयला घाट का निर्माण	पारादीप पत्तन	479.01	10
8.	कंटेनरों सहित स्वच्छ कार्गो की संभलाई टर्मिनल का विकास	पारादीप पत्तन	387.31	5
9.	नव मंगलूर में घाट संख्या 14 पर यांत्रिकृत लौह अयस्क संभलाई सुविधाओं की स्थापना	नवमंगलूर पत्तन	296.03	6.62

1	2	3	4	5
10.	मुरगांव में घाट सं. 7 पर कोयला संभलाई टर्मिनल का विकास	मुरगांव पत्तन	252	7
11.	कांडला में तरल के अतिरिक्त 13वें घाट और कंटेनर कार्गो घाट का विकास	कांडला पत्तन	188	2
12.	कांडला में 15वें बहुउद्देशीय कार्गो घाट का विकास	कांडला पत्तन	188.87	2
13.	कांडला में 16वें बहुउद्देशीय कार्गो घाट का विकास	कांडला पत्तन	188.87	2
14.	पुराने कांडला (इफफको) में कैप्टिव बार्ज जेटी की स्थापना	कांडला पत्तन	27.00	1.5
15.	वाइजैग में शुष्क बल्क कार्गो की संभलाई के लिए वी पी टी के अंदरूनी बंदरगाह की उत्तरी शाखा में पश्चिम क्वे (डब्ल्यू क्यू-6) का विकास	विशाखापट्टनम पत्तन	114.50	2
16.	वाइजैग में तरल कार्गो की संभलाई के लिए अंदरूनी बंदरगाह में ई-क्यू 10 का विकास	विशाखापट्टनम पत्तन	55.38	1.85
17.	वाइजैग में बाहरी बंदरगाह में सामान्य सह कार्गो घाट पर कोयला संभलाई की यांत्रिकृत सुविधाएं	विशाखापट्टनम पत्तन	444.10	10.18
18.	विशाखापट्टणम पत्तन में स्टीम कोयले की संभलाई हेतु अंदरूनी बंदरगाह में ईक्विटी ई क्यू-1 और आंशिक रूप से ई क्यू-2 के प्रतिस्थापन से ई क्यू 1 का विकास	विशाखापट्टनम पत्तन	323.18	5.95
19.	विशाखापट्टणम पत्तन के अंदरूनी बंदरगाह में थर्मल कोयले और स्टीम कोयले की संभलाई हेतु ई क्यू-1 की दक्षिण दिशा में ई क्यू-1ए का विकास	विशाखापट्टनम पत्तन	313.39	6.7

[हिन्दी]

नि:शक्त के लिए शब्द

1011. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नि:शक्त व्यक्तियों को अन्यथाशक्त व्यक्ति के नाम से संबोधित करने के लिए डिसेबल्ड शब्द को बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार नि:शक्तजन शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है।

(ख) इस समय, इस संबंध में, कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

'पोलवरम' परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति

1012. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय 'पोलवरम' सिंचाई परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आश्वासन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत बहुउद्देशीय 'पोलवरम' सिंचाई परियोजना को दिनांक 25-10-2005 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) सिंचाई और सीएडी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार को उपरोक्त उल्लिखित पर्यावरण स्वीकृति में अनुबद्ध शर्तों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

1013. श्री प्रेमदास: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में लगे हुए भारतीय ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी है और कितने ठेकेदारों को सड़क निर्माण में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता प्राप्त है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने ठेकेदार दोषी पाए गए हैं और ऐसे चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) 24 भारतीय ठेकेदार/रियायतग्राही, अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों के साथ संयुक्त उद्यम में कंसोर्शियम अथवा भागीदार के रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निर्माण कार्य में लगे हैं।

(ख) निरंतर कार्य निष्पादन न करने वाले ठेकेदारों/रियायतग्राहियों को गैर-निष्पादकों की सूची में रखा जाता है। ऐसे ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के कुछ ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। गैर-निष्पादकों की सूची में रखे गए ठेकेदारों/रियायतग्राहियों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यों के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

वर्ष	ठेकेदार का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
2008-09	मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. (पीसीएल) और मैसर्स एम वैंकट राव (एमवीआर) (सं. 3)	राष्ट्रीय राजमार्ग: 28 के पैकेज डब्ल्यूबी-9 के लिए मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. (पीसीएल) और मैसर्स एम. वैंकट राव (एमवीआर) को दिनांक 2.12.2008 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। उनके कार्य निष्पादन में सुधार के पश्चात् ठेका दिनांक 18.4.2011 को बहाल कर दिया गया।
	मैसर्स एम. वैंकट राव(एमवीआर) और मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. (पीसीएल) (सं. 3)	राष्ट्रीय राजमार्ग: 28 के पैकेज डब्ल्यूबी-10 के लिए मैसर्स एम. वैंकट राव (एमवीआर) और मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. (पीसीएल) को दिनांक 2.12.2008 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। उनके कार्य निष्पादन में सुधार के पश्चात् ठेका दिनांक 18.4.2011 को बहाल कर दिया गया।

1	2	3
	मैसर्स मधुकोन	रारा-28 के पैकेज डब्ल्यूबी-11 के लिए मैसर्स मधुकोन को दिनांक 2.12.2008 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आगे की परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसे दिनांक 28.10.2009 को वापस ले लियागया। ठेका पैकेज डब्ल्यूबी-11 में मैसर्स मधुकोन पर 1.2 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया गया। रारा-57 पर ठेका पैकेज बीआर-7 में मैसर्स मधुकोन पर 45 लाख रु. का जुर्माना लगाया गया।
2009-10	मैसर्स इरकॉन	मैसर्स इरकॉन को 1.2.2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया।
	मैसर्स मेकॉन-जीईए (सं.उ.)	8.3.2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। कोचीन पत्तन सम्पर्क से संबंधित कार्य में 12.68 करोड़ रु. की बैंक गारंटी राशि भुना ली गई। तूतीकोरिन पत्तन संपर्क से संबंधित कार्य में 26.66 करोड़ रु. की बैंक गारंटी राशि भुना ली गई।
	मैसर्स सीडब्ल्यूएचईसी-एचसीआईएल (सं.उ.)	8.3.2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। 46.47 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माने की वसूली बैंक गारंटी राशि से की गई।
2010-11		शून्य
2011-12	मैसर्स एम.बी. पटेल कंस्ट्रक्शन लि.	शेष कार्य के लिए ठेका दिनांक 24.10.2011 को समाप्त किया गया। तथापि, ठेकेदार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है।

[अनुवाद]

इस्पात विकास निधि

1014. श्री अधीर चौधरी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) अपने लक्ष्य, जिसके लिए इसे गठित किया गया था, प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एसडीएफ से प्राप्त निधियों के उपयोग से लाभान्वित/आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार/विकसित की गई इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एसडीएफ के निष्पादन का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नकद-दर-नकद आधार पर धनराशि का उपयोग निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

निम्नलिखित पर	2008-09	2009-10	2010-11
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	7.27	11.22	20.60
लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) की रिबेट का भुगतान	15.50	12.55	14.81
प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र	2.16	-	-
संयुक्त संयंत्र समिति का आर्थिक अनुसंधान यूनिट	3.24	4.47	4.67
प्रधानमंत्री ट्रॉफी (नकद पुरस्कार)	-	7.00	-
अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सेमिनार	-	0.03	-

(ग) हाल के वर्षों में इस्पात विकास निधि से निम्नलिखित यूनिट लाभान्वित हुए हैं:-

(i) मेकॉन लिमिटेड;

(ii) भारतीय धातु संस्थान;

(iii) खड़गपुर और मुम्बई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(iv) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

(v) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

(vi) लघु उद्योग निगम (एसएसआईसीज);

(vii) जादवपुर विश्वविद्यालय/बीई कॉलेज, हावड़ा/मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(viii) तिरूचिरापल्ली, कर्नाटक और दुर्गापुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ix) राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर; और

(x) इलेक्ट्रोथेरम इंडिया लिमिटेड।

(घ) सरकार ने इस्पात विकास निधि स्कीम के अधीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुमोदन और उनकी मानीटरिंग के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक शक्तिप्राप्त समिति गठित की है। इसके अतिरिक्त, सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात विकास निधि प्रबंधन समिति नामक एक उच्च शक्तिप्राप्त समिति इस्पात विकास निधि समग्र कार्य निष्पादन तथा इसकी कार्यकरण से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए प्रति वर्ष बैठक करती है।

[हिन्दी]

योजनाओं की निगरानी

1015. डा. संजय सिंह:
श्री महेश जोशी:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कार्यकलापों की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई रियायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ गैर-सरकारी संगठन सरकार से अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् अपने शैक्षिक और सामजिक कार्यकलापों को बंद कर लेते हैं और निधियों का दुरुपयोग करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) यह मंत्रालय लक्षित समूहों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग मुख्यत: निम्नलिखित के माध्यम से करता है:

(1) संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण;

(2) मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान; और

(3) मंत्रालय के अधिकारी, जब वे दौरा करते हैं।

(ग) इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में चालू वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों से निर्यात

1016. श्री बैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय देशों का भारत से आयात पर कार्बन पर लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय निर्यात उद्योगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या की रोकथाम के लिए कतिपय उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) कुछ विकसित देश उन विकासशील देशों, जिनके पास आयातकर्ता देश की तरह सामग्री की उत्पादन में उत्सर्जन सघनता हेतु अनुरूप मानदंड अथवा मानक नहीं है, से आयात पर कार्बन शुल्क अथवा सीमा समायोजन कर को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसे उपायों को कार्यान्वित किया जाता है तब निर्यात सहित भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) और (घ) जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के दौरान भारत ने एकपक्षीय व्यापार संबंधी उपायों का सख्ती से विरोध किया है क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में निर्धारित किए गए सिद्धांतों और उपबंधों का उल्लंघन करते हैं। भारत ने इस वर्ष के अंत में डरबन में आयोजित होने वाले यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (सीओपी-17) की कार्यसूची में 'एकपक्षीय व्यापार कार्रवाइयों' पर विशिष्ट मद की भी शुरूआत की है।

विद्यार्थियों को रियायती ऋण

1017. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम/राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के विद्यार्थियों/ उनके आश्रितों को पूर्णकालिक व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रियायती शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त ऋण प्राप्त करने के लिए आय सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत "अन्य बातों के साथ-साथ" स्नातक अथवा उच्च स्तरों पर व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की योजना के अनुसार पाठ्यक्रम के 90% व्यय 10.00 लाख रूपए प्रति विद्यार्थी अथवा 2.50 लाख प्रति वर्ष (भारत के भीतर अध्ययन के लिए) और 20.00 लाख रूपए प्रति विद्यार्थी अथवा 5.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (विदेश में अध्ययन के लिए) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन ऋण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम भी क्रमशः अनुसूचित जाति के पात्र विद्यार्थियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा ऋण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा प्रदत्त शिक्षा ऋण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2008-09	13
2.	2009-10	09
3.	2010-11	14

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों को क्रेडिट कार्ड

1018. **श्रीमती भावना पाटील गवली:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत कितने हथकरघा बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी किये गये/ किए जाने हैं और कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) देश में बुनकरों को जारी क्रेडिट कार्डों की ऋण सीमा क्या है;

(ग) हथकरघा, हस्तकला और रेशमकीट उद्योग के क्षेत्र में लगे कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या महिलाओं की कार्यदशा का आकलन करने और साथ ही उन्हें बीमा और प्रशिक्षण सुविधाएं आदि प्रदान करने हेतु अध्ययन करवाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का क्या परिणाम रहा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वित्त मंत्रालय के परामर्श से हाल ही में वर्ष 2011-12 के दौरान बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई है और 23.9.2011 की अधिसूचना परिपत्र के तहत सभी बैंकों को परिचालित की गई है। वर्ष 2011-12 में 10,000 बुनकर क्रेडिट कार्ड तथा इसके बाद प्रति वर्ष 20,000 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है।

(ख) ऋण सीमा का निर्धारण, बुनाई क्रियाकलाप करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और उपकरणों व उपस्करों की लागत के आकलन के आधार पर किया जाएगा। व्यक्तिगत बुनकरों की अधिकतम सीमा 2.00 लाख रुपये तक की होगी।

(ग) इन क्रियाकलापों में लगे कुल श्रमिकों में से 77.9 प्रतिशत महिलाएं हथकरघा उद्योग में, 47.41 प्रतिशत हस्तशिल्प उद्योग में लगी हुई हैं तथा 60.25 प्रतिशत महिलाएं रेशम-कीट उद्योग में लगी हुई हैं।

(घ) और (ङ) महिलाओं की कार्यदशा का आकलन करने के लिए कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विझिंजम पत्तन

1019. **श्री पी.के. बिजू:**
श्री के.पी धनपालन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने तिरूअनंतपुरम में संयुक्त उद्यम के रूप में विझिंजम पत्तन के विकास हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरण स्वीकृति सहित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या कोच्चि पतन को हब पत्तन के रूप में विकसित करने सहित देश में हब पत्तनों का विकास करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क)और (ख) जी नहीं। भारतीय अधिनियम, 1908 के अनुसार, गैर महापत्तनों को विकसित किया जाना संबंधित राज्य सरकार/ राज्य समुद्री बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। तदनुसार, पत्तन अवसंरचना विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लि. केरल सरकार के पूरी तरह से स्वामित्व वाली एक कम्पनी द्वारा विकसित की जा रही है और शेष सुविधाएं निजी प्रचालक द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी, जो बी.ओ.टी. आधार पर पत्तन प्रचालक होगा।

(ग) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, सुरक्षा अनापत्ति इत्यादि जैसी सांविधिक अनापत्तियों को छोड़कर गैर महापत्तनों के विकास के लिए संघ सरकार से कोई अनापत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार केरल की सरकार ने नोडला सुरक्षा अभिकरणों से अनुरोध किया था। विभिन्न सरकारी अभिकरणों से इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए उत्तर/अनापत्तियां राज्य सरकार को भेज दी जाएंगी।

(घ)और (ङ) जी हाँ। 11 फरवरी, 2011 को वल्लारपदम में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल के आरंभ होने से कोचिन पत्तन पहले से ही एक हर पत्तन के रूप में विकसित हो गया है। समुद्री दशक 2010-2020 के लिए एजेंडा में मुम्बई (जवाहर लाला नेहरू पत्तन) चेन्नई तथा विशाखापट्टनम के साथ-साथ कोचिन में हब पत्तन विकसित किए जाने परिकल्पित हैं।

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

1020. **श्री संजय भोई:**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) स्थापित करने के लिए सरकार को प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड/मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने के निर्धारिती मानदंडों के उल्लंघन की रोकथाम हेतु सरकार के पास कोई तंत्र उपलब्ध है;

(घ) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) देश भर में निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित आवेदनों की संख्या का राज्य/संघशासित क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य/संघशासित प्रदेश	2008-09		2009-10		2010-11	
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	44	39	28	26	19	19
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	1
पश्चिम बंगाल	10	6	9	9	7	7
बिहार	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	3	2	0	0	0	0
असम	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
गुजरात	26	21	15	10	8	7
केरल	6	6	8	7	6	6
कर्नाटक	50	50	27	26	28	28
तमिलनाडु	41	33	34	27	33	30
पुडुचेरी	3	3	0	0	1	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	34	27	25	21	12	8
गोवा, दमन और दीव	9	9	2	2	2	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	3	2	2	1
दिल्ली	4	4	2	1	0	0
हरियाणा	14	9	3	3	4	3
उत्तर प्रदेश	12	5	8	3	8	4
पंजाब	2	1	1	0	1	1
राजस्थान	4	2	5	2	2	1
हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	1	1	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
उत्तराखण्ड	2	1	0	0	1	1
मध्य प्रदेश	3	2	1	1	1	0
कुल	269	221	172	141	146	119

(ख) इकाई अनुमोदन समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्वचलन पद्धति के अंतर्गत ईओयू स्कीम के तहत इकाइयों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है:

(i) व्यक्तिगत/ साझेदारी फर्मों के मामले में सभी निदेशकों/ साझेदारों के निवास संबंध प्रमाण (पासपोर्ट/राशन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान-पत्र अथवा विकास आयुक्त की संतुष्टि हेतु कोई अन्य प्रमाण)

(ii) पिछले तीन वर्षो हेतु सभी प्रर्वतकों की आय कर विवरियाँ

(iii) सभी प्रर्वतकों के अनुभव

(iv) विपणन गठबंधन

(v) किसी अधिकारी द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण

(vi) अन्य विकास आयुक्तों से इस आशय की रिपोर्ट कि क्या वस्तुओं के विपथन आदि के संबंध में ईओयू/एसईजेड स्कीम के तहत कोई मामला लंबित है।

जब भी आवश्यक होता है, परियोजना के प्रवर्तकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए इन तथ्यों की जाँच की जाती है। प्रवर्तकों के एक सुस्थापित प्रतिष्ठान होने की स्थिति में व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया को छोड़ा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6 (घ) के उपबंधों के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी में एक करोड़ रूपए का न्यूनतम निवेश करने वाली परियोजनाओं को ही निर्यातोनमुख ईकाई (ईओयू) स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत दी जा सकती है। यह शर्त हस्तशिल्प कृषि पुष्पकृषि जलकृषि पशुपालन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ब्रांस हार्डवेयर तथा हस्तनिर्मित आभूषण क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों पर लागू नहीं होती है। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) मामला दर मामला आधार पर निम्नतर निवेश संबंधी के साथ ईओयू की स्थापना की अनुमति भी दे सकता है।

(ग) ईओयू के अनुमोदन हेतु मानदंडो की पूर्ति एक पूर्व-शर्त है। ईओयू द्वारा प्रस्तुत संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का ब्यौरा देने वाली वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर विकास आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के आधिकारिक आयुक्त द्वारा द्वि-वार्षिक आधार पर ईओयू के निष्पादन की संयुक्त निगरानी के दौरान निवेश मानकों की पूर्ति की जाँच की जाती है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के आधार पर ईकाइयों की स्थापना हेतु निर्धारित न्यूनतम निवेश मानकों के उल्लंधन की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(च) ईओयू स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार के अतिरिक्त विकास आयुक्तों वाणिज्य मंडलों, व्यापार एसोसिएशनों ईओयू तथा एसईजेड संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) द्वारा समय-समय पर अनेक खुले सत्रों संगोष्ठियों, मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।

सीएएमपीए योजना के अंतर्गत निधियां

1021. श्री पी.टी. थॉमस:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने वर्ष 2010-11 के दौरान प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए)से जारी निधियों के प्रचालन की वार्षिक योजना प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीएएमपीए से अब तक जारी निधियों और प्राधिकरण के पास शेष निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गुजरात राज्य सीएएमपीए के खाते में गुजरात राज्य द्वारा जमा निधियों के अंतरण का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन: (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रचालन की वार्षिक योजना के मामले की स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है

(ख) राज्य काम्पा को जारी निधियों और दिनांक 30 जून 2011 की स्थितिनुसार तदर्थ काम्पा द्वारा रखे गए लेखा की शेष राशि से संबंधित अनपरीक्षित विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) राज्य काम्पा को निधियां वर्ष 1995 की डब्ल्यूपी (सी) सं. 202 आईए सं. 2143 में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10 जुलाई 2009 के आदेश जिसके संदर्भ में राज्य काम्पा को जारी निधियां अन्य बातों के साथ-साथ अगले 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष लगभग 1000 करोड़ रूपये की सीमा के अंदर अनुमत की गई हैं के सदर्भ में जारी की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्या 2010-11 के लिए एपीओ प्राप्त हुआ अथवा नहीं	वर्ष 2009-10 के दौरान जारी निधियां	जारी करने की तारीख	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी निधियां	जारी करने की तारीख	30.06.2011 को मूलधन राशि (रूपये में)	30.06.2011 को ब्याज (रूपये में)	30.06.2011 को तदर्थ काम्पा के पास राशि रूपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	हां	10,990,000.00	28.08.2009	7,869,000.00	01.10.2010	82,558,055.00	42.992,069.68	125,550,124.68
2.	आंध्र प्रदेश	हां	897,832,000.00	23.08.2009	1,207,444,000.00	01.10.2010	16,938,768,800.96	3,326,462,263.23	20,265,231,064.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	अरुणाचल प्रदेश	हां	163,676,000.00	03.04.2010	177,882,000.00	22.11.2010	5,883,125,442.00	1,669,450,489.25	7,552,575,931.25
4.	असम	हां	67,174,000.00	17.08.2009	104,487,000.00	01.10.2010	2,814,897,538.14	445,736,833.42	3,260,684,371.56
5.	बिहार	हां	77,300,000.00	20.11.2009	86,674.000.00	18.01.2011	1,148,273,036,05	271, 534,239.09	1,419,807,275.14
6.	चंडीगढ़	हां	1,765,000,00	17.08.2009	1,296,000.00	01.10.2010	14,274,978.00	6,57 3,480.70	20,848,458.70
7.	छत्तीसगढ़	हां	1,232,135,000.00	17.08.2009	1,341,066,000.00	01.10.2010	14,220.558,505.33	4,616,983,941.18	18,837,542.646.57
8.	दादरा और नगर हवेली	नहीं	1,682.000.00	04.09.2009	-	-	34,988,828,00	5,797,896.00	40,786,724.00
9.	दमन और दीव	नहीं	-	-	-	-	7,110,100,00	506,393.00	7,616,493..00
10.	दिल्ली	हां	18,471,000.00	21.01.2010	13,991,00.00	18.01.2011	144,040,533.00	35,945,983.00	179,986,516.00
11.	गोवा	हां	121,197,000.00	17.08.2009	102,468,000.00	01.10.2010	991,587,024.58	354,462,953.56	1,346,049,973.14
12.	गुजरात	हां	249,647,000.00	19.08.2009	291,568,000.00	01.10.2010	3,756,979,541.00	718,628,103.39	4,475,607,644.39
13.	हरियाणा	हां	191,141,000.00	17.08.2009	188,909,000.00	01.10.2010	2,350,003,789.15	338,624,786.50	2,748.628,575.65
14.	हिमाचल प्रदेश	हां	366,771,000.00	21.08.2009	421,656,000.00	01.10.2010	8,160,891,141.60	1,237,426,445.40	9,398,317,587.00
15.	जम्मू और कश्मीर	हां	-	-	-	-	740,510,522.00	-	740.510,522.00
16.	झारखण्ड	हां	950,028,000.00	12.03.2010	1,031.622,000.00	01.10.2010	12,650,836,229.71	2,980,491,951.15	15,631,328,180.86
17.	कर्नाटक	हां	585,573,000.00	19.08.2009	509,160,000.00	01.10.2010	5,938,218,622.00	1,930.854,145.11	7,869.072,767.11
18.	केरल	हां	17,509,000.00	12.03.2010	-	-	191,946,043.58	91,715,326.18	283,661.369.75
19.	लक्षद्वीप	नहीं	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	हां	530,482,000.00	17.08.2009	509,656,000.00	01.10.2010	7,645,841,704.00	1,606,973,918.62	9,252,815,622.62
21.	महाराष्ट्र	हां	893,549,000.00	22.02.2010	854,893,000.00	18.01.2011	11,805,190,964.50	2,731,263,11537	14,536,454,079.87
22.	मणिपुर	हां	7,456,000.00	08.12.2009	13,350,000.00	01.10.2010	273,343,148.00	38,289,112.45	311,632,260.45
23.	मेघालय	नहीं	967,000.00	20.04.2010	-	-	832,086,448.00	8.348,646.92	840,435,094.92
24.	मिजोरम	हां	-	-	-	-	106,246,831.00	6,708.00	106,253.539.00
25.	नागालैंड	नहीं	-	-	-	-	14,622.00	-	14,622.00
26.	उड़ीसा	हां	1,310,618,000.00	21.08.7009	1,401,753.000.00	18.01.2011	34,810, 986,206.00	3,869,072,873.96	38,680.059.079.96
27.	पुडुचेरी	नहीं	-	-	-	-	-	-	-
23.	पंजाब	हां	330,547,000.00	08.12.2009	265,215,000.00	01.10.7010	2,859,338,537.19	795,768,415.05	3,655.106.952.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	राजस्थान	हां	325,908,000.00	07.01.2010	420,698,000.00	18.01.2011	4,555,986,591.09	1,283,006,715.66	5,838,993.306.75
30.	सिक्किम	हां	90,092,000.00	17.08.2009	102,334,000.00	01.10.2010 और 27.11.2010	1,292,319,336.00	226,140,834.62	1,518,460.170.62
31.	तमिलनाडु	हां	19,713,000.00	08.12.2009	17,032,000.00	01.10.2010	197,584,183.90	51,262,304.82	248,846488.72
32.	त्रिपुरा	हां	35.418,000.00	12.03.2010	25,848,000.00	18.01.3011	619,123,145.00	137,458,491.53	756,581,636.53
33.	उत्तर प्रदेश	हां	470,962,000.00	10.05.2010	-	-	4,354.775,745.89	1,679,859,633.10	6,034,635,383.13
34.	उत्तराखंड	हां	816,532,000.00	17,08.2009	827,488,000.00	01.102010	9,330,856,971.65	2,640,516,924.48	11,971,373896,13
35.	पश्चिम बंगाल	हां	52,957,000.00	08.12.2009	52,760,000.00	01.10.2010	691,933,028.00	138,006,284.10	829,939.312.10
			9,828,092,000.00		9,987,119,000.00		155,445,196,192.30	33,340,211,283.52	188,785,407,407,475.90

नोट: 1. लक्षद्वीप, नागालैंड और पुडुचेरी के राज्य/संघशासित प्रदेश काम्पा में भाग नहीं लेते हैं।

2. केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों जिनसे प्रचालन की वार्षिक योजना, 2010-11 प्राप्त हुई थी, को सूचित किया गया था कि पूछे गये एपीओ को वर्ष 2009-10 के रूप में माना जाए।

3. वर्ष 2010-11 हेतु मिजोरम से प्राप्त एपीओ प्रक्रियाधीन है और उचित समय में निधियां मंजूर की जाएंगी।

4. जम्मू और कश्मीर मामले में आईए सं. 2682 में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश प्रतीक्षित है उसके बाद ही निधियां स्वीकृत की जाएंगी।

सीएसडी कैंटीन के कार्यकरण में पारदर्शिता

1022. श्री पूर्णमासी राम:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) कैंटीनों में नई वस्तुओं का विक्रय आरंभ करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सीएसडी माल सूची में नई वस्तुओं को आरम्भ करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो उस फाइल का ब्यौरा क्या है जिसमें नई वस्तुओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है; और

(घ) सीएसडी के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री. ए.के. एंटनी): (क) से (घ) यूनिट संचालित कैंटीनों के माध्यम से ब्रिकी हेतु नई मदों को लाने में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(i) संभावित आपूर्तिकर्त्ताओं से आवेदन की प्राप्ति;

(ii) आवेदन पत्र की जांच;

(iii) फर्म को विसंगतियों की सूचना देना, यदि कोई हों;

(iv) नमूनों को आरंभिक जांच समिति, जिसमें तीनों सेवाओं अर्थात थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा सीएसडी के प्रतिनिधि शामिल होते है के समझ प्रस्तुत किया जाता है;

(v) आरंभिक जांच समिति मदों की छंटनी करती है;

(vi) ये चुनी गई मदें मद की प्रकृति के आधार पर निर्माणी निरीक्षण/साफ-सफाई निरीक्षण/मिश्रित खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल)/ विश्लेषणात्मक खाद्य प्रयोगशाला के अध्यीन होती हैं;

(vii) देश में पांच स्टेशनों पर बाजार सर्वेक्षण करना;

(viii) बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर फर्म की कीमत संबंधी वार्ता के लिए बुलाया जाता है और कीमत वार्ता समिति, (सीडीए-सीएसडी)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार एक सदस्य

के रूप में शामिल होते हैं, द्वारा सीएसडी को छूट देने संबंधी बातचीत की जाती है।

(ix) छूट संबंधी चर्चा के बाद नमूने सहित संबंधित फाइल अंतिम अनुमोदन के लिए बोर्ड प्रशासन को प्रस्तुत की जाती है जिसमें महाप्रबंधक, सीएसडी की अध्यता में तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रित रूप में सचिव, बीओसीसीएस तथा वित्त प्रतिनिधि के रूप में रक्षा लेखा नियंत्रक (सीडीए-सीएसडी)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार शामिल होते हैं।

सीएसडी में मदें शामिल करने की प्रक्रिया पारदर्शी है।

कैंटीन स्टोर्स विभाग की कार्य निष्पादन संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुपालन में फरवरी, 2009 से मदों को स्वीकार करने/अस्वीकृत करने के कारण को प्रारंभिक जांच समिति द्वारा संबंधित फाइलों में विधिवत् रूप से दर्ज किया जा रहा है। तथपि वर्ष 2007-08 के दौरान कुछ फाइलों में ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि तब अनेक मदों पर विचार किया जा रहा था।

नई मदों को आरंभ करने के मामलों की स्थिति सभी संबंधितों को सूचनार्थ सीएसडी बेबसाइट पर दी जा रही है।

पत्तन विनियामक प्राधिकरण

1023. **श्री एम.के. राघवन:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत विनियामक प्राधिकरण (पीआरए) गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्राधिकरण देश में छोटे पत्तनों के कार्यकरण की निगरानी भी करेगा;

(घ) उक्त प्राधिकरण के गठन के संबंध में सामुद्रिक राज्यों के क्या मत है और इस मामले में सरकार का क्या मत है; और

(ङ) सरकार का किस व्यापक तंत्र के माध्यम से पीआरए की स्थापना पर लघु पत्तनों की आमदनी की प्रतिपूर्ति करने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (ङ) जी हाँ। फिर भी, अभी तक पत्तन नियामक प्राधिकरण विधेयक के प्रस्तावित प्रारूप को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। विधेयक को अंतिम रूप, सभी समुद्रीय राज्यों सहित विभिन्न हिस्सेदारों क परामर्श से दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के वृद्ध व्यक्तियों को सहायता

1024. **श्री गणेश सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों के पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) इस संबंध में कोई प्रामणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल तथा मनोरंजन अवसर इत्यादि जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करके निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रमों, दिवादेखभाल केन्द्रों तथा चल चिकित्सा एककों इत्यादि के संचालन और रख-रखाव के लिए सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, इंदिरा आवास योजना इत्यादि जैसे विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भी अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग रूप से लागू किया जाना है। इस समय 23 राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को लागू कर दिया है।

प्राणी उद्यानों में प्राणी

1025. **श्री अशोक अर्गल:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नए प्राणी उद्यान स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उक्त प्राणी उद्यान स्थापित करने में कोई बाधाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक प्राणी उद्यान में विभिन्न प्राणियों की वर्तमान संख्या क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्राणी उद्यानों में प्राणियों की संख्या में परिवर्तन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को गत पांच वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों से देश में नए चिड़ियाघरों को स्थापित करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से दो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चिड़ियाघर को खोलने से पहले केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता और माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के स्तर पर उक्त चिड़ियाघरों की स्थापना में कोई बाधाएं ध्यान में नहीं आई हैं। तथापि, बाधाओं का मुद्दा, यदि हो तो, यह संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार से संबंधित है और तदनुसार इसे उनके द्वारा निपटाया जाएगा।

(ङ) और (च) वर्तमान समय में विवरण में उल्लिखित किसी भी प्राणी उद्यान के कार्यरत न रहने के कारण इनमें किसी पशु को नहीं रखा गया है।

विवरण

देश में नए चिड़ियाघरों को स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित चिड़ियाघर का नाम और इसकी अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा में नाईट सफारी	(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने शर्त के अनुपालन की शर्त पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच (2) के अंतर्गत दिनांक 9.8.2007 को अनुमोदन प्रदान किया था। (2) ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है किंतु नाईट सफारी को स्थापित किया जाना बाकी है।
2.	उत्तर प्रदेश	इटावा, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी	(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एच (1ए) के अंतर्गत दिनांक 23.2.2006 को इटावा के फिशरवन में लायन सफारी स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

1	2	3	4
			(2) ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है किंतु लायन सफारी को स्थापित किया जाना अभी बाकी है।
3.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर शहर में रामगढ़ ताल विकास क्षेत्र में चिड़ियाघर	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एच (1ए) के अंतर्गत दिनांक 29.1.2009 को इस शर्त पर और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया कि उत्तर प्रदेश राज्य और रामगढ़ गोरखपुर में विनोद वन मिनी चिड़ियाघर में गैर-मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में पशुओं को नए चिड़ियाघर में पुनर्वासित किया जाएगा।
4.	उत्तर प्रदेश	आगरा में नया चिड़ियाघर	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अपने दिनांक 4.8.2008 के पत्र द्वारा आगरा और मुरादाबाद में नए चिड़ियाघरों की स्थापना हेतु संस्तुति नहीं दी है क्योंकि प्रस्तावित स्थल क्रमशः यमुना और रामगंगा नदियों के बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्र में स्थित है और इसलिए चिड़ियाघरों के सृजन हेतु अनुकूल नहीं है।
5.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद में नया चिड़ियाघर	
6.	महाराष्ट्र	अहमदनगर महाराष्ट्र में तेंदुआ बचाव केन्द्र	(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (एच) (1ए) के अंतर्गत दिनांक 11.9.2008 को अनुमोदन प्रदान किया था। (2) राज्य वन विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है और तेंदुआ बचाव केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।
7.	महाराष्ट्र	रोहा, जिला रायगढ़ में पैन्थर सफारी	(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (एच) (1ए) के अंतर्गत दिनांक 23.12.2008 को अनुमोदन प्रदान किया था। (2) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चिड़ियाघर संचालन के आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेशों हेतु प्रक्रिया चल रही और अभी पैन्थर सफारी को स्थापित किया जाना बाकी है।
8.	मध्य प्रदेश	मुकुंदपुर, जिला सतना मध्य प्रदेश में चिड़ियाघर और बचाव केन्द्र	(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (एच) (1ए) के अंतर्गत दिनांक 5.7.2010 को अनुमोदन प्रदान किया था। (2) राज्य वन विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और चिड़ियाघर और बचाव केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

श्रमिक असंतोष

1026. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री कमलेश पासवान:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश में श्रमिक संघों और प्रबंधन के बीच जारी औद्योगिक विवादों की संख्या कितनी है;

(ख) विवादों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुद्दे के समाधान हेतु सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) श्रम वर्ग के कल्याण के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) केन्द्रीय क्षेत्र में श्रमिक संघों तथा प्रबंधन के बीच चल रहे औद्योगिकी विवादों की संख्या इस प्रकार है:-

(i) पूरे देश में कुल 4002 मामले (हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित)

(ii) हरियाणा राज्य में 6 मामले

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य में 312 मामले राज्य क्षेत्र में ऐसे विवादों के संबंध में आकड़ों का अनुरक्षण केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में होने वाले ऐसे विवादो क ब्यौरे जिन्हें निपटा लिया गया है विवरण में दिए गए है। ये विवाद मुख्यत: सेवा मामलों बोनस के भुगतान रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 2011-12 के दौरान (सितम्बर, 2011 तक) केन्द्रीय क्षेत्र में होने वाले 883 विवादों को निपटाया गया, 812 विवादों में समझौता असफल रहा तथा 682 विवाद मामलों को अन्यथा निपटाया गया।

(ङ) श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम उपदान संदाय अधिनियम आदि जैसे विधानों से की जाती है। मुख्य श्रमायुक्त (के) के अंतर्गत केन्द्रीय ओद्योगिक संबंध तंत्र इन अधिनियमों के प्रर्वतन हेतु नियमित निरीक्षण करता है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में निपटाये गए औद्योगिक विवादों की क्षेत्र-वार संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	उद्योग	पिछली तिमाही से अग्रेनित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	हस्तक्षेप वाली इकाई	सुलहकारी प्रक्रिया द्वारा निपटान	सुलहकारी प्रक्रिया के बावजूद असफल	मध्यस्थता द्वारा	अन्यथा निपटाये गये विवाद	कुल निपटाये गये विवाद	तिमाही के अंत में लंबित विवाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अहमदाबाद	356	108	464	0	19	50	17	1	87	377
2.	अजमेर	78	132	210	0	51	59	0	19	129	81
3.	आसनसोल	196	103	299	0	23	48	0	7	78	221
4.	बंगलौर	79	139	218	0	95	28	2	20	145	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	भुवनेश्वर	247	228	475	0	53	50	28	17	148	327
6.	चंडीगढ़	75	128	203	0	13	43	0	14	70	133
7.	कोचिन	163	153	316	0	63	2	0	88	153	163
8.	चेन्नई	191	272	463	0	115	54	0	70	239	224
9.	धनबाद	498	249	747	0	75	112	0	30	217	530
10.	देहरादून	71	85	156	0	14	58	0	15	87	69
11.	दिल्ली	269	90	359	0	0	42	0	0	42	317
12.	गुवाहटी	57	33	90	0	11	14	0	10	35	55
13.	हैदराबाद	220	408	628	0	132	41	0	118	291	337
14.	जबलपुर	221	173	394	0	80	51	0	26	157	237
15.	कानपुर	262	245	507	0	15	74	1	105	195	312
16.	कोलकाता	109	40	149	0	6	3	0	53	62	87
17.	मुम्बई	193	69	262	0	32	38	5	12	87	175
18.	नागपुर	45	121	166	0	52	13	9	28	102	64
19.	पटना	137	95	232	0	20	19	0	39	78	154
20.	रायपुर	59	63	122	0	14	13	19	10	56	66
	कुल	3526	2934	6460	0	883	812	81	682	2458	4002

पथकर संग्रहण केन्द्रों पर कानून-व्यवस्था की समस्या

1027. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण केन्द्रों पर अक्सर होने वाली कानून-व्यस्था संबंधी समस्याओं पर सरकार ने गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/राष्ट्रीय राजमार्ग वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गया/प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण के कारण कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं बहुधा उत्पन्न होने की बात ध्यान में नहीं आई है। तथापि कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं की कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	रारासं.	राज्य	समस्या का विवरण	की गई निवारक कार्रवाई
1	7	कर्नाटक	किमी 534.720 से किमी 556.840 तक देवनहल्ली-बंगलौर परियोजना यह खंड पहले से ही छः लेन का है और रियायतग्राही को इस खंड का निर्माण 6 लेन के दो उपरिपुलों आदि का निर्माण करना है। इस खंड पर पथकर का संग्रहण दिनांक 25.04.2011 को शुरू किया गया था। तथापि, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया है।	यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार ने सभी कार्य पूरे कर लिए जाने के पश्चात ही पथकर लगाए जाने का अनुरोध किया है इस मामले पर राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।
2	47	केरल	किमी 342.00-किमी 358.750 तक इडापल्ली-अरूर खंड इस खंड पर फीस का संग्रहण दिनांक 03.06.2011 को शुरू किया गया था। तथापि, स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने पथकर लगाए जाने पर आपत्ति की थी। स्थानीय लोगों को छूट दिए जाने के लिए केरल के मुख्य मंत्री ने पत्र भी लिखा था।	मामला सुलझा लिया गया है और पथकर संग्रहण कार्य फिर से शुरू हो गया है।
3	7	मध्य प्रदेश	किमी. 567.550-किमी 629.480 तक लखनादून-महगांव खंड इस खंड पर फीस का संग्रहण दिनांक 26.08.2011 को शुरू किया गया था। तथापि स्थानीय लोगों ने बलपूर्वक पथकर संग्रहण को रोक दिया और पथकर प्लाजा को क्षतिग्रस्त कर दिया।	मामला सुलझा लिया गया है और पथकर संग्रहण कार्य फिर से शुरू हो गया है।
3	6	पश्चिम बंगाल	नीति के अनुसार, जलधागोरी और डेबरा फीस प्लाजाओं पर शुल्क संग्रहण का कार्य उन एजेंसियों को दिया गया था जिनका चयन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया से किया गया था। जब नई चयनित एजेंसियां, काम संभालने के लिए फीस प्लाजा पहुंची तक वहां मौजूद कर्मचारियों ने फीस प्लाजा छोडने से इनकार कर दिया और बलपूर्वक नई एजेंसियों को काम संभालने नहीं दिया।	इस मामले पर राज्य सरकार के साथ कार्रवाई की जा रही है।

पथकर संग्रहण

1028. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में पथकर संग्रहण हेतु निजी क्षेत्र को सौंप गए राजमार्गों की कुल संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार/ एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर बेलगाम से धारवाड़ खंड को छह लेन बनाने तथा उस पर सर्विस लेन बनाने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कार्य कब तक प्रारंभ/पूर्ण किए जाने की संभवना है;

(ङ) क्या कार्य के प्रारंभ/पूर्ण होने के पहले उक्त (बेलगाम-धारवाड़) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एनएचआई ने पथकर संग्रहण प्रारंभ कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) राजमार्गों की कुल 71,772 किमी लंबाई में से 8826 किमी (12.03) में निजी क्षेत्र द्वारा पथकर उदग्रहित किया जा रहा है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के बेलगाम-धारवाड़ खंड को छः लेन का बनाने का कार्य मैं अशोक बेलगाम धारवाड़ टोलवे प्रा.लि. को सौप गया है। इस कार्य में सर्विस लेन का निर्माण भी शामिल है। यह कार्य नियत तारीख (04.05.2011) से शुरू हो गया है। कार्य पूरा करने की अवधि 30 माह है।

(ङ) और (च) रियायतग्राही द्वारा पथकर का संग्रहण रियायत करार की शर्तों के अनुसार नियत तारीख से शुरू हो गया है।

[हिन्दी]

सशस्त्र सैन्य-कर्मियों को प्रशिक्षण

1029. श्रीमती मीना सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सैन्य-कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान गोला-बारूद के विस्फोट को रोकने तथा विनाश से रक्षोपय करने का प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी विभीषिकाओं से निपटने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किये जा रहे ठोस प्रयास क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। गोला बारूद और विस्फोटकों का संचालन करने वाले सेना कार्मिकों को गोला बारूद के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और वे निम्नलिखित कार्यों में योग्यता प्राप्त होते हैं:

(1) गोला बारूद प्रबंधन जिसमें भंडारण, मरम्मत, खराबियां, प्रूफ टेस्ट, नष्ट करना और गोला बारूद/विस्फोटकों की प्रयोज्यता के संबंध में निरीक्षण शामिल हैं।

(2) सभी सेना गोला बारूद/विस्फोटकों की निर्माणगत कमियों/असफलताओं और दुर्घटनाओं के संबंध में प्रभावी जांच-पड़ताल।

(3) काम चलाऊ विस्फोटक यंत्रों (आईईडी) की पहचान, जांच-पड़ताल एवं उन्हें निष्क्रिय करना।

(4) गोला बारूद डिपुओं का प्रबंधन।

(5) गोला बारूद से संबंधित किसी भी आपदा के होने पर आग बुझाने और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायदों में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा उन्हें निष्क्रिय करने और निस्तारण कार्यकलापों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

ठेका आधारित श्रम व्यवस्था

1030. श्री एस. अलागिरी:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री रवनीत सिंह:
श्री समीर भुजबल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकारी संगठनों में ठेका श्रम व्यवस्था को समाप्त नहीं करने के क्या उपाय है; और

(ङ) समान मजदूरी, सुविधाएं लाभ तथा ठेका श्रमिकों का शोषण रोकना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क)और (ख) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन और रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण, 2004 के अनुसार संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 2.6 करोड़ तथा 43.3 करोड़ है।

(घ) ठेका श्रम स्वमेव प्रतिषिद्ध नहीं है और कोई प्रतिष्ठान ठेका श्रमिक को अपनी आवश्यकतानुसार नियोजित कर सकता है जब तक कि उक्त ठेका कार्यक्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 अंतर्गत प्रतिषिद्ध न हो।

(ङ) कामगारों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के उदेद्श्य से सरकार ने विभिन्न श्रम विधानों का अधिनियम किया है और एक निरीक्षणालय बनाया है जिसका प्राथमिक दायित्व केन्द्रीय क्षेत्र में उक्त विधानों का प्रर्वतन करना है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 25 (2) (क) में अनुज्ञप्ति की शर्ते

उल्लिखित हैं यदि ठेका श्रमिक जो नियमित कामगारों के समान ही स्वरूप प्रकृति का कार्य कर रहा है तो ठेका श्रमिक भी समान वेतन एवं सेवा शर्तों के पात्र होंगे जैसा नियमिक कामगारों को समान कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और इसका निर्णय उप-मुख्य श्रमायुक्त (कें.) द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमयुक्त के कार्यालय के अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध उनकी लाइसेंस रद्द करते हुए तथा अभियोजन मामले दायर करते हुए कार्रवाई करते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-58

1031. **श्री ताराचन्द भगोरा:**
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर मोदी नगर में निर्माण कार्य धीमी गति से किये जाने के कारण लगने वाले दैनिक यातायात जाम की वजह से दिल्ली से उत्तराखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों एवं यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर की तर्ज पर मोदीनगर में बाई-पास बनाने की कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बाई-पास का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-6 के अंतर्गत दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल किया गया है और यह परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। परामर्शदाता द्वारा इस कार्य के लिए अंतिम साध्यता रिपोर्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजी जा चुकी है।

(ग) और (घ) मोदीनगर में बाइपास के निर्माण पर निर्णय अंतिम साध्यता रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर लिया जाएगा।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने में तेजी

1032. **श्री पी.सी. मोहन:**
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन वर्तमान नियमों में संशोधन करने का है जिसके तहत देश में कोयले की खानों की पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेने हेतु जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पर्यावरण संबंधी मंजूरी में ऐसे संशोधनों द्वारा किस हद तक तेजी आयेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रभाव (ईआईए) अधिसूचना, 2006 जिसके अंतर्गत देश में कोयले की खानों का पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है, में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

चर्म और लघु औद्योगिक उत्पादों का निर्यात

1033. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित चर्म उत्पादों तथा अन्य उत्पादों का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) को उसके सदस्यों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर सीएलई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु एवं मंझोली इकाइयों द्वारा चर्म एवं चर्म उत्पादों क निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल
2008-09	10,362.00
2009-10	10,431.42
2010-11	11,960.39

स्रोत: सीएलई

(ग) निर्यात संवर्धन के लिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 में चर्म क्षेत्र को फोकस क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है जिसमें अन्य के साथ-साथ (क) पिछले वर्ष की निर्यात आय के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत की सीमा तक महत्वपूर्ण निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति, (ख) फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित चर्म उत्पादों एवं फुटवियर के लिए 4 प्रतिशत शुल्क ऋण स्क्रिप, तथा तैयार चर्म के लिए 2 शुल्क ऋण स्क्रिप (ग) मशीनों का आयात सुकर बनाने के लिए शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ईपीसीजी), (घ) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु चर्म क्षेत्र (तैयार चर्म खण्ड को छोड़कर) में दर्जाधारकों के लिए दर्जाधारक प्रोत्साहन स्क्रिप स्कीम के अंतर्गत 1 प्रतिशत शुल्क ऋण स्क्रिप जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

एनएचडीपी परियोजनाओं में विलंब

1034. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** एनएचएआई की परियोजनाओं के संबंध में जांच के बारे में 5 सितम्बर, 2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजाइन और विशिष्टताओं में परिवर्तन के कारण विलंबित एनएचडीपी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन निर्माण कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त परियोजनाओं में विलम्ब किया है;

(ग) क्या पहले उक्त कारकों पर विचार नहीं किया गया था और यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन दोषपूर्ण डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए परामर्शकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी जिनके परिणाम कार्य के संपादन में समय की बर्बादी तथा विलंब के रूप में आए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, मंत्रालय के विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस की पद्धति संहिता/मेनुअलों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती हैं। परियोजनाओं में विलम्ब विभिन्न कारणों जैसे ठेकेदारों के अल्प कार्य निष्पादन, वन/वन्यजीवन स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण/सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में विलम्ब, कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं आदि के कारण हुआ है। कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं जिनमें विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ है, की सूची विवरण में दी गई है।

कार्यस्थल की वास्तविक स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं तथा स्थानीय जनता की अतिरिक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ परियोजनाओं की कार्य-व्याप्ति में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे कि बिहार राज्य की कुछ परियोजनाओं के संबध में, परियोजनाओं की डीपीआर में, वर्ष 2007 और 2008 के दौरान मुजफ्फरपुर और कोसी पुल तथा कोसी पुल और सिमराही के बीच आई भारी बाढ़ के कारण संरचनाओं की सुरक्षा के लिए संशोधन करना पड़ा था जबकि मूलडीपीआर, वर्ष 2004 के उच्च बाढ़ स्तर के आधार पर तैयार की गई थी। परामर्शदाता के नियंत्रण से परे कारणों को छोड़कर, डीपीआर में उपबंधित डिजाइन की तुलना में जहां कहीं डिजाइन संशोधन अपेक्षित होते हैं, वहां संविदा प्रावधान के अनुसार डिजाइन परामर्शदाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

कार्यान्वयन के अधीन विलंबित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	परियोजना लंबाई (किमी)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	राज्य का नाम	एजेंसी	पर्यवेक्षण परामर्शदाता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)	7	23.1	71.57	आंध्र प्रदेश	एम.बी. पटेल कंस्ट्रक्शन लि.	स्पान कंसल्टेंट प्रा.लि.
2.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन)	5	82.5	572.3	आंध्र प्रदेश	आईजेएम कार्पोरेशन बरहद-आईडीएफसी लि.	लुई बर्जर ग्रुप इंक.-लुई बर्जर कंसल्टिंग प्रा.लि.
3.	लुमडिंग-दबोका (एएस-15)	54	18.5	130	असम	पटेल-केएनआर (संउ)	स्कोट विल्सन किर्क पैट्रिक एंड कं.लि. (यूके)-एसडब्ल्यूके (इंडिया)
4.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10)	31सी	33	237.8	असम	जीपीएल-ईसीआई (सं.उ)	लुई बर्जर ग्रुप, इंक
5.	ब्रम्हपुत्र पुल (एएस-28)	31	5	217.61	असम	गैमन इंडिया लि.	
6.	नलबारी-बिजनी (एएस-9)	31	21.5	142	असम	पुंज लायड लि.	बीसीईओएम-एसटीयूपी-आरवी (सं.उ)
7.	नलबारी-बिजनी (एएस-8)	31	30	200	असम	पुंज लायड लि.	बीसीईओएम-एसटीयूपी-आरवी (सं.उ)
8.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	31सी	30	230	असम	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.	लुई बर्जर ग्रुप, इंक
9.	गुवाहाटी-नलबारी (एएस-4)	31	28	175.96	असम	पुंज लायड लि.	बीसीईओएम-एसटीयूपी-आरवी (संउ)
10.	गुवाहाटी-नलबारी (एएस-5)	31	28	198.16	असम	पुंज लायड लि.	बीसीईओएम-एसटीयूपी-आरवी (संउ)
11.	सिलचर से उदरबंद (एएस-1)	54	32	154.57	असम	पुंज लायड लि.	आईसीटी प्रा.लि.
12.	हरंगजो से मैबंग (एएस-23)	54	16	280	असम	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	आईसीटी प्रा.लि.
13.	मैबंग से लुमडिंग (एएस-27)	54	21	200	असम	गायत्री-ईसीआई (संउ)	एसएमईसी इंडिया

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	नलबारी-बिजनी (एएस-7)	31	27.3	208	असम	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.	बीसीईओएम-एसटीयूपी-आरवी (संउ)
15.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	31सी	30	195	असम	जीपीएल-ईसीआई (संउ)	लुई बर्जर ग्रुप, इंक
16.	नगांव से धर्मातुल(एएस-2)	37	25	264.72	असम	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.	एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि.
17.	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	37	19	245	असम	महेश्वरी बदर्स लि.-टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि.	राइट्स लि.
18.	धर्मतुल-सोनापुर (एएस-20)	37	22	160	असम	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.	राइट्स लि.
19.	दबोका-नगांव (एएस-17)	36	30.5	225	असम	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	स्कोट विल्सन किर्क पैट्रिक एंड कं.लि. (यूके)-एसडब्ल्यूके (इंडिया)
20.	धर्मतुल-सोनापुर (एएस-19)	37	25	200	असम	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	राइट्स लि.
21.	नलबारी-बिजनी (एएस-6)	31	25	225	असम	दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल-इन्फ्राकॉन प्रा.लि. बनवारी लाल अग्रवाल प्रा.लि.-ब्रह्मपुत्र कंसोर्शियम लि.	बीसीईओएम-एसटीयूपी-आरवी
22.	दीवापुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	28	41.085	300	बिहार	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.	पेलफ्रिशमेन-फ्रिशमेन प्रभु-फीडबैक
23.	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3)	57	34.87	332.94	बिहार	गैमन इंडिया लि.	स्पान कंसलटेंट प्रा.लि.
24.	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7)	57	37.59	340	बिहार	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.	स्कोट विल्सन-किर्क पैट्रिक (इंडिया) प्रा.लि.
25.	कोटवा से देवापुर (एलएमएनएचपी-10)	28	38	240	बिहार	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-एमवीआर (संउ)	सीईएस इंडिया लि.
26.	सिमराही-रिंग बंध (बीआर-4) (मिसिंग लिंक) (बीआर-4)	57	15.15	100.5	बिहार	सिंप्लैक्स	विलबर स्मिथ एसोसिएट्स इंक (यूएसए)-डब्ल्यूएसए प्रा.लि. (इंडियन)
27.	पहुंचमार्ग और गाइडबंध एफलक्स बंधसहित कोसी पुल (बीआर-5)	57	10.63	418.04	बिहार	गैमन इंडिया लि.-जीआईपीएल कंसोर्शियम	विलबर स्मिथ एसोसिएट्स इंक (यूएसए)-डब्ल्यूएसए प्रा.लि. (इंडियन)

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	रिंग बंध-झंझारपुर (बीआर-6)	57	38.55	340	बिहार	बीएससीपीएल-सीएंडसी	विलबर स्मिथ एसोसिएट्स इंक (यूएसए)-डब्ल्यूएसए प्रा.लि. (इंडियन)
29.	दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर से-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	6	82.685	464	छत्तीसगढ़	अशोक-आईडीएफसी कंसोर्शियम	कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लि.
30.	औरंग-रायपुर	6	43.485	190	छत्तीसगढ़	अपोलो (यूके)-जेएलआई (यूके)-डीएससी (इंडियन)-एलओआर (यूके) कंसोर्शियम	रिनार्डेट एस.ए.-फीडबैक टर्नकी इंजीनियर्स
31.	दिल्ली-हरियाणा सीमा के महरौली-गुड़गांव रोड अंधेरिया मोड़ को उन्नयन करके छ: लेन का बनाना	236	7.45	166.6	दिल्ली	दिनेश चंद्रा आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा.लि.	राइट्स
32.	गगोधर-गारामोड़ (पैकेज-4)	15, 8ए	90.3	479.54	गुजरात	डेलिम इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि. नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि. (सं.उ.)	सीईएस (इं.) प्रा.लि.
33.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	8	239	1693.75	गुजरात (118.2)/ महाराष्ट्र (120.77)	आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि. डायशे बैंक एजी	आईसीटी प्रा.लि.
34.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	10	63.49	486	हरियाणा	केसीटी-ईरा कंसोर्शियम	आईसीटी प्रा.लि.
35.	पानीपत-जालंधर (6 लेन)	1	291	2288	हरियाणा (116)/पंजाब (175.1)	आइसोलक्स कोरसन कंसेशनर्स एसए-कोरसन कोरवियम कंस्ट्रक्शन एसए-सोमा इंटरप्राइज लि.	लुई बर्जर ग्रुप
36.	जीरकपुर-परवानू	22	28.69	295	हरियाणा(20)/ हिमाचल प्रदेश (6.69)/ पंजाब(2)	जयप्रकाश एसोसिएट्स-(हिमालयन एक्सप्रेसवेज प्रा.लि.)	इंटरकांटीनेंटल कंसलटेंट्स और टेक्नोक्रेट्स प्रा.लि.
37.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर लेन)	8	225.6	1673.7	हरियाणा (64.3)/ राजस्थान (161.3)	एमीरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी एलएलसी-केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.	
38.	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जे एंड के)	1ए	17.2	110	जम्मू और कश्मीर	सीमा सड़क संगठन	एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि.

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	जम्मू-कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जे एंड के	1ए	15	85.34	जम्मू और कश्मीर	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग	एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि.-फीडबैक (सं.उ.)
40.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1ए	1.23	62.96	जम्मू और कश्मीर	वालेचा इंजीनियरिंग लि.	पीडब्ल्यू जे एंड के
41.	विजयपुर-पठानकोट (एनएस-34/जेएंडके)	1ए	33.65	166.3	जम्मू और कश्मीर	आईटीडी सीमेंटेशन (इ.) लि.	एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि.-फीडबैक (सं.3)
42.	विजयपुर-पठानकोट (एनएस-35/जे एंड के)	1ए	30	193.1	जम्मू और कश्मीर	आईटीडी सीमेंटेशन (इं.) लि	एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि.-फीडबैक (सं.उ.)
43.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77	207.56	कर्नाटक	गैमन इंडिया लि.	आईसीटी प्रा.लि.
44.	हवेरी-हरिहर	4	56	196.65	कर्नाटक	गैमन इंडिया लि.	आईसीटी प्रा.लि.
45.	नव मंगलूर पत्तन	13, 17 और 48	37	196.5	कर्नाटक	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक-एसए कंसल. इंजी. प्रा.लि. (सं.उ.)
46.	रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन को रारा 48 पर जोड़ते हुए देवीहल्ली तक	48	81	441	कर्नाटक	लैंको देवीहल्ली हाइवेज प्रा. लि.	कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लि.
47.	आईसीटीटी वल्लारपदम को रारा	47सी	17.2	557	केरल	सुनकॉन-सोमा (सं.उ.)	एलईए एसोसिएट साउथ एशिया (प्रा.) लि.
48.	त्रिशुर से अंगमाली (केएल-1)	47	40	312.5	केरल	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.-एसआरईआई (सं.उ.) (गुरुवयूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.)	आईसीटी प्रा.लि.-फीडबैक
49.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-2/सी-6)	26	44	203.43	मध्य प्रदेश	सांगयांग इंजीनियरिंग कंस्ट. कं	रूटन इंटरनेशनल-सीईजी लि. (सं.उ.)
50.	ललितपुर-सागर (एडीबी-2/सी-4)	26	55	225	मध्य प्रदेश	आईजेएम कारपोरेशन	रूटन इंटरनेशनल-सीईजी लि. (सं.उ.)
51.	राजमार्ग चौराहा-लखनादोन (एडीबी-2/सी-9)	26	54.7	229.91	मध्य प्रदेश	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्. कं	रेनारडेट एसएस-आईसीटी प्रा.लि. (सं.उ.)

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	लखनादून से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	7	49.35	263.17	मध्य प्रदेश	नवभारत-फेरो अलॉय लि. (मालक्ष्मी हाईवेज प्रा.लि.)	आरवी एसोसिएट्स आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड कंसलटेंट प्रा.लि.
53.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (एडीबी-2/सी-8)	26	54	251.03	मध्य प्रदेश	शांयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कं.	रेनारडेट एसए-आईसीटी प्रा.लि. (सं.उ.)
54.	सागर बाइपास (एडीबी-2/सी-5)	26	26	151.3	मध्य प्रदेश	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कं.	रॉटन इंटरनेशनल-सीईजी लि. (सं.उ.)
55.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	75.3	42	300.93	मध्य प्रदेश	रेमकी-ईरा-श्रीराम कंसोर्शियम	ईएमए यूनिबोर्न इंडिया प्रा.लि.
56.	लखनादून से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3)	7	56.475	407.6	मध्य प्रदेश	सदभाव-एसआरईआई (सं.उ.)	जैटून लींग-आर्टीफेक्ट (सं.उ.)
57.	धौलपुर-मुरैना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/आरजे-एमपी/1	3	10	232.45	मध्य प्रदेश (1)/ राजस्थान (9)	पीएनसी-टीआरजी (सं.उ.)	डब्ल्यूएसए प्रा.लि.
58.	ग्वालियर-झांसी	75	80	604	मध्य प्रदेश (68.5)/उत्तर प्रदेश (11.5)	डीएससी-अपोलो कंसोर्शियम	ग्रांटमिज कार्लब्रो-ईएमए (संउ)
59.	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/एमएच)	7	29	193.45	महाराष्ट्र	रोमन तरमत लि.	यूआरसी-एफवीपीएल-एसएआईसीपीएल (सं.उ.)
60.	बोरखेडी-जाम (एनएस-22/एमएच)	7	27.4	110	महाराष्ट्र	जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.-केतन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	सोविल लि.
61.	केलापुर-पिम्पलखट्टी (एनएस-62)	7	22	117.4	महाराष्ट्र	देवी एन्टरप्राइजेज लि.	बीसीईओएम-आरवी (सं.उ)
62.	नागपुर-कोंधली	6	40	168	महाराष्ट्र	अटलांटा-एसआरईआई कंसोर्शियम (सं.उ.)	आरवी एसोसिएट्स
63.	गंजम-इच्छापुरम (ओआर-7)	5	50.8	263.27	ओडिशा	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.-आरके-एसडी (संउ)	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी
64.	सुनाखला-गंजम (ओआर-7)	5	55.713	241.53	ओडिशा	केएनआर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	
65.	भुवनेश्ववर-खुर्दा (ओआर-1)	5	27.15	140.85	ओडिशा	गैमन इंडिया लि.-अटलांटा	शेलाडिया-पीबीआई इंटरनेशनल-एमआरसी
66.	बालासोर-भद्रक (ओआर-3)	5	62.64	228.7	ओडिशा	बीबीईएल-एमआईपीएल (सं.उ.)	शेलाडिया एसोसिएट्स इंक.

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जे एंड के)	1ए	19.65	97.73	पंजाब	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग	बीसीईओएम-एनएजी एन्टरप्राइज (सं.उ.)
68.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीबी)	1ए	40	284	पंजाब (29)/ हिमाचल प्रदेश (11)	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.	बीसीईओएम-एनएजी एन्टरप्राइज (सं.उ.)
69.	चम्बल पुल (आरजे-5)	76	1.4	281.31	राजस्थान	हुंदई इंजी. कंस्ट्र.कं.लि.- मै. गैमन इंडिया लि.	लुई बर्जर सीओडब्ल्यूआई
70.	कोटा बाइपास (आरजे-4)	76	26.42	250.39	राजस्थान	आईटीडी-सीमइंडिया(सं.उ.)	जैदून-लींग एसएनडी बीएचडी-आर्टीफेक्ट प्रोजेक्ट्स (संउ)
71.	कंगयम से कोयम्बटूर(केसी-2)	67, केसी2	55.2	0	तमिलनाडु	एसआरसी प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लि.	फीडबैक टर्नकी इंजी. प्रा.लि.
72.	सलेम-उलून्डरूपेट (बीओटी-1/टीएन-06)	68	136.357	941	तमिलनाडु	रिलायंस एनर्जी लिमिटेड	टेक्निकल एसपीए
73.	तंजावूर-त्रिची	67	56	280	तमिलनाडु	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.	लुई बर्जर
74.	मदुरै-अरुपुकोट्टई-तूतीकोरीन	45बी	128.16	629	तमिलनाडु	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.-एसआरईआई-मधुकॉन ग्रेनाइट्स लि. (सं.उ.)	लुई बर्जर
75.	पुडुचेरी-टिंडीवनम	66	38.61	285	तमिलनाडु	मेयतास-एनसीसी कंसोर्शियम	लुई बर्जर
76.	त्रिची-डिंडीगुल	45	88.273	576	तमिलनाडु	रिलायंस एनर्जी लिमिटेड	डब्ल्यूएसए विलबर स्मिथ एसोसिएट्स
77.	त्रिची-करूर	67	79.7	516	तमिलनाडु	रिलायंस एनर्जी लिमिटेड	डब्ल्यूएसए विलबर स्मिथ एसोसिएट्स
78.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/1-ए)	2	50.83	367.49	उत्तर प्रदेश	ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि.-गैमन इंडिया लि. (संउ)	आईसीटी प्रा.लि.
79.	लखनऊ बाइपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56ए और बी	22.85	111.78	उत्तर प्रदेश	एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	सीईएस(आई) प्रा.लि.
80.	लखनऊ-कानपुर(ईडब्ल्यू/3बी)	25	16	54	उत्तर प्रदेश	नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लि.	आईसीटी प्रा.लि.
81.	गोरखपुर बाइपास	28	32.6	600.24	उत्तर प्रदेश	गैमन इंडिया लि.-जीआईपीएल-एटीएसएल कंसोर्शियम	यूपीएचएएम इंटरनेशनल कार्पोरेशन -एसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट प्रा.लि.

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	गंगा पूल से रामादेवी क्रासिंग (यूपी-6)	25	5.6	201.66	उत्तर प्रदेश	गैमन इंडिया लि.	फीडबैक टर्नकी इंजीनियर्स
83.	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40	242	उत्तर प्रदेश	एनसीसी-वीईई (संउ)	पेलफ्रिशमेन-फ्रिशमेन
84.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	25, 26	49.7	355.06	उत्तर प्रदेश	गायत्री-आईडीएफसी कंसोर्शियम	आईसीटी प्रा.लि.
85.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	26	49.3	276.09	उत्तर प्रदेश	गायत्री-आईडीएफसी कंसोर्शियम	जैदून लींग-आर्टीफेक्ट (संउ)
86.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44	227	उत्तर प्रदेश	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं.लि.	रॉटन इंटरनेशनल-सीईजी
87.	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.115	227	उत्तर प्रदेश	सिम्पलेक्स	पेलफ्रिशमेन-फ्रिशमेन प्रभु-फीडबैक
88.	उरई से झांसी (यूपी-5)	25	50	340.68	उत्तर प्रदेश	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	रेनारडेट एस.ए.
89.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	24	35	220	उत्तर प्रदेश	यूपी स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लि. (यूपीएसबीसी)	स्पान कंसलटेंट प्र.लि.
90.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	24	56.25	275	उत्तर प्रदेश	पीएनसी कंस्ट्रक्शन कं.-बीईएल (संउ)	स्पान कंसलटेंट प्रा.लि.
91.	ललितपुर-सागर (एडीबी-2/सी-3	26	38	198	उत्तर प्रदेश	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं.लि.	रॉटन इंटरनेशनल-सीईजी लि. (संउ)
92.	सीतापुर-लखनऊ	24	75	322	उत्तर प्रदेश	अपोला (यूके)-जेएलआई(यूके)-डीएससी (भारतीय)-एलओआर(यूके) कंसोर्शियम	विलबर स्मिथ एसोसिएट्स इंक. (यूएसए)-डब्ल्यूएसए प्रा.लि. (भारतीय)
93.	पुल खंड (डब्ल्यूबी-3)	6	1.732	81	पश्चिम बंगाल	भगीरथ इंजी. लि.	आईसीटी प्रा.लि.-एसएनसी लवलिन
94.	हल्दिया पत्तन	41	53	522	पश्चिम बंगाल	दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्रा.लि.	सीईएस (आई) प्रा.लि.
95.	सिलिगुड़ी से इसलामपुर (डब्ल्यूबी-7)	31	26	225	पश्चिम बंगाल	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	स्टानले कंसलटेंट इंक.
96.	असम/प.बं. सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यूबी-1)	31सी	32	221.82	पश्चिम बंगाल	इटेलियन थाई डव. प्रोजेक्ट्स कं.लि.	लुई बर्जर ग्रुप, इंक

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

1035. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसूल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011 बनाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का संघटन क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनमें की गयी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों के लिए नयी राष्ट्रीय नीति को कब तक अंतिम रूप दिये जाने तथा लागू किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सरकार ने श्रीमती मोहिनी गिरि की अध्यक्षता में, अन्य बातों के साथ-साथ एक नई राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 28.1.2010 को एक समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्य थे:

(1) श्री एम.एम. सभरवाल, अध्यक्ष इमिरिटस, हेल्प एज इंडिया;

(2) डा. के.आर. गंगाधरन, अध्यक्ष, हेरिटेड फाउंडेशन

(3) श्रीमती शीलू श्रीनिवासन, अध्यक्ष, डिग्निटी फाउंडेशन;

(4) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रलय, गृह मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि;

(5) आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव/वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रभारी सचिव; और

(6) सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

(ग) और (घ) समिति ने दिनांक 30.3.2011 को राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 2011 का मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, वृद्ध महिलाओं तथा ग्रामीण गरीब व्यक्तियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। इस नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

* वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं के सरोकारों को मुख्य धारा में लाना और इन्हें राष्ट्रीय विकास वाद-विवाद में लाना;

* आय सुरक्षा, होम केयर सेवा, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य देखरेख बीमा योजनाओं, आवास एवं अन्य कार्यक्रमों/सेवाओं को बढ़ावा देना;

* परिवार के भीतर वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख को बढ़ावा देना और अंतिम आश्रय के रूप में संस्थानिक देखरेख पर विचार करना;

* एक अनन्य, बाधा-मुक्त एवं आयु-अनुकूल समाज बनाने की दिशा में कार्य करना;

* वरिष्ठ नागरिकों को देश के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में मान्यता देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना;

* ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में दीर्घावधिक बचत उपायों एवं क्रेडिट कार्यकलापों को बढ़ावा देना;

* अधिवर्षिता के पश्चात् आय-सृजक कार्यकलापों में रोजगार को बढ़ावा देना;

* परामर्श, जीवन-वृत्ति दिशा-निर्देश एवं प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों को सहायता प्रदान करना; आदि।

समिति ने नीति के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की दिशा में केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेप के क्षेत्रों का भी सुझाव दिया।

(ङ) राज्य सरकारों की टिप्पणी जानने के लिए मसौदा नीति को उनको परिचालित किया गया है। आम जनता की सूचना एवं फीडबैक, यदि कोई हो, के लिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर भी डाल दिया गया है। राज्य सरकारों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मसौदा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-73

1036. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छुटमलपुर से मोहंद पहाड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-73 का हिस्सा बेहद दयनीय स्थिति में है जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं एवं यातायात जाम लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हिस्से की मरम्मत करने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो इस हिस्से पर मरम्मत कार्य के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं। छुटमलपुर और मोहंद पहाड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या रारा-72ए है, न कि रारा संख्या 73।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात अनुकूल स्थिति में बनाए रखने के लिए निधि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और यातायात के आधार पर कार्य शुरू किये जाते हैं।

[अनुवाद]

उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट

1037. श्री एम. आई. शानवास:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुराने वाहनों सहित सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका दिल्ली सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्रियान्वयन का तरीका क्या है;

(ग) किन राज्यों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथ पूरे देश में उक्त योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी;

(घ) क्या इन प्लेटों की लागत एवं अनुपलब्धता के संबंध में किसी विसंगति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। सभी श्रेणियों क नवीन और प्रयुक्त वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य करने के लिए मार्च, 2001 में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 50 को संशोधित किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने एचएसआरपी के लिए मानक और विशिष्टियां अधिसूचित की हैं। केन्द्रीय सरकार ने प्लेटों की जांच करने वाली जांच एजेंसियों जिनकों निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर विक्रेताओं को टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने हैं, के साथ-साथ इस स्कीम के कार्यान्वयन की तारीख जो कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है को भी अधिसूचित किया है। राज्यों को केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के अंतर्गत उन विक्रताओं का चयन करना है जिन्हें प्राधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र दिए गए हैं।

(ग) गोवा सिक्किम और मेघालय राज्यों ने इस स्कीम को कार्यान्वित कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस स्कीम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग कर रहा है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 18 विक्रेताओं ने अधिसूचित एजेंसियों से एचएसआरपी के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रिया का चयन और एचएसआरपी के मूल्य को अंतिम रूप प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा उनके यहां लागू संगत नियमावली और प्रक्रियात्मक अनुदेशों के अनुसरण में किया जाना है। इस प्रकार एचएसआरपी का मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकता है। तथापि किसी भी राज्य सरकार ने विक्रेताओं के पास एचएसआरपी की अनुपलब्धता सूचित नहीं की है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि

1038. श्री मकनसिंह सोलंकी:
श्री शिवकुमार उदासी:
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत संग्रहित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि के आबंटन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान आबंटित राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) कब तक सभी लंबित परियोजनाओं को मंजूर किये जाने तथा जारी परियोजनाओं को पूरा किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद: (क) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए इस मंत्रालय के बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटित निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	संग्रहित राशि (करोड़ रु.)
2008-09	8829.85
2009-10	9389.76
2010-11	10679.69
2011-12	11909.37

(ख) वर्तमान में राज्यों को निधि का आबंटन, पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल तेल की खपत पर 30 प्रतिशत भार-मान और संबंधित राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर 70 प्रतिशत भार-मान के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए राज्यीय सड़कों (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार उपार्जित राशि विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को निधि की समग्र उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली, 2007 के अनुसार, अनुमोदन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त और केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की उपार्जित निधि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	143.63	148.91	170.33	187.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.26	31.38	35.42	39.51
3.	असम	27.42	35.05	38.91	43.62

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	40.59	46.28	53.61	60.89
5.	छत्तीसगढ़	43.66	58.43	66.39	73.63
6.	गोवा	8.93	5.87	6.19	6.48
7.	गुजरात	104.84	107.48	119.81	132.58
8.	हरियाणा	66.18	47.55	55.36	64.99
9.	हिमाचल प्रदेश	19.34	24.81	27.48	30.66
10.	जम्मू और कश्मीर	54.92	86.81	96.97	108.61
11.	झारखंड	34.85	39.44	44.13	49.66
12.	कर्नाटक	103.82	105.84	118.45	131.28
13.	केरल	48.58	36.54	40.26	44.48
14.	मध्य प्रदेश	100.29	133.63	152.33	169.93
15.	महाराष्ट्र	175.89	174.92	119.75	221.54
16.	मणिपुर	5.84	8.90	10.07	11.23
17.	मेघालय	8.54	10.40	11.81	13.17
18.	मिजोरम	5.14	8.20	9.29	10.36
19.	नागालैंड	4.34	6.61	7.35	8.42
20.	ओडीशा	56.25	70.56	79.74	89.83
21.	पंजाब	65.39	48.69	50.71	56.79
22.	राजस्थान	130.60	158.91	117.30	197.57
23.	सिक्किम	2.15	2.99	3.48	3.89
24.	तमिलनाडु	110.92	93.98	109.16	121.57
25.	त्रिपुरा	3.54	4.62	5.22	5.83
26.	उत्तराखंड	20.96	25.74	28.84	32.60
27.	उत्तर प्रदेश	145.55	140.65	157.93	177.06
28.	पश्चिम बंगाल	55.40	53.02	59.23	65.43

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.27	3.50	3.94	4.39
30.	चंडीगढ़	3.51	3.75	4.23	4.72
31.	दादरा और नगर हवेली	1.64	1.75	1.98	2.21
32.	दमन और दीव	1.24	1.33	1.50	1.67
33.	दिल्ली	48.45	51.78	5840	65.13
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.13	0.15	0.16
35.	पुडुचेरी	7.59	8.11	9.15	10.21

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (31.10.11 तक) (अनंतिम)	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	447	447	373	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	9	9	0	0	10	10
3.	असम	8	8	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	2	0	0	0	0	4	1
5.	छत्तीसगढ़	15	10	23	3	9	7	0	0
6.	गोवा	13	8	11	0	1	1	0	0
7.	गुजरात	79	79	25	12	44	36	0	0
8.	हरियाणा	10	10	15	13	1	1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	7	7	4	4	5	5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	25	18	8	8	11	11	0	0
11.	झारखंड	7	7	1	1	03	03	0	0
12.	कर्नाटक	354	354	6	6	14	14	28	0
13.	केरल	18	18	13	9	16	16	0	0
14.	मध्य प्रदेश	40	11	83	60	70	62	0	0
15.	महाराष्ट्र	167	139	195	46	57	57	0	0
16.	मणिपुर	6	0	14	3	0	0	0	0
17.	मेघालय	3	0	8	8	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	8	7	0	0	0	0
19.	नागालैंड	1	1	3	0	1	1	0	0
20.	ओडीशा	20	15	10	3	18	8	0	0
21.	पंजाब	15	13	15	11	10	10	0	0
22.	राजस्थान	48	44	65	65	100	32	0	0
23.	सिक्किम	2	2	6	4	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	73	73	16	16	17	17	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	1	0	1	1	1	1
26.	उत्तराखंड	50	20	65	18	14	5	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	16	6	8	3	25	25	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	9	5	11	5	13	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	1	0	0	2	2	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	3	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	59	0	46	14	3	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0

सीमा पर घुसपैठ

1039. **श्री मिथिलेश कुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमित सीमा क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा पड़ोसी देशों द्वारा कितने क्षेत्रों को प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमा पर की गयी घुसपैठों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी देशों द्वारा सीमा पर घुसपैठ/अवक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से(ग) संगत ब्यौरे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

एक्सप्रेस राजमार्गों का निर्माण

1040. **श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री जयराम पांगी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुमोदित एक्सप्रेस राजमार्ग की उनकी लंबाई समेत ओडिशा सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक तथा ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में पूरी की गयी/ वित्तपोषित की गयी एक्सप्रेस वे परियोजनाओं का, आबंटित धनराशि का परियोजना-वार एवं इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने में संभावित समय सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे परियोजना को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद:) (क) और (ख) अभी तक दो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे मार्गों को अधिसूचित किया है:- गुजरात राज्य में अहमदाबाद और वदोदरा के बीच एक्सप्रेसवे मार्ग जिसकी कुल लंबाई 93.40 किमी है तथा दिल्ली के आस-पास पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग जिसकी लगभग 90 किमी लंबाई उत्तर प्रदेश में है और 44 किमी लंबाई हरियाणा में है। अहमदाबाद और वदोदरा के बीच एक्सप्रसवे मार्ग प्रचालन में है। पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग, निविदा स्तर पर है।

वर्तमान में, इस मंत्रालय द्वारा कोई एक्सप्रेसवे परियोजना निष्पादित नहीं की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों के लिए स्कूल

1041. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री गोविंद प्रसाद मिश्र:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से बाल श्रमिकों के लिए साठ स्कूलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) के तहत चलाए जा रहे विभिन्न स्कूलों की दशा बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएलपी के अंतर्गत स्कूल शासी प्राधिकारियों में तत्परता लाने हेतु लागू की गयी नीतियों/व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष विद्यालयों की स्वीकृति जिला समाहर्ता/उपायुक्त की अध्यक्षता वाली बाल श्रम परियोजना सोसायटी को दी गई है जो इन विशेष विद्यालयों को चलाने के लिए पात्र गैर-सरकारी संगठनों का चयन/पहचान करते हैं। आदिनांक देश के 266 जिलों में 7311 विशेष विद्यालय चल रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, वृत्तिका, स्वास्थ्य

देख-रेख आदि सुविधाएं उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में शामिल करने से पूर्व प्रदान की जाती है।

(घ) सचिव, श्रम एवं रोजगार के अध्यक्षता में राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व वाली एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति गठित की गई है जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। समिति आवधिक रूप से बैठकें करती है तथा देश भर के सभी जिलों में जहां राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा करती है तथा उन पर कड़ी निगरानी रखती है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा भारतीय उर्वरक निगम संयंत्र का पुनरूद्धार

1042. श्री बलीराम जाधवः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सिन्दरी स्थित भारतीय उर्वरक निगम संयंत्र हेतु पुनरूद्धार योजना लागू करने के लिए उर्वरक संयंत्र के साथ इस्पात संयंत्र विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए भूमि के आबंटन हेतु नामनिर्देशन आधार पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुनरूद्धार योजना में सरकार द्वारा संभावित अनुमानित व्यय क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी हां।

(ख) आर्थिक कार्यो संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने फर्टिलाईजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)/हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद पड़ी यूनिटों के पुनरूद्धार हेतु पुनर्वास योजना के मसौदे को बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फईनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर)की स्वीकृति की शर्त पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अनुमोदन के अनुसार एफसीआईएल की सिंद्री यूनिट के पुनरूद्धार के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और नेशनल फर्टिलाईजर लिमिटेड (एनएफएल) के कसोर्टियम को नामित किया गया है।

(ग) सेल-सिंद्री प्रोजेक्टस लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) दिनांक 8.11.2011 को निगमित किया गया है। बीइआईएफआर की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सेल द्वारा निवेश योजना समेत एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

शौर्य पुरस्कार विजेताओं के लिए पेंशन

1043. श्रीमती दीपा दासमुंशीः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार शौर्य पुरस्कार विजेताओं, उनके बच्चों तथा आश्रितों हेतु पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) शौर्य पुरस्कार विजेता पेंशन संबंधी सामान्य लाभों के अलावा मासिक आर्थिक भत्ते के लिए पात्र होते हैं। इस प्रति माह के आर्थिक भत्ते को पिछली बार 30 मार्च, 2011 को संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर बताए अनुसार।

डीआरडीओ की उपलब्धियां

1044. श्री तूफानी सरोजः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान डीआरडीओ द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असैनिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान भी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत 50 प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं काम कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्य रूप से हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए सामरिक, जटिल और सुरक्षा संवेदनशील प्रणालियों के अभिकल्प और विकास में कार्यरत है। इसने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनेक प्रणालियों का विकास किया है। इनमें प्रक्षेपास्त्र; मानव रहित वायु वाहन; रडार; इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणालियां; सोनार; तारपीडो; युद्धक वाहन; सेतु प्रणालियां; युद्धक विमान; सेन्सर; एनबीसी प्रौद्योगिकियां; पैराशूट; प्रणोदक एवं विस्फोटक; डेटोनेटर; समिश्र सामग्रियां; ईंधन सेल; ऐंटीना; संचार प्रणालियां; निम्न तीव्रता वाली संघर्ष संबंधी प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं। रक्ष

ा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अनेक प्रणालियों का उत्पादन शुरू किया जा चुका है और उन्हें सेवा में शामिल कर लिया गया है तथा अनेक प्रणालियां शामिल किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रणालियों की कीमत लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही कई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग नागरिक अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है। इनमें समिश्र सामग्रियां; स्टील; संगणना प्रणालियां; सेतु; पानी में जहर की पहचान करने वाले उपकरण; स्वाइन फ्लू पहचान उपकरण; स्टेंट; खाद्य पदार्थ; कपड़ा और वस्त्र-मदें; मानव रहित वाहन; बुलेट प्रूफ वाहन; संजीवनी; मित्रों और दुश्मनों की शिनाख्त करने वाले उपकरण; रात्रिदर्शी उपकरण; लेसर डेजलर; (जीवनोपयोगी) किट; अग्नि शमन सामग्रियां/उपस्कर; आकस्मिक बचाव छतरी; वाकिंग रोबोट; स्नेहक; पेंट; आदि शामिल हैं।

गंगा नदी का संरक्षण

1045. **श्री रेवती रमण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गंगा जल के संरक्षण के लिए कोई कानून अधिनियमित करने का है क्योंकि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार से गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों के सुदृढ़ीकरण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत दिनांक 20.2.2009 की अधिसूचना द्वारा आयोजना, वित्त पोषण, मॉनीटरन और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया है। इस अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने से इसका अद्वितीय महत्व है।

[अनुवाद]

स्थायी और अस्थायी कामगार

1046. **श्री कमलेश पासवान:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों आदि के कामगारों सहित स्थायी और अस्थायी कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनकी मजदूरी में कितना अंतर है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों की मजदूरी में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत एकत्रित सूचना के अनुसार 2009-10 में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की कुल संख्या क्रमशः 28.7 करोड़ एवं 43.7 करोड़ थी। देश मे स्थायी एवं असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की कुल संख्या क्रमशः 2.87 करोड़ एवं 43.7 करोड़ थी। देश में स्थायी थी। देश में स्थायी एवं अस्थायी कामगारों की सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(ख) श्रम ब्यूरो रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार औसत दैनिक अर्जन के अनुसार कामगारों के औसत दैनिक अर्जन (रूपए में) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अखिल भारत - 186.86

सार्वजनिक क्षेत्र - 398.67

संयुक्त क्षेत्र - 377.76

निजी क्षेत्र - 182.11

(ग) देश भर में एक समान मजदूरी ढांचा अपनाने तथा न्यूनतम मजदूरी में असमानता को घटाने के लिए, 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना प्रस्तुत की गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करके 1.4.2011 से 115 रु. प्रति दिन कर दिया है।

[हिन्दी]

विमान वाहक पोतों का निर्माण

1047. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े विमान वाहक पोतों के विनिर्माण संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पोतों का विनिर्माण कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारतीय नौसेना के पास विभिन्न प्रकार के युद्धपोतों के सफलतापूर्वक अभिकल्पन का अनुभव है। इस अनुभव ने भारतीय नौसेना को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक का डिजाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने के लिए सक्षम बना दिया है। डिजाइन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे प्रणोदन प्रणाली एकीकरण तथा विमानन सुविधा काम्पलेक्स के बारे में विदेशों से तकनीकी जानकारियां प्राप्त हो गई हैं। सरकार ने 2003 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में स्वदेशी विमानवाहक के निर्माण हेतु अनुमोदन दे दिया था। स्वदेशी विमानवाहक का निर्माण कार्य कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में चल रहा है।

[अनुवाद]

भूजल प्रदूषण

1048. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में भूजल में प्रदूषण की तरफ ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क)से (घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मानसून से पूर्व मौसम के दौरान वर्ष में एक बार लगभग 15000 ऑब्जर्वेशन कुंओं के नेटवर्क द्वारा भूजल नमूने एकत्र किए जाते हैं। चुनिंदा शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों में भेजल दोहन, भूजल प्रबंधन अध्ययन और विशेष अध्ययनों के दौरान जल गुणवत्ता विश्लेषण के लिए भी भूजल में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक प्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, लौह और भारी धातुओं से संदूषित भूजल का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) स्वच्छ और पीने योग्य जल को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- भूजल में आर्सेनिक और प्लोराइड जैसे ज्योजीनिक संदूषणों की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय भूजल बोर्ड संदूषण मुक्त जलभर वाले क्षेत्रों का आंकलन के लिए राज्य एजेंसियों से परामर्श कर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करता है। कार्य पूर्ण होने और आवश्यक वैज्ञानिक सूचना एकत्र होने के बाद अन्वेषणात्मक कुएं संबंधित राज्य एजेंसियों को उनके द्वारा उपयोग हेतु सौंप दिए जाते हैं।

- सार्वजनिक जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, जल बोर्ड जल निगम और अन्य नगरीय प्राधिकरणों द्वारा पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय अपने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

- जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के उपबंध के अंतर्गत औद्योगिकी प्रदूषण नियंत्रण।

- अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के अनुसार कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

- लघु स्तरीय औद्योगिकी इकाइयों के समूह के लिए साझा बहि:स्त्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना।

- विभिन्न नदी कार्य याजनाओं के अंतर्गत अवरोधन दिशा परिवर्तन आर उपचार सुविधाओं के विकास के लिए शहरी केन्द्रों की पहचान की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फ्लोराइट 1.5 मिग्रा/1 से अधिक	नाइट्रेट (45 मिग्रा/ 1 से अधिक)	आर्सेनिक (0.01 मिग्रा/ 1 से अधिक)	आयरन (1.0 मिग्रा/ 1 से अधिक)	भारी धातुएं लेड 0.05 मिग्रा/1 से अधिक) मैगनीज (0.1 मिग्रा/1 से अधिक) क्रोमियम (0.05 मिग्रा/1 से अधिक) कैडमियम 0.01 मिग्रा/1 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				अंडमान	
2.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनंतपुर चित्तूर, गुंटुर, हैदराबाद करीमनगर, खम्मन, कृष्णा करनूल महबूबनगर, मेडक नालगोण्डा, नेल्लोरे प्रकासम रंगारेड्डी, विशाखापट्नम विजीनगरम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी	आदिलाबाद अनंतपुर चित्तूर कुडुापह, पूर्व गोदावरी गुंटुर, हैदराबाद करीमनगर खम्मम, कृष्णा, करनूल महबूबनगर मेडक, नालगोण्डा नेल्लोर निजामाबाद प्राकसम रंगारेड्डी श्रीकाकुलम विशाखापट्टनम, विजीनगरम वारंगल, पश्चिम गोदावरी		आदिलाबाद चित्तूर कुडुापह, गुंटूर हैदराबाद, गुंटुर, कृष्णा करनूल महबूबनगर, मेडक नालगोण्डा, मेडक निजामाबाद , नेल्लोर विशाखापट्टनम,	लेड: रंगारेड्डी, नालगोण्डा,
3.	असम	गोलपाड़ा कामरूप कर्बीअंगलोंग नंगाव		धेमजी	-कच्चर द्रंग धमेजी धुब्री गोलपाड़ा गोलघाट हैलकंडी जोरहाट कामरूप	

1	2	3	4	5	6	7
					कर्बीअंगलोंग, करीमगंज, कोकरांझार लखीमपुर मोरीगांव नगॉव, नलबरी सिबसागर सोनितपुर	
4.	बिहार	औरंगाबाद, बांका, बक्सर जमुई काईमुर भबुआ मुंगेर नवादा रोहतास सुपौल	औरंगाबाद बांका, भागलपुर भोजपुर काईमुर भबुआ पटना रोहतास सरन सीवान	बेगुसराय भागलपुर भोजपुर बक्सर दरभंगा कटिहार खगरिया किशनगंज लखीसराय, मुंगेर, पटना पूर्णिया समस्तीपुर सरन वैशाली	औरंगाबाद बेगुसराई, भोजपुर बक्सर पूर्व, चम्पारन गोपालगंज कटिहार खगरिया किशनगंज लखीसराय मधेपुरा मुजफ्फरपुर, नवादा रोहतास सहरसा समस्तीपुर सिवान, सुपौल पश्चिम चम्पारन	
5.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाडा, जंजगीरचम्पा, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया महसामुंड, रायपुर, राजनांगांव, सुरगुजा	बसतर, बिलासपुर, दंतेवाडा, धमतरी जशपुर, कांकेर, कवार्धा, कोरबा, महसामुंड, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव	राजनंदगांव	बस्तर दंतेवाडा, कांकेर, कोरिया	
6.	दिल्ली	पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली	केन्द्रीय दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली, पश्चिम दिल्ली			लेड: नजफगढ़ नाले सहित उत्तर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम जिलों में कैडमियम: दक्षिण-पश्चिम क्रोमियम: उत्तर-पश्चिम दक्षिण, नई दिल्ली, पूर्व
7.	गोवा				उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा	
8.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद बनासकांठा, भारूच, भवनगर, दोहद, जुनागढ़, कच्च, मेहेसना, नर्मदा,	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर,			

1	2	3	4	5	6	7
		पंचमहल, पतन, राजकोट, सबरकंठा, सुरत, सुरेन्द्रनगर, वडोदरा	दोहद, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, मेहेसाना, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पतन, पोरबंदर राजकोट, सबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, बड़ोदरा			
9.	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत	अंबाला, भिवानी, फरीदबाद, फतेहबाद, गुडगांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर		अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव, हिसार झज्जर, जींद कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र महेन्द्रगढ़, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुना नगर	लेड : हिसार, भिवानी रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश		ऊना			
11.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी, ऊधमपुर	जम्मू, कठुआ		बारामुला, बुदगम, कठुआ, कुपवारा, पुलवामा श्रीनगर	लेड: जम्मू (गंगयाल) बरिब्रह्मा
12.	झारखण्ड	बोकारो, गिरीडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू, रांची	छतरा, गरवा, गोड्डा, गुमला, लोहारडागा, पाकुर, पलामू, पश्चिमसिंहभूम, रांची, साहिबगंज		छतरा, देवघर, पूर्वीसिंहभूम, गिरिडीह, रांची, पश्चिम सिंहभूम	
13.	कर्नाटक	बगलकोट, बंगलौर, बेलगाम बेल्लारी, बिदार, बिजापुर, चमराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड, गडक, गुलवर्गा, हावेरी, कोलार, कोपपल, मंडया,	बगलकोट, बंगलौर, बेलगाम बेल्लारी, बिदार, बिजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग,		बगलकोट, बंगलौर, बेलगाम, बेल्लारी बिदार, बिजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, गुलवर्गा, हासन, हावेरी, कोलार,	

1	2	3	4	5	6	7
		मैसूर, रायचूर, तुमकूर	दावणगेरे, धारवाड, गडक, गुलवर्गा, हासन, हावेरी, कोलार कोप्पल, मंडया, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, उडूपी उत्तर कन्नड		कोप्पल, मैसूर, रायचूर, शिमोगा तुमकूर, उडूपी, उत्तर कन्नड	
14.	केरल	पालाक्कड	अलाप्पूझा, इदकी, कोलम, कोट्टयम, कोझीकोड, मल्लपुरम, पालकाड, पठानाम्थिटा, तिरूवनंतपुरम, त्रिसूर, वायनाड		अलाप्पूझा, एर्नाकुलम इडूक्की, कन्नूर, कसारागाड, कोलम, कोट्टयम, कोझीकोड, मल्लपुरम, पालाक्कड, पठानाम्थिटा, तिरुवनंतपुरम, त्रिसूर, वायनाड	
15.	मध्य प्रदेश	भिंड, छतरपुर, छिंदवाडा, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरडा, जबलपुर, झाबुआ, खरगांव, मदसौर राजगढ़, सतना, स्योनी, शाजापुर, श्योपुर, सिधि	अनूपपुर, अशोक नगर, बालाघाट, बरवानी, बेतुल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाडा, दमोह, दतिया, देवास, धार, ग्वालियर, हरडा, होसंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगांव, मंडला, मदसौर, मुरैना, नरसिंम्हापुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, स्योनी, शहडोल, शाजापुर,		बालाघाट, बेतुल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाडा, गुना, ग्वालियर, होसंगाबाद, नरसिंम्हापुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवां, सागर, सतना, सिहोर, स्योनी, शहडोल, शाजापुर, सिधि, उज्जैन, उमेरिया, विदिशा, डिडोरी, पूर्वी निमार	लेड : बालाघाट, बरवानी, दमोह, दतिया, देवास, धर, डिडोरी, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, सतना सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, विदिशा

1	2	3	4	5	6	7
			श्योरपुर, शिवपुरी, सिधि, टीकमगढ़, उज्जैन, उमेरिया, विदिशा			
16.	महाराष्ट्र	अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गडचिरोली, गोडिया, जालना, नागपुर, नांदेड़	अहमदनगर, आकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भांडारा, बलडाना, चंद्रपुर, धुले, गडचिरोली, गोडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नंदरवार, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, वर्धा, वासिम, यवतमाल		अहमदनगर, अमरावती, बीड, बुलढाना, चंद्रपुर, धुले, गडचिरोली, जालना, कोल्हापुर लातूर, नंदरवार, नासिक, उस्मानाबाद, परभाणी, रत्नागिरि, सतारा, ठाणे, वर्धा, वासिम, यवतमाल	लेड: अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, बुलढाना, धुले, गडचिरोली, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड, उस्मानबाद, परभनी, पुणे, सांगली, वर्धा, वासिम, यवतमाल
17.	मणिपुर				बिष्णुपुर, थोबाल	
	मेघालय				ईस्ट गारो हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स	
18.	उड़ीसा	आंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बौद्ध, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, जाजापुर, क्योंझर, सोनापुर	आंगुल, बालासौर, बारगढ़, भद्रक, बोलांगिर, बौद्ध, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गजपति, जयपुर, झारसुगुडा, कालाहांडी, केन्द्रपाडा, क्योंझर, खुर्दा कोरापुट, मलकानगिरि		बालासोर, बारगढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, जे. सिंहपुर, जयपुर झारसुगुडा, कालाहांडी, कंडमहल, क्योंझर, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, कोरापुट, मयूरभंज, नयागढ, पुरी, रायगढ़, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ सोनापुर	जयपुर जिले के सुकिंडा ब्लॉक में सुकिंडा घाटी में हेक्सावेलेंट क्रोमियम

1	2	3	4	5	6	7
			मयूरभंज, नवापाडा, नयागढ, फुलबनी, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ, सोनापुर			
19.	पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फतेहगढ़, साहिब, फिरोजपुर, गुरूदासपुर, मनसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, संगरूर	अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फतेहगढ़, साहिब, फिरोजपुर, गुरूदासपुर, होशियारपुर जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, मुक्तसर, नवानशहर, पटियाला, रुपनगर, संगरूर		भटिन्डा, फरीदकोट, फतेहगढ़, साहिब, फिरोजपुर, गुरूदासपुर, होशियारपुर मनसा, रूपनगर, संगरूर	लेड : अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मुक्तसर
20.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बनासबाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर	अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बरन, बाडमेर, बून्दी, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर जालौर, झालाबाड, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर टोंक, उदयपुर		अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बरन, भरतपुर, भीलवारा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाडा झुंझनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर	लेड: जिला झुंझुनू (खेतड़ी) कॉपर डिपोजिट, पाली जयपुर, (साभर झील, सांगनेर)

1	2	3	4	5	6	7
21.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिन्डीगुल, एरोड, करूर, कृष्णागिरि, नामक्कल, पेराम्बलूर, पुड्डुकोटई, रामनाथनपुरम, सलेम, सिवगंगा, थेनी तिरूमलमलाई, तिरूचिरापल्ली, वेल्लोर, विरूधुनगर	चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मापुरी, डिन्डीगुल, एरोड कांचीपुरम, कन्याकुमारी करूर, मदुरई, नामकल नीलगिरि, पेराम्बलूर, पुड्डुकोटटाई, रामनाथपुरम, सलेम, सिवगंगा थिरूमलामलाई, थंजावुर, तिरुनेलवेली, थिरुवल्लुर, त्रिची, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरूधुनगर		नामक्कल, सलेम	लेड : डिन्डीगुल, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, मैंगनीज : तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, कैडमियम: तिरुवल्लुर,
22.	त्रिपुरा				धालई, उत्तर त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा	
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, जौनपुर, कन्नौज, महामायानगर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, औरेय्या, बुदायूं, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर,	अम्बेडकर नगर, बुदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, फैजाबाद, गौंडा, गोरखपुर, खीरी, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर मुरादाबाद,	आजमगढ़, बलिया बलरामपुर, इटावा, फतेहपुर, गाजीपुर, गौंडा, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर, ललितपुर मऊ, सिद्धार्थनगर, उन्नाव	लेड : मुज्फरनगर, मथुरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, भदोही, गाजियाबाद, जौनपुर कानपुर, रायबरेली, सोनभद्र कैडमियम: वाराणसी शहर क्रोमियम काशी विद्यापीठ, वाराणसी मैग्नीशियम: बहराइच

1	2	3	4	5	6	7
			हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, देहात, लखीमपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, संत रविदास नगर, शाहजहापुर, सीतापुर, उन्नाव	पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहापुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, उन्नाव (सीजीडब्ल्यूबी तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार		
24.	उत्तराखण्ड		देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर			
25.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बर्धमान, बीरभूम, दक्षिणदिनाजपुर, मालदा, नाडिया, पुरुलिया, उत्तरदिनाजपुर	बांकुरा, वर्धमान	वर्धमान, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, एन-24 परगना,	बांकुरा, बर्धमान, बीभूम, दक्षिणदिनाजपुर, ई. मिदनापुर, हावड़ा, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, एन-24 परगना, नाडिया, एस-24 परगना, उत्तरदिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर	मैगनीज : उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नाडिया और मालदा के पृथक पॉकेट्स

[हिन्दी]

वायुसेना के फाइटर पायलट

1049. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलटों को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलटों के उपस्करों की प्रचालनात्मक, सुरक्षा व रक्षा आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा एवं उन्नयन करती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय वायुसेना में सभी नए लड़ाकू विमानों की अधिप्राप्ति में अत्याधुनिक उपस्कर इनका एक हिस्सा हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फार्मा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1050. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में सरकार की उदार नीति के परिणामस्वरूप भारत की अनेक भेषज्ञ इकाइयों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अधिग्रहण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) हाल ही में कुछ भारतीय फार्मा (भेषज) कंपनियों का, जिनमें रैनबक्सी लेबोरेटरीज, डाबर फार्मा, मैट्रिक्स लैब, शांता बायोटेक, ऑर्किड केमिकल्स और पिरामल हैल्थकेयर शामिल हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण किया गया है। तथापि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 8.12.2011 को जारी किए गए प्रेस नोट 3 (2011) में दिए गए अनुसार, फार्मा क्षेत्र से संबंधित वर्तमान नीति निम्न प्रकार है:

(1) फार्मा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेश के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति जारी रहेगी।

(2) फार्मा क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेश (अर्थात मौजूदा कंपनियों में निवेश) के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त प्रेस नोट के जारी होने की तारीख से छह महीने पश्चात उपर्युक्त निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

1051. श्री मानिक टैगोर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बधिर जनसंख्या के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना तमिलनाडु में भी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) (क) और (ख) मंत्रालय ने दिनांक 21.7.2011 के आदेश के जरिए, भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र को परियोजना आधार पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली के एक स्वायत्त केन्द्र के रूप में स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। यह केन्द्र अध्ययन, शैक्षिक विकास तथा भारतीय संकेत भाषा के प्रचार तथा इसके शिक्षण और प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि यह भाषा अपना उचित, भाषायी, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थान प्राप्त कर सके। इस केन्द्र का दिनांक 4.10.2011 को उद्घाटन किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नयन

1052. श्री प्रदीप मांझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना और थलसेना की आवश्यकता के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नयन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिसाइल के पुर्जों का निर्माण सेना अनुसंधान केन्द्र, तिरूवनंतपुरम में भी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त केन्द्र में अब तक विकसित की गई अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त केन्द्र द्वारा मांग को किस सीमा तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का विकास आरम्भिक तौर पर भारतीय नौसेना के लिए जहाज से जहाज पर मार करने वाले पोतरोधी संस्करण के रूप में किया गया है और उसे सेवा में ले लिया गया है। बाद में, भूमि से भूमि संस्करण का विकास भारतीय थलसेना और भारतीय वायुसेना के लिए किया गया है। इस संस्करण को भी सेना में शामिल कर लिया गया है और थलसेना तथा वायुसेना के लिए इसका उत्पादन किया जा रहा है। जहाज से भूमि स्थित लक्ष्यों के लिए परीक्षण भी किए जा चुके हैं। भूमि पर मोबाइल परिसर से जहाज पर तटरक्षक बैटरी भी

भारतीय नौसेना के लिए उपलब्ध है। भारतीय वायुसेना के वास्ते एस यू-30 एमके-1 के लिए प्रक्षेपास्त्र के वायु संस्करण का विकास किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, हां। प्रक्षेपास्त्र अवयवों के कुछ भागों, एयरफ्रेमों और वायुवाहित लांचरों का इस समय ब्रह्मोस एयरोस्पेस के तिरूवनन्तपुरम परिसर में उत्पादन किया जा रहा है। भारत के कई उद्योग इस प्रक्षेपास्त्र और भू-प्रणालियों के लिए पुर्जे प्रदान करने में भागीदार हैं।

हॉटलाइनों का एंक्रिप्शन

1053. **श्री रूद्रमाधव रायः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के साथ हॉटलाइनों के एंक्रिप्शन हेतु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है और किन-किन देशों के साथ हॉटलाइनें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) हॉटलाइनें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

ईपीएफ पर ब्याज दर

1054. **डॉ. भोला सिंहः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्याप्त अधिशेष निधियां होने के बावजूद निजी भविष्य निधि न्यास उच्च ब्याज दर देने का विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को निजी पी.एफ. न्यासों के ब्याज उचंत खातों में अप्रयुक्त पड़ी धनराशि के संबंध में कोई जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उच्च ब्याज दरें सुनिश्चित करने हेतु निजी पी.एफ. न्यासों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार छूट प्राप्त निजी भविष्य निधि न्यासों को कम से कम कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ब्याज का भुगतान करना होता है। इसलिए उन्हें उच्च ब्याज का भुगतान नहीं करना होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

1055. **श्री इन्दर सिंह नामधारीः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन विभाग द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के कारण झारखंड राज्य में विभिन्न जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में झारखंड राज्य सरकार से देवघर जिले में पुनासी जलाशय योजना और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोनुआ जलाशय के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव अपूर्ण थे और झारखंड राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। संशोधित प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेल लाइन परियोजना हेतु वन क्षेत्र

1056. **श्री प्रहलाद जोशीः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में हुबली-अंकोला नई रेल लाइन परियोजना के लिए दिए जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आकार को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वन सलाहकार समिति ने 25.10.2004 को हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से परामर्श कर इस प्रस्ताव में विवेचित संशोधन करने और खोजे गए विकल्पों के विवरण सहित रेलवे लाइन के निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी।

(ग) से (च) इसके अतिरिक्त प्रस्तावित हुबली-अंकोला रेलवे लाइन के बारे में अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई थी।

1. अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (केन्द्र), क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर
3. मुख्य वन्यजीव वार्डन, कर्नाटक

इस समिति ने फरवरी, 2010 के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति के क्षेत्रीय दौरे द्वारा संरक्षण तथा विकास दोनों दृष्टिकोण से संदर्भ स्पष्ट किया है। इस समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है क्योंकि अब यह मामला केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

सड़कों का उन्नयन

1057. **श्री हरिन पाठक:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को दजेज-जोलवा-विलायत-नवीपुर सड़क और दहेज-मुलर-अमोद-जंबुसर सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक आरंभ और पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करना

1058. **श्री कामेश्वर बैठा:**
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित दिशा-निर्देशों और निदेशों के अभाव में विभिन्न राज्यों में कई श्रमिक संघों की मान्यता लंबित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों के विभिन्न श्रमिक संगठनों और उनके प्रबंधन के बीच अनुशासन संहिता के अनुपालन संबंधी विवाद सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उद्योगों हेतु अनुशासन संहिता के अंतर्गत श्रमिक संघों को मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) श्रम को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है तथा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही समुचित सरकार के रूप में नामोद्दिष्ट हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में अधिकांश संघों को मान्यता देने के प्रयोजनार्थ मजदूर संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश/निदेश हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में उचित दिशा-निर्देश तथा निदेशों के अभाव में कोई मान्यता लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों में प्रचालित श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन संबंधित

राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस कारण, विवादों के विवरण केन्द्र सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं रखे जाते।

(ङ) अनुशासन संहिता के अंतर्गत एक संघ किसी स्थानीय क्षेत्र में उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता दिए जाने का दावा कर सकता है यदि उसकी सदस्यता उस क्षेत्र में उस उद्योग के कामगारों का कम से कम 25 प्रतिशत हो। यदि किसी उद्योग में अनेक श्रमिक संघ हों तो सबसे अधिक सदस्यता वाले संघ को बहुमत वाले संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी। एक स्थापना में प्रचालित श्रमिक संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया अनुशासन संहिता में निर्धारित की गई है। स्थानीय क्षेत्र के किसी उद्योग में प्रचालित श्रमिक संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए अनुशासन संहिता में कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मानव शरीर पर जीएम फसलों का प्रभाव

1059. श्री एन. एस. वी. चित्तन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलें (खाद्यात्र सब्जियां और फल आदि) मानव जाति के लिए खतरा सिद्ध हो सकती हैं जैसा कि देश में विभिन्न वैज्ञानिक समुदायों ने जानकारी दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) भारत सरकार, आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों का मामला दर मामला मूल्यांकन की नीति का अनुसरण कर रही है। ट्रांसजैनिक बीजों की सुरक्षा, क्षमता और कृषि संबंधी निष्पत्ति से संबंधित विभिन्न सरोकारों के मद्देनजर किसी जीएम पौधे की वाणिज्यिक कृषि को मंजूरी देने से पहले व्यापक मूल्यांकन और विनियामक मंजूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें संबंधित जैव सुरक्षा सूचना तैयार करना और इसकी भोजन, चारा तथा पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इस पर्यावरणीय मूल्यांकन में पोलन एस्केप आउट-क्रोसिंग, आक्रामकता और खरपतवार होने, गैर-लक्षित जीवों पर जीन का प्रभाव, मृदा में प्रोटीन की उपस्थिति तथा मृदा सूक्ष्म-वनस्पति पर इसके प्रभाव, समापक जीन की अनुपस्थिति की पुष्टि, और बेसलाइन अतिसंवदेनशीलता अध्ययन शामिल है।

चार/छः लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

1060. श्री मनीष तिवारी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के कुल कितना प्रतिशत राजमार्ग चार/छः लेनों वाले हैं और कब तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की चार/छः लेनों में बदल दिया जाएगा और सरकार ने इस संबंध में क्या वार्षिक और आवधिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) उपरोक्त परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि के निवेश की आवश्यकता है और इस संबंध में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 2004-2001 तक वर्ष-वार सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईपीसी (इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और संविदा) आधार पर परियोजनाएं प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या त्रुटि दायित्व अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो विभिन्न पणधारकों से इस संबंध में क्या आपत्तियां/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार लगभग 24.7% राष्ट्रीय राजमार्ग चार/छः लेन के हैं। सभी राजमार्गों को चार/छः लेन राजमार्ग मानक में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास नहीं हैं।

(ग) दिनांक 2003-04 से 2011-12 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के सड़कों की कुल लंबाई में से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई (किमी)	सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई (किमी)	समस्त सड़क नेटवर्क की लंबाई की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का प्रतिशत
2003-04	65,569	36,21,507	1.8
2004-05	65,569	38,09,156	1.7
2005-06	66,590	38,80,651	1.7
2006-07	66,590	40,16,401	1.7
2007-08	66,754	41,09,592	1.6
2008-09	70,548	आंकड़े उपलब्ध नहीं	....
2009-10	70,934	आंकड़े उपलब्ध नहीं	....
2010-11	70,934	आंकड़े उपलब्ध नहीं	....
2011-12	71,772*	आंकड़े उपलब्ध नहीं	....

*दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार

(घ) और (ङ) अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने निदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाली 15% परियोजनाओं का कार्य इंजीनियरी-प्रापण निर्माण आधार पर किया जा सकता है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल किया जाना

1061. श्री उदयनराजे भोंसले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंडल आयोग के लागू होने से पहले पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में उन्हें नौकरियों में दिए गए आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अतिरिक्त जातियों के ऐसे समूहों को ऐसे राज्यों में अलग से आरक्षण दिया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी जातियों के समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) पिछड़े वर्गों/अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य-वार अलग सूची और सेवाओं में आरक्षण की उनकी स्थिति का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है। राज्य अपने अन्य पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने और राज्य सेवाओं में उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इन्हें भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय सहायता

1062. श्री खगेन दास: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत अ. जा. के विकास हेतु सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या राज्य उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना आयोग की सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार एवं राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	अनुसूचित जाति उप-योजना		
	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10	वार्षिक योजना 2010-11
असम	100.72	115.67	140.27
मणिपुर	48.30	58.06	70.33
सिक्किम	42.60	सूचना प्राप्त नहीं	30.77
त्रिपुरा	242.19	280.11	300.00
कुल	433,81	453.84	541.37

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए बनाई गई है।

(ख) और (ग) योजना आयोग की सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि करने संबंधी कोई मांग उसे प्राप्त नहीं हुई है।

पर्यावरणीय प्रदूषण

1063. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बड़े शहरों में होने वाली अत्यधिक मौतों का कारण पर्यावरणीय प्रदूषण होने से संबद्ध कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण में कुल कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु शीघ्र कदम उठाने के लिए क्या रणनीति तैयार की है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक सरकार ने कितनी प्रगति की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) कुछ जानपदिक-रोगविज्ञान अध्ययनों के अनुसार स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली श्वसन और हृदयवाहिका संबंधी बीमारियों आदि को वायु प्रदूषण के साथ जोड़ा जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/समितियों के साथ 208 शहरों में 501 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरी ने दर्शाया है कि अधिकतर शहरों में अन्त:श्वसनीय निलंबित विविक्त कण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानदण्डों से अधिक हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रदूषण उपशमन के लिए एक व्यापक कार्य नीति की रचना, परिष्कृत ऑटोफ्यूल की आपूर्ति, वाहनों संबंधी और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को सख्त करना, विशिष्ट उद्योगों हेतु अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, नगर निगम, खतरनाक एवं जैव-औषधीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर पौद्योगिकियों को बढ़वा देना, वायु गुणवत्ता मॉनीटरी स्टेशनों के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, प्रदूषण दबाव का आकलन, स्रोत संविभाजन अध्ययन, बड़े शहरों और प्रदूषण संवेदी क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और तैयारी, जन जागरूकता इत्यादि शामिल है।

स्वीकृति प्रदान करने के मानदंडों में छूट

1064. श्री मंगनी लाल मंडलः
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़ेः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रवर्तन के पश्चात् देश के जनजातीय और वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सौर ऊर्जा एवं अन्य ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं ठप पड़ गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकासात्मक कार्यो को आरम्भ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने संबंधी मानदंडों में किसी विशेष छूट का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार को राज्य सरकारों से पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अत्यावश्यक विकास जरूरतों को पूर्ण करने हेतु, 31.10.2011 तक वन् (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 11,33,469 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु 22,448 अनुमोदन प्रदान किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों में सड़क निर्माण परियोजनाओं हेतु 43,202 हेक्टेयर वन भूमि को अपवर्तन वाले 64 प्रस्ताव शामिल हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सरकारी विभागों द्वारा 11 विशिष्ट श्रेणियों की उपयोगी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक मामले में अपेक्षित 1.00 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रदान किए है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लूई) प्रभावित जिलों में जन उपयोगी अवसंरचना के त्वरित सृजन को सुकर बनाने के लिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2010 को 13 विशिष्ट श्रेणियों की जन उपयोगी अवसंरचना के निष्पादन हेतु, प्रत्येक मामले में, 2.00 हे. तक वन भूमि के अपवर्तन हेतु पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 31.12.2015 तक के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रदान किए हैं। 13 मई, 2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा 60 एलडब्लूई प्रभावित जिलों में सरकारी विभागों द्वारा उपर्युक्त 13 श्रेणियों की जन उपयोगी अवसंरचना के निष्पादन हेतु प्रत्येक मामले में 5.00 हे. तक की वन भूमि के अपवर्तन के लिए सामान्य अनुमोदन में और अधिक छूट प्रदान की है। दिनांक 16 जून, 2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया कि दिनांक 13 मई, 2011 के उपर्युक्त सामान्य अनुमोदन के अनुसार अपवर्तित वन भूमि के बदले अनुपूरक वनीकरण पर जोर न दिया जाए।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन ने वनेतर उद्देश्य हेतु वन भूमि के अपवर्तन की औसत वार्षिक दर को 1.65 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष से 36,548 हे. प्रति वर्ष तक सफलतापूर्वक कम किया है। अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व बिना किसी उपशामक उपायों के वनेतर उद्देश्यों हेतु 1951-52 से 1975-52 से 1975-76 तक की 25 वर्षों की अवधि के दौरान 4.135 मिलियन हे. वन भूमि अपवर्तित की गई थी तथा अधिनियम के 31 वर्षों से अस्तित्व में होने के दौरान पर्याप्त उपशामक उपायों जैसे कि अनुपूरक वनीकरण का सृजन और देखभाल, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की प्राप्ति, वन्यजीव संरक्षण योजना की तैयारी और क्रियान्वयन इत्यादि सहित वनेतर उद्देश्यों हेतु 1,133 मिलियन हे. वन भूमि के अपवर्तन हेतु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने अनुमोदन प्रदान किया। इसलिए केंद्र सरकार सरकारी स्कीम के तहत विकासात्मक कार्य शुरू करने के लिए स्वीकृति मानकों में कोई अन्य छूट प्रदान करना प्रस्तावित नहीं करती।

(ङ) और (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य सरकार से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकासात्मक कार्यों को आरंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने संबंधी मानदण्डों में छूट प्रदान करने का ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को शामिल करना

1065. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कौन-कौन से राज्यों में पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़ा वर्गों की जाति-वार अलग-अलग सूची उपलब्ध है;

(ख) कौन-कौन सी जातियों को विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्गों और अन्य पिछड़ा वर्गों की श्रेणियों में शामिल किया गया है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य रोजगार प्रदान करने में पिछड़ा वर्गों/ सबसे अधिक पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इन्हें भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

राज्य अपने अन्य पिछड़े वर्गों (अति पिछड़े वर्गों सहित) को अधिसूचित करने और राज्य सेवाओं में उन्हें आरक्षण प्रदान करने हेतु स्वयं सक्षम हैं।

[अनुवाद]

एयर फील्ड्स का आधुनिकीकरण

1066. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए एयर फील्डों के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन से एयर फील्डों को शामिल किए जाने की संभावना हैं;

(ग) इस संबंध में उन ठेकों/समझौतों का ब्यौरा क्या है जिन पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा एयर फील्डों के उपकरणों के उन्नयन हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं/उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना के सभी हवाई क्षेत्रों में विमान-संचालन सहायता को आधुनिक बनाने/उनमें सुधार करने के लिए 'हवाई क्षेत्र अवसंरचना का आधुनिकीकरण' परियोजना पर कार्य चल रहा है। हवाई क्षेत्र अवसंरचना का आधुनिकीकरण का कार्य दो चरणों में किए जाने की योजना है जिसके अंतर्गत पहले चरण में 30 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण की योजना है और भारतीय वायुसेना के बाकी हवाई क्षेत्रों को चरण-2 में आधुनिकीकृत किया जाएगा। चरण-2 में सेना, नौसेना, तटरक्षक बल के साथ-साथ अन्य किसी अभिकरण के हवाई क्षेत्र भी शामिल होंगे।

(ग) इस परियोजना के पहले चरण हेतु 1219.99 करोड़ रुपए की लागत पर मैं. टाटा पावर (एस ई डी) के साथ 16 मार्च 2011 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना में एक समयबद्ध कार्यक्रम परिकल्पित है जिसमें 30 हवाई क्षेत्रों का आधुनिकीकरण 42 माह में किया जाएगा। इसमें हवाई यातायात नियंत्रण में स्वचालित हवाई यातयात प्रबंधन सहित उपस्कर के व्यासमापन एवं एकीकरण के साथ कार्य सेवाओं समेत उपस्कर की संस्थापना और उन्हें चालू किया जाना शामिल है।

(घ) भारतीय वायुसेना अपने हवाई क्षेत्रों में उपस्कर के उन्नयन हेतु निगरानी रडार अवयव (7 आर ई), प्रिसिजन एप्रोच रडार (पीएआर), यूएचएफ ग्राउंड टू एयर रेडियो सैट व कमयुटेटिड ऑटोमेटिक डायरेक्षन फाइन्डर (सीएडीएफ) प्रणालियों की भी अधिप्राप्ति कर रही है।

रंग मिश्रित चाय का पाटन

1067. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर केरल राज्य से बाहर वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से घटिया और कृत्रिम रंगयुक्त चाय की व्यापक पैमाने पर आवक हो रही है जो घरेलू उद्योग के लिए बड़ा खतरा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने देश में इन उत्पादों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) रंगमिश्रित चाय की समस्या दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विद्यमान है। तथापि हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं केरल में भी हुई हैं जहां कोयम्बटूर तथा अन्य सीमावर्ती इलाकों में अवस्थित गौण क्रेताओं, ब्लेंडरों और चाय की पैकिंग करने वालों के जरिए डस्ट ग्रेड चाय में ऐसा किए जाने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) चाय बोर्ड द्वारा फैक्टरी, ब्लेंडरों और पैकिंग करने वालों के स्तर पर छापे मारकर इस समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुत: कई अवसरों पर चाय बोर्ड ने रंगमिश्रित चाय की बड़ी मात्रा ज़ब्त करके उसे नष्ट किया है। जनता में रंगमिश्रित चाय को पहचानने के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन दिए गए हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य प्राधिकारियों से संपर्क किया गया है और अपराधियों को तलाशने तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के प्रयास किए गए हैं। आयातित

चाय की गुणवत्ता की जांच करने और पीएफए के आधार पर आगे की कार्रवाई हेतु दक्षिण भारत के पत्तन प्राधिकरणों से भी संपर्क किया गया है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नीति

1068. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्यों की कितनी कंपनियों/औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन सी कंपनियों/औद्योगिक इकाइयों को इन मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया; और

(ङ) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों/उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 प्रकाशित की है। इसके अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं/कार्य-कलापों के लिए अधिनियम के उपबंधों के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन दस्तावेजों के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट के आधार पर बहु-विद् विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के द्वारा किया गया है। ईएसी की सिफारिशों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय विभिन्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं, जिनमें निर्धारित उत्सर्जन एवं निरस्तारण मानदण्डों का अनुपालन शामिल है। उपर्युक्त अधिसूचना समस्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों सहित पूरे देश में लागू हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 920 औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया।

(घ) और (ङ) कुल 316 इकाईयां प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करती हुई पाईं गईं। 175 मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत तथा 141 मामलों में जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्रदूषण अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत/वायु (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्रदूषण अधिनियम, 1981 के तहत निदेश जारी किए गए।

गुजरात में सीमा सड़क का सुधार

1069. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में 965 किमी लम्बी सीमा सड़क के सुधार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संयुक्त सैन्य अभ्यास

1070. श्री जगदीश शर्मा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्ष को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर 50-75 किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हेतु पूर्व सूचना देनी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी और चीनी सेनाएं राजस्थान में जैसलमेर के सीमा क्षेत्र से मात्र 25 कि.मी. की दूरी पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उनके द्वारा उत्पन्न किसी संभावित खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। ऐसे किसी अभ्यास के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली

1071. श्री रवनीत सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय परमिट योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह योजना पंजाब सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने राज्यों में उक्त योजना कार्यान्वित की गई है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार ने समान रूप से देशभर में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) भारवाहनों के अंतर-राज्यीय आवागमन को सुकर बनाने की दृष्टि से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, 08.05.2010 से लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय परमिट गृह राज्य प्राधिकार शुल्क के रूप में 1000 हजार रू. और पूरे देश में वाहन चालन के लिए परमिटधारी को प्राधिकृत करने के समेकित शुल्क के रूप में 15,000 रू. प्रति वर्ष प्रति ट्रक के भुगतान पर, गृह राज्य द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(घ) सरकार ने, 15.09.2010 से नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को इलेक्ट्रानिक विधि से लागू करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहीत समेकित शुल्क का वितरण एक सम्मत सूत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर दिया जाता है। राष्ट्रीय परमिट के समेकित शुल्क के रूप में संग्रहित किए जाने वाले प्रत्येक 15,000 रू. में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का हिस्सा, 28.07.2010 के का. आ. सं. 1848 (अ) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन

1072. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जलवायु परिवर्तन के कारण भौगोलिक पर्यावरणीय एवं वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभावों के समग्र वैज्ञानिक अध्ययन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या गंगा और यमुना नदी पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के संबंध में कोई अनुसंधान कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नदी-संयोजन के पर्यावरण पर प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) भारत के चार क्षेत्रों के चार सेक्टरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने हेतु अध्ययन शुरू किया गया है तथा जलवायु परिवर्तन और भारत : 4×4 आकलन-2030 हेतु एक सेक्टोरल एवं क्षेत्रीय विश्लेषण नामक एक रिपोर्ट 2010 में प्रकाशित की गई थी।

(ख) और (ग) हिमालयी हिमखण्डों और उनके नदियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अनुसंधान आयोजित किए गए। तथापि, गंगा और यमुना नदियों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के संबंध में कोई विशिष्ट अनुसंधान नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) नदी-संयोजन के पर्यावरण पर प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां

1073. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या शक्तियां हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर कितनी जातियों, उपजातियों, समान जातियों, समुदायों को अधिसूचित किया गया है;

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तुलनात्मक शक्तियां कौन-कौन सी हैं; और

(घ) इसके गठन के पश्चात् आयोग अपने उद्देश्यों में किस सीमा तक सफल रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अधिनियम 1973 की धारा 9 की उपधारा (1) में आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:

"आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को एक पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों की जांच करेगा और इन सूचियों में किसी पिछड़ा वर्ग के अधिसमावेशन अथवा अल्पसमावेशन की शिकायतों को सुनेगा और केन्द्र सरकार के लिए जैसा वह उचित समझे सलाह प्रस्तुत करेगा।"

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त सलाह के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में 2248 प्रविष्टियां की गई हैं। इस प्रयोजनार्थ प्रविष्टि में जाति, उसके पर्याय तथा उपजातियां शामिल होती हैं।

(ग) किसी वाद की जांच करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में निर्धारित अपने अधिदेश के अनुसार कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों को लाइसेंस

1074. श्री जोसेफ टोप्पो:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या विदेशी कंपनियों को दिए जा रहे लाइसेंसों के कारण घरेलू उद्योग पिछड़ रहे है तथा उनका उत्पादन घट रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा/सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी कंपनियों से राज्यों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु निवेश के प्रस्ताव प्रापत हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर औद्योगिक उत्पादन (सामान्य) उद्योग के तीन क्षेत्रों नामतः खनन, विनिर्माण और विद्युत और उद्योगों के 22 प्रमुख उद्योगों समूहों के पिछले तीन वर्षों के विकास के आंकड़े दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण -1 में दी गई है। यह ऐसा संकेत नहीं देती है कि उत्पादन विदेशी निवेश से प्रभावित होता है। तथापि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस केवल भारतीय कम्पनियों को ही प्रदान किए जाते हैं।

(ख) औद्यौगिक माहौल को सुधारने के लिए प्रमुख रूप से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं-विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित औद्योगिक निवेश का संवर्धन और उसे सुकर बनाना, कारोबारी माहौल में सुधार, और उद्योगों के लिए संगत कौशलों का विकास। सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा का एक दशक में 25 प्रतिशत करने और 100 मिलियन रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति घोषित की है। इस नीति में ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें नियोजनीय बनाने पर बल दिया गया है। यह नीति राज्यों के साथ सहभागिता से औद्योगिक विकास के सिद्धान्त पर आधारित है। केन्द्र सरकार सामर्थ्यकारी नीतिगत ढांचा सृजित करेगी, उचित वित्तपोषण साधनों के माध्यम से सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) आधार पर अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और राज्यों को नीति में दिए गए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति में दिए गए प्रस्ताव हरित प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन को छोड़कर आमतौर पर क्षेत्र निरपेक्ष और प्रौद्योगिकी निरपेक्ष हैं। जबकि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) प्रमुख साधन है, फिर भी इस नीति में दिए गए प्रस्ताव पूरे देश के विनिर्माण उद्योगों के लिए लागू होते हैं, जिनमें वे सभी स्थान शामिल है जहां पर उद्योग अपने आपको क्लसटरों में संगठित करने और प्रतिपादित किए गए अनुसार स्व-नियमन मॉडल अपनाने में सक्षम हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	उद्योग समूह*	विवरण	वार्षिक वृद्धि दर			
			भार	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-सितंबर)
1	2	3	4	5	6	7
1.	15	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	72.76	-1.4	7.0	16.0
2.	16	तंबाकू उत्पाद	15.70	-0.6	2.0	-1.0
3.	17	, वस्त्र	61.64	6.1	6.7	-2.1
4.	18	परिधान, फर की ड्रेसिंग और रंगाई	27.82	1.9	3.7	-6.0
5.	19	सामान, हैंडबैग, जीनसाजी, साज और फुटवियर, चमड़ा उत्पादों की टेंनिग और ड्रेसिंग	5.82	1.3	8.1	7.0
6.	20	लकड़ी और फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी एवं कार्क के उत्पाद, पुआल के सामान और रोपण सामग्री	10.51	3.1	-2.2	-3.5
7.	21	कागज और कागज उत्पाद	9.99	2.6	8.6	5.7
8.	22	प्रकाशन, मुद्रण, और रिकार्डिउ मीडिया मीडिया का पुन: उत्पादन	10.78	-6.0	11.2	9.0
9.	23	कोक, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद और परमाणु ईंधन	67.15	-1.3	-0.2	5.4
10.	24	रसायन और रायायनिक उत्पाद	100.59	5.0	2.0	-0.6
11.	25	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	20.25	17.4	10.6	-1.3
12.	26	अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद	43.14	7.8	4.1	2.3
13.	27	मूल धातुएं	113.35	2.1	8.8	14.2
14.	28	निर्मित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर	30.85	10.2	15.3	14.1
15.	29	मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	37.63	15.8	29.4	-2.1
16.	30	कार्यालय, लेखांकन और कंप्यूटिंग मशीनरी	3.05	3.8	-5.3	13.1
17.	31	विद्युत मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी	19.80	-13.5	2.8	-3.8
18.	32	रेडियों, टीवी, और संचार उपकरण और तंत्र	9.89	11.3	12.7	5.1
19.	33	चिकित्सा, सटीक और ऑप्टिकल उपकरण घड़िया और दीवार घड़िया	5.67	-15.8	6.8	-2.7

1	2	3	4	5	6	7
20.	34	मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्थ ट्रेलर	40.64	29.8	30.2	13.7
21.	35	अन्य परिवहन उपकरण	18.25	27.7	23.2	17.6
22.	36	फर्नीचर, विनिर्माण एन.ई.सी.	29.97	7.1	-7.5	0.1
		क्षेत्रीय विकास				
		खनन	141.57	7.9	5.2	-1.0
		विनिर्माण	755.27	4.8	9.0	5.4
		विद्युत	103.16	6.1	5.5	9.4
		सामान्य	1000.00	5.3	8.2	5.0

*उद्योग कोड राष्ट्रीय औद्योगिकी वर्गीकरण 2004 के अनुसार हैं।
स्त्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

विवरण II

अप्रैल 2008 से अगस्त 2011 तक वित्त वार एफडीआई के अनुमोदित मामले

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 अप्रैल-मई			2009-10 अप्रैल-मई			2010-11 अप्रैल-मई			2011-12 अप्रैल-अगस्त			कुल		
		एफआईएन	एफडीआई रुपये में	एफडीआई अमेरिकी डालर	एफडीआई	एफडीआई रूपये में	एफडीआई अमेरिकी डालर में	एफडीआई	एफडीआई रमपये में	एफडीआइ अमेरिकी डालर में	एफडीआई	एफडीआई रपये में	एफडीआई अमेरिकी डालर में	एफडीआई	एफआईडीआई रूपये में	एफडीआई अमेरिकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	24	26,630.08	562.74	16	12,718.37	270.38	6	500.00	10.74	1	450.00	10,13	47	40,298.45	853.99
2.	असम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00
3.	बिहार	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	3,500.00	75.16	0	0.00	0.00	1	3,500.00	75.16
4.	गुजरात	8	22,746.48	467.86	4	1,256.60	27.12	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	13	24,003.08	494.97
5.	हरियाणा	13	5,045.53	102.93	4	29.52	0.64	5	920.80	20.30	1	163.60	3.65	23	6,159.45	127.52
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	1	15.60	0.34	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	15.60	0.34
7.	कर्नाटक	30	4,776.44	107.84	10	3,354.68	70.58	14	25,344.20	563.08	2	0.00	0.00	56	33,475.32	741.50
8.	केरल	5	1,076.23	22.92	1	7.50	0.15	2	432.70	9.53	0	0.00	0.00	8	1,516.43	32.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	मध्य प्रदेश	2	1,163.40	23.91	2	980.00	21.02	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00	5	2,143.40	44.93
10.	महाराष्ट्र	100	70,861.60	1,497.26	49	25,447.02	533.22	47	227,343.14	4,984.55	4	58,068.82	1,308.70	200	381,720.59	8,323.73
11.	उड़ीसा	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	600.00	13.03	0	0.00	0.00	5	600.00	13.03
12.	पंजाब	2	215,796.15	4,435.72	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	215,796.15	4,435.72
13.	राजस्थान	4	307.90	6.80	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5	307.90	6.80
14.	तमिलनाडु	29	10,036.28	206.30	8	640.20	13.84	14	24,299.86	525.29	2	7.25	1.72	53	35,052.58	747.14
15.	उत्तर प्रदेश	7	1,982.70	40.58	1	0.00	0.00	2	2,752.00	59.63	0	0.00	0.00	10	4,734.70	100.21
16.	पश्चिम बंगाल	7	35,705.80	886.32	6	3,822.89	80.34	3	637.80	13.87	0	0.00	0.00	16	40,166.49	980.53
17.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18.	झारखण्ड	2	4.19	0.10	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	4.19	0.10
19.	उत्तरांचल	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	7,054.00	155.40	0	0.00	0.00	1	7,054.00	155.40
20.	चंडीगढ़	2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	0.00	0.00
21.	दिल्ली	64	38,614.01	873.73	27	30,638.07	652.27	22	21,957.38	486.99	0	0.00	0.00	113	91,209.46	2,012.99
22.	गोवा	3	1,200.00	25.50	2	1.70	0.03	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5	1,201. 70	25.54
23.	पांडिचेरी	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0 0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00
24.	शामिल नहीं किये गये राज्य	43	14,209.07	319.35	31	7,733.97	158.22	31	62,462.78	1,375.02	61	134,069.66	3,017.21	166	218,475.48	4,869.80
	कुल योग	350	450,155.87	9,579.88	162	86,646.12	1,828.14	152	377,804.65	8,292.58	72	192,828.32	4,341.40	736	1,107,434.96	24,041.99

[हिन्दी]

विदेशों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सुविधाएं

1075. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और छात्रावास सहित कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी हैं; और

(ग) अनुसूचित जाति के राज्य-वार कितने विद्यार्थियों के नाम विदेशों में अध्ययन के लिए भेजे गए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस मंत्रालय की अनुसूचित जाति इत्यादि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में अध्ययन के लिए मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों तथा पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति के घटकों में निम्न शामिल हैं:

(1) वार्षिक भरण-पोषण भत्ता;

(2) आकस्मिक भत्ता;

(3) वास्तविक शुल्क;

(4) वास्तविक व्यक्ति कर;

(5) वीजा शुल्क;

(6) मेडिकल बीमा प्रीमियम;

(7) उपकरण भत्ता;

(8) भारत से अथवा वापसी का वायुयान किराया; और

(9) आकस्मिक यात्रा व्यय।

उम्मीदवारों को निर्धारित सीमा तक अनुसंधान/शिक्षण सहायता लेने के लिए उनके निर्धारित भत्तों को सम्पूरित करने की भी अनुमति होती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अनुसार, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को चयन की सूचना की तिथि से तीन वर्ष के भीतर विदेश में किसी प्रत्यायित विश्वविद्यालय/संस्था में प्रवेश प्राप्त करना और पढ़ना आवश्यक होता है। वर्ष 2010-11 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। उन छात्रों की संख्या जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है के साथ वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08		2008-09		2009-10	
	चयनित विद्यार्थियों की संख्या	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है	चयनित विद्यार्थियों की संख्या	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है	चयनित विद्यार्थियों की संख्या	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	4	1	2	0	2	0
असम	0	0	2	0	0	0
बिहार	0	0	1	0	0	0
चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	1	0	0	0	0
दिल्ली	1	0	4	2	3	2
गोवा	1	1	0	0	0	0
गुजरात	1	0	2	1	0	0
हरियाणा	1	1	3	2	1	1
हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	3	2	1	0

1	2	3	4	5	6	7
केरल	0	0	0	0	1	0
मध्य प्रदेश	2	0	3	3	3	1
महाराष्ट्र	3	2	5	5	3	1
उड़ीसा	0	0	3	0	3	0
पंजाब	1	1	0	0	1	0
राजस्थान	1	1	1	1	2	0
तमिलनाडु	2	2	0	0	4	2
त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	5	1	0	0	4	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	1	0
पश्चिम बंगाल	2	1	0	0	1	1
कुल	28	13	29	16	30	07

[अनुवाद]

रेजिमेन्टल फंड का दुरूपयोग

1076. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेजिमेन्टल फंड के कथित दुरूपयोग के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त फंड के विवेकपूर्ण व्यय का लेखा रखने तथा लेखापरीक्षा करने हेतु कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा तंत्र में संशोधन करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकि कि भविष्य में इस फंड का दुरूपयोग नहीं हो, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) वर्ष 2010-11 के दौरान रेजीमेंटल निधियों के व्यय में प्रक्रियात्मक गलती की एक घटना की सूचना है।

(ख)से (घ) सेना में रेजीमेंटल निधि से व्यय की मानीटरी लेखापरीक्षा तथा लेखाओं के नियमित निरीक्षण सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत सुनिश्चित की जाती है। ये उपाय फिलहाल पर्याप्त समझे गए हैं।

मिशन क्लीन गंगा

1077. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिशन क्लीन गंगा के अंतर्गत वाराणसी के लिए 497 करोड़ रूपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने गंगा नदी को साफ करने पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) गंगा कार्य योजना(जीएपी) फेज-1 1985 में शुरू तथा मार्च, 2000 में पूर्ण किया गया था। कार्यक्रम का फेज-

2 1993 से चरणों में अनुमोदित किया गया और यह कार्यान्वित किया जा रही है। योजना के तहत शुरू किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में मलजल का अंतरावरोधन, अपवर्तन एवं शोधन अल्प लागत स्वचछता कार्य विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह, इत्यादि शामिल है। गंगा नदी के आस-पास बसे कस्बों में विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु 1045 करोड़ रू. का व्यय किया गया और योजना के तहत अब तक प्रतिदिन 1091 मिलियन लीटर की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है।

केन्द्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अंगीकार करते हुए गंगा नदी के संरक्षण हेतु सशक्त प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए)का गठन किया है। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि स्वचछ गंगा मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2020 तक कोई भी अशोधित नगर निगम मलजल और औद्योगिक उत्सर्जन नदी में निस्तारित नहीं किया जाए।

एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत अब तक 2589 करोड़ रू. की धनराशि की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसमें जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से ऋण सहायता सहित, 496.90 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर वाराणसी में गंगा नदी की एक प्रदूषण उपशमन परियोजना शामिल है। परियोजना में सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों, प्रतिदिन 140 मिलियन लीटर (एमएलडी)मलजल शोधन संयंत्र का निर्माण, सामुदायिक शौचालय परिसरों, धोबी घाटों का निर्माण, सामुदायिक शाचैलय परिसरों धोबी घाटों का निर्माण, स्नान घाटों का सुधार जन-जागरुकता एवं भागीदारी तथा संस्थागत विकास और स्थानीय निकाय का क्षमता-निर्माण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

वायुसेना में अप्रचलित उपस्कर

1078. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के उपस्करों के प्रमुख भाग अप्रचलित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रचलित उपस्करों को अद्यतन प्रौद्योगिकी से बदलने के लिए आईएएफ द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उभरती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए आईएएफ की तैयारी का पता लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आईएएफ में अभी भी अधिकारियों की कमी है; और

(च) यदि हां, तो युवाओं को आईएएफ में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पुराने उपस्कर को बदला जाना और बेड़े का उन्नयन एक सतत् और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय वायुसेना की क्षमता को आधुनिकीकृत करने के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके।

(ङ) भारतीय वायुसेना में 01.11.2011तक 561 अधिकारियों की कमी थी।.

(च) स्कूल, कालेजों में प्रेरणापरक व्याख्यान देने तीव्र भर्ती प्रक्रिया विज्ञापनों, करियर मेलों एवं प्रदर्शनी इत्यादि क`संचालन समेत युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

ज्ञापनों की समीक्षा

1079. **श्री पोन्नम प्रभाकरः**
श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस्पात क्षेत्र में निवेश हेतु विभिन्न राज्य सरकारों और निजी कंपनियों के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए;

(ख) क्या सरकार का विचार कंपनियों के साथ पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस समय राज्य-वार कितनी बड़ी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ङ) इस्पात क्षेत्र में प्रत्येक संयंत्र की कुल कितनी उत्पादन क्षमता है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस्पात क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और निजी कंपनियों के बीच 41 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है अत: समझौता ज्ञापन संबंधित राज्य सरकार और इस्पात निवेशक के बीच विशुद्ध रूप से एक समझौते का ब्यौरा होता है। भारत सरकार की समझौता ज्ञापन में कोई भूमिका नहीं होती है।

(घ) और (ङ) एक मिलियन टन वार्षिक से अधिक क्षमता वाली वर्तमान इस्पात परियोजनाओं/संयंत्रों और प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों से संबंधित ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और संलग्न विवरण-II पर दिया गया है इस्पात मंत्रालय में उपर्युक्त सूचना के अनुसार वर्तमान में कोई भी अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्र/परियोजना क्रियान्वयन के अधीन नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

विवरण-I

1 मिलियन टन अथवा अधिक क्षमता वाले वर्तमान इस्पात संयंत्रों/परियोजनाओं की सूची

(क्रूड स्टील क्षमता मिलियन टन में)

क्र.सं.	कंपनी	स्थान	राज्य	वर्तमान अनुमानित क्षमता*
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्को बर्नपुर	पश्चिम बंगाल	0.50
2.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	बोकारो	झारखण्ड	4.36
3.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भिलाई	छत्तीसगढ़	3.93
4.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	राउरकेला	उड़ीसा	1.90
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	1.80
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	2.90
7.	टाटा स्टील लिमिटेड	जमशेदपुर	झारखण्ड	6.8
8.	ऐस्सार स्टील लिमिटेड	हजीरा	गुजरात	4.6
9.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	विजयनगर	कर्नाटक	6.6
10.	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	रायगढ़	छत्तीसगढ़	2.4
11.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डोल्वी	महाराष्ट्र	3.0
12.	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	झारसुगडा	उड़ीसा	1.2
13.	भूषण स्टील लिमिटेड	अंगुल-धेनकनाल	उड़ीसा	1.5

*इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार

विवरण-II

अपनी प्रस्तावित क्षमता (विस्ताराधीन) सहित मौजूदा बड़ी एकीकृत इस्पात परियोजनाओं की सूची

(क्रूड स्टील क्षमता-मिलियन टन वार्षिक)

क्र.सं.	कंपनी	स्थान	राज्य	संभावित कुल क्षमता*
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्को बर्नपुर	पश्चिम बंगाल	0.5 से 2.5 तक विस्तार
2.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	बोकारो	झारखण्ड	4.36 से 4.61 तक विस्तार
3.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भिलाई	छत्तीसगढ़	3.93 से 7.00 तक विस्तार
4.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	राउकेरला	उड़ीसा	1.90 से 4.20 तक विस्तार
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	1.80 से 2.20 तक विस्तार
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	2.9 से 6.3 तक विस्तार
7.	टाटा स्टील लिमिटेड	जमशेदपुर	झारखण्ड	6.8 से 10 तक विस्तार
8.	एस्सार स्टील लिमिटेड	हाजिरा	गुजरात	4.6 से 8.5 तक विस्तार
9.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	विजय नगर	कर्नाटक	6.6 से 10 तक विस्तार
10.	जिन्दल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	रायगढ़	छत्तीसगढ़	2.4 से 3.0 तक विस्तार
11.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डोल्वी	महाराष्ट्र	3.0 से 4.2 तक विस्तार
12.	भूषण एंड पॉवर स्टील लिमिटेड	झारसुकदा	उड़ीसा	2.8 समझौता ज्ञापन के अनुसार
13.	भूषण एंड पॉवर स्टील लिमिटेड	अंगुल-धेनकनाल	उड़ीसा	3.0 समझौता ज्ञापन के अनुसार
14.	जिन्दल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	अंगुल	उड़ीसा	2.0

(*संबंधित कंपनी और समझौता ज्ञापन के दौरान बताई गई क्षमता)

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इस्पात परियोजनाओं की सूची

(क्रूड स्टील क्षमता-मिलियन टन वार्षिक)

क्र.सं.	कंपनी	स्थान	राज्य	प्रस्तावित कुल क्षमता*
1	2	3	4	5
1.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	बस्तर	छत्तीसगढ़	3.0
2.	टाटा स्टील लिमिटेड	कलिंगनगर	उड़ीसा	6.0

1	2	3	4	5
3.	टाटा स्टील लिमिटेड	बस्तर	छत्तीसगढ़	5.5
4.	टाटा स्टील लिमिटेड	सरायकेला	झारखण्ड	12.0
5.	एस्सार स्टील लिमिटेड उड़ीसा लिमिटेड	पारादीप	उड़ीसा	6.0
6.	एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड.	बस्तर	छत्तीसगढ़	3.2
7.	एस्सार स्टील झारखंड स्टील.	चायबासा	झारखण्ड	3.0
8.	एस्सार स्टील कर्नाटक लिमिटेड.	बेल्लारी	कर्नाटक	6.0
9.	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	अंगुल	उड़ीसा	6.0
10.	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	पतरातू	झारखण्ड	6.0
11.	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड.	आसनबोनी	झारखण्ड	5.0
12.	पोस्को इंडिया प्रोजेक्ट	जगतपुरनगर	उड़ीसा	12.0
13.	आर्सलर मित्तल इंडिया	क्योंझर	उड़ीसा	12.0
14.	आर्सलर मित्तल इंडिया	बोकारो	झारखण्ड	12.0
15.	आर्सलर मित्तल इंडिया	बल्लारी	कर्नाटक	6.0
16.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	-	झारखण्ड	2.8
17.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	कर्नाटक	2.8
18.	मोनेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड	अंगुल	उड़ीसा	1.05
19.	मोनेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड.	बोकारो	झारखण्ड	1.5
20.	इलैक्ट्रास्टील स्टील लिमिटेड	बोकारो	झारखण्ड	2.2
21.	विसा स्टील लिमिटेड	जयपुर	उड़ीसा	1.5
22.	विसा स्टील लिमिटेड	रायगढ़	छत्तीसगढ़	2.5

*इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार.

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

1080. श्री एस.एस. रामासुब्बूः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या आगंतुकों की संख्या और व्यापार की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2011 हेतु इस संबंध में क्या अनुमान है;

(ख) क्या इस मेले में हुआ व्यापार पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यापार और वर्ष 2011 के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में

स्थिति को बेहतर बनाने और आगुंतकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आगामी वर्षों में मेले की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि समाज के सभी वर्गों से मिलने वाले उत्साह से होने वाली उनकी भीड़ को संभाला जा सके;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2010 के दौरान 19 देशों ने भागीदारी की थी। चालू वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2011 में 28 देश भागीदारी कर रहे हैं।

आईआईटीएफ 2010 के दौरान दर्शकों की कुल संख्या लगभग 11.5 लाख रही थी और इस वर्ष भी इतनी ही संख्या में दर्शकों के आने का अनुमान है।

आईआईटीएफ 2010 से आईटीपीओं को प्राप्त सकल राजस्व आय 45.41 करोड़ रू.थी। आईआईटीएफ 2011 के लिए अनुमानित आय लगभग 43.25 करोड़ रू. है।

(ख) मेले के दौरान हुए व्यापार का आकलन करना कठिन है क्योंकि प्रतिभागी कम्पनियाँ प्राय: वाणिज्यिक सूचना प्रदान नहीं करती हैं। तथापि व्यापार मेले की सफलता का आकलन प्रदर्शकों द्वारा बार-बार भागीदारी के आधार पर किया जाता है। व्यावसायिक समुदाय के बीच आईआईटीएफ बहुत लोकप्रिय है।

(ग) अवसंरचना में वृद्धि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं बार-कोडेट टिकटों के जरिए प्रगति मैदान मे प्रवेश वाहन कार्गो स्कैनर मेट्रो स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश तथा विदेशी व्यापार व्यवसाय शिष्टमण्डलों की आगवानी के लिए विशेष व्यवस्था जैसे सुरक्षा एवं संरक्षा उपाय आईआईटीएफ के मौजूदा संस्करण की कुछ नई विशेषताएँ हैं।

(घ) से (च) मेले की अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आईआईटीएफ जिसकी अवधि 14 दिनों की है विश्व के सबसे लम्बे व्यापार संबंधी मेलों में से है। मेले के हितबद्ध पक्षकार आमतौर पर मेले की अवधि संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट और लौह अयस्क का व्यापार

1081. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट पत्थर और लौह अयस्क के बेहतर व्यापार की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) 2009-10 के दौरान भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 218 मिलियन टन (लगभग) का हुआ था जिसमें से लगभग 117 मिलियन टन का निर्यात किया गया था।

मध्य प्रदेश के पास लगभग 49417 हजार टन के रॉक फास्फेट का भंडार है।

जहां तक ग्रेनाइट तथा रॉक फास्फेट के व्यापार का संबंध है, इसका विवरण निम्नलिखित है:

(मात्रा: टन, मूल्य: रु. 000)

	2009-10		2010-11 (अ)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
निर्यात				
ग्रेनाइट	3827668	49937324	4369384	53841248
रॉक फास्फेट	924	10138	711	4487
आयात				
ग्रेनाइट	51214	1016841	55554	1163349
रॉक फास्फेट	5600654	32750200	5194200	32110281

(अ)-अनंतिम।

[अनुवाद]

ईएसआईसी के अंतर्गत मेडिकल कालेज

1082. श्री रामसिंह राठवा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)का इरादा चेस्ट डीजीज ईएसआई हास्पिटल अहमदाबाद में कोई नया मेडिकल कालेज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) मेडिकल कालेज की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या प्रस्तावित मेडिकल कालेज में प्रवेश राज्य सरकार के प्रवेश नियमों या ईएसआईसी के विचाराधीन किसी नई नीति के अंतर्गत दिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की अनुमोदित सूची के अनुसार अहमदाबाद में मेडिकल कालेज स्थापना किया जाना प्रस्तावित है और चल रही परियोजनाओं की समाप्ति के उपरांत ही इस पर विचार किया जाएगा।

(घ) आदिनांक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मेडिकल शिक्षण संस्थान में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दाखिला नीति का अनुपालन किया जाता है।

[हिन्दी]

अन्तरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं

1083. श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्री के.सी. सिंह बाबा:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अन्तरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए उत्तराखंड सहित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत निधियां स्वीकृत करने हेतु मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियों का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित परियोजना, यदि कोई हो का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) अन्तरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत सड़कों सहित राज्यीय राजमार्गों के विकास की योजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया, केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली, 2007 में निर्धारित की गई है जो दिनांक 10.7.2007 से प्रवर्तन में आई है।

(ग) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्तरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

(घ) गत तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्तरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधि संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

(ङ) अन्तरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को निधि की समग्र उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली, 2007 के अनुसार, अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	40	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0	2	2	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	2	0	0	0	7	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	3	3
8.	हरियाणा	1	1	2	2	1	1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	1	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	1	0	0	3	3	0	0
13.	केरल	1	1	0	0	4	1	6	0
14.	मध्य प्रदेश	8	1	17	4	20	11	0	0
15.	महाराष्ट्र	1	1	4	4	1	1	7	0
16.	मणिपुर	1	1	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	1
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	2	2	0	0
20.	ओडीशा	1	1	4	1	2	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	0	0	1	1	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1	1	2	2	3	3	4	1
23.	सिक्किम	1	1	2	2	1	1	0	0
24.	तमिलनाडु	3	1	8	0	5	1	7	2
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	1	0	0
26.	उत्तराखंड	1	0	1	0	1	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1	0	2	1	1	1	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	1	1	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	1	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	161	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	3	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	3	3
8.	हरियाणा	3	3	1	1	1	1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	4	4	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	4	4	4	4	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	1	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	1	1	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	1
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडीशा	0	0	2	0	1	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	2	2	0	0
23.	सिक्किम	0	0	1	1	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3	2	12	1	1	1	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	2	0	3	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण III

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना में से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों-वार आबंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (31.10.11 तक)	
		आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5.29	5.29	9.55	9.55	10.27	10.27	45.44	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.53	6.53	11.90	11.36	4.70	4.70	9.44	0.00
3.	असम	0.40	0.40	1.62	1.00	2.23	2.23	0.46	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	6.44	3.36	0.00	0.00	0.27	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	1.97	0.00	3.50	3.50	1.30	0.88
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1.46	1.46	16.98	0.00	22.62	22.62	8.45	0.00
8.	हरियाणा	4.60	4.60	6.99	0.00	0.00	0.00	22.31	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	9.91	9.91	8.37	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	12.95	12.82	12.77
11.	झारखंड	1.99	1.99	14.13	6.36	17.91	17.91	6.73	0.00
12.	कर्नाटक	20.36	20.36	10.27	9.06	14.95	14.95	9.49	0.00
13.	केरल	1.25	1.25	11.34	10.84	0.85	0.85	4.36	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6.07	0.00	41.28	41.28	15.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	4.80	2.80	3.51	3.51	4.62	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
18.	मिजोरम	13.39	13.39	2.85	0.00	4.21	4.21	1.71	1.70
19.	नागालैंड	4.75	4.75	4.75	1.50	29.58	29.58	15.68	0.00
20.	ओडीशा	35.04	35.04	14.87	10.20	5.00	5.00	0.58	0.00
21.	पंजाब	8.47	8.47	4.05	8.68	5.54	5.54	0.46	0.00
22.	राजस्थान	20.81	20.81	5.57	0.00	6.68	6.68	13.37	9.08
23.	सिक्किम	16.80	16.80	9.32	9.00	13.96	13.96	12.26	0.00
24.	तमिलनाडु	4.19	4.19	13.64	12.39	4.00	4.00	19.00	0.00
25.	त्रिपुरा	1.29	1.29	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.000	0.04	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	17.82	17.82	6.15	6.15	4.48	4.48	13.15	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1.30	1.30	1.49	2.10	0.00	0.00	2.12	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00
30.	चंडीगढ़	3.00	0.000	.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	1.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

जम्मू और कश्मीर से सेना हटाना

1084. श्री गोपीनाथ मुंडे:
प्रो. रामशंकर:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में सशस्त्र सेनाओं के कुल कितने जवान तैनात किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमापार आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के बावजूद राज्य से सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कुल कितने सैनिकों को हटाया गया है; और

(घ) राज्य से सेना को हटाने के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं/किये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर में सैन्य टुकड़ियों की तैनाती एक गतिशील प्रक्रिया है और समग्र सुरक्षा स्थिति के आधार पर इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है।

अपतटीय कंटेनर टर्मिनल

1085. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपतटीय कंटेनर टर्मिनल परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) और (ख) जी, हां। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो (बी.ओ.टी.) प्रचालक, ड्रैजिंग ठेकेदार तथा मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण मुम्बई पत्तन में अपतट कंटेनर टर्मिनल के निर्माण में कुछ विलम्ब हो गया है। मुम्बई पत्तन और मै. इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस करार के अनुसार, घाट को शुरू किये जाने की तारीख 2.12.2010 थी, जिसे अब दिसम्बर 2012 तक पुन: निर्धारित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय और मुम्बई पत्तन न्यास दोनों ही इस कार्य की प्रगति की मॉनिटरिंग करते है। मुम्बई पत्तन-न्यास में डिजाइन के अनुमोदन, गुणवत्ता नियंत्रण और बी.ओ.टी. प्रचालक की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया है। अनुमान, निविदाएं तैयार करने और मुम्बई पत्तन न्यास संघटक के लिए कार्य के पर्यवेक्षण हेतु एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को भी नियुक्त किया गया है।

(ङ) इस कार्य के दिसम्बर 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पनडुब्बियों की भेद्यता

1086. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) का विचार भारतीय नौसेना के पास उपलब्ध पनडुब्बियों की भेद्यता में कमी लाने के लिए किसी प्रौद्योगिकी का विकास करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रौद्योगिकी का विकास कब तक किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत नौ-सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.एम.आर.एल), अम्बरनाथ पनडुब्बी प्रणोदन के लिए वायु-मुक्त प्रणोदन (ए.आई.पी) हेतु भूमि आधरित आदिरूप का विकास नामक एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना का विकास कर रही है। पनडुब्बी की भेद्यता को इसकी जल निमग्रता क्षमता में (गोता लगाने की दशाओं में) वृद्धि करके कम किया जा सकता है। सामान्य तौर पर बैटरियों को चार्ज करन के लिए डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटरों

का इस्तेमाल किया जा है गोता लगाने की दशाओं में पनडुब्बी का प्रणोदन शक्ति प्राप्त होती है। जनरेटरों को चलाने के लिए हवा लेने तथा निकास को बाहर फेंकने के लिए पनडुब्बियों को ऊपर आना पड़ता है। ए.आई.पी. प्रणाली का प्रयोग करके पनडुब्बी बिना ऊपर आए हुए बैटरियों को चार्ज कर सकती है।

(ग) इस तरह की प्रणाली के पूर्ण पैमाने पर प्रचालन को 2015 तक प्रदर्शित किए जाने की संभावना है।

निर्यात संवर्धन परिषदें

1087. श्री सी. आर. पाटिल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा क्या है तथा उनके मुख्यालय कहां-कहां हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषकर सूरत में न निर्यात संवर्धन परिषदों का कार्य निष्पादन क्या रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन देश में प्रचालनरत निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसीएस)की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ईपीसीएस की मुख्य भूमिका भारत के निर्यात का संवंधन एवं विकास करना है। प्रत्येक परिषद उत्पादों के विशेष समूह परियोजनाओं तथा सेवाओं का संवर्धन करने के लिए जिम्मेवार है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न कार्यकलाप करते हैं जिनमें प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विदेश एवं भारत में क्रेता विक्रेता बैठकों व्यापार जागरूकता कार्यक्रमों बाजार विकास और उत्पाद कार्यक्रमों इत्यादि में भागीदारी शामिल है। इन परिषदों का राज्यवार निष्पादन नहीं रखा जाता है। तथापि इन परिषदों का निष्पादन का देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। विगत तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन निम्नानुार है:

वर्ष	निर्यात (मिलि. अम. डा.)
2008-09	185,295
2009-10	178,751
2010-11	252,354 (अनंतिम)

विवरण

देश में प्रचालन निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1 वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत ईपीसी

1. भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) कोलकाता
2. भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) नई दिल्ली
3. मूल रसायन भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संर्वधन परिषद कैमिक्सिल मुम्बई
4. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद कैपेलिक्स कोलकाता
5. चर्म निर्यात परिषद सीएलई चेन्नई
6. खेल सामान निर्यात संर्वधन परिषद एसजीईपीसी नई दिल्ली
7. रत्न एवं आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद (जी एण्ड जेईपीसी), मुम्बई
8. चपडा निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी), कोलकाता
9. काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी), कोचिन
10. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), मुम्बई
11. ईओयू और एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली
12. भेषजीय निर्यात संवर्धन परिषद हैदराबाद
13. भारतीय आयल सीड और उत्पाद निर्यात एसोसिएशन मुम्बई
14. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

2 वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत ईपीसी

1. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली
2. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली

3. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद मुम्बई
4. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली
5. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली
6. भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास
7. पावरकूलम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद मुम्बई
8. कृत्रिम एवं रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद मुम्बई
9. ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली

राज्यों को सहायता अनुदान जारी करना

1088. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) लंबित आवेदनों को मंजूरी देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लंबित मामलों की निगरानी करने हेतु कोई तन्त्र विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबति आवेदनों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) (क) राज्य सरकारों के लिए सहायता अनुदान केवल नि:शक्तजन (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त किया जाता है। वर्श 2011-12 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 17 प्रस्ताव उनके लिए सहायता अनलुदानों की निर्मुक्ति के विभिन्न चरणों में है। तथापि अभी तक इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (घ) प्रस्तावों की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है तथा प्रस्तावों की पूर्णता, उनकी योजना के मानकों तथा सामान्य वित्तीय नियमों के साथ अनुरूपता तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है‍ विलम्ब राज्य सरकारों द्वारा गलतियों को सुधारने तथा क्रियाविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लिए गए समय के कारण भी होता है। लंबित मामलों की विभिन्न स्तरों पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और सरकारों से अपने प्रस्तावों में कमियों को सुधारने का अनुरोध किया जाता है।

वन्य जीव प्राकृतिक वास का विकास

1089. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से देश में समेकित वन्य जीव प्राकृतिक वास विकास (इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लॉइफ हैबिटैट्स)योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वन्य जीव प्राकृतिक वास के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर राजस्थान के संबंध में क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन:) (क) और(ख) जी हां। विगत तीन वर्षो, और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम समेकित वन्य जीव प्राकृतिक वास विकास के तहत विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई प्रबंधन योजनाओं के अनुसार देश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों जिनमें राजस्थन राज्य भी शामिल है का प्रबंध संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में वन्यजीव पर्यावासों के विकास हेतु कोई राज्य-वार योजनाएं तैयार नहीं की हैं। तथापि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संरक्षित क्षेत्रों, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव सुरक्षा और बुरी तरह से संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने हेतु रिकवरी कार्यक्रमों को सहयोग देने हेतु समेकित वन्यजीव प्राकृतिक वास विकास केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएसएस- समेकित वन्यजीव प्राकृतिक वास विकास के तहत जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(तक 17.11.2011)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73.48	85.91	87.872	107.86
2.	आंध्र प्रदेश	92.378	102.02	64.341	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	193.31	193.14	213.197	00
4.	असम	161.095	114.79	186.63	00
5.	बिहार	37.558	42.29	19.889	00
7.	छत्तीसगढ़	323.235	851.15	281.966	190.64
8.	चंडीगढ़	00	00	12.29	19.98
9..	दादरा और नगर हवेली	15.62	14.88	00	00
10.	गोवा	41.94	71.03	32.879	00
11.	गुजरात	318.52	426.10	1106.749	00
12.	हरियाणा	86.02	17.22	15.114	23.50
13.	हिमाचल प्रदेश	241.983	265.92	253.80	195.35
14.	जम्मू और कश्मीर	470.87	375.397	537.336	355.465
15.	झारखण्ड	99.753	80.267	63.64	46.7475
16.	कर्नाटक	625.1501	566.71	412.252	212.87
17.	केरल	864.96	432.48	366.786	223.18
18,	मध्य प्रदेश	613.34	541.98	635.366	382.47
19.	महाराष्ट्र	390.22	273.679	343.32	281.281
20.	मणिपुर	100.095	118.31	88.316	00
21.	मेघालय	58.007	59.75	58.03	00
22.	मिजोरम	289.09	186.85	707.763	83.80

1	2	3	4	5	6
23.	नागालैंड	28.415	34.115	33.595	00
24.	उड़ीसा	576.88	390.95	315.331	191.132
25.	पंजाब	40.29	36.26	25.12	00
26,	राजस्थान	414.58	496.746	348.068	186.782
27.	सिक्किम	187.73	240.93	183.78	131.793
28.	तमिलनाडु	727.91	518.67	334.449	150.71
29.	त्रिपुरा	0.00	13.00	2.84	00
3.0.	उत्तर प्रदेश	307.173	274.45	296.179	162.271
31.	उत्तराखण्ड	216.09	145.08	134.90	201.144
32.	पश्चिम बंगाल	345.78	381.318	276.385	112.15
33	दिल्ली	0.00	0.00	00	00
	दमन और दीव	6.12	6.05	00	00
	कुल	7947.5921	7357.442	7438.183	3259.1255

प्रदूषित औद्योगिक कलस्टर

1090. श्रीमती जे. शांता: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से देश में खतरनाक और गंभीर रूप से प्रदूषित अनेक औद्योगिक कलस्टरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय मूल्यांकन के समग्र पर्यावरणीय प्रदूषण इनडेक्स (सीईपीआई) प्रणाली के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पूरे देश में 88 प्रदूषित औद्योगिक समूह आकलित किए गए। सीईपीआई पर आधारित सीईपीआई सहित 43 औद्योगिक कलस्टरों स्कोर 70 की पहचान अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में की गई है। ऐसे कलस्टरों की सूची संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ग) एमओईएफ प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता स्कीम के अंतर्गत प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2010-2011 के दौरान प्रयोगशालाओं को सशक्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीर्सी) को प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य	अत्यंत प्रदूषित औद्योगिक कलस्टर/ क्षेत्रों (सीईपीआई 10)
1	2
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम और पाटनचेरू-बोलारम
असम	—

1	2
बिहार	—
छत्तीसगढ़	कोरबा
दिल्ली	नजफगढ़ नाला बेसिन
गुजरात	अंकलेश्वर वापी अहमदाबाद वत्वा भावनगर और जूनागढ़
हरियाणा	फरीदाबाद और पानीपत
हिमाचल प्रदेश	—
झारखण्ड	धनबाद
कर्नाटक	मंगलौर और भद्रावती
केरल	कोच्चि
मध्य प्रदेश	इंदौर
महाराष्ट्र	चंद्रपुर डोम्बीवलि औरंगाबाद नवी मुंबई और तारापुर
उड़ीसा	अंगुल तलचर आईबी घाटी और झारसुगंधा
पंजाब	लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़
राजस्थान	भिवाडी जोधपुर और पाली
तमिलनाडु	वैल्लौर कुड्डालौर मनाली और कोयंबटूर
उत्तराखण्ड	—
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद सिंगरौली, नोएडा कानुपर, आगरा और वाराणसी-मिर्जापुर
पश्चिम बंगाल	हल्दिया, हावड़ा और आसनसोल

विवरण II

प्रयोगशालाओं को सदृढ़ करने के लिए वर्ष 2010-2011 के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	एसपीसीबी/पीसीसी	लाख रूपये में
1	2	3
1.	असम	66.87
2.	बिहार	50.00
3.	चंडीगढ़	31.25
4.	गोवा	46.25
5.	हिमाचल प्रदेश	7.02
6.	कर्नाटक	37.95
7.	महाराष्ट्र	21.25
8.	मणिपुर	34.14
9.	मेघालय	45.54
10.	मिजोरम	21.92
11.	नागालैंड	69.02
12.	उड़ीसा	10.24
13.	सिक्किम	23.35
14.	त्रिपुरा	13.00
15.	उत्तर प्रदेश	100.00
	कुल	577.80

[हिन्दी]

बिजली का करंट लगने से जानवरों की मौत

1091. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेल/सड़क दुर्घटनाओं तथा बिजली का करंट लगने से अनेक जंगली जानवरों की मौत हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेत कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से रेल, सड़क दुर्घटनाओं और बिजली के करंट लगने के कारण वन्यजीवों की

मौत के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि, ऐसी मौतों के ब्यौरे केन्द्र सरकार स्तर पर मिलाए नहीं जाते हैं।

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रेल एवं सड़क दुर्घटनाओं तथा बिजली के करंट के कारण वन्यजीवों की मौत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) रेलवे लाईनों, सड़कों के निर्माण और संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले पावर ट्रांसमिशन लाईनों को बिछाना अथवा उसके पास-पड़ोस में पारि-संवेदनशील जोनों से होकर गुजरने वाली लाईनों सहित विकासात्मक परियोजनाओं की, जांच की जाती है और वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु यथा आवश्यक ऐसी शर्तों के अध्यधीन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(2) रेल एवं सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से गतिविधियां शुरू करने के लिए पशुओं के आने-जाने हेतु मार्गों का निर्माण, सड़कों अथवा रेलवे लाईनों सहित खरपतवारों की सफाई, वाच टावरों की स्थापना आदि जैसे कार्य के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

(3) ट्रेनों के साथ दुर्घटनाओं में मौत से बचाव करने के लिए रेलवे और वन विभागों के फील्ड अधिकारियों के उपयोग हेतु किये जाने वाले कार्य और नहीं किये जाने वाले कार्य सहित एक परामर्शिका जारी की गई है और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग सहित संयुक्त समन्वयन समिति गठित की गई है।

(4) सड़क पर सुरक्षा संबंधी नियम का पालन करने वाले सुरक्षा उपायों हेतु सड़क, संवेदनशील पर्यावास और वन्यजीव के नाम से आवश्यक दिशा-निर्देश भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा जारी किये गये हैं।

(5) संबंधित राज्य सरकारों, जहां बिजली के करंट से वन्य पशुओं की मौत की घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है, को संबंधित विद्युत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित भूमि लीकेज सर्किट ब्रेकर्स के संस्थापन द्वारा विद्युत तारों का समुचित रख-रखाव करने और संचरण तारों के लटकने का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करने क लिए निदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पीवीसी पर पाटनरोधी शुल्क

1092. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पॉली विनायल क्लोराइड (पीवीसी) पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है या लगाये जाने का विचार है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में पीवीसी का मांग और इसकी आपूर्ति के स्त्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू उद्योगों और परम्परागत प्रौद्योगिकयों के हित की रक्षा करने हेतु सरकार क्या कदम उठाये जाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने पॉली विनाइल क्लोराइड के आयातों से संबंधित निम्नलिखित पाटनरोधी जांचों की शुरूआत की थी:-

(1) ई यू सऊदी अरब और कोरिया गणराज्य से 'पी वी सी पेस्ट रेजीन' के आयातों से संबंधित जांच की शुरूआत दिनांक 22.8.2003 को की गई थी। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20.8.2004 को जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 7.10.2004 को लगाया गया था। तत्पश्चात निर्णायक समीक्षा एस एस आर की शुरूआत दिनांक 31.3.2009 को की गई थी। एस एस आर से संबंधित अंतिम जांच परिणाम दिनांक 26.4.2010 को जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा शुल्क विभाग शुल्क दिनांक 25.6.2010 को लगाया गया था। ई यू से पी वी सी के आयातों पाटनरोधी शुलक अभी भी लागू है।

(2) ताइवान, चीन जन गण, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और अमेरिका से आयातित पॉली विनाइल क्लोराइड (सस्पेंशन ग्रेड) से संबंधित जांच की शुरूआत दिनांक 28.6.2006 को की गई थी। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 26.12.2007 को जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 3.1.2008 को लगाया गया था।

(3) चीन जन गण, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, रूस, ताइवान तथा थाइलैंड से आयातित पी वी सी पेस्ट रेजिन से संबंधित जांच की। शुरूआत दिनांक 3.11.2009 को की गई थी। प्रारम्भिक जांच परिणाम दिनांक 11.6.2010 को जारी किए गए थे। राजस्व विभाग द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क दिनांक 26.7.2010 को लगाया गया था। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 2.5.2011 को जारी किए गए थे। राजस्व विभाग द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 26.7.2011 को लगाया गया था।

(ख) देश में पी वी सी रेजीन का विनिर्माण पांच यूनिटों अर्थात मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज केमप्लास्ट केनमार लि. डी सी डब्ल्यू लि. श्रीराम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. और मेसर्स फीनोलेक्स इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान पी वी सी के उत्पादन आयात निर्यात और खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

यूनिट: मी. टन

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात	मांग (खपत)
2010-11	1278177	16682	743344	2004839
2009-10	1109535	4676	704232	1809091

स्रोत: (i) एस एम प्रभार, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग-उत्पादन संबंधी ब्यौरा (ii) निर्यात आयात डाटा बैंक, वाणिज्य विभाग-निर्यात व आयात संबंधी ब्यौरा, मांग (खपत) = उत्पादन + (आयात - निर्यात)

(ग) देश में पॉलीमर्स सहित पेट्रो रसायन उद्योग लाइसेंस मुक्त, विनियंत्रित और विनियमन मुक्त है। पॉलीमर्स की कीमतें, प्रौद्योगिकी का चयन आदि बाजार आधारित है और मांग, उपलब्धता, फीडस्टॉक कच्चे तेल की कीमतों आदि जैसे विभिन्न कारकों से जुड़ा होता है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी), जो वाणिज्य विभाग का सम्बद्ध कार्यालय है, पाटनरोधी जांच करने हेतु गठित एक जांच एजेन्सी है, जो देश में वस्तुओं के पाटन, के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं पर कार्रवाई 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर की जाती है। डी जी ए डी जांच करता है और जहां उचित हो, प्रारंभिक/अंतिम जांच परिणाम जारी करके राजस्व विभाग से शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। डी जी ए डी द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग अंनतिम अथवा निश्चयात्मक शुल्क लगा सकता है।

हरियाणा के लोहारू से राजस्थान सीमा तक सड़क परियोजना

1093. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हरियाणा के लोहारू से राजस्थान सीमा तक इस मार्ग पर भारी यातायात को सुगम बनाने हेतु सड़क परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मार्ग पर यातायात की भीड़ को कम करने हेतु ऐसे प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। लोहारू हरियाणा से राजस्थान सीमा तक सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्रास नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोयला खदानों में सुरक्षा

1094. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला खदानों में बार-बार आग लगने से संबंधित घटनाएं घटित होने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में स्थित कोयला खदानों एवं कारखानों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(ग) आज तक देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कोयला खदानों एवं कारखानों की अग्नि सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं या किये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) देश की कोयला खानों में अग्नि एवं संबंधित दुर्घटनाओं के बार-बार होने के कारण निम्नानुसार हैं:

(1) सभी कोयला क्षेत्रों में विस्तृत एवं पुरानी खदानों का विद्यमान होना।

(2) मोटी परत खनन।

(3) कोयला परतें लगातार दहनीय है।

(4) कोयले की निम्न श्रेणी।

(5) धंसना।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952 के सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपबंधों का अनुपालन करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व कारखाने के अधिष्ठाता एवं खान के मालिक का होता है। कारखानों से संबंधित ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सहायक कम्पनियों के आईएसओ से प्राप्त विवरण के अनुसार विगत गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंधों के लिए आवंटित एवं प्रयुक्त निधियों का उपलब्ध कम्पनी-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जहां तक खानों का संबंध है, खान अधिनियम, 1952 एवं कोयला खान विनियम, 1957 के अंतर्गत विनियम 116क, 117, 118, 118क एवं 119 के उपबंधों में पर्याप्त विधान कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा विभिन्न परिपत्र एवं दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसके अलावा, आग लगने अथवा विस्फोट वाली परिस्थितियों का शीघ्र पता लगाने हेतु डीजीएमएस के परामर्श के अनुसार लगातार खनन पर्यावरणीय पूर्व अनुवीक्षण पद्धति (ईटीएमएस) को पहले ही स्थापित किया जा चुका है तथा महाराष्ट्र राज्य की तीन (3) कोयला खानों सहित देश की तेरह (13) भूमिगत खानों में संचालन में है।

जहां तक कारखानों का संबंध है, भारत सरकार ने कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मुद्दों की देखभाल के लिए एक व्यापक विधान अर्थात कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है। जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, धरा 7-क अधिष्ठाता के सामान्य कर्तव्य एवं धारा 38 आग के मामले में सावधानियां में शामिल उपबंध तथा इसके अंतर्गत निर्धारित नियम आग एवं सुरक्षा मुद्दे को देखने के लिए पर्याप्त हैं। महाराष्ट्र सरकार के पास अग्नि सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए महाराष्ट्र कारखाना नियमावली, 1963 के अंतर्गत पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं तथा अग्नि से संबंधित उपबंधों का ब्यौरा नियम-70; अग्नि संरक्षण एवं नियम 71-ख; अग्नि रोकने के यन्त्र एवं जलापूर्ति के अंतर्गत शामिल है।

विवरण

सुरक्षा हेतु आबंटित एवं प्रयुक्त निधियां: कंपनीवार एवं राज्यवार

ईसीएल (झारखण्ड और पश्चिम बंगाल) (सभी आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूंजी		राजस्व	
	बजट (आबंटित निधि)	व्यय (प्रयुक्त निधि)	बजट (आबंटित निधि)	व्यय (प्रयुक्त निधि)
2008-09	13.85	14.006	144.2	94.7633
2009-10	20.06	6.648	156.05	93.30
2010-11	30.22	14.40	154.95	120.92
2011-12 (जून तक)	28.50	1.08 (अनंतिम)	172.34	24.10 (अनंतिम)

बीसीसीएल (झारखण्ड और पश्चिम बंगाल) (आंकड़े लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटित निधि (पूंजी)	प्रयुक्त निधि
2008-09	2700	1604.80
2009-10	2700	2102.35
2010-11	3590	1432
2011-12	4600	1948.05

सीसीएल (झारखण्ड) (आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष	आबंटित निधि (पूंजी एवं राजस्व)	प्रयुक्त निधि
2008-09	1576.07	1312.00
2009-10	1677.48	1387.75
2010-11	1951.64	1797.30
2011-12	3041.30	394.47 (जून तक)

एनसीएल (मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश)

वर्ष	पूंजी खाता (रु. लाख में)		राजस्व खाता (लाख रु. में)	
	उपलब्ध कराया गया बजट	वास्तविक व्यय	उपलब्धकराया गया बजट	वास्तविक व्यय
2008-09	124.00	1.00	कुल विविध बजट में शामिल (अलग से नहीं दिए गए)	4748.71 (23.6.09 को नोट लागत सीट के अनुसार-पेपर फाइल)
2009-10	227.00	32.35*		1027.56
2010-11	145.00	160.00		835.50
2011-12	534.00	शून्य		88.00

*12.00 लाख रुपये (लगभग) अमलोहरी के फायर टेंडर के लिए तथा 159.00 लाख रुपये (लगभग) 3डी स्केनर पद्धति के लिए। वर्ष 2010-11 के लिए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत (इस प्रकार लगभग 203 लाख रुपये) कुल 171.00 लाख रुपये का भुगतान पहले से ही बुक है।

डब्ल्यूसीएल (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश) (लाख रुपये)

वर्ष	पूंजी		राजस्व	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय
2008-09	200	63	8400	8000
2009-10	228.45	61	8800	7821.30
2010-11	465	167	8800	7882.38
2011-12*	728	35	8800	1975

एसईसीएल (छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश) (लाख रुपये में)

वर्ष	पूंजी		राजस्व	
	बजट (आबंटित निधि)	व्यय (प्रयुक्त निधि)	बजट (आबंटित निधि)	व्यय (प्रयुक्त निधि)
2008-09	400.00	225.85	13450.62	9620.49
2009-10	400.00	333.34	10292.62	9650.12
2010-11	500.00	349.00	14915.75	11914.60

एमसीएल (उड़ीसा) (लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटित निधि	प्रयुक्त निधि	
	(पूंजी)	(पूंजी)	(राजस्व)
2008-09	347.00	261.94	3922.64
2009-10	209.26	159.64	4248.08
2010-11	340.00	150.00	4031.97

टिप्पणी: वर्ष 2010-11 के लिए आंकड़े अस्तायी हैं तथा परिवर्तित हो सकते हैं।

द सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

वर्ष	बजट (लाख रुपये में)	वास्तविक (लाख रुपये में)
2008-09	36888.00	26414.00
2009-10	37425.93	43647.60
2010-11	69620.42	46440.76*
2011-12	87514.01	

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनसीएल) (राशि लाख रुपये में)

वर्ष	पूंजी		राजस्व	
	बजट	वास्तविक व्यय	बजट	वास्तविक व्यय
2008-09	296.15	190.00	400.00	352.92
2009-10	356.70	200.00	400.00	252.345
2010-11	236.34	150.00	400.00	250.00

[अनुवाद]

शहीदों के परिवार

1095. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में सैन्य कार्रवाई में मारे गये रक्षा कार्मिकों के परिवारों की दशा आवधिक रूप से जांच करने हेतु तन्त्र है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी पर तैनात के दौरान मारे गये कुल सैनिकों में से कर्नाटक राज्य के सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रत्येक मामले में राज्य में उनके परिवारों को दी गई अनुग्रह/क्षतिपूर्ति धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) रक्षा मंत्रालय के अधीन भूतपमर्व सैनिक कल्याण विभाग युद्ध अनुभवी सैनिकों सहित भूतपूर्व सैनिकों की सभी श्रेणियों के कल्याण की देखभाल के लिए शीर्ष विभाग है। इसके तीन सम्बद्ध कार्यालय नामत: पुनर्वास महानिदेशालय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना इस दिशा में कार्य कर रहे है। इसके अलावा सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवारों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से समय-समय पर संपर्क के लिए अभिलेख कार्यालयों, स्थानीय संगठनों/यूनिटों में प्रणाली मौजूद है।

(ख) और(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकर

1096. **श्री दारा सिंह चौहान:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धन हथकरघा बुनकरों, जो साड़ी बुनने के लिए पैडललूम पर लकड़ी के जकात का प्रयोग करते हैं, के कल्याण के मद्देनजर बड़ी कपड़ा मिलों में लोहे के जकात के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है/लगाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता। पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधियोजना के तहत मशीनरी की सूची में जक्वार्ड और बैंचमार्क प्रौद्योगिकी विशेषताओं के प्रयोग की अनुमति है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न का दर्जा

1097. **श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनको महारत्न का दर्जा दिये जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इन कंपनियों को यहां दर्जा दिये जाने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी पीएसयू को महारत्न का दर्जा दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल द्वारा निधियों की प्रतिपूर्ति

1098. **श्री मनोहर तिरकी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पूर्णत: केन्द्र प्रायोजित योजना है तथा राज्य सरकारों विशेषकर बंगाल सरकार ने इसके लिए निधियों की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी निधियां जारी की गईं तथा आज की स्थिति के अनुसार कितनी निधियां जारी की जानी हैं; और

(घ) राज्य सरकार को शीघ्र निधियां जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसओबीसी)एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। तथापि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 2011-12 में इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान जारी करने के लिए अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत निधियों का सैद्धान्तिक आवंटन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को दिनांक 12.5.2011 को संसूचित किया गया था जिसमें उन्हें उनके लिए सैद्धान्तिक रूप से आवंटित धनराशि की सीमा तक निधियों की निर्मुक्ति के लिए 30.6.2011 तक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। 01.07.2011 से योजना के संशोधन के पश्चात राज्य सरकारों से पुनः दिनांक 11.08.2011 को मंत्रालय को अधिक से अधिक 15.09.2011 तक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

अ.जा. तथा अ.पि.व. छात्रों को छात्रवृत्ति

1099. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति (अजा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छठी से दसवीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले अजा/अपिव के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दी जा रही राशि के अनुरूप करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तथापि, यह मंत्रालय निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत, कक्षा 1 से 10 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति; और

(2) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों (अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जाति दोनों) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि को 1.4.2008 से संशोधित किया गया था।

[अनुवाद]

वनों के विकास के लिए निधि

1100. श्री के.सी. सिंह बाबा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से चालू वित्तिय वर्ष के दौरान अपने राज्यों में वनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में पेड़ो की चोरी-छिपे कटाई को रोकने के लिए एक पृथक कानून अधिनियमित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी हाँ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वनों के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत तीन वृहत स्कीमों नामशः (i) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ii) वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण (iii) वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के अंतर्गत राज्यों को निधियों प्रदान करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और IV में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1937 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया है जिसमें गुप्त रूप से पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए सशक्त प्रावधान है। वर्तमान में कोई नया कानून विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जारी राशि 2011-12 (नवम्बर, 2011)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7.60
2.	बिहार	2.63
3.	छत्तीसगढ़	9.06
4.	गोवा	0.00
5.	गुजरात	8.42
6.	हरियाणा	6.12
7.	हिमाचल प्रदेश	3.50
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00
9.	झारखण्ड	0.00
10.	कर्नाटक	3.40
11.	केरल	1.95
12.	मध्य प्रदेश	2.18
13.	महाराष्ट्र	7.78
14.	उड़ीसा	3.15
15.	पंजाब	0.00
16.	राजस्थान	4.39
17.	तमिलनाडु	3.08
18.	उत्तर प्रदेश	8.11
19.	उत्तराखण्ड	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	2.58
	कुल (अन्य राज्य)	73.95
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
22.	असम	0.00
23.	मणिपुर	4.92
24.	मेघालय	0.00
25.	मिजोरम	6.57
26.	नागालैंड	4.16
27.	सिक्किम	4.25
28.	त्रिपुरा	6.68
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	26.58
	कुल योग	100.53

विवरण II

वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	जारी राशि 2011-12 (नवम्बर, 2011)
1	2	3
अन्य राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	
2.	बिहार	
3.	छत्तीसगढ़	4.30
4.	गोवा	0.00
5.	गुजरात	1.84
6.	हरियाणा	0.56
7.	हिमाचल प्रदेश	2.47

1	2	3
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00
9.	झारखण्ड	2.70
10.	कर्नाटक	2.72
11.	केरल	1.36
12.	मध्य प्रदेश	5.22
13.	महाराष्ट्र	3.73
14.	उड़ीसा	1.33
15.	पंजाब	0.00
16.	राजस्थान	1.61
17.	तमिलनाडु	2.46
18.	उत्तर प्रदेश	1.40
19.	उत्तराखण्ड	1.50
20.	पश्चिम बंगाल	0.51
	कुल	33.71
	पूर्वोत्तर और सिक्किम	
1.	असम	0.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	मणिपुर	1.59
4.	मेघालय	0.95
5.	मिजोरम	1.01
6.	नागालैंड	0.00
7.	सिक्किम	1.07
8.	त्रिपुरा	0.35
	कुल	5.86
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.31
2.	चंडीगढ़	0.34
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00
4.	दमन और दीव	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00
6.	नई दिल्ली	0.00
7.	पुडुचेरी	0.00
	कुल	0.65
	कुल योग	40.22

विवरण III

वन जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी राशि 2011-12 (नवंबर, 2011)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.00
2.	बिहार	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1.91
4.	गोवा	0.00
5.	गुजरात	0.00
6.	हरियाणा	0.24
7.	हिमाचल प्रदेश	1.95
8.	जम्मू और कश्मीर	3.56
9.	झारखण्ड	0.47
10.	कर्नाटक	2.13
11.	केरल	2.23
12.	मध्य प्रदेश	3.82
13.	महाराष्ट्र	2.81

1	2	3
14.	उड़ीसा	1.91
15.	पंजाब	0.00
16.	राजस्थान	1.87
17.	तमिलनाडु	1.51
18.	उत्तर प्रदेश	1.62
19.	उत्तराखण्ड	2.01
20.	पश्चिम बंगाल	1.12
21.	असम	0.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
23.	मणिपुर	0.00
24.	मेघालय	0.00
25.	मिजोरम	0.84
26.	नागालैंड	0.00
27.	सिक्किम	1.32
28.	त्रिपुरा	0.00
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.08
30.	चंडीगढ़	0.20
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00
33.	नई दिल्ली	0.00
	कुल	32.60

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

1101. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग को स्थायी दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त आयोग से ग्रामीण श्रमिकों को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) ग्रामीण श्रम की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन पर सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) का 11.8.1887 को गठन किया गया था। आयोग ने 31.7.1991 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की है जिनमें अन्य के साथ-साथ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन शामिल है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया था। अत: आयोग को स्थायी दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वन भूमि का अतिक्रमण

1102. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन भूमि का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अतिक्रमण को हटाने तथा उक्त वन भूमि को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) अतिक्रमण के अंतर्गत वन भूमि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वन क्षेत्रों की सुरक्षा विभिन्न केंद्रीय/राज्य अधिनियम नियमावली और नियमन के संगत प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह मंत्रालय अवसंरचना विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग उन्नत संप्रेषण के तरीके से और फ्रंट-लाईन वानिकी बल को हथियार गोला-बारूद प्रदान करते हुए उनके वानिकी वन सुरक्षा कार्यतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वन प्रबंधन का तीव्रीकरण के नाम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य वन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों को प्रदत्त अवसंरचना से उन्हें बाउंड्री पिलर सहित वन का सीमांकन करने में फ्रंट लाईन स्टाफ की गश्ती क्षमता को बढ़ाने

में और वन भूमि के अतिक्रमणकारियां की बेदखली हेतु प्रयासों को मजबूत करने में मदद करता है। अतिक्रमण को हटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे अन्य प्रयासों में पब्लिक प्रीमीसिस एण्ड लैण्ड रिकवरी अधिनियम के अंतर्गत क्लेक्टर की शक्तियों का विभागीय वन अधिकारियों डीएफओ को प्रत्यायोजन पुलिस और राजस्व विभागों की सहायता से विशेष बेदखली दलों का गठन तथा विभिन्न न्यायालयों में जांच के अधीन वन अतिक्रमणों के मामलों का शीघ्र निपटान करना आदि शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	अतिक्रमण के तहत भूमि हे. में	अब तक (दिनांक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2,56,000.00	11.03.2011
2.	बिहार	शून्य	01.12.2010
3.	छत्तीसगढ़	1,18,494.60	07.03.2011
4.	गुजरात	34,791.00	31.03.2010
5.	हरियाणा	184.63	24.11.2011
6.	हिमाचल प्रदेश	1,832.1403	21.03.2011
7.	कर्नाटक	96,014.349	14.03.2011
8.	केरल	42,420.5085	16.05.2011
9.	मध्य प्रदेश	8,077.72	27.08.2011
10.	महाराष्ट्र	85,388	31.12.2010
11.	उड़ीसा	78,505.077	01.01.2004
12.	पंजाब	7404	23.11.2011
13.	तमिलनाडु	14,352.16	07.03.2011
14.	उत्तरांचल	9,676	31.03.2010
15.	पश्चिम बंगाल	12,660.972	31.03.2010
16.	अरुणाचल प्रदेश	58,553.07	04.03.2011
17.	असम	2,59,700.00	18.03.2011
18.	मणिपुर	1,918.37	02.08.2011
19.	मेघालय	9,378.00	21.03.2011
20.	मिजोरम	12,057,90	01.10.2010
21.	नागालैंड	2,671.86	22.11.2010
22.	सिक्किम	3,300.96	27.05.2011
23.	त्रिपुरा	47,758.14	16.03.2011
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,326.63	10.03.2011
25.	चंडीगढ़	14.00	11.03.2011
26.	दादरा और नगर हवेली	613.30	22.12.2010
27.	दमन एवं दीव	87.83	28.09.2010
28.	लक्षद्वीप	शून्य	16.03.2011
29.	पुडुचेरी	शून्य	—

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों में हड़ताल

1103. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के सरकारी और निजी क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् हड़ताल और तालाबंदी की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या सूचना मिली है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने मानव दिवसों का नुकसान हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में इन घटनाओं के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों; कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और औद्योगिक संबंधों में सुधार लाए जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित किये गये आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी-सितम्बर) के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में हड़तालों तालाबंदियों को नष्ट हुए मानव दिवसों और प्रभावित कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में अलग से आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए ढांचे का प्रावधान है। यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु समुचित सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप, मध्यस्थता और संराधन की सुविधा प्रदान करता है।

विवरण I

वर्ष 2008 के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में राज्य तथा क्षेत्र-वार हड़तालें और तालाबंदियां (अ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सरकारी+निजी क्षेत्र)		
	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	9	0	9	6	0	6	15	0	15
असम	7	0	7	4	5	9	11	5	16
बिहार	1	0	1	0	2	2	1	2	3
छत्तीसगढ़	5	0	5	0	0	0	5	0	5
गुजरात	3	0	3	23	6	29	26	0	32
हरियाणा	0	0	0	2	0	2	2	0	2
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	9	0	9	9	0	9
झारखण्ड	1	0	1	0	0	0	1	0	1
कर्नाटक	12	0	12	1	0	1	13	0	13
केरल	12	0	12	25	3	28	37	3	40
मध्य प्रदेश	5	0	5	0	0	0	5	0	5
महाराष्ट्र	4	0	4	0	0	0	4	0	4
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	2	0	2	3	0	3	5	0	5
राजस्थान	4	0	4	4	3	7	8	3	11
तमिलनाडु	7	0	7	61	21	82	68	21	89
उत्तर प्रदेश	4	1	5	5	6	11	9	7	16

.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तराखण्ड	0	0	0	2	0	2	2	0	2
पश्चिम बंगाल	7	0	7	11	134	145	18	134	152
दिल्ली	1	0	1	0	0	0	1	0	1
अखिल भारत	84	1	85	156	180	336	240	181	421

विवरण II

वर्ष 2008 के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्य तथा क्षेत्र-वार नष्ट हुए मानव दिवस

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सरकारी+निजी क्षेत्र)		
	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	169551	0	169551	467303	0	467303	636854	0	636854
असम	36728	0	36728	11839	239555	251394	48567	239555	288122
बिहार	22413	0	22413	0	73058	73058	22413	73058	95471
छत्तीसगढ़	27238	0	27238	0	0	0	27328	0	27238
गुजरात	3198	0	3198	20404	19723	40127	23602	19723	43325
हरियाणा	0	0	0	5223	0	5223	5223	0	5223
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	11167	0	11167	11167	0	11167
झारखण्ड	10381	0	10381	0	0	0	10381	0	10381
कर्नाटक	199920	0	199920	12940	0	12940	212860	0	212860
केरल	139271	0	139271	410763	62832	473595	550034	62832	612866
मध्य प्रदेश	58883	0	58883	0	0	0	58883	0	58883
महाराष्ट्र	30638	0	30638	0	0	0	30638	0	30638
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	77241	0	77241	12428	0	12428	89669	0	89669
राजस्थान	98558	0	98558	233664	641624	875288	332222	641624	973846
तमिलनाडु	177536	0	175536	378451	251588	630039	553987	251588	805575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	37373	325600	362973	165164	882350	1047514	202537	1207950	1410487
उत्तराखण्ड	781	0	781	12460	0	12460	13141	0	13141
पश्चिम बंगाल	210761	0	210761	3805176	7982198	11787374	4015937	7982198	11998135
दिल्ली	109840	0	109840	0	0	0	109840	0	109840
अखिल भारत	1408311	325600	1733911	5546882	10152928	15699810	6955193	10478528	17433721

विवरण III

वर्ष 2008 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण प्रभावित कामगारों की राज्य-वार (अनंतिम) संख्या

क्र.सं.	राज्य	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	154928	—	154928
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	28315	4296	32611
4.	बिहार	21668	323	21991
5.	छत्तीसगढ़	25283	—	25283
6.	दिल्ली	64170	—	64170
7.	गोवा	—	—	—
8.	गुजरात	7942	1153	9095
9.	हरियाणा	51	—	51
10.	हिमाचल प्रदेश	1273	—	1273
11.	जम्मू और कश्मीर	..	—	—
12.	झारखण्ड	8591	—	8591
13.	कर्नाटक	140239	—	140239
14.	केरल	166125	1264	167389

1	2	3	4	5
15.	मध्य प्रदेश	58883	—	58883
16.	महाराष्ट्र	30638	—	30638
17.	मणिपुर	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	—
19.	मिजोरम	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—
21.	उड़ीसा	—	—	—
22.	पंजाब	77698	—	77698
23.	राजस्थान	75236	3309	78545
24.	सिक्किम	—	—	—
25.	तमिलनाडु	138483	10074	148557
26.	त्रिपुरा	—	—	—
27.	उत्तराखण्ड	1476	—	1476
28.	उत्तर प्रदेश	37923	6997	44920
29.	पश्चिम बंगाल	474698	38262	512960
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
31.	चंडीगढ़	—	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली		—	—
33.	दमन और दीव	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पुडुचेरी	—	—	—
	कुल	1513620	65678	1579298

– = शून्य

.. = उपलब्ध नहीं

विवरण IV

वर्ष 2009 के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में राज्य तथा क्षेत्र-वार हड़तालें तथा तालाबंदियां (अ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सरकारी+निजी क्षेत्र)		
	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
आंध्र प्रदेश	3	0	3	4	4	18	17	4	21
असम	4	0	4	2	4	6	6	4	10
बिहार	1	0	1	0	1	1	1	1	2
छत्तीसगढ़	12	0	12	0	0	0	12	0	12
गुजरात	5	0	5	16	3	19	21	3	24
हरियाणा	0	0	0	9	0	9	9	0	9
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	10	2	12	10	2	12
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	1	1	0	1	1
कर्नाटक	9	0	9	2	0	2	11	0	11
केरल	13	0	13	22	4	26	35	4	39
मध्य प्रदेश	5	0	5	0	0	0	5	0	5
महाराष्ट्र	5	0	5	0	0	0	5	0	5
पंजाब	0	0	0	1	0	1	1	0	1
राजस्थान	8	0	8	8	1	9	16	1	17
तमिलनाडु	1	0	1	34	18	52	35	18	53
उत्तर प्रदेश	3	0	3	0	0	0	3	0	3
उत्तरांचल	3	0	3	0	0	0	3	0	3
पश्चिम बंगाल	6	0	6	8	147	155	14	147	151
अखिल भारत	78	0	78	127	185	312	205	185	390

विवरण V

वर्ष 2009 के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्य तथा क्षेत्र-वार हुए मानव दिवस (अ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सरकारी+निजी क्षेत्र)		
	हड़ताल	तालाबंदी	कुल	हड़ताल	तालाबंदी	कुल	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
	94149	0	94149	1201290	29655	1230945	1295439	29655	1325094
असम	49909	0	49909	32674	14761	47435	82583	14761	97344
बिहार	34256	0	34256	0	70143	70143	34256	70143	104399
छत्तीसगढ़	26230	0	26230	0	0	0	26230	0	26230
गुजरात	38975	0	38975	28204	2288	30492	67179	2288	69467
हरियाणा	0	0	0	194546	0	194546	194546	0	194546
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	24033	2312	26345	24033	2312	26345
झारखण्ड	0	0	0	0	112	112	0	112	112
कर्नाटक	63475	0	63475	12120	0	12120	75595	0	75595
केरल	89894	0	89894	189764	88608	278372	279658	88608	368266
मध्य प्रदेश	23885	0	23885	0	0	0	23885	0	23885
महाराष्ट्र	983195	0	983195	3505	0	3505	986700	0	986700
पंजाब	0	0	0	8005	0	8005	8005	0	8005
राजस्थान	72117	0	72117	261476	39059	300535	333593	39059	372652
तमिलनाडु	12502	0	12502	353533	148030	501563	366035	148030	514065
उत्तर प्रदेश	25609	0	25609	0	0	0	25609	0	25609
उत्तरांचल	24211	0	24211	0	0	0	24211	0	24211
पश्चिम बंगाल	197334	0	197334	202400	8651205	8853605	399734	8651205	9050939
अखिल भारत	1735741	0	1735741	2511550	9046173	11557723	4247291	9046173	13293464

विवरण VI

वर्ष 2009 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण प्रभावित कामगारों की राज्य-वार संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	93600	880	94480
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	25098	2029	27127
4.	बिहार	18500	227	18727
5.	छत्तीसगढ़	16636	—	16636
6.	दिल्ली	—	—	—
7.	गोवा	—	—	—
8.	गुजरात	19993	184	20177
9.	हरियाणा	4869	—	4869
10.	हिमाचल प्रदेश	2091	42	2133
11.	जम्मू और कश्मीर	..	..	..
12.	झारखण्ड	—	14	14
13.	कर्नाटक	55199	—	55199
14.	केरल	87746	1285	89031
15.	मध्य प्रदेश	19736	—	19736
16.	महाराष्ट्र	973991	—	973991
17.	मणिपुर	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	—
19.	मिजोरम	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—
21.	उड़ीसा	—	—	—
22.	पंजाब	915	—	915
23.	राजस्थान	45407	139	45546

1	2	3	4	5
24.	सिक्किम	—	—	—
25.	तमिलनाडु	28770	4833	33603
26.	त्रिपुरा	—	—	—
27.	उत्तराखण्ड	13682	—	13682
28.	उत्तर प्रदेश	15134	—	15134
29.	पश्चिम बंगाल	122173	72343	194516
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
31.	चंडीगढ़	—	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली		—	—
33.	दमन और दीव	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पुडुचेरी	—	—	—
	कुल	1543540	81976	1625516

- = शून्य

.. = उपलब्ध नहीं

विवरण VII

2010 के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्य एवं क्षेत्र-वार श्रम दिवसों की हानि (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सरकारी+निजी क्षेत्र)		
	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2	0	2	8	7	15	10	7	17
बिहार	2	0	2	0	1	1	2	1	3
छत्तीसगढ़	12	0	12	0	0	0	12	0	12
गुजरात	8	0	8	17	3	20	25	3	28
हरियाणा	0	0	0	11	0	11	11	0	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	1	0	1	2	0	2	3	0	3
उत्तराखण्ड	1	0	1	0	0	0	1	0	1
कर्नाटक	11	0	11	4	3	7	15	3	18
केरल	10	0	10	12	7	19	22	7	29
मध्य प्रदेश	10	0	10	0	0	0	10	0	10
महाराष्ट्र	15	0	15	0	0	0	15	0	15
मेघालय	0	0	0	1	0	1	1	0	1
पंजाब	0	0	0	3	0	3	3	0	3
राजस्थान	3	0	3	11	0	11	14	0	14
तमिलनाडु	23	0	23	52	14	66	75	14	89
उत्तर प्रदेश	5	0	5	0	0	0	5	0	5
उत्तराखण्ड	3	0	3	0	0	0	3	0	3
पश्चिम बंगाल	15	0	15	18	130	148	33	130	163
पुडुचेरी	1	0	1	1	0	1	2	0	2
अखिल भारत	122	0	122	140	165	305	262	165	427

विवरण VIII

2010 के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्य एवं क्षेत्र-वार श्रम दिवसों की हानि (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सरकारी+निजी क्षेत्र)		
	हड़ताल	तालाबंदी	कुल	हड़ताल	तालाबंदी	कुल	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	35616	0	35616	55022	349239	404261	90638	349239	439877
बिहार	119195	0	119195	0	70143	70143	119195	70143	189338
छत्तीसगढ़	36666	0	36666	0	0	0	36666	0	36666
गुजरात	16016	0	16016	33378	8142	41520	49394	8142	57536
हरियाणा	0	0	0	141461	0	141461	141461	0	141461
हिमाचल प्रदेश	19657	0	19657	1860	0	1860	21517	0	21517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखण्ड	110000	0	110000	0	0	0	110000	0	110000
कर्नाटक	82979	0	82979	46505	1695	48200	129484	1695	131179
केरल	25736	0	25736	168397	157241	325638	194133	157421	351374
मध्य प्रदेश	69190	0	69190	0	0	0	69190	0	69190
महाराष्ट्र	99294	0	99294	0	0	0	99294	0	99294
मेघालय	0	0	0	416	0	416	416	0	416
पंजाब	0	0	0	10222	0	10222	10222	0	10222
राजस्थान	33686	0	33686	138933	0	138933	172619	0	172619
तमिलनाडु	681477	0	681477	368841	120655	489496	1050318	120655	1170973
उत्तर प्रदेश	12742	0	12742	0	0	0	12742	0	12742
उत्तराखण्ड	19173	0	19173	0	0	0	19173	0	19173
पश्चिम बंगाल	186853	0	86853	969760	1385392	14823152	1156613	1385392	15010005
पुडुचेरी	0	0	0	622	0	622	622	0	622
अखिल भारत	1548280	0	1548280	1953417	14560507	16495924	3484697	14560507	18044204

विवरण IX

वर्ष 2010 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण प्रभावित कामगारों की राज्य-वार संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24723	4373	29096
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	11195	227	11422
5.	छत्तीसगढ़	36229	—	36229
6.	दिल्ली	—	—	—
7.	गोवा	—	—	—

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	15313	243	15556
9.	हरियाणा	2865	—	2865
10.	हिमाचल प्रदेश	745	—	745
11.	जम्मू और कश्मीर	..	..	..
12.	झारखण्ड	2000	—	2000
13.	कर्नाटक	68780	282	69062
14.	केरल	42972	2676	45648
15.	मध्य प्रदेश	67404	—	67404
16.	महाराष्ट्र	97240	—	97240
17.	मणिपुर	—	—	—
18.	मेघालय	440	—	440
19.	मिजोरम	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—
21.	उड़ीसा	—	—	—
22.	पंजाब	1122	—	1122
23.	राजस्थान	32019	—	32019
24.	सिक्किम	..	..	..
25.	तमिलनाडु	98396	8535	106931
26.	त्रिपुरा	—	—	—
27.	उत्तराखण्ड	15479	—	15479
28.	उत्तर प्रदेश	12742	—	12742
29.	पश्चिम बंगाल	210192	306990	517182
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—

1	2	3	4	5
31.	चंडीगढ़	—	—	—
32.	दादरा एवं नगर हवेली		—	—
33.	दमन एवं दीव	..	..	..
34.	लक्षद्वीप	..	..	..
35.	पुडुचेरी	329	—	329
	कुल	740185	323326	1063511

- = शून्य

.. = उपलब्ध नहीं

विवरण X

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सार्वजनिक + निजी क्षेत्र)		
	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
आंध्र प्रदेश	0	0	0	8	5	13	8	5	13
बिहार	0	0	0	0	1	1	0	1	1
छत्तीसगढ़	1	0	1	0	0	0	1	0	1
गुजरात	1	0	1	7	5	12	8	5	13
हरियाणा	0	0	0	2	0	2	2	0	2
कर्नाटक	2	0	2	6	2	8	8	2	10
केरल	0	0	0	8	6	14	8	6	14
मध्य प्रदेश	1	0	1	0	0	0	1	0	1
राजस्थान	4	0	4	3	1	4	7	1	8
तमिलनाडु	5	0	5	36	6	42	41	6	47
पुडुचेरी	3	0	3	0	0	0	3	0	3
अखिल भारत	17	0	17	70	26	96	87	26	113

विवरण XI

राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र में 2011 के दौरान (जनवरी-सितम्बर) में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्य तथा क्षेत्रवार नष्ट हुए मानव दिवस (अ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र			निजी क्षेत्र			कुल (सार्वजनिक + निजी क्षेत्र)		
	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
आंध्र प्रदेश	0	0	0	85836	43910	129746	85836	43910	129746
बिहार	0	0	0	0	29056	29056	0	29056	29056
छत्तीसगढ़	254	0	254	0	0	0	254	0	254
गुजरात	570	0	570	8639	1049	9688	9209	1049	10258
हरियाणा	0	0	0	53348	0	53348	53348	0	53348
कर्नाटक	385	0	385	25517	16949	42466	25902	16949	42851
केरल	0	0	0	59218	147383	206601	59218	147383	206601
मध्य प्रदेश	24915	0	24915	0	0	0	24915	0	24915
राजस्थान	26132	0	26132	41459	0	41459	67591	..	67591
तमिलनाडु	89638	0	89638	418515	21572	440087	50183	21572	529725
पुडुचेरी	23100	0	23100	0	0	0	23100	0	23100
अखिल भारत	164994	0	164994	692532	259919	952451	857526	259919	1117445

..= उपलब्ध नहीं।

विवरण XII

वर्ष 2011 (अनंतिम) (जनवरी से सितम्बर) के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण प्रभावित कामगारों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8264	1113	9377
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	227	227

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	127	—	127
6.	दिल्ली	—	—	—
7.	गोवा	—	—	—
8.	गुजरात	2261	142	2403
9.	हरियाणा	1668	—	1668
10.	हिमाचल प्रदेश	..	..	..
11.	जम्मू और कश्मीर	..	..	..
12.	झारखण्ड	..	..	..
13.	कर्नाटक	1397	261	1658
14.	केरल	895	2959	3854
15.	मध्य प्रदेश	24915	—	24915
16.	महाराष्ट्र	..	..	..
17.	मणिपुर	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	—
19.	मिजोरम	..	..	..
20.	नागालैंड	..	..	..
21.	उड़ीसा	—	—	—
22.	पंजाब	—	—	—
23.	राजस्थान	24928	900	25828
24.	सिक्किम	..	..	..
25.	तमिलनाडु	129994	1856	131850
26.	त्रिपुरा	..	..	..
27.	उत्तराखण्ड	..	..	..
28.	उत्तर प्रदेश	..	..	..
29.	पश्चिम बंगाल	..	..	..
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	..	..

1	2	3	4	5
31.	चंडीगढ़	—	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
33.	दमन और दीव	..	..	..
34.	लक्षद्वीप	..	..	..
35.	पुडुचेरी	932	—	932
	कुल	195381	7458	202839

- = शून्य

.. = उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

श्रम अधिकारों से संबंधित आईएलओ अभिसमय

1104. श्री कीर्ति आजाद: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अभिसमय सं. 87 (संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संगठित होने के अधिकार का संरक्षण) और सं. 98 (संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के अधिकार के गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त दो अभिसमयों का अनुसमर्थन न किए जाने का प्रमुख कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं। इन अभिसमयों के अनुसमर्थन में सांविधिक नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए निषिद्ध कतिपय अधिकारों की मंजूरी देना शामिल होगा नामत: काम रोकना, सरकारी नीतियों की खुलकर आलोचना करना, वित्तीय अंशदान स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में खुलकर शामिल होना इत्यादि।

(ग) सरकार सामान्य तौर पर कामगार वर्ग के हितों तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में आर्थिक विकास की उच्च दर की प्राप्ति के लिए सहायक कार्य वातावरण सृजित करने के लिए अधिदेशित है।

(घ) श्रम हितों को सुरक्षित करने के विभिन्न पहलुओं की पूर्ति हेतु केन्द्र और राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में कानून बनाए गए और कार्यान्वित किए गए हैं।

चिड़ियाघर और राष्ट्रीय पार्क में श्रम शक्ति

1105. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय पार्कों को रिक्त पदों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय पार्कों में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) देश में चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों में रिक्त की स्थिति से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों में रिक्तपदों को भरने के लिए संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश सरकारों/नगर पालिका निगमों/चिड़याघरों के नियंत्रण अधिकारियों के अधिदेश अनिवार्य है। तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चिड़ियाघरों में चिड़ियाघरों की मान्यता नियमावली, 2009 के आवश्यकतानुसार स्टाफ को फैलाने के लिए राज्य वन विभागों/नगर पालिका निगमों और अधिकतर चिड़ियाघरों का नियंत्रण करने वाले हैं। सामान्यत: राज्य/संघ शासित प्रदेशों को समय-समय पर वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कार्यतंत्र को सशक्त बनाने की उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें स्मरण कराया गया है।

उत्सर्जन मानक

1106. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अवगत है कि कम माल भाड़ा दर और तेल की उच्च कीमतों से जूझ रही भारतीय नौवहन कंपनियों को अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा निर्धारित नए उत्सर्जन मानदंडों के कारण लागत में और अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय नौवहन कंपनियों को इस प्रकार की स्थितियों से निपटने में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी, हां।

(ख) 1. अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए निम्नलिखित विनियमों को अनिवार्य बना दिया गया है:

1. ईंधन तेल में सल्फर की सीमा को 4.5% से घटा कर 3.5% कर दिया गया है-1 जनवरी, 2012 से लागू।
2. उत्सर्जन नियंत्रण क्षेत्र (ई सी ए) में ईंधन तेल में सल्फर सीमा को 1.5% से घटा कर 1% कर दिया गया है-1 जुलाई, 2010 से लागू।

(2) अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा प्रस्तावित विनियम एक "अपेक्षित ऊर्जा कुशलता डिजाईन इंडैक्स (ई डी आई)" मूल्य निर्धारित करता है जिसे 1 जनवरी, 2013 से 1 जनवरी, 2025 तक चार चरणों में लागू किया जाना है।

(ग) (1) सरकार ने अनुबंध 6 के संस्वीकृत मारपोल अनुमोदित कर दिया है, ताकि उन्हें उनके पोतों पर ऊर्जा कुशलता डिजाईन इंडैक्स (ई ई डी आई) की अपेक्षाओं से छूट मिल सके। मारपोल अनुबंध 6 के भागीदारों के पास अपने पोतों पर इस प्रविष्टि के लागू होने से अधिकतम 4.0 से 6.5 वर्षों तक ई ई डी आई की अपेक्षाओं से छूट लेने का विकल्प होता है।

(2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पोतों के ईंधन तेल में सल्फर की अधिकतम सीमा के संबंध में आई एम ओ की अपेक्षाओं की सलाह दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा मंडल कार्यालय

1107. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के मंगलौर में एक कर्मचारी राज्य बीमा मंडल कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाघ परियोजना की स्थापना

1108. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में 'तादोबार अन्धारी बाघ परियोजना' की स्थापना के कारण विस्थापित होने वाले किसानों और जनजातीय लोगों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) बाघ परियोजना के चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, उक्त रिजर्व के अधिसूचित कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास में रहने वाले लोगों के स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए, 11वीं

योजना अवधि के दौरान तादोबा-अन्धारी बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र) को 288.73 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता

1109. श्री जगदीश ठाकोरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ नकदी फसलों के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त फसलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या देश में नकदी फसलों के निर्यात के संवर्धन के लिए किसी एकसमान नीति पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार नकदी फसल अर्थात चाय, कॉफी, रबड़, मसाले, तम्बाकू एवं काजू के निर्यात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिसमें योजना स्कीमों के जरिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी करने, ब्रांड संवर्धन, जन संपर्क अभियान के लिए उपजकर्ताओं और अन्य स्टेक होल्डरों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

(ग) और (घ) देश में नकदी फसलों का संवर्धन करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन, उत्पादकता, निर्यात गंतव्यों, मांग एवं आपूर्ति के अनुरूप निर्यात नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार समयानुरूप और अलग-अलग फसलों के लिए मांग के अनुसार नीतिगत उपायों की घोषणा करती है।

[हिन्दी]

राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1110. श्रीमती कमला देवी पटलेः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ से ओडिशा बरास्ता रायपुर, बलौदा बाजार, कुसदोल, बिलाईगढ़ और सरसिवन जाने वाले राज्य राजमार्ग को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) रायपुर से बलौदा बाजार-कुसदोल-भाटगांव-सारंगढ़-सरिया-सोहेला रोड (ओडिशा) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा, सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

भारत-नेपाल व्यापार

1111. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010 में भारत-नेपाल व्यापार संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा समझौतों की समीक्षा किए जाने की योजना है; और

(घ) इस समझौते पर हस्ताक्षर से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं, मौजूदा करार की समीक्षा किए जाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव-विविधता अधिनियम का उल्लंघन

1112. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव-विविधता अधिनियम के विभिन्न खण्डों के उल्लंघन के लिए कुछ बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनबीए ने कानूनी वाद दायर करने के अतिरिक्त इन कंपनियों को काली सूची में डाले जाने की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रारंभिक सूचना के आधार पर जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन पर कथित दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सिद्धांत रूप में सिफारिश की गई है।

(ख) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण को पर्यावरण सहायता दल (ईएसजी), बैंगलुरु से बीटी बैंगन के विकास में मैसर्स मोनसैंटों/माहिकों और इसके सहयोगियों पर जैवीय चोरी (बायोपायरेसी) के आरोप में शिकायत प्राप्त हुई है। इस आधार पर, प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य जैव-विविधता बोर्ड की सहायता से इस आरोप की जांच-पड़ताल शुरु कर दी है। उक्त बीटी बैंगन सामग्री के विकास में शामिल उन संस्थानों और अभिकरणों से सूचना एकत्रित की गई है तथा जैविक विविधता अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के तत्वों और परिमाण पर विचार करते हुए इस सूचना का कानूनी मूल्यांकन प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, इस सामग्री के विकास में लिप्त अभिकरणों से और अधिक सूचना मांगी गई है तथा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अस्पताल

1113. **प्रो. राम शंकर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में इन व्यक्तियों का विशेष रूप से उपचार करने वाले अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठन भी शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक एनजीओ को वार्षिक कितनी राशि आवंटित की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जनगणना, 2001 के अनुसर, देश में विकलांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 2.19 करोड़ रु. है।

(ख) देश के सभी अस्पतालों द्वारा विकलांग व्यक्तियों सहित सभी लोगों का उपचार किये जाने की उम्मीद की जाती है।

(ग) और (घ) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) और सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप) योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यकलाप करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत निधियों का गैर-सरकारी संगठन-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

श्रमिकों की कमी

1114. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजू शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत कुछ वर्षों के दौरान कृषि श्रमिकों की कमी लगातार महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में आवश्यकता की तुलना में श्रमिकों और भूमिहीन कृषि कामगारों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि श्रमिकों के नियोजकता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) भारत में (जुलाई-सितम्बर, 2009) रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव पर आयोजित तिमाही सर्वेक्षण की रिपोर्ट में चयनित क्षेत्रों अर्थात् वस्त्र, धातु, चमड़ा, आटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ, हथकरघा/विद्युत करघा ने दर्शाया है कि कुल नियोजन में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है। श्रमिकों तथा भूमिहीन कृषि कामगारों की उपलब्धता की तुलना में कृषि क्षेत्र में उनकी अपेक्षा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गयी है। इसके अतिरिक्त, सरकार कई रोजगार सृजन योजनाओं यथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी कर रही है।

[अनुवाद]

भारत-चीन व्यापार

1115. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री उदय सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीन से आयात को प्रतिबंधित करने सहित दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने साइकिल उद्योग जैसे घरेलू कमजोर उद्योगों की पहचान कर ली है जो चीन के मध्यवर्ती सामग्रियों पर निर्भर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा भारत में चीनी उत्पादों के आयात को विनियमित किए जाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान चीन के साथ आयात-निर्यात तथा व्यापार घाटे का विवरण निम्नानुसार है:-

मूल्य मिलि.अम.डॉ. में

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार घाटा
2008-09	32,497.02	9,353.50	23,143.52
2009-10	30,824.02	11,617,88	19,206.14
2010-11	43,479.76	19,615.85	23,863.91

(ग) और (घ) व्यापार घाटे को कम करने के मद्देनजर विनिर्मित वस्तुओं पर बल देते हुए व्यापार की वस्तुओं में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम विभिन्न मंचों पर चीन के बाजार में गैर-टैरिफ बाधाओं के समाधान हेतु बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों पर विचार भी कर रहे हैं। मंत्री स्तर पर आर्थिक संबंधों, व्यापार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त समूह (जे ई जी) मौजूद है जहां व्यापार संबंधी मुद्दों को नियमित रूप से उठाया जाता है। चीन के बाजारों में भारतीय उत्पादों को शो-केस करने और चीन की कंपनियों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातकों को चीन के प्रमुख व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यापार मेलों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी से चीन के आयातकों को विशिष्ट भारतीय उत्पादों की जानकारी मिलती है। बाजार

पहुंच पहल (एम ए आई)/बाजार विकास सहायता (एम डी ए) जैसी स्कीमों के जरिए व्यवसाय दर व्यवसाय संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

एनटीसी में भ्रष्टाचार के मामले

1116. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के एनटीसी के पश्चिमी क्षेत्र के कार्यकरण में संपत्तियों की बिक्री सहित कतिपय अनियमितताओं तथा कदाचार के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन मामलों में कोई जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. के पश्चिमी क्षेत्र में फिनले मिल्स की भूमि की बिक्री में अनियमितताओं के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) इस मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है। भूमि की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति बिक्री समिति के अनुमोदन से खुली निविदा के माध्यम से बिक्री की जाती है। हाल ही में, भूमि की बिक्री के लिए एनटीसी ने ई-नीलामी की एक प्रणाली भी शुरू की है।

[अनुवाद]

एक्सप्रैस-वे परियोजनाएं

1117. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कतिपय निर्माणाधीन एक्सप्रैस-वे परियोजनाओं का समय और लागत बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मार्गों की लंबाई तथा निर्माण-रीति क्या है और इनकी पूर्णता के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) समय और लागत बढ़ने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या देश में एक्सप्रैस-वे के विकास के लिए सरकार का एक पृथक विधान लाने का अथवा इस प्रयोजनार्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधान संसद के समक्ष कब तक लाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी नहीं। ऐसा कोई एक्सप्रेसमार्ग नहीं है जो वर्तमान में निर्माणधीन है। तथापि, पूरे किए गए और विनियोजित एक्सप्रेस मार्गों का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

वर्तमान में अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच एक एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई 93.40 किमी है, चल रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिल्ली के आस-पास पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसमार्ग जिसकी लंबाई लगभग 134 किमी है, निविदा प्रक्रिया के स्तर पर है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-6 के अंतर्गत 1000 किमी एक्सप्रेसमार्गो के निर्माण को अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-6 के अंतर्गत एक्सप्रेसमार्गों के अभिनिर्धारित खंड इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	खंड	लंबाई (किमी)	राज्य
1.	बडोदरा-मुंबई	400	गुजरात/महाराष्ट्र
2.	बंगलौर-चेन्नै	334	कर्नाटक/तमिलनाडु
3.	दिल्ली-मेरठ	66	दिल्ली/उत्तर प्रदेश
4.	कोलकाता-धनबाद	277	पश्चिम बंगाल/झारखण्ड
5.	दिल्ली-जयपुर	—	दिल्ली/राजस्थान

ये खंड, संरेखण अध्ययन/साध्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी स्तर पर है।

(घ) और (ङ) इस प्रयोजन के लिए, देश में एक्सप्रेस मार्गों के विकास हेतु अलग विधान लाने अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रक्षा बलों में महिलाएं

1118. श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में महिलाओं की वास्तविक संख्या पर सेवा-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का रक्षा बलों में महिला सैन्यकर्मियों का प्रतिशत बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या महिला अधिकारियों को केवल अल्पावधिक सेवा कमीशन के लिए ही विचारित किया जा रहा है और यह भी कतिपय संकायों/क्षेत्रों तक सीमित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए युद्ध संबंधी कर्त्तव्यों सहित और अधिक अवसर पैदा करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा कोई आंतरिक सुझाव प्राप्त तथा विचारित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (छ) सशस्त्र बलों में महिलाओं की नियुक्ति अफसरों के रूप में की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (सेवा-वार) के दौरान सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में महिला अफसरों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	महिला अफसरों की संख्या (सैन्य चिकित्सा कोर, सैन्य दंत चिकित्सा कोर और सैन्य परिचारिका सेवा को छोड़कर)		
	थल सेना	नौसेना	वायुसेना
2008	1072	173	957
2009	1030	176	915
2010	999	191	889
2011	1055	288	936

सशस्त्र बलों में महिला अफसरों की भर्ती के लिए अलग से कोई निश्चित स्वीकृत संख्या नहीं है और उनकी भर्ती संबंधित सेनाओं में अफसरों की समग्र अधिकृत संख्या के भीतर होती है। वे तीनों सेनाओं की विभिन्न सेवाओं/शाखाओं में संलग्न विवरण में दर्शाए गए अनुसार अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के रूप में भर्ती होती हैं।

सशस्त्र बलों ने महिलाओं की भर्ती और रोजगार देने पर एक व्यापक नीति संबंधी कागजात प्रस्तुत किया है। देश की सुरक्षा में सशस्त्र बलों की भूमिका और जिम्मेदारी के मद्देनजर नीति संबंधी कागजात पर विचार करने और देश की क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा के बाद मंत्रालय ने 11 नवंबर, 2011 को एक सरकारी पत्र जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला अल्पसेवा कमीशन अफसरों को स्थाई कमीशन देने सहित सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती और रोजगार देने संबंधी नीति निर्धारण की बात कही गई है, जो निम्नानुसार है:

1. महिला अफसरों को अल्पसेवा कमीशन अधिकारियों के रूप में उन शाखाओं/कैडरों में शामिल किया जाना जारी रखा जाए जहां वे तीनों सेनाओं में अभी शामिल की जा रही हैं;

2. महिला अल्पसेवा कमीशन अधिकारी तीनों सेनाओं में विशिष्ट शाखाओं में अर्थात् थल सेना की महा न्यायवादी (जेएजी) और सैन्य शिक्षा कोर तथा नौसेना और वायुसेना में उनकी संगत शाखाओं, नौसेना में नौसेना कंस्ट्रक्टर और वायुसेना में लेखा शाखा में पुरुष अल्प. सेवा कमीशन अधिकारियों के साथ नियमित कमीशन दिए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होंगी जैसा कि मंत्रालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2008 के पत्र संख्या 12(1)/2004-रक्षा (एजी) पार्ट-2 में उल्लेख किया गया है;

3. उपर्युक्त के अलावा, वायुसेना में महिला अल्पसेवा कमीशन अधिकारी पुरुष अल्प सेवा कमीशन सेवा अधिकारी के साथ तकनीकी, प्रशासन, संभारिकी तथा मेट्रोलोजी शाखाओं में स्थाई कमीशन दिए जाने पर विचार करने के लिए पात्र होंगी।

स्थाई कमीशन प्रदान करना उम्मीदवार की इच्छा और सेवा विशेष की आवश्यकता, रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता, उम्मीदवार की मैरिटी के अध्यधीन होगा जैसा कि प्रत्येक सेवा तय करेगी।

इसके अतिरिक्त महिला अफसरों को थलसेना में स्थाई कमीशन देने संबंधी एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

विवरण

महिला अफसर तीनों सेनाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की निम्नलिखित शाखाओं/कैंडरों में अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के रूप में भर्ती की जाती हैं

थल सेना:

1. सिगनल;
2. इंजीनियर्स;
3. सेना वैमानिकी:
4. सेना हवाई रक्षा:
5. ईलेक्ट्रानिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स:
6. सैन्य सेवा कोर:
7. सैन्य आयुध कोर:
8. आसूचना:
9. सैन्य शिक्षा कोर:
10. महान्यायवादी

नौसेना:

1. महान्यायवादी:
2. संभारिकी:
3. पर्यवेक्षक:
4. हवाई यातायात नियंत्रक:
5. नौसेना कंस्ट्रक्टर:
6. शिक्षा:

वायुसेना:

उड़ान शाखा की लड़ाकू शाखा को छोड़कर सभी शाखाओं में।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1119. योगी आदित्यनाथ:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत परियोजनाओं सहित कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित/विकसित किये तथा सुधारे गए और कितनों का निर्माण अभी लंबित है एवं कितनी लंबाई का मार्ग निर्माण पूरा कर लिया गया है;

(ग) उक्तावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके विभिन्न खंडों के निर्माण/विकास हेतु सरकार द्वारा जारी धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की स्थिति काफी शोचनीय हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(च) उक्तावधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं विलंबित रहीं और राजमर्गों का निर्माण तेजी से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य, यातायात घनत्व, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर शुरू किये जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए देश में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी की गई लंबाई का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित और व्यय की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए निधि खंड-वार जारी नहीं की जाती।

(घ) और (ङ) वर्ष 2009-10 से लक्षित और पूरी की गई लंबाई निम्नलिखित है:

(लंबाई कि.मी. में)

	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से इतर	
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	3165.00	2693.00	2458.50	2315.19
2010-11	2500.00	1780.00	2467.93	2156.74
2011-12	2500.00	685.57*	2254.00**	653.65*

*सितम्बर, 2011 तक

**अनंतिम

पूरी की गई लंबाई, पूरा करने के लिए उपलब्ध कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 में केवल 1234 किमी और वर्ष 2008-09 में 643 किमी का कार्य सौंपा था। पूर्व के वर्षों में सौंपे गए कार्य की इस तुलनात्मक रूप से कम मात्रा के परिणामस्वरूप उत्तरवर्ती वर्षों में, पूरा करने के लिए उपलब्ध लंबाई और लक्ष्य/पूर्णता दर अपेक्षाकृत कम रही।

दिनांक 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम और अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 15,600 कि.मी. लंबाई में कार्य प्रगति पर था। चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 11,050 कि.मी. की कुल लंबाई में कार्य सौंपने और लगभग 3,570 कि.मी लम्बाई में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इससे 1.4.2012 तक लगभग 23,080 कि.मी. लंबाई का कार्य प्रगति पर होने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसके निर्माण की गति में वृद्धि होने की आशा है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए देश में विलंब से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। ये विलंब विभिन्न कारणों से हुए हैं जिनमें शामिल हैं: भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण, वन और रेलवे स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब तथा ठेकेदारों का अल्प निष्पादन एवं कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति। अपने सभी परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलंब को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन वाले मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटों की स्थापना किया जाना, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों आदि के संबंध में पेश आ रही अड़चनों के निराकरण के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च-शक्ति प्राप्त समितियां गठित किया जाना आदि। इसके अलावा, विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किये जाने के लिए उनका सतत् अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा, मुख्यालयस्तर पर एवं फील्ड यूनिटों में की जाती है।

विवरण I

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 43, 63, 202, 205,. 214, 214ए, 219, 221,222 और 234
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार और 37 विस्तार
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110
5.	चंडीगढ़	21
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, हडी, 8ई, 14, 15, 59, 76ए, 113 और 228
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, 236 और एनई-2
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88 और 73ए
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213 और 220
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86 और 92
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 204, 211 और 222
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155
22.	ओडीशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224
23.	पुडुचेरी	45ए और 66
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95
25.	राजस्थान	3, 3ए, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 65ए, 71बी, 76, 76ए, 76बी, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114, 116 और 116ए
26.	सिक्किम	31ए

1	2	3
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230 और 234
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 3ए, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235 और एनई-2
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी विस्तार, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए देश में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29
2.	अरुणाचल प्रदेश	48
3.	असम	76
4.	बिहार	64
5.	छत्तीसगढ़	42
6.	गोवा	6
7.	गुजरात	24
8.	हरियाणा	38
9.	हिमाचल प्रदेश	47
10.	जम्मू और कश्मीर	123
11.	झारखंड	60
12.	कर्नाटक	62
13.	केरल	18
14.	मध्य प्रदेश	52
15.	महाराष्ट्र	70
16.	मणिपुर	20
17.	मेघालय	16
18.	मिजोरम	11
19.	नागालैंड	11
20.	ओडीशा	35
21.	पंजाब	20
22.	राजस्थान	36
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	34
25.	त्रिपुरा	7
26.	उत्तर प्रदेश	74
27.	उत्तराखंड	152
28.	पश्चिम बंगाल	47
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8
30.	चंडीगढ़	1
31.	दिल्ली	1
32.	पुडुचेरी	1

विवरण III

पिछले तीन वर्ष प्रत्येक वर्ष के दौरान पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई (किमी)		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	263.18	423.83	247.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	16.43	32.00
3.	असम	88.42	229.70	268.41
4.	बिहार	131.50	241.51	219.91
5.	छत्तीसगढ़	147.09	188.87	99.30
6.	दिल्ली	6.40	2.90	29.80
7.	गुजरात	238.54	163.48	112.82
8.	हरियाणा	122.99	196.23	173.80
9.	हिमाचल प्रदेश	67.92	28.34	61.84
10.	जम्मू और कश्मीर	176.93	221.07	125.82
11.	झारखंड	68.59	88.12	113.86
12.	कर्नाटक	166.51	323.71	291.00
13.	केरल	49.94	19.90	20.20
14.	मध्य प्रदेश	295.83	449.62	223.81
15.	महाराष्ट्र	265.36	190.85	343.84
16.	मणिपुर	19.65	14.20	36.50
17.	मिजोरम	32.61	18.63	1.85
18.	नागालैंड	57.00	74.00	67.98
19.	ओडीशा	132.11	293.99	238.03
20.	पंजाब	151.67	185.86	134.69
21.	राजस्थान	710.97	134.30	163.48
22.	तमिलनाडु	602.27	513.19	265.43

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	9.14	5.46	14.00
24.	उत्तर प्रदेश	377.56	721.93	523.63
25.	उत्तराखंड	140.52	84.50	41.16
26.	पश्चिम बंगाल	104.00	158.84	91.15

विवरण IV

पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियों और खर्च की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन			व्यय		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	20120-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	192.97	348.39	254.77	196.38	348.39	254.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.00	0.00	*1.10	0.00	0.00
3.	असम	88.25	206.29	177.64	87.65	206.29	177.64
4.	बिहार	104.02	245.45	199.15	95.02	245.45	199.15
5.	चंडीगढ़	3.39	2.95	8.81	3.39	2.95	8.81
6.	छत्तीसगढ़	67.42	79.65	53.53	65.74	79.65	53.53
7.	दिल्ली	15.80	17.21	52.58	15.80	17.21	52.58
8.	गोवा	34.39	33.16	30.14	34.9	33.16	30.14
9.	गुजरात	102.33	150.26	111.60	101.06	150.26	111.60
10.	हरियाणा	103.23	152.16	143.69	103.23	152.16	143.69
11.	हिमाचल प्रदेश	76.21	80.46	95.72	76.21	80.46	95.72
12.	झारखंड	96.41	117.90	112.70	96.41	117.90	112.70
13.	कर्नाटक	215.30	305.43	276.65	214.91	305.42	276.65

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केरल	72.53	141.23	109.00	73.20	141.23	109.00
15.	मध्य प्रदेश	110.14	150.16	134.24	98.35	150.16	134.24
16.	महाराष्ट्र	195.18	326.18	265.53	196.87	326.18	265.53
17.	मणिपुर	23.77	19.65	63.88	23.65	19.65	63.88
18.	मेघालय	51.60	61.54	79.08	50.77	61.54	79.08
19.	मिजोरम	13.55	5.52	24.23	13.55	5.52	24.23
20.	नागालैंड	30.60	30.46	26.94	30.60	30.46	26.94
21.	ओडीशा	209.55	333.70	230.71	208.84	333.70	230.71
22.	पुडुचेरी	2.95	9.22	3.93	2.95	9.22	3.93
23.	पंजाब	156.77	188.49	115.00	156.77	188.49	115.00
24.	राजस्थान	214.35	140.24	147.31	216.54	140.23	147.31
25.	तमिलनाडु	133.77	168.40	182.13	131.96	168.40	182.13
26.	उत्तर प्रदेश	223.51	433.21	452.55	222.20	433.21	452.55
27.	उत्तराखंड	112.40	160.91	130.83	112.29	160.91	130.83
28.	पश्चिम बंगाल	95.30	147.00	120.61	95.30	147.00	120.61
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	1.89
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)*	12566.47	11744.70	17918.94	10497.21	9017.96	12563.94
	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)*	650.00	756.00	760.00	645.80	723.49	714.31
	एसएआरडीपी-एनई*	1000.00	1200.00	1500.00	643.72	658.55	1004.81
	एलडब्ल्यूई*	0.00	125.00	750.00	0.00	5.00	718.05

*राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते।

विवरण V

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विलंब से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विलंब से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	19
3.	बिहार	20
4.	छत्तीसगढ़	15
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	3
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और कश्मीर	5
9.	झारखंड	16
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	13
13.	महाराष्ट्र	12
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	1
17.	ओडीशा	11
18.	पंजाब	4
19.	राजस्थान	4
20.	तमिलनाडु	7
21.	उत्तर प्रदेश	20
22.	उत्तराखण्ड	4
23.	पश्चिम बंगाल	7
	संघ राज्य क्षेत्र	
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8
25.	दिल्ली	1

मुरादनगर से हरिद्वार सड़क को चौड़ा करना

1120. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेडी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपर गंगा नहर रोड को मुरादनगर और हरिद्वार के बीच चौड़ा तथा पक्का बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया अथवा करने का विचार किया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-रूस प्रतिरक्षा सौदे

1121. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा सौदों में रूस अब भी भारत का एक बड़ा साझीदार है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में रूस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ती मैत्री को दर्शाते हुए कई सौदे किए गए;

(ग) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान कितने सौदे हुए;

(घ) रूस के साथ बहु-कार्यकारी परिवाहक विमान विकसित करने के हाल ही में स्वीकृत संयुक्त उद्यम की प्रगति क्या है; और

(ङ) रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों ने क्या भावी नीति बनाई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ङ) रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच भागीदारी दीर्घकालिक है और दोनों पक्षों के पारस्परिक हितों के आधार पर आगे बढ़ती रही है।

बहु-कार्यकारी परिवाहक विमानों का प्रस्तावित संयुक्त विकास और उत्पादन वर्तमान में चल रही संयुक्त परियोजनाओं में से एक है जिसके लिए 12 नवम्बर, 2007 को अंतर-सरकारी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 2010 में भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लि. (एमटीएएल) का निगमन किया गया है।

रूस के राष्ट्रपति के दिसम्बर, 2010 में भारत दौरे के दौरान किसी रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

[हिन्दी]

अ.पि.व. के लिए आयकर सीमा की समीक्षा

1122. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू क्रिमीलेयर संबंधी आय सीमा की समीक्षा करने के बारे में केन्द्र सरकार से नई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुशंसा 14.9.2011 को प्राप्त हुई थी और इस समय विचाराधीन है।

[अनुवाद]

व्यापारिक निर्यात

1123. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों की तुलना में अक्टूबर, 2011 के दौरान भारत के व्यापारिक निर्यात की वृद्धि-दर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस गिरावट का व्यापार-घाटे पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस समय विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या अन्य कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। डी जी सी आई एंड एस प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2011 के दौरान पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में निर्यातों में 10.8% की वृद्धि हुई थी। निर्यातों में मंदी का मुख्य कारण ई यू तथा यूरोप जैसे पारम्परिक बाजारों में मांग में कमी है।

(ग) अप्रैल-अक्टूबर 2011 के दौरान व्यापार घाटा 93.5 अम. डॉलर है। व्यापार घाटा निर्यात तथा आयात दोनों पर निर्भर होता है। अत: जहां निर्यात में वृद्धि को प्रोत्साहित करने से व्यापार घाटा कम हो सकता है, वहीं अंतिम आंकड़े आयात की प्रवृत्ति पर निर्भर होंगे।

(घ) और (ङ) विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के अंतर्गत

निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क निष्प्रभावीकरण/छूट स्कीमों, प्रोत्साहन स्कीमों और निर्यातकों द्वारा प्रौद्योगिकीय/उपस्कर उन्नयन से संबंधित स्कीमों के माध्यम से विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। निर्यात क्षेत्र का निष्पादन बढ़ाने के लिए बजट 2009-14 में; तत्पश्चात जनवरी/मार्च, 2010 में; दिनांक 23 अगस्त, 2010 को जारी विदेश व्यापार नीति के वार्षिक पूरक अंक; फरवरी 2011 तथा अक्टूबर 2011 की गई घोषणाओं सहित प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में सरकार तथा आर बी आई द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। किए गए विभिन्न उपायों में से कुछेक उपायों में मुख्य रूप से विश्वभर में वर्धित बाजार पहुंच तथा निर्यात बाजारों के विविधीकरण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन रियायती निर्यात ऋण; ब्याज छूट; क्रियाविधि यौक्तिकरण; और प्रौद्योगिकीय उन्नयन का सुगमीकरण शामिल है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का निर्यात

1124. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार, किस्म-वार तथा देश-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, चीनी सहित कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बामसती चावल के अलावा गैर-बासमती चावल, गेहूं और चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय करने का विचार है/अथवा उसने ऐसा कोई निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रस्तावित नई खाद्यान्न निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है तथा चावल और गेहूं सहित खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) गत तीन· वर्षों के दौरान चावल, गेहूं, दालों, तिलहनों, चीनी तथा कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों सहित निर्यातित कृषि उत्पादों की मात्रा एवं मूल्य का वर्ष-वार, किस्म-वार तथा 5 अग्रणी निर्यात गंतव्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपये में)

2008-09	2009-10	2010-11
65,772.07	59,723.66	81,915.41

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस (प्रमुख वस्तु समूहों का निर्यात)

खाद्यान्नों का निर्यात वस्तुओं के नीतिगत भण्डारण, अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, आयातक देशों में गुणवत्ता के मानदण्ड, व्यापार की गई किस्मों तथा कीमत प्रतिस्पर्धात्मक सहित बफरस्टॉक की अपेक्षा से अधिक बेशी मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता पर निर्भर करता है

(घ) और (ङ) सरकार ने 9 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. 71 (सं.अ. 2010)/2009-2012 द्वारा किसी मात्रात्मक प्रतिबंध तथा न्यूनतम निर्यात कीमत के बिना गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।

(च) निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न उपायों तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उपाय कर रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार सहायता पहल (एमएआई), निर्यात अवसंरचना के विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता स्कीम (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना (वीकेजीयूवाई), फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता के नगर इत्यादि जैसी

विभिन्न स्कीमें चलाता है। इस प्रयोजनार्थ व्यापार शिष्टमंडलों को नियमित रूप से विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भी समग्र कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा में पंजीकृत पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात

मूल्य लाख रुपये में
मात्रा मी.टन में

उत्पाद	2008-09		2009-10		2010-11	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	1556411.06	947702.98	2016775.00	1088913.37	2183501.79	1057687.62
गैर-बासमती चावल	931879.80	168737.41	139540.76	36529.61	99286.81	22221.23
गेहूं	1120.52	145.73	47.30	5.59	347.43	59.68
दालें	136880.08	54232.50	100130.94	40832.47	205820.98	85310.73
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां						
शुष्क एवं परिरक्षित सब्जियां	147861.22	49641.51	124613.50	53207.48	110173.91	51697.09
आम का गूदा	173013.60	75298.90	186197.85	74460.77	171929.43	81400.66
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	387126.42	137179.00	397978.17	143550.63	340067.97	131635.53

स्रोत: एपीडा

तिलहन

मात्रा (हजार टन) और मूल्य (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	तिलहन	2008-09		2009-10		2010-11	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तिल	196.98	1494.26	215.98	1495.38	343.03	2194.44
2.	मूंगफली	297.89	1239	339.97	1424.55	418.56	2099.77

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सरसों दाना	41.29	122.13	13.036	35.01	8.383	25.05
4.	राम तिल	13.72	64.23	6	24.23	11.82	41.14
5.	कुसुम के बीज	15	37.5	1.09	3.14	10	28
6.	सूरजमुखी के बीज	1.8	9.8	1.079	4.86	1.538	8.44
	कुल	566.68	2966.92	577.155	2987.17	793.331	4396.84

स्रोत: भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)।

चीनी

2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (अप्रैल-जुलाई)	
मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
3330484	4444.29	42894	103.33	30999264	10012.41	2117	6794.28

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस।

शीर्ष 5 प्रमुख निर्यात गंतव्य

बासमती चावल: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम

गैर-बासमती चावल: नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, वियतनाम, फिलीपीन्स।

गेहूं: नेपाल, सऊदी अरब, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी।

अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां: यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात

आम का गूदा: सऊदी अरब, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम

दालें: पाकिस्तान, अल्जीरिया, तुर्की, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात

चीनी: पाकिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका, यूएई, म्यांमार

तिलहन:

तिल: वियतनाम, कोरिया आरपी, चीन, तुर्की, यूएसए

रामदाना: यूएसए, यूके, बेल्जियम, मेक्सिको, स्पेन

मूंगफली: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, पाकिस्तान, चीन

सरसों दाना: नेपाल, श्रीलंका, यूएई, यूके, बेल्जियम

[अनुवाद]

वेतन-बोर्ड की रिपोर्ट

1125. श्री नीरज शेखर:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों और अखबारों/समाचार एजेंसियों के अन्य कार्मिकों के लिए गठित न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया वेतन बोर्ड रिपोर्ट की सिफारिशें मान ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर शीघ्रतापूर्वक अमल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) सरकार ने वेतन बोर्ड रिपोर्ट के अध्याय XIX तथा XX में यथा उल्लिखित सिफारिशों को स्वीकार किया तथा श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 12(i) के अंतर्गत 11.11.2011 को वेतन बोर्ड अवार्ड अधिसूचित किए सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सिफारिशों के विवरण www.labour.nic.in पर उपलब्ध है। अधिसूचना की प्रति शीघ्र कार्यान्वयन के लिए पहले ही नियोक्ता की एसोसिएशनों, कर्मचारी संघों, राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों को भेज दी गई हैं।

[हिन्दी]

नमक का उत्पादन

1126. श्री ए. सम्पतः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में गुजरात सहित अन्यत्र आयोडीनयुक्त तथा गैर-आयोडीनयुक्त नमक का राज्य-वार उत्पादन/उपभोग कितना रहा;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नमक उत्पादकों को कितनी आय हुई और सरकार ने इससे कितना उत्पाद-शुल्क संग्रहीत किया;

(ग) क्या राज्यों में नमक की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा है; और

(घ) यदि हां, तो देश में नमक/आयोडीनयुक्त नमक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अगस्त, 2011 तक) के दौरान गुजरात सहित देश में आयोडीनयुक्त तथा गैर आयोडीनयुक्त नमक के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस अवधि में आपूर्ति के आधार पर गुजरात सहित देश में राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार आयोडीन-युक्त और गैर-आयोडीन युक्त नमक के उपभोग का ब्यौरा क्रमशः विवरण-II और III में दिया गया है।

(ख) उत्पादकों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व के ब्यौरे सरकार द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं। नमक पर कोई उत्पाद-शुल्क नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

देश में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोडीन युक्त नमक का राज्यवार उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अगस्त, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.34	0.13	0.03	0.00
2.	असम	0.11	0.08	0.12	0.07
3.	गुजरात	36.78	37.15	35.54	16.16
4.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00
5.	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.08	0.09	0.02
6.	कर्नाटक	0.08	0.08	0.09	0.03
7.	उड़ीसा	0.19	0.15	0.11	0.03

1	2	3	4	5	6
8.	राजस्थान	8.46	12.37	11.47	4.81
9.	तमिलनाडु	7.14	7.81	14.23	4.25
10.	त्रिपुरा	0.10	0.08	0.07	0.03
11.	पश्चिम बंगाल	0.39	0.30	0.45	0.05
	कुल	53.68	58.23	62.20	24.45

देश में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान साधारण नमक का राज्यवार उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अगस्त, 2011 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	3.01	4.39	2.99	1.86
2.	गोवा	0.02	0.03	0.02	0.02
3.	गुजरात	149.04	178.71	145.15	106.78
4.	हिमाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00
5.	कर्नाटक	0.15	0.14	0.14	0.07
6.	महाराष्ट्र	1.88	1.85	1.80	1.10
7.	उड़ीसा	0.23	0.30	0.14	0.08
8.	राजस्थान	20.52	29.87	14.28	11.80
9.	तमिलनाडु	16.52	24.01	21.44	13.55
10.	पश्चिम बंगाल	0.12	0.19	0.13	0.09
	कुल	191.51	239.51	186.10	135.35

विवरण II

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोडीनयुक्त नमक (आपूर्ति-आधारित) का राज्यवार/संघशासित क्षेत्रवार उपभोग/खपत

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अगस्त, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	155.68	169.1	197.60	133.2
2.	असम	253.03	232.1	236.10	110.9

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
4.	बिहार	450.83	594.6	576.70	245.6
5.	छत्तीसगढ़	151.60	217.0	195.10	79.3
6.	दिल्ली	225.57	285.2	298.80	127.0
7.	गुजरात	299.47	325.6	317.40	145.00
8.	गोवा	0.65	1.0	17.10	0.1
9.	हिमाचल प्रदेश	4.62	1.0	23.10	14.8
10.	हरियाणा	31.19	39.0	34.40	9.8
11.	जम्मू और कश्मीर	36.15	36.3	42.40	18.3
12.	झारखंड	157.60	112.6	131.90	37.4
13.	केरल	143.65	142.9	346.40	41.9
14.	कर्नाटक	125.57	142.0	180.40	86.6
15.	मणिपुर	11.88	5.2	20.90	2.6
16.	मध्य प्रदेश	208.65	251.1	228.0	90.6
17.	महाराष्ट्र	350.60	356.0	382.20	158.9
18.	मेघालय	—	—	—	—
19.	मिजोरम	5.18	5.2	—	2.6
20.	नागालैंड	5.79	2.6	—	—
21.	उड़ीसा	169.08	148.8	148.20	63.7
22.	पंजाब	86.70	125.5	151.90	64.7
23.	राजस्थान	202.18	225.4	214.80	91.5
24.	सिक्किम	—	5.1	2.60	2.6
25.	तमिलनाडु	450.17	481.5	827.70	269.4
26.	त्रिपुरा	16.49	15.5	18.10	11.0
27.	उत्तर प्रदेश	744.20	862.3	831.90	349.4
28.	उत्तरांचल	13.50	19.5	15.70	5.8

1	2	3	4	5	6
29.	पश्चिम बंगाल	616.39	681.2	575.60	273.2
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.02	—	—	—
31.	चंडीगढ़	0.84	0.1	1.0	—
32.	दादरा व नगर हवेली	0.19	0.2	0.20	0.1
33.	दमन और दीव	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	5.21	4.1	2.80	1.3
	कुल	4922.68	5487.7	6019.0	2437.2

(–) दर्शाने वाले कॉलमों के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी आवश्यकताएं गौण परिचालनद्वारा पड़ौसी राज्यों से प्राप्त की है।

विवरण III

*गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोडीनयुक्त नमक (आपूर्ति-आधारित) का राज्यवार/*संघशासित क्षेत्रवार उपभोग/खपत

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अगस्त, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	486.2	536.9	535.3	274.8
2.	असम	25.3	37.1	21.8	19.3
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
4.	बिहार	16.3	27.9	29.2	9.9
5.	छत्तीसगढ़	4.4	8.6	—	—
6.	दिल्ली	103.5	141.7	90.3	29.2
7.	गुजरात	6355.2	6336.8	7034.9	3059.1
8.	गोवा	0.7	2.3	2.1	1.5
9.	हिमाचल प्रदेश	18.9	10.3	—	—
10.	हरियाणा	120.4	138.3	62.1	17.4
11.	जम्मू और कश्मीर	1.6	1.1	1.0	—

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	124.1	137.1	136.7	42.0
13.	केरल	237.8	211.0	290.7	38.4
14.	कर्नाटक	100.5	96.7	121.9	51.3
15.	मणिपुर	—	—	—	—
16.	मध्य प्रदेश	324.6	435.6	347.9	174.6
17.	महाराष्ट्र	82.0	183.1	220.3	106.2
18.	मेघालय	—	—	—	—
19.	मिजोरम	—	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—	—
21.	उड़ीसा	58.7	79.0	81.3	42.2
22.	पंजाब	178.4	283.8	293.5	113.3
23.	राजस्थान	285.0	354.9	279.9	121.0
24.	सिक्किम	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	464.2	506.4	738.5	299.4
26.	त्रिपुरा	—	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	382.9	366.6	223.0	97.9
28.	उत्तरांचल	29.0	0.1	0.2	2.0
29.	पश्चिम बंगाल	17.7	28.0	118.2	63.8
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
31.	चंडीगढ़	0.4	0.5	1.2	0.2
32.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—
33.	दमन और दीव	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	116.8	134.7	128.6	51.1
	कुल	9534.6	10058.5	10758.6	4614.6

(-) दर्शाने वाले कॉलमों के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने अपनी आवश्यकताएं गौण परिचालन द्वारा पड़ौसी राज्यों से प्राप्त की हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र का संवर्धन

1127. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य, विशेषकर गुजरात, में हस्तशिल्प के विकास/संवर्धन और उन्नयन की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित हस्तशिल्प उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इससे निर्यातकों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र को रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से उसके विकास के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम निकला और इस क्षेत्र के विकास के मार्ग में सरकार ने किन अवरोधों को विहित किया है; और

(ङ) देश में हस्तशिल्प उत्पादों के विकास तथा उनके निर्यात-संवर्धन हेतु एक व्यापक योजना बनाने की दृष्टि से सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) गुजरात राज्यसहित प्रत्येक राज्य में हस्तशिल्पों के विकास/संवर्धन और उत्थान के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III के अनुसार है।

(ख) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किये गये हस्तशिल्प उत्पादों में शामिल हैं: हाथ से बने कालीन और अन्य फर्श बिछावन/कलात्मक धातुपात्र; लकड़ी की वस्तुएं; हाथ के छपे वस्त्र, स्कार्फ; काशीदाकारी किये और क्रोशिए से बनी वस्तुएं; कलात्मक वस्तु के रूप में शालें; जरी एवं जरी की वस्तुएं; नकली आभूषण और अन्य विविध हस्तशिल्प वस्तुएं। उपरोक्त अवधि के दौरान इनसे अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1.	2009-10	11224.27 करोड़ रुपये
2.	2010-11	13526.66 करोड़ रुपये
3.	2011-12 (अक्तूबर, 2011 तक)	7820.04 करोड़ रुपए

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में हस्तशिल्पों के संवर्धन एवं विकास के लिए और इनके निर्यात को बढ़ावा देने क लिए बनाई गई स्कीमों में शामिल हैं: डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम; बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); अनुसंधान एवं विकास; विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम; मानव संसाधन विकास; और व्यापक कल्याण स्कीम।

विवरण I

वर्ष 2009-10 के दौरान हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, योजना-वार निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एएचवीवाई	डिजाइन	विपणन	आरएण्डडी	एचआरडी	कल्याण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	281.95	28.04	272.33	2.00	18.07		602.39
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0		0
3.	अरुणाचल प्रदेश	46.21	4.5	0	0.00	1.25		51.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	असम	521.87	71.86	696.82	22.88	49.57		1363
5.	बिहार	100.60	22.38	84.59	2.35	6.23		216.15
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0.00	0		0
7.	छत्तीसगढ़	12.97	4.45	20.68	0.00	4.57		42.67
8.	दिल्ली	162.94	291.79	1859.30	256.52	185.69		2756.23
9.	गोवा	10.54	25.81	94.63	0.00	0		130.98
10.	गुजरात	378.04	52.2	78.10	4.50	12.69		525.53
11.	हरियाणा	145.15	1.80	34.01	0.00	5.25		186.21
12.	हिमाचल प्रदेश	53.09	29.07	76.49	0.00	2.21		160.86
13.	झारखण्ड	98.25	1.80	55.65	0.00	0		155.7
14.	जम्मू और कश्मीर	254.28	203.49	24.75	1.26	15.22		499
15.	कर्नाटक	59.59	7.20	79.18	0.00	15.10		161.07
16.	केरल	78.79	5.90	36.81	0.00	0.51		122.01
17.	मध्य प्रदेश	285.79	45.15	147.15	0.00	24.26		502.35
18.	महाराष्ट्र	96.36	7.20	35.75	30.00	43.12		212.43
19.	मणिपुर	450.68	54.58	118.65	6.36	69.07		699.34
20.	मेघालय	0.75	1.55	0	0.00	2.02		4.32
21.	मिजोरम	15.73	0	0	0.00	1.25		16.98
22.	नागालैण्ड	195.14	37.00	17.25	7.35	7.60		264.35
23.	उड़ीसा	212.95	35.50	133.26	16.53	34.80		433.04
24.	पंजाब	149.3	6.3	15.84	0.00	4.66		176.1
25.	पांडिचेरी	0	0	26.24	0.00	1.61		27.85
26.	राजस्थान	95.17	18.90	243.91	0.00	20.86		378.84
27.	सिक्किम	9.53	3.60	17.64	3.42	3.89		38.08
28.	तमिलनाडु	119.83	11.10	167.26	11.90	7.16		317.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	त्रिपुरा	175.25	409.18	16.91	15.00	60.98		677.32
30.	उत्तर प्रदेश	1034.28	115.85	157.71	121.36	122.68		1551.88
31.	उत्तरांचल	147.5	16.20	26.12	0.00	4.79		194.61
32.	पश्चिम बंगाल	295.09	7.20	22.87	0.00	37.50		362.66
	सभी राज्य						6797.00	6797.00
	कुल	5487.62	1519.60	4559.90	501.44	762.61	6797.00	19628.17

टिप्पणी: कल्याण योजना में राज्यवार धनराशि निर्मुक्त नहीं की जाती है।

विवरण II

वर्ष 2010-11 के दौरान हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, योजना-वार निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एएचवीवाई	डिजाइन	विपणन	आरएण्डडी	एचआरडी	कल्याण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	125.58	5.11	19.9	36.50	246.87		433.96
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0	0	9.40	0		9.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	21.38	0	4.95	5.00	0		31.33
4.	असम	313.54	24.57	172.27	213.89	794.28		1346.28
5.	बिहार	64.04	2.35	13.62	61.68	81.97		223.66
6.	चंडीगढ़	54	0	0	0	4.79		58.79
7.	छत्तीसगढ़	31.9	2.47	0.9	38.97	16.52		90.76
8.	दिल्ली	90.6	406.77	45	1120.09	1323.1		2985.56
9.	गोवा	37.67	0	0	0	50.39		88.06
10.	गुजरात	349.99	1.80	15.27	26.70	130.78		524.54
11.	हरियाणा	23.99	0	9.5	69.67	48.82		151.98
12.	हिमाचल प्रदेश	54.18	0	7.70	8.32	72.49		142.69
13.	झारखण्ड	77.32	0	5.4	6.61	51.24		140.57
14.	जम्मू एवं कश्मीर	263.73	4.23	29.8	114.26	41.49		453.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	कर्नाटक	68.51	0	4.8	35.5	99.58		208.39
16.	केरल	52.22	2.21	9.9	43.56	22.56		130.45
17.	मध्य प्रदेश	430.27	0	52.77	152.04	165.35		800.43
18.	महाराष्ट्र	92.34	0	20	89.42	83.49		285.25
19.	मणिपुर	453.83	10.00	122.21	65.57	241.35		892.96
20.	मेघालय	2.25	0	0.9	13.48	6.75		23.38
21.	मिजोरम	6.22	0	0.9	0	1.15		8.27
22.	नागालैण्ड	125.38	7.50	12.13	24.11	13.26		182.38
23.	उड़ीसा	284.4	6.5	26.15	57.96	213.56		588.57
24.	पंजाब	77.66	0	24.35	101.42	43.23		246.66
25.	पांडिचेरी	—	0	0	7.76	14.00		21.76
26.	राजस्थान	135.66	0	21.9	85.35	180.9		423.81
27.	सिक्किम	7.22	0	0	9.62	16.71		33.55
28.	तमिलनाडु	96.56	75.71	7.1	28.16	257.93		465.46
29.	त्रिपुरा	82.39	0	17.19	24.54	0		124.12
30.	उत्तर प्रदेश	969.32	53.59	555.92	228.43	620.63		2427.89
31.	उत्तरांचल	149.16	0	11.3	8.13	22.37		190.96
32.	पश्चिम बंगाल	56.37	0	21.07	55.96	169.12		302.52
	कुल	4597.68	602.81	1040.73	2742.10	5034.68	2686.00	16704.00

टिप्पणी: कल्याण योजना में राज्यवार धनराशि निर्मुक्त नहीं की जाती है।

विवरण III

वर्ष 2011-12 (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, योजना-वार निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एएचवीवाई	डिजाइन	विपणन	आरएण्डडी	एचआरडी	कल्याण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	105.75	12.24	131.90	60.95	—	—	310.84
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	6.36	—	—	6.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	27.02	21.01	—	—	—	—	48.03
4.	असम	190.20	127.89	97.03	151.76	4.30	—	571.18
5.	बिहार	116.11	8.08	17.07	29.68	—	—	70.94
6.	चंडीगढ़	0	—	—	—	—	—	0
7.	छत्तीसगढ़	2.26	1.80	—	—	—	—	4.06
8.	दिल्ली	66.75	70.25	1210.37	276.62	155.00	—	1778.99
9.	गोवा	12.64	1.80	31.81	0.82	—	—	47.07
10.	गुजरात	194.27	21.15	81.9	8.80	—	—	306.12
11.	हरियाणा	105.85	6.80	9	3.75	—	—	125.4
12.	हिमाचल प्रदेश	15.5	2.70	43.08	—	—	—	61.28
13.	झारखण्ड	98.22	1.80	—	2.12	—	—	102.14
14.	जम्मू और कश्मीर	167.22	13.50	26.31	18.24	—	—	225.27
15.	कर्नाटक	42.92	6.95	18.00	25.83	—	—	93.7
16.	केरल	83.87	6.30	18.2	22.25	—	—	130.62
17.	मध्य प्रदेश	97.18	42.58	77.51	19.69	—	—	236.96
18.	महाराष्ट्र	15.87	28.00	84.17	4.10	—	—	132.14
19.	मणिपुर	205.01	77.73	25.71	31.80	—	—	340.25
20.	मेघालय	11.51	6.80	—	10.60	—	—	28.91
21.	मिजोरम	8.40	7.64	—	8.47	—	—	24.51
22.	नागालैण्ड	55.62	4.73	1.12	—	—	—	61.47
23.	उड़ीसा	24.82	21.09	37.46	14.84	10.18	—	118.29
24.	पंजाब	68.95	11.15	25.21	21.51	—	—	126.82
25.	पांडिचेरी	—	—	6.75	15.39	—	—	22.14
26.	राजस्थान	65.17	8.10	43.74	12.38	—	—	129.39
27.	सिक्किम	42.26	21.80	—	2.12	—	—	66.18
28.	तमिलनाडु	56.19	38.69	26.06	23.37	1.01	—	145.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	त्रिपुरा	47.50	27.49	—	14.84	—	—	89.33
30.	उत्तर प्रदेश	692.97	123.72	262.61	166.54	2.44	—	1248.28
31.	उत्तरांचल	37.04	0.88	15.15	2.89	—	—	55.96
32.	पश्चिम बंगाल	70.10	4.30	22.52	36.46	—	—	133.38
	कुल	2627.17	726.97	2322.58	992.18	172.93	82.65	6924.48

टिप्पणी: कल्याण योजना में राज्यवार धनराशि निर्मुक्त नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव

1128. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में विश्वभर में और गहन रोजगार-संकट तथा सामाजिक अशांति की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की चेतावनी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भारत में नौकरियों पर प्रभाव पड़ने और निचले स्तर पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने एवं वेतन-कटौती किए जाने की संभावना हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यह जानने के लिए कोई आकलन किया गया है कि इस आर्थिक मंदी के कारण देश में नौकरी के अवसरों पर कहां तक असर पड़ेगा; और

(घ) इस चुनौती की सामना करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, हां। कार्य जगत रिपोर्ट 2011 (अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ) सचेत करता है कि वैश्विक समुदाय को आवश्यकता है कि कार्य वैश्विक कार्यसूची पर पुन: रखे।

(ख) जहां तक श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबंध है, श्रम ब्यूरो रोजगार पर तिमाही सर्वेक्षण संचालित करता है। जनवरी, मार्च, 2011 की अवधि के 2,406 प्रतिदर्श एककों का हमारा दसवां तिमाही तत्काल रोजगार सर्वेक्षण दर्शाता है कि समग्र स्तर पर रोजगार में दिसम्बर, 2010 की तुलना में मार्च, 2011 की अवधि के दौरान 1.74 लाख की वृद्धि हुई है।

(ग) वर्तमान सर्वेक्षण (10वां तिमाही सर्वेक्षण) का निष्कर्ष अध्ययधीन चयनित क्षेत्रों के समग्र स्तर पर रोजगार में वृद्धि का प्रचलन दर्शाता है।

यह भी ध्यान दिया जाए कि 2004-05 तथा 2009-10 के बीच बेरोजगारी में सीमांत गिरावट है। 2004-05 में बेरोजगारी 10.84 मिलियन थी तथा 2009-10 में बेरोजगारी 9.50 मिलियन थी।

(घ) जहां तक श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबंध है, रोजगार के समापन को नियमित करने वाले अधिनियम हैं। श्रम कानून सुधार केवल त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के बाद ही कार्यान्वित किए जाते हैं। असंगठित/औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के हित की सुरक्षा करने के लिए हमने कई पहलें भी की हैं। असंगठित कामगारों के हित की सुरक्षा करने के लिए हाल ही में की गई एक आवश्यक पहल असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को लागू करना है।

[हिन्दी]

शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों का कल्याण

1129. श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री जयराम पांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की विद्यमान योजनाओं का तथा विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत प्रदत्त सहायता व किये गये कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली संभावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सरकार विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा के लिए 3000 रुपये प्रति बच्चे तक प्रदान किये जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला योजना 3000 रुपये प्रति बालक मानक के भीतर तैयार की गई है जिसमें संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनन्य रूप से 1000 रुपए उद्दिष्ट हैं। वर्ष 2008-09 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में है।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्रों/उपकरणों की खरीद तथा फिटिंग के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पात्र विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्र और उपकरण संवितरित किये जाते हैं। एडिप योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न-II पर है।

(3) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, समुदाय आधारित पुनर्वास, विद्यालय पूर्व तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप इत्यादि। दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है।

सहायता अनुदान योजनाओं अर्थात् डीडीआरएस और एडिप के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों के लिए आबंटित नहीं की जाती हैं, किन्तु राज्य सरकारों की सहायता अनुदान समितियों की अनुशंसा के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए निर्मुक्त की जाती हैं।

(4) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम मुख्यतः विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार और व्यावसायिक/शिक्षा/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए रियायती दरों पर ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वरोजगार योजना तथा कौशल और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार संवितरण दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः विवरण-IV और V संलग्न हैं।

(5) श्रम और रोजगार मंत्रालय अपनी योजना अर्थात् विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के तहत अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। वास्तविक उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण-VI पर संलग्न है।

(ग) सरकार समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन नई योजनाएं आरंभ करती हैं।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कवर किये गये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	172546	174587	180438	179154
2.	अरुणाचल प्रदेश	7394	9765	17641	17641

1	2	3	4	5	6
3.	असम	96948	97801	92537	98949
4.	बिहार	259852	265181	255799	273088
5.	छत्तीसगढ़	45693	45075	54114	55764
6.	गोवा	1725	1397	1397	946
7.	गुजरात	63705	90738	91087	94479
8.	हरियाणा	20592	21898	33191	32309
9.	हिमाचल प्रदेश	22040	22040	19242	19242
10.	जम्मू और कश्मीर	20118	20117	20550	20598
11.	झारखंड	40300	40720	56614	65127
12.	कर्नाटक	109640	135301	125251	125251
13.	केरल	128744	127174	127174	120788
14.	मध्य प्रदेश	110936	106098	90914	90931
15.	महाराष्ट्र	414277	395116	395116	410377
16.	मणिपुर	4505	4557	4767	5450
17.	मेघालय	8404	8404	10070	10090
18.	मिजोरम	5545	6390	6705	6769
19.	नागालैंड	2948	3672	5822	5862
20.	उड़ीसा	117687	119578	118315	118633
21.	पंजाब	51592	96277	95683	115685
22.	राजस्थान	247067	242680	240151	239917
23.	सिक्किम	802	770	770	850
24.	तमिलनाडु	116339	118151	118151	130109
25.	त्रिपुरा	3043	3494	3498	3183
26.	उत्तर प्रदेश	359415	375437	375489	370434
27.	उत्तराखंड	15015	15397	19910	21134
28.	पश्चिम बंगाल	162303	223034	223034	233485
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	815	466	466	466

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	4507	3816	2278	3349
31.	दादरा व नगर हवेली	164	206	206	194
32.	दमन व दीव	117	141	1031	1031
33.	दिल्ली	8581	6504	12068	12068
34.	लक्षद्वीप	463	463	463	333
35.	पुडुचेरी	2926	2926	2996	2996
	कुल	2626747	2785371	2802938	2886682

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान यंत्र/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों तथा शिविर गतिविधि में लाभार्थियों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निधियों की निर्मुक्ति (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	निधियों की निर्मुक्ति (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	निधियों की निर्मुक्ति (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	निधियों की निर्मुक्ति (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	121.00	9085	137.00				126.00	
2.	बिहार	68.62	18163	16.99		41.00			
3.	छत्तीसगढ़	40.75	822	7.50					
4.	गोवा	4.00	72	0.00					
5.	गुजरात	154.75	7283	85.45		101.70			
6.	हरियाणा	53.00	1780	23.50		14.00			
7.	हिमाचल प्रदेश	21.25	221	25.00		43.00			
8.	जम्मू और कश्मीर	36.00	903	0.00		76.00			
9.	झारखंड	27.42	1012	46.00		103.00			
10.	कर्नाटक	91.25	1978	73.00		21.00			
11.	केरल	6.75	95	140.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	188.65	2228	140.40		6.71			
13.	महाराष्ट्र	190.88	6398	129.25		179.34			
14.	उड़ीसा	93.00	7218	97.00		198.79			
15.	पंजाब	44.45	3323	56.50		8.33			
16.	राजस्थान	196.50	7146	128.00		309.00		93.75	
17.	तमिलनाडु	203.58	4100	159.11		291.50			
18.	उत्तर प्रदेश	387.16	17163	240.25		333.01			
19.	उत्तराखंड	21.37	3220	17.75		45.00		5.25	
20.	पश्चिम बंगाल	61.90	8119	100.20		46.36			
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.00	193	0.00		6.00			
22.	चंडीगढ़	0.00	—	0.00					
23.	दादरा व नगर हवेली	1.50	54	2.00	अभी संकलित करने हैं	3.00	अभी प्राप्त करने हैं		अभी प्राप्त करने हैं
24.	दमन व दीव	3.00	157	0.00					
25.	दिल्ली	28.50	2331	5.60		19.00			
26.	लक्षद्वीप	1.50	72	2.00		3.00			
27.	पुडुचेरी	7.50	212	0.00		13.00			
28.	अरुणाचल प्रदेश	53.00	472	53.00		49.00			
29.	असम	324.68	15031	317.50		337.48			
30.	मणिपुर	20.84	721	0.00		42.00			
31.	मेघालय	40.00	726	40.00		40.00			
32.	मिजोरम	34.00	846	34.00		34.00			
33.	नागालैंड	37.00	572	37.00					
34.	सिक्किम	22.00	1524	0.00					
35.	त्रिपुरा	71.00	2714	71.00					
	कुल	2660.80	124336	2185.00		2364.22		225.00	

विवरण III

डीडीआरएस के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (रुपए लाख में)			लाभार्थियों की सं.		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1317.78	1586.81	2063.86	30459	19356	29100
3.	अरुणाचल प्रदेश	7.37	6.72	3.36	10.32	231	231
4.	असम	121.92	87.40	184.57	2520	1717	3924
5.	बिहार	87.75	45.48	100.57	1444	520	1430
6.	चंडीगढ़	0.00	10.50	0.00	0	377	0
7.	छत्तीसगढ़	76.69	31.52	20.07	1043	485	311
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0	0	0
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0	0	0
10.	दिल्ली	193.55	170.24	249.67	5567	3117	6297
11.	गोवा	13.09	18.30	14.05	184	308	175
12.	गुजरात	82.20	57.40	50.88	9796	4133	9243
13.	हरियाणा	127.92	78.36	107.58	2016	820	1512
14.	हिमाचल प्रदेश	40.83	17.99	52.39	1170	691	1748
15.	जम्मू और कश्मीर	27.93	7.19	21.92	394	103	240
16.	झारखंड	10.06	12.01	24.02	123	76	193
17.	कर्नाटक	814.66	857.24	1057.62	12115	12502	10026
18.	केरल	378.40	386.96	789.99	3751	4552	5922
19.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	170.35	99.56	175.81	2165	932	41167
21.	महाराष्ट्र	254.23	150.51	217.50	7265	2805	13178
22.	मणिपुर	196.76	130.14	305.91	2756	1599	3018

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मेघालय	75.65	25.64	73.60	1253	466	925
24.	मिजोरम	19.60	6.58	40.45	181	60	421
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0	0	0
26.	उड़ीसा	367.34	448.66	591.15	9454	5557	10714
27.	पांडिचेरी	15.63	13.36	6.55	202	104	106
28.	पंजाब	94.00	35.38	130.28	2149	814	3576
29.	राजस्थान	93.14	168.81	179.45	1617	2518	7811
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31.	तमिलनाडु	474.37	366.18	421.49	10343	27287	12706
32.	त्रिपुरा	10.81	21.36	6.20	179	192	111
33.	उत्तर प्रदेश	700.21	718.82	612.36	36480	10827	29784
34.	उत्तराखंड	63.02	53.60	132.60	783	559	7083
35.	पश्चिम बंगाल	641.12	543.22	591.74	51201	10836	29413
	कुल	6476.38	6155.94	8225.64	197642	113544	230365

विवरण IV

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम

स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष में संवितरण के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	209.5	438	138.08	404	0.00	0	0.00	0	347.58	842
2.	असम	25.00	90	0.00	0	90.78	100	0.00	0	115.78	190
3.	बिहार	0.00	0	5.00	20	0.00	0	0.00	0	5.00	20
4.	चंडीगढ़	6.38	22	3.18	15	11.41	48	0.35	2	21.32	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़	264.25	310	146.19	144	232.65	152	184.84	38	827.93	644
6.	दिल्ली	2.7	1	28.74	62	40.38	144	10.0	36	81.82	243
7.	गोवा	0.00	0	0.00	0	10.00	8	0.00	0	10.00	8
8.	गुजरात	407.74	10.55	578.65	1511	29.75	76	0.00	0	1018.14	2642
9.	हरियाणा	564.78	1311	600.79	865	192.81	292	226.50	438	1584.88	2906
10.	हिमाचल प्रदेश	173.25	412	134.3	126	232.77	208	108.97	114	639.29	860
11.	जम्मू और कश्मीर	111.75	117	42.31	43	98.74	105	56.25	76	309.05	341
12.	झारखंड	74.01	53	18.51	10	96.57	78	0.00	0	189.09	141
13.	कर्नाटक	0.00	0	50.00	100	100.00	200	50.00	100	200.00	400
14.	केरल	90.8	97	259.62	257	0.00	0	109.00	145	459.42	499
15.	लक्षद्वीप	4.75	5	3.80	4	18.55	22	0.00	0	27.10	31
16.	मध्य प्रदेश	324.1	479	0.00	0	85.63	87	0.00	0	409.73	566
17.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.	महाराष्ट्र	132.22	32	358.05	357	388.50	308	217.01	309	1095.78	1006
19.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	10.00	20	25.00	40	35.00	60
20.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	50.00	178	0.00	0	50.00	178
21.	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22.	उड़ीसा	5.00	26	5.00	24	174.83	364	26.12	21	210.95	435
23.	पांडिचेरी	94.76	183	104.88	189	39.23	74	140.46	211	379.33	657
24.	पंजाब	108.05	147	52.79	85	72.67	80	100.00	243	333.51	555
25.	राजस्थान	159.53	258	142.1	230	201.2	239	66.13	66	568.96	793
26.	सिक्किम	15.00	54	0.00	0	6.30	2	0.00	0	21.30	56
27.	तमिलनाडु	185.82	741	370.07	1553	796.14	3239	548.00	2325	1900.03	7858
28.	त्रिपुरा	1.35	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.35	1
29.	उत्तर प्रदेश	14.39	15	3.11	4	0.00	0	464.5	921	482.00	940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	उत्तरांचल	14.35	24	1.92	2	34.79	56	27.00	44	78.06	126
31.	पश्चिम बंगाल	36.92	79	606	19	147.03	272	0.95	2	190.96	372

विवरण V

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम

कौशल और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों तथा शामिल लाभार्थियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	छत्तीसगढ़	3.35	30	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3.35	30
2.	दिल्ली	1.41	20	0.72	25	0.64	0	0.00	0	2.77	45
3.	गुजरात	0	0	0.00	15	0.5	0	0.27	0	0.77	15
4.	हरियाणा	1.54	20	1.4	40	2.79	45	0.00	0	5.73	105
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.74	21	0.66	0	0.00	0	1.40	21
6.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.34	19	0.00	0	0.00	0	0.34	19
7.	झारखंड	0.00	0	0.00	15	0.52	0	0.00	0	0.52	15
8.	केरल	0.61	13	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.61	13
9.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	40	2.15	40	2.15	80
10.	मध्य प्रदेश	3.50	20	1.93	63	1.92	0	0.00	0	7.35	83
11.	महाराष्ट्र	0.00	0	0	165	4.98	0	0.35	0	5.33	165
12.	उड़ीसा	1.65	21	1.12	20	0.00	0	0.00	0	2.77	41
13.	पंजाब	0.00	0	4.49	60	2.25	60	0.00	0	6.74	120
14.	राजस्थान	1.01	27	2.09	54	2.630	0	0.00	0	5.73	81
15.	उत्तर प्रदेश	4.76	60	1.1	30	1.1	0	0.00	0	6.96	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	15	0.55	0	0.43	0	0.98	15
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	15	0.65	0	0.49	0	1.14	15
	कुल	17.83	211	13.93	557	19.19	145	3.69	40	54.64	953

विवरण VI

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

वर्ष	दाखिल	मूल्यांकन	पुनर्वास
2008-09	34501	34288	11132
2009-10	30379	30047	107870
2010-11	30008	32793	12657

रक्षा उत्पादन

1130. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री हंसराज गं. अहीरः
श्री जयप्रकाश अग्रवालः
श्रीमती रमा देवीः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
श्री रवनीत सिंहः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रक्षा क्षेत्र की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भरता रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों की तुलना में रक्षा उपकरणों/सामग्री का कितना आयात किया गया;

(ख) देश की कुल रक्षागत आवश्यकताओं में देशज रक्षा उत्पादन का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या देश के आयुध निर्माण कारखानों में निर्मित रक्षा उपकरण/सामग्री गुणवत्ता और लागत-प्रभावित के मामले में निम्नस्तरीय है और ऐसे कई कारखाने अपनी उत्पादन समय-सारणी से पीछे चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आयुध निर्माण कारखानों में पुनर्गठन/आधुनिकीकरण के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का देशज रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं और इस वास्ते नई रक्षा-उत्पाद नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं तथा नीति में परिवर्तन का विद्यमान आयुध निर्माण कारखानों पर क्या असर पड़ेगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सरकार सुरक्षा परिवेश की सतत रूप से समीक्षा करती है और तदनुसार उपयुक्त रक्षा उपस्कर/प्लेटफार्मों को शामिल करने का निर्णय लेती है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया हो जो स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती है ताकि सशस्त्र सेनाओं को किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार रखा जा सके। इस संबंध में और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

(ख) देश की रक्षा आवश्यकताओं को उपस्करों का आयात करके तथा स्वदेशी उत्पादन के जरिए पूरा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आबंटित बजटीय संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए मांगी गई क्षमताओं तथा विहित समय-सीमा में सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की शीघ्र अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है।

(ग) आयुध निर्माणियों द्वारा उत्पादित रक्षा उपस्कर/सामान अपेक्षित विनिर्देशनों और मानक गुणवत्ता के हैं। आयुध निर्माणियों द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों को जारी किये जाने से पूर्व नामनिर्देशित एजेंसी द्वारा निरीक्षित और स्वीकृत किया जाता है। सभी आयुध निर्माणियों में आधुनिक गुणवत्ता प्रणालियां मौजूद हैं और सभी निर्माणियां आई एस ओ प्रमाणित हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विनिर्मित उत्पाद लागत प्रभावी भी हैं। कुछ निर्माणियां महत्वपूर्ण संयंत्र तथा मशीनरी के अचानक खराब होने के कारण और कुछ अन्य आयात के जरिये उत्पाद सहायता प्राप्त करने में विलम्ब होने की वजह से निर्धारित कार्यक्रम से पीछे हैं।

(घ) ऐसे सामान जिन्हें उन मशीनों में निर्मित किया जाना था, जो खराब है, के विनिर्माण के लिए वैकल्पिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सशस्त्र सेनाओं की दीर्घकालिक आवश्यकता के अनुसार आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन का कार्य भी आयुध निर्माणियों में किया जाता है।

(ङ) और (च) रक्षा उत्पादन में अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए, सरकार ने जनवरी, 2011 में रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की है। इसके अलावा, देश में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2009 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में एक नई श्रेणी 'खरीदों और बनाओ (भारतीय)' शामिल की है। इन उपायों से निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों द्वारा रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास तथा विनिर्माण में वृद्धि होने की संभावना है। आयुध निर्माणी बोर्ड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा सामग्री तथा संघटकों की आउटसोर्सिंग करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हथकरघा बुनकरों हेतु योजनाएं

1131. **डॉ. कृपारानी किल्ली:**
श्री दारा सिंह चौहान:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री के.डी. देशमुख:
श्री खगेन दास:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघा/विद्युत करघा/पदचालित करघा बुनकरों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता/राहत पैकेजों व स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत विगत दो वर्षों व चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आबंटित/प्रयुक्त की गई;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन तथा उन्हें रीतिपूर्ण बनाने या पुनर्गठित करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बुनकरों की दयनीय दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विद्युत करघे तथा मशीनीकृत क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने आगे और क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में दिनांक 28.2.2011 की घोषणा की थी कि भारत सरकार अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिए हथकरघा क्षेत्र के वास्ते वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। बजट घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने अब 3884 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज का अनुमोदन किया है। कुल 3884 करोड़ रुपये में से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रुपये होगा। पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (1) हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के ऋण की माफी और पुनर्पूंजीकरण; (2) नए ऋणों के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 प्रतिशत ब्याज की छूट; (3) ऋण गारंटी का प्रावधान। सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसमें एक बुनकर परिवार लिए 15000 रुपये की राशि का कवर शामिल है। अब तक इस नीति वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 16.89 लाख हथकरघा बुनकरों को पंजीकृत किया जा चुका है। भारत सरकार कई विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रही है ताकि हथकरघा/विद्युतकरघा/पैडल करघा बुनकरों/कामगारों के हितों और कल्याण की रक्षा की जा सके। हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए वर्ष-वार आबंटित और उपयोग में लाई गई वर्ष-वार राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12 (अब तक)	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
हथकरघा	340.00	329.29	426.00	425.51	460.00	210.04
विद्युतकरघा	2.60	2.23	2.40	2.24	2.40	1.66

हथकरघा क्षेत्र के संबंध में जारी की गई राज्य-वार और योजना-वार राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) मूल स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में प्रतिसूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। इससे घरेलू और वैश्विक बाजार में बदलते परिदृश्य की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप बाद वाले वर्षों के लिए योजना बनाने में आसानी होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार करने के लिए हथकरघों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को 5 योजनाओं में मिलाया गया है। ये योजनाएं हैं: (1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना, (2) व्यापक बुनकर व्यापक कल्याण योजना, (3) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना, (4)मिल गेट कीमत योजना और (5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना। विद्युतकरघा क्षेत्र में भी योजना के मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) और सामूहिक बीमा योजना को मिलाकर सामूहिक बीमा योजना के माध्यम से विद्युतकरघा कामगारों की कल्याण योजना में संशोधन किया गया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा विद्युतकरघा और मशीनीकृत क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) भारत सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के हितों के संरक्षण और उनकी आजीविका के लिए दिनांक 29 मार्च, 1985 को हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण), अधिनियम, 1985 प्रख्यापित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए 11 मदें विशेष रूप से आरक्षित की हैं।

(2) वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम में भी वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण और दूसरों द्वारा इनका अनधिकृत उपयोग किये जाने से रोकने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार जीआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने के लिए प्रति उत्पाद 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक जीआई अधिनियम के तहत 35 मदों को पंजीकृत किये जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं।

(3) दिनांक 27 जून, 2006 को 'हथकरघा मार्क' भी शुरू किया गया है जो हथकरघा उत्पादों की पहचान प्रमाणित करता है और खरीददारों को यह भी गारंटी देता है कि खरीदे जा रहे उत्पाद वास्तविक रूप से हाथ से बुने हुए उत्पाद हैं।

विवरण

2008-2009 से 2011-2012 (16.11.2011) के दौरान विभिन्न हथकरघा योजनाओं और योजनेत्तर स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना							
		एकीकृत हथकरघा विकास योजना				विपणन और निर्यात संवर्धन योजना			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6.22	11.11	13.93	7.80	1.87	2.10	2.04	1.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.21	1.76	1.88	1.92	0.02	0.00	1.75	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	3.12	4.54	10.25	0.19	2.10	4.11	5.73	2.02
4.	बिहार	1.04	0.00	1.78	0.17	0.02	0.05	0.04	0.05
5.	छत्तीसगढ़	0.61	0.00	2.59	0.16	0.17	0.37	1.12	0.62
6.	दिल्ली	0.00	0.16	3.01	0.00	0.37	0.61	0.16	0.09
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.75	0.97	0.77	0.91	0.26	0.76	0.27	1.04
9.	हरियाणा	0.00	0.43	0.47	0.08	0.37	0.28	0.33	0.10
10.	हिमाचल प्रदेश	0.76	1.39	2.44	0.92	0.26	0.51	0.61	0.59
11.	जम्मू और कश्मीर	1.43	1.32	1.92	0.35	0.00	0.00	0.28	0.23
12.	झारखण्ड	2.83	4.11	3.84	6.62	0.04	0.02	0.18	0.00
13.	कर्नाटक	5.74	0.74	1.73	3.07	1.44	1.20	1.37	1.02
14.	केरल	6.43	2.30	1.24	5.27	0.23	0.00	0.00	0.02
15.	मध्य प्रदेश	2.13	0.54	3.09	1.67	0.12	0.68	0.93	0.45
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.16	3.10	0.44	1.89	1.37	0.99	1.01
17.	मणिपुर	2.86	0.00	6.17	5.03	0.35	0.47	1.64	1.54
18.	मेघालय	0.55	3.42	2.61	2.46	0.06	0.89	0.42	0.13
19.	मिजोरम	0.00	0.90	1.97	0.60	0.34	0.00	0.05	0.01
20.	नागालैंड	2.43	10.58	8.02	9.70	2.06	3.73	2.33	1.69
21.	उड़ीसा	5.70	5.27	7.12	4.83	1.07	0.74	1.09	0.32
22.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	0.54	0.15	1.72	0.40	0.44	0.73	0.38	0.03
25.	सिक्किम	0.37	0.00	0.47	0.59	0.03	0.04	0.13	0.09
26.	तमिलनाडु	41.75	50.15	48.68	29.16	1.54	0.80	1.44	0.75
27.	त्रिपुरा	1.28	0.85	2.98	3.10	0.09	0.36	0.44	0.61
28.	उत्तर प्रदेश	4.28	3.06	13.06	9.39	2.36	1.73	2.09	1.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	उत्तराखण्ड	1.57	0.15	3.06	0.00	0.46	0.45	0.43	0.30
30.	पश्चिम बंगाल	5.01	2.94	9.02	9.70	1.06	0.60	1.80	0.13
	कुल	100.61	107.00	156.92	104.54	19.02	22.60	28.04	16.06
	अन्य संगठन	8.37	8.57	11.08	5.04	25.97	27.00	30.57	7.01
	कुल योग	108.98	115.57	168.00	109.58	44.99	49.60	58.61	23.07

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

1132. श्री राम सुंदर दास:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत किये गये आबंटन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इसे देश के अन्य राज्यों तक बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रायोगिक योजना, 1000 अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए मार्च, 2010 में आरंभ की गई थी। इस समय, यह योजना पांच राज्यों अर्थात् असम (100 गांव), बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु (225 गांव प्रत्येक में) में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य चयनित गांवों का एकीकृत विकास करना है:

(1) मूलत:, मौजूदा केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन के माध्यम से और

(2) औसतन 20 लाख रुपये प्रति गांव की दर से अंतर-पूर्ति केन्द्रीय सहायता (राज्यों से समान अंशदान प्रदान करने की संभावना के साथ), चुनिंदा गांवों की ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन्हें उक्त (1) के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को 3 वर्ष के भीतर प्राप्त किये जाने की संभावना है।

राज्य-वार तथा वर्ष-वार निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	असम	—	10.100	10.00	20.100
2.	बिहार	1.3	21.425	22.50	45.225
3.	हिमाचल प्रदेश	—	22.725	22.50	45.225
4.	राजस्थान	1.4	21.325	22.50	45.225
5.	तमिलनाडु	1.3	21.425	22.50	45.225
	कुल	4.0	97.000	100.00	201.000

(घ) और (ङ) इस योजना का विस्तार प्रायोगिक चरण के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।

पारंपरिक वस्त्रों को प्रोत्साहन

1133. श्री इज्यराज सिंहः
श्री हरीश चौधरीः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पारंपरिक वस्त्रों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि आबंटित/प्रयुक्त की गई;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में पारंपरिक कोटा साड़ी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पारंपरिक उद्योग तथा इस जैसे अन्य पारंपरिक वस्त्र उद्योगों में कार्यरत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) भारत सरकार पारंपरिक वस्त्रों सहित हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित 5 योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैः

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(3) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

(4) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

(5) मिल गेट कीमत योजना

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए धनराशि का आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2009-10 के दौरान आबंटित धनराशि	2010-11 के दौरान आबंटित धनराशि	2011-12 के दौरान आबंटित धनराशि
1.	एकीकृत हथकरघा विकास योजना	115.57	168.00	164.70
2.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	119.80	116.14	160.00
3.	विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना	49.60	58.59	55.60
4.	विविधीकृत हथकरघा विकास योजना	13.72	17.78	24.10
5.	मिल गेट कीमत योजना	30.60	65.00	55.60

(ख) राजस्थान राज्य सरकार ने कोटा डोरिया बुनकरों के लाभ के लिए कोटा डोरिया क्लस्टर हेतु 2005-06 में 318.21 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। राजस्थान शहरी विकास एजेंसी (आरयूडीए), परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। राज्य सरकार ने वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कोटा डोरिया के लिए भौगोलिक संकेतन (जीआई) पंजीकरण प्राप्त कर लिया है तथा कोटा डोरिया के लिए लोगो प्राप्त कर लिया है।

राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जयपुर ने पारंपरिक कोटा डोरिया के संवर्धन और परिरक्षण के लिए जयपुर में सितम्बर, 2011 में एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की और इसमें कोटा डोरिया उत्पादों की व्यापक किस्मों का प्रदर्शन किया।

(ग) हथकरघा संगणना (2009-10) के अनुसार, राजस्थान राज्य में 31,958 हथकरघा बुनकर तथा सम्बद्ध कामगार हैं। कोटा डोरिया साड़ी में लगे बुनकरों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सामाजिक कल्याण योजनाएं

1134. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्री चंद्रकांत खैरेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने कितनी सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रस्ताव किया तथा इनमें से कितनी योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर दी गईं और इस हेतु उक्तावधि में कितनी राशि आवंटित तथा जारी की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों की अनेक योजनाएं केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ अभी लंबित हैं;

(ग) यदि हां,तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य सरकार द्वारा किन्हीं समाज कल्याण योजनाओं का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा पर घुसपैठ

1135. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री उदय सिंह:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री दत्ता मेघे:
श्री प्रेम दास:
श्री अधीर चौधरी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री गणेश सिंह:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री नीरज शेखर:
प्रो. रामशंकर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री यशवीर सिंह:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री राकेश सिंह:
श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
डॉ. के.एस. राव:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन की सैन्य शक्ति और भारतीय सीमा क्षेत्र में चीनी सेना/हेलीकॉप्टरों द्वारा घुसपैठ की हाल की कोशिशों, हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की उपस्थिति और पुराने बंकरों को नष्ट किये जाने का संज्ञान लिया है जैसाकि हाल में समाचारों में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में कड़ी निगरानी रखने तथा कब्जे वाली भूमि पर पुन: दावा लेने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सरकार हमारे सन्निकट और सुदूर स्थित पड़ोस में उन सभी घटनाओं पर मुस्तैदी से निगरानी रखे हुए हैं जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध है।

यद्यपि, भारत और चीन के बीच सामान्य रूप से निरूपित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, तथापि, सीमा पर कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में भारतीय और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में अलग-अलग अवबोधन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण में पाए गए अंतरों के कारण दोनों पक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने-अपने अवबोधनों तक गश्त लगाते हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे क्षेत्रों पर सैन्य टुकड़ियों और अन्य माध्यमों द्वारा नियमित रूप से लगातार निगरानी रखी जाती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के अवबोधन में अंतर के कारण उल्लंघनों की विशिष्ट घटनाओं को स्थापित व्यवस्था जैसे कि हाट लाइन, फ्लैश बैठकों, सीमा कार्मिक बैठकों और सामान्य राजनयिक साधनों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ उठाया जाता है।

सीमा पर अवसंरचना निर्माण

1136. श्री दत्ता मेघे:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री उदय सिंह:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री प्रेम दास:
श्री अधीर चौधरी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री गणेश सिंह:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री नीरज शेखर:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
प्रो. रामशंकर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री यशवीर सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री राकेश सिंह:
श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
डॉ. के.एस. राव:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की गतिविधियों ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर चल रहे अनेक विकास कार्यों को अवरुद्ध कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कार्यों को पुन: आरंभ करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को चीन द्वारा ठीक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) तक सड़क/रेल संपर्क सहित बड़े पैमाने पर अवसंरचना निर्माण की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इसके द्वारा देश के सामने उत्पन्न सुरक्षा के खतरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीन की सीमा पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उसका कितना उपयोग किया गया और इस क्षेत्र में रेल संपर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन भारत से लगे सीमाई क्षेत्रों में अवसंरचना विकास कर रहा है। सरकार सीमाओं पर हो रही सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और खतरे की अवधारणा की नियमित रूप से समीक्षा करती है। भारत की संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता तथा सुरक्षा को कायम रखने के लिए अपेक्षित रक्षा तैयारी प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमताओं के उन्नयन हेतु अपेक्षित उपाय किये जा रहे हैं।

(ङ) सामरिक सीमा सड़कों के रूप में चिन्हित 73 सड़कों में से सीमा सड़क संगठन को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में 61 सड़कों का कार्य सौंपा गया है जिनकी लम्बाई कुल मिलाकर 3394 कि.मी. है। इन 61 सड़कों में से 15 सड़कें, जिनकी लम्बाई 563.87 कि.मी. है का कार्य पूरा हो गया है तथा 44 सड़कों का कार्य चल रहा है और 02 सड़कों का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। कुल 3394 कि.मी. की लम्बाई में से 2562 कि.मी. फार्मेशन तथा 1794 कि.मी. सरफेसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा पिछले पांच वर्षों में इस्तेमाल की गई निधि इस प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपये में
2006-07	96
2007-08	169
2008-09	327
2009-10	624
2010-11	675

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चीन से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में सिवोक-रांगपो (44.39 कि.मी.) तथा मुरकोंग्सेलेक-पासीघाट (30.167 कि.मी.) नई लाईनों का निर्माण और रांगिया-मुरकोंग्सेलेक (511.88 कि.मी.) में गॉज परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है।

सीमा की स्थिति पर रिपोर्ट

1137. **श्री संजय दिना पाटीलः**
श्री चन्द्रकांत खैरेः
श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री उदय सिंहः
श्री नवजोत सिंह सिद्धूः
श्री एल. राजगोपालः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री दत्ता मेघेः
श्री प्रेम दासः
श्री अधीर चौधरीः
श्री गणेश सिंहः
श्री पी.सी. मोहनः
श्री नीरज शेखरः
श्री शैलेन्द्र कुमारः
श्रीमती जयाप्रदाः
श्री प्रहलाद जोशीः
श्री कामेश्वर बैठाः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारीः
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री यशवीर सिंहः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः
श्री राकेश सिंहः
श्री गोरखनाथ पाण्डेयः
डॉ. के.एस. रावः
श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) ने अपनी एक रिपोर्ट में सीमा पर चीन द्वारा कारगिल जैसी स्थिति उत्पन्न किये जाने का संकेत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को टालने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) सीमा पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती और भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) क्षमता संवर्धन एवं आधुनिकीकरण, मौजूदा तथा उभरती सुरक्षा परिस्थितियों के आधार पर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है कि रक्षा तैयारियां बनी रहें ताकि देश की सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटा जा सके।

[अनुवाद]

वन्य जीवों पर ईएमआर का प्रभाव

1138. **श्री एस. सेम्मलईः**
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री सोमेन मित्राः
श्री पूर्णमासी रामः
श्री हमदुल्लह सईदः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्य जीवों पर संचार टावरों और इलेक्ट्रोमैग्रेटिक रेडिएशन (ईएमआर) के संभावित प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर संचार टावरों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करने हेतु दिनांक 30 अगस्त, 2011 को डॉ. असद रहमानी, निदेशक, बॉम्बे प्राकृतिक विज्ञान समिति की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञ समिति ने सितंबर, 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह मंत्रालय, संबंधित संगठनों के परामर्श से समिति की रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

पटाखों हेतु ध्वनि संबंधी मानक

1139. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पटाखों हेतु निर्धारित ध्वनि संबंधी मानक क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रकार के ध्वनि संबंधी मानकों को पूर्णत: कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का भारतीय बाजारों में बेचे जाने वाले चीन के पटाखों पर इसी प्रकार का कोई गुणवत्ता नियंत्रण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) ध्वनि संबंधी इन मानकों को बनाए रखने अथवा चीन से पटाखों के आयात को हतोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पटाखों हेतु ध्वनि संबंधी मानकों को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (संलग्न विवरण) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है ये मानक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), नागपुर, जिसे पूर्व में विस्फोटक विभाग के नाम से जाना जाता था, द्वारा लागू किये गये हैं।

पटाखों के विनिर्माण के दौरान पीईएसओ के अधिकारियों द्वारा विभिन्न ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के नमूनों की जांच की जाती हैं। नमूनों के निर्धारित ध्वनि स्तरों से अधिक पाये जाने के मामले में पीईएसओ द्वारा संबद्ध विनिर्माता को संबंधित बैच को नष्ट करने की सलाह दी जाती है। प्रारंभ में दोषी को चेतावनी दी जाती है और यदि गैर-अनुपालन दोहराया गया है तो पीईएसओ द्वारा विनिर्माण बंद के आदेश जारी किये जाते हैं।

(घ) से (च) अभी तक, पीईएसओ ने ध्वनि उत्पन्न करने वाले चीनी मूल के पटाखों के आयात को अनुमति नहीं दी है।

विवरण

(क) (1) पटाखों के फटने वाले स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 145 डीबी (सी) के 125 डीबी (ए1) से अधिक ध्वनि स्तर उत्पन्न करने वाले पटाखों के निर्माण अथवा उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

(2) श्रृंखला बनाने वाले एकल पटाखों (जुड़े हुए पटाखों) के लिए, उपर्युक्त उल्लिखित सीमा से 5 $लॉग_{10}$ (एन) डीबी, तक कम किये जाने चाहिए, जहां एन = एक साथ जुड़े हुए पटाखे हैं।

(ख) पटाखों से ध्वनि के मापन के लिए व्यापक अपेक्षाएं निम्नलिखित होनी चाहिएं:

(1) मापन, न्यूनतम 5 मीटर व्यास अथवा इसके समकक्ष सख्त कंकरीट सतह पर बनाए जाएं।

(2) मापन, मुक्त क्षेत्र शर्तों में बनाए जाएं अर्थात् फटने वाले स्थल से 15 मीटर की दूरी तक कोई परावर्ती सतह नहीं होनी चाहिए।

(3) मापन, अनुमोदित ध्वनि स्तर मीटर के साथ बनाए जाएं।

(ग) विस्फोटक विभाग, इन मानकों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

(घ) निर्यात के प्रयोजनार्थ पटाखों को निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की शर्त पर उपरोक्त उप-पैरा क, ख और ग से छूट होगी, जो कि इस प्रकार है:

(1) विनिर्माता के पास निर्यात आदेश होना चाहिए।

(2) पटाखे, निर्यातित देश में विनिर्दिष्ट स्तर के अनुरूप हों।

(3) उनके भिन्न पैकिंग कलर कोड हों, और

(4) बॉक्स पर भारत में बिक्री के लिए नहीं है अथवा केवल अन्य देशों के निर्यात के लिए है की घोषणा होनी चाहिए।

नोटः डीबी(एआई): ए-डेसीबेल में भारित आवेग ध्वनि दाब स्तर। डीबी(सी)पीके: सी-डेसीबेल में भारत चरम ध्वनि दाब स्तर।

[अनुवाद]

एकल ब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1140. **श्री यशवीर सिंहः**
श्री सुरेश अंगड़ीः
श्री रूद्रमाधव रायः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एकल ब्रांड फुटकार व्यापार में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय व्यापारियों और लघु फुटकर दुकानदारों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान स्थानीय व्यापारियों को सरकार द्वारा प्रदत्त संरक्षण का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने वर्ष 2008 में "संगठित खुदरा व्यापार का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव" विषय पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरईआर) के जरिए एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि संगठित खुदरा व्यापारियों (रीटेलर्स) के प्रवेश की वजह से मध्यवर्तियों पर अथवा असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह रिपोर्ट औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है।

[हिन्दी]

वायुसेना में राडारों की कमी

1141. **श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री गणेश सिंहः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वायुसेना देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर राडारों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) क्या इजराइल से खरीदी गई करोड़ों रुपये की एयरोस्टेट राडार कतिपय अधिकारियों की चूक के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर राडार निगरानी से वंचित क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारतीय वायुसेना की क्षमता के निर्माण में विभिन्न श्रेणियों के रडारों की अधिप्राप्ति की परिकल्पना है। नेटवर्क केन्द्रीयता के साथ-साथ इन प्रणालियों को लगाने का उद्देश्य पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं पर एक निरंतर वायु रक्षा कवर प्रदान करना है।

(ख) और(ग) एयरोस्टेट रडार के क्षतिग्रस्त होने के बाद गठित जांच अदालत ने उजागर किया है कि 100 सेकण्ड के भीतर तेज गति से आए अचानक तूफान के एक झोंके के कारण यह दुर्घटना घटी जिसकी पहले से भविष्यवाणी करना मुश्किल था। जांच अदालत ने दुर्घटना में संलिप्त तीन अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की है, जिन्हें छह महीनों के लिए गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दंडित किया गया है।

(घ) भारतीय वायुसेना, हवाई टोही विमान, अतिरिक्त एयरोस्टेट रडार प्रणालियों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रडारों की अधिप्राप्ति करने की प्रक्रिया में है जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं पर एक निरंतर वायु रक्षा कवरेज प्रदान किये जाने की आशा है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग हेतु पैकेज

1142. श्रीमती जयाप्रदा:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री ए. सम्पत:
श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग पर मंदी के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल की मंदी के मद्देनजर वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन हेतु विशेष पैकेज रियायतों की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वस्त्र उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु देश में नए वस्त्र मिल चालू करने का है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वस्त्र उद्योग के विकास और बेरोजगार बुनकरों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2011 में हथकरघा क्षेत्र को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने, बुनकरों/निजी बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष समितियों के बकाया ब्याज और बकाया ऋणों को माफ करने के लिए 3000 करोड़ रु. के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है।

कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) और सूती यार्न सलाहकार बोर्ड (सीवाईएबी) की 15 नवम्बर, 2011 को हुई बैठकों में वस्त्र उद्योग मंदी के संकेत देते हुए 2011-12 के लिए कपास की घरेलू खपत 240 लाख गांठों से घटाकर 210 लाख गांठ; और सूती यार्न का उत्पादन को 3900 मिलियन कि.ग्रा से घटकर 3200 मिलियन कि.ग्रा होने का अनुमान लगाया है। सरकार वस्त्र उद्योग मंदी के समाधान हेतु परिसंपत्ति पुनवर्गीकरण और अतिरिक्त प्रावधानीकरण से बचने हेतु गहन पूंजी गहन ऋणों के लिए ऋण स्थगन और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों में विशेष रियायत के लिए उद्योग के अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 8000 करोड़ रु. के टीयूएफएस आवंटनों को अप्रैल 2011 में संशोधित कर 15,404 करोड़ रु. कर दिया गया है। सरकार ने 2100 करोड़ रु. का निवेश उत्प्रेरित करने के लिए एसआईटीपी योजना के तहत 21 नए वस्त्र पार्क स्वीकृत किए हैं।

सरकार वस्त्र उद्योग के विकास और बेरोजगार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस);
2. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना
3. एकीकृत कौशल विकास योजना;
4. समूह कार्यशाला योजना;
5. विद्युतकरघा समूह विकास एकीकृत योजना;
6. विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए समूह बीमा योजना;
7. एकीकृत हथकरघा विकास योजना;
8. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना;
9. विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना;
10. मिल गेट मूल्य योजना;
11. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना;
12. मेगा समूहों का विकास;
13. एफडीआई संवर्धन योजना;

14. साझा अनुपालन कोड योजना;

15. विदेश व्यापार नीति योजना

16. शुल्क वापसी योजना;

17. विपणन विकास सहायता के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; और

18. विपणन पहुंच पहल योजनां।

[हिन्दी]

उत्तर-दक्षिण गलियारे और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में विलंब

1143. श्री लालचन्द कटारिया:
श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले उत्तर-दक्षिण गलियारे और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के महत्वपूर्ण खंड में निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य में विलम्ब करने वाले ठेकेदारों पर कोई जुर्माना लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) स्वर्णिम चतुर्भुज, मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले उत्तर-दक्षिण गलियारे के निर्माण में विलंब, अपर्याप्त मात्रा में संसाधन जुटाए जाने और रियायतग्राही/ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, आरओबी स्वीकृतियां, वन्य जीव स्वीकृतियां, वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब तथा रक्षा भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुआ है।

(ख) और (ग) ठेकेदारों पर आरोपित कारणों से दोषी पाए गए दो ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है। तथापि, एक ठेकेदार से इस जुर्माने की वसूली, विवाचन मामले के परिणाम के अध्यधीन हैं।

[अनुवाद]

विमान की खरीद

1144. श्री पी. कुमार:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री सी. राजेन्द्रन:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय वायुसेना में विभिन्न प्रकार के कितने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से लड़ाकू विमान की खरीद सौदे को अंतिम रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विमान की युद्ध क्षमता क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में यूरोपीय देशों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सौदा कुल कितनी धनराशि का है और भारतीय वायुसेना द्वारा इसे अपने बेड़े में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) भारतीय वायुसेना के बेड़े में विभिन्न लड़ाकू और परिवहन विमान तथा हेलीकॉप्टर शामिल हैं। विशिष्ट किस्म के विमानों और भारतीय वायुसेना के बेड़े में उनकी संख्या बताना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्धक विमानों की खरीद के लिए किसी सौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम बहु-भूमिका वाले युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में यूरोपीय देशों जैसे, मै. दसाल्ट एविएशन, फ्रांस, मै. ई. ए. डी. एस., जर्मनी, मैं. आर. ए. सी-मिग, रूस तथा मै. ग्रिपेन इंटरनेशनल, स्वीडन से प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है और मै. दसाल्ट एविएशन और ई.ए.डी. एस. के प्रस्तावों को आगे विचार-विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(ङ) यह परियोजना वाणिज्यिक मूल्यांकन के चरण में है तथा अधिप्राप्ति की लागत तथा इसे शामिल किए जाने की समय-सीमा के बारे में जानकारी वाणिज्यिक वार्ताओं के पूरा होने तथा संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही हो पाएगी।

[हिन्दी]

वनों की कटाई पर रोक

1145. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री संजय धोत्रे:
श्री एम.आई. शानवास:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्रीमती अन्नू टंडन:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में वन क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.) देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, अंतिम रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं देश में वन क्षेत्र की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में सफल नहीं हो पाई हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन क्षेत्र में आई कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में वन घनत्व को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और चालू पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार आवंटित धनराशि और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के अनुसार राज्य-वार आवरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वर्ष 2009 में नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की है जोकि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के रूप में जानी जाती है। उपरोक्त रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* इस आकलन के अनुसार वर्ष 2007 में देश का वन और वृक्ष आवरण 78.37 मिलियन हेक्टेयर है जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 23.84 है और इसमें 2.82 प्रतिशत वृक्ष आवरण शामिल है। यदि कुल भौगोलिक क्षेत्र में से ट्री लाइन अर्थात 4,000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र हटा दिए जाएं तो यह 25.25 प्रतिशत हो जाएगा।

* वर्तमान और पिछले आकलन (2 वर्ष आंकड़ा अंतराल) के बीच वन आवरण में निवल वृद्धि 0.18 मिलियन हेक्टेयर (0.23 प्रतिशत) है।

* दशकीय वृद्धि, अर्थात वर्ष 1997 और वर्ष 2007 के बीच वन आवरण में वृद्धि, 3.13 मिलियन हेक्टेयर (4.75 प्रतिशत) है।

* वनों के बाहर भारत के वनों और वृक्षों का बाढ़ रहा भण्डार वर्ष 2007 में 6,098 घन मिलियन मीटर आकलित किया गया है।

* वन आवरण में वृद्धि, विशेषकर पहाड़ी और जनजातीय जिलों में महत्वपूर्ण है जहां पर वन आवरण पिछले आकलन की तुलना में क्रमानुसार 66,300 हेक्टेयर और 69,000 हेक्टेयर बढ़ा है। इसी अवधि में भारत में कच्छ-वनस्पति क्षेत्र, 5,800 हेक्टेयर बढ़ा है।

* भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों में देश के वन आवरण का लगभग एक चौथाई है। इस क्षेत्र में वर्ष 2005 के पिछले आकलन की तुलना में वन आवरण, 59,800 हेक्टेयर बढ़ा है।

(घ) भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण 0.18 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना का क्रियान्वयन, देश में वन आवरण की वृद्धि में एक सहायक घटक रहा है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देश के अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) स्कीम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कीम, राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए),

वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जीएफएमसी) के विकेन्द्रित कार्यतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई निधियों और अनुमोदित किये गये क्षेत्र के ब्यौरे, संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण I

भारत के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र

(वर्ग किमी में क्षेत्र)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	वन क्षेत्र				जीए का प्रतिशत	वन क्षेत्र में परिवर्तन	झाड़ी
		अत्यधिक घने वन	मध्यम घने वन	खुले वन	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	275,069	820	24,757	19,525	45,102	16.40	-129	10,372
अरुणाचल प्रदेश	83,743	20,858	31,556	14,939	67,353	80.43	-119	111
असम	78,438	1,461	11,558	14,673	27,692	35.30	-66	179
बिहार	94163	231	3,248	3,325	6,804	7.23	-3	134
छत्तीसगढ़	135,191	4,162	35,038	16,670	55,870	41.33	-59	107
दिल्ली	1,483	7	50	120	177	11.94	0	1
गोवा	3,702	511	624	1,016	2,151	58.10	-5	1
गुजरात	196,022	376	5,249	8,995	14,620	7.46	16	1,463
हरियाणा	44,212	27	463	1,104	1,594	3.61	-10	145
हिमाचल प्रदेश	55,673	3,224	6,383	5,061	14,668	26.35	2	327
जम्मू और कश्मीर	222,236	4,298	8,977	9,411	22,686	10.21	-3	2,036
झारखण्ड	79,114	2,590	9,899	10,405	22,894	28.72	172	683
कर्नाटक	191,791	1,777	20,181	14,232	36,190	18.87	-10	3,176
केरल	38,863	1,443	9,410	6,471	17,324	44.58	40	58
मध्य प्रदेश	308,245	6,647	35.,007	36,046	77,700	25.21	-39	6,401

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	307,713	8,739	20,834	21,077	50,650	16.46	-11	4,157
मणिपुर	22,327	701	5,474	11,105	17,280	77.40	328	1
मेघालय	22,429	410	9,501	7,410	17,321	77.23	116	211
मिजोरम	21,081	134	6,251	12,855	19,240	91.27	640	1
नागालैंड	16,579	1,274	4,897	7,293	13,363	81.21	-201	2
उड़ीसा	155,707	7,073	21,394	20,388	48,855	31.38	100	4,852
पंजाब	50,362	0	733	931	1,664	3.30	4	20
राजस्थान	342,239	72	4,450	11,514	16,036	4.69	24	4,347
सिक्किम	7,096	500	2,161	696	3,357	47.31	0	356
तमिलनाडु	130,058	2,926	10,216	10,196	23,338	17.94	24	1,206
त्रिपुरा	10,486	111	4,770	3,192	8,073	76.99	-100	75
उत्तर प्रदेश	240,928	1,626	4,563	8,152	14,341	5.95	-5	745
उत्तराखण्ड	53,483	4,762	14,165	5,568	24,495	45.80	2	271
पश्चिम बंगाल	88,752	2,987	4,644	5,363	12,994	14.64	24	29
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,762	2,405	495	6,662	80.76	-1	53
चंडीगढ़	114	1	10	6	17	14.91	0	1
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	42.97	-5	1
दमन और दीव	112	0	1	5	6	5.04	0	3
लक्षद्वीप	32	0	16	10	26	82.75	0	0
पुडुचेरी	480	0	13	31	44	9.14	2	0
कुल योग	3,287,263	83,510	319,012	288,377	690,899	21.02	728	41,525

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	कुल जारी राशि (करोड़ में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	50.62	34017
2.	बिहार	29.26	21813
3.	छत्तीसगढ़	135.80	69783
4.	गोवा	0.00	0
5.	गुजरात	118.97	61270
6.	हरियाणा	83.95	26329
7.	हिमाचल प्रदेश	24.69	16717
8.	जम्मू और कश्मीर	30.40	17655
9.	झारखण्ड	80.67	56650
10.	कर्नाटक	69.95	44635
11.	केरल	31.76	19364
12.	मध्य प्रदेश	91.49	65827
13.	महाराष्ट्र	96.27	57838
14.	उड़ीसा	63.80	75695
15.	पंजाब	12.20	9874
16.	राजस्थान	29.81	21000
17.	तमिलनाडु	36.59	18909
18.	उत्तर प्रदेश	127.20	76670
19.	उत्तराखण्ड	33.10	31609
20.	पश्चिम बंगाल	26.10	20567
21.	अरुणाचल प्रदेश	15.99	12030
22.	असम	38.92	25650
23.	मणिपुर	43.10	22314
24.	मेघालय	21.63	15645
25.	मिजोरम	66.42	28320
26.	नागालैंड	39.33	24690
27.	सिक्किम	43.01	15939
28.	त्रिपुरा	26.22	22556
	कुल योग	1467.25	912826

सीआरएफ के अंतर्गत पक्की सड़कों का निर्माण

1146. श्री रामकिशुन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सड़क निधि से उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीआरएफ के अंतर्गत फुटपाथों के स्थान पर पक्की सड़कों का निर्माण करने के यदि कोई नियम है, तो वे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में देवा-फतेहपुर से टीकापुर, पटना, हसनपुर टांडा, रासिया टांडा तक फुटपाथ के स्थान पर पक्की सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है और यह कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) यह मंत्रालय, वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा-संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों और उसके (अर्थात् केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियमावली, 2007) अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्यीय सड़कों (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) के विकास के लिए राज्यीय सरकारों को निधियां आबंटित करता है।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण/मरम्मत के लिए परियोजनाएं शुरू किये जाने का कोई नियम नहीं है। तथापि, विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे पुलों का निर्माण/पुनरुद्धार, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा के इंजीनियरी पहलू, बाइपासों का निर्माण, आपवादिक मामलों में निर्मित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा राज्यीय राजमार्गों, सर्विस रोडों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों तथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानं को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली सड़कों का विकास आदि इस योजना के अंतर्गत किये जाते हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) के विकास के लिए गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान निधियों के उपार्जन एवं निर्मुक्ति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) के विकास के लिए गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान निधियों के उपार्जन एवं निर्मुक्ति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12$	
		उपार्जन	निर्मुक्ति	उपार्जन	निर्मुक्ति	उपार्जन	निर्मुक्ति	उपार्जन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	146.63	273.63	148.91	175.05	170.33	172.20	187.65	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.26	25.96	31.38	18.44	35.42	35.72	39.51	11.52
3.	असम	27.42	15.09	35.05	32.87	38.91	45.47	43.62	7.37
4.	बिहार	40.59	32.03	46.28	50.49	53.61	48.30	60.89	0.00
5.	छत्तीसगढ़	43.66	26.52	58.43	22.19	66.39	64.99	73.63	46.31
6.	गोवा	8.93	8.99	5.87	2.82	6.19	17.02	6.48	0.00
7.	गुजरात	104.84	177.14	107.48	0.00	119.81	208.03	132.58	0.00
8.	हरियाणा	66.18	91.18	47.55	18.16	55.36	50.57	64.99	64.99
9.	हिमाचल प्रदेश	19.34	4.36	24.81	12.06	27.48	17.44	30.66	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	54.92	84.62	86.81	86.81	96.97	97.79	108.61	34.37
11.	झारखंड	34.85	38.47	39.44	32.64	44.13	40.88	49.66	0.00
12.	कर्नाटक	103.82	148.87	105.84	120.30	118.45	96.01	131.28	131.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	48.58	43.60	36.54	49.27	40.26	80.49	44.48	0.00
14.	मध्य प्रदेश	100.29	87.45	133.63	45.76	152.33	281.58	169.93	94.03
15.	महाराष्ट्र	175.89	222.85	174.92	72.97	199.75	256.82	221.54	0.00
16.	मणिपुर	5.84	0.60	8.90	2.20	10.07	5.28	11.23	0.00
17.	मेघालय	8.54	9.93	10.40	3.04	11.81	16.76	13.17	4.13
18.	मिजोरम	5.14	5.67	8.20	6.73	9.29	3.10	10.36	0.00
19.	नागालैंड	4.34	3.55	6.61	4.63	7.35	2.17	8.42	0.00
20.	ओडिशा	56.25	83.49	70.56	70.56	79.74	91.50	89.83	0.00
21.	पंजाब	65.39	72.18	48.69	68.69	50.71	80.35	56.79	29.51
22.	राजस्थान	130.60	180.60	158.91	158.91	177.30	178.79	197.57	140.96
23.	सिक्किम	2.15	2.54	2.99	3.41	3.48	2.48	3.89	0.00
24.	तमिलनाडु	110.92	142.10	93.98	54.89	109.16	203.01	121.57	0.00
25.	त्रिपुरा	3.54	3.78	4.62	5.27	5.22	7.95	5.83	5.83
26.	उत्तर प्रदेश	20.96	10.54	25.74	8.01	28.84	34.89	177.06	177.06
27.	उत्तराखंड	145.55	234.55	140.65	161.07	157.93	189.37	32.60	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	55.40	42.69	53.02	53.02	59.23	67.51	65.43	19.71
	संघ राज्य क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.27	0.00	3.50	1.21	3.94	2.18	4.39	0.00
30.	चंडीगढ़	3.51	1.17	3.75	3.19	4.23	0.00	4.72	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.64	0.00	1.75	0.32	1.98	0.00	2.21	0.00
32.	दमन और दीव	1.24	0.00	1.33	0.00	1.50	0.00	1.67	0.00
33.	दिल्ली	48.45	41.29	51.78	0.00	58.40	58.40	65.13	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00	0.16	0.00
35.	पुडुचेरी	7.59	6.56	8.11	0.00	9.15	3.14	10.21	0.00

$आंकड़े अक्तूबर, 2011 तक के हैं।

ई.पी.एफ. अंशदान

1147. श्री यशवंत लागुरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) अंशदान के एक करोड़ से अधिक के बकाया वाली कंपनियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इन कंपनियों से उक्त बकाया राशि को वसूलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ई.पी.एफ. की बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया में कितने मूल्य की संपत्ति जब्त की गई और कितने कार्मिकों को दोषसिद्ध किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की एवं बिक्री।
2. चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के व्यावसायों को चलाने के लिए रिसीवर की नियुक्ति।
3. चूककर्त्ता की गिरफ्तारी एवं कारावास।
4. चूककर्त्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन।
5. शास्ति के रूप में हर्जाने लगाना।
6. उन व्यक्तियों को, जिनकी राशि चूककर्ता के कारण बकाया है, यह निर्देश देना कि उस राशि को भविष्य निधि बकायों में जमा करें न कि चूककर्ता को भुगतान करें।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत चूककर्त्ताओं की संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों के आदेश से 84 गिरफ्तारियां एवं 2,842 दोषसिद्धियां की गई हैं।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वाले प्रतिष्ठानों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कंपनियों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपये में)
1.	पश्चिम बंगाल	54	20755.52
2.	आंध्र प्रदेश	14	6593.00
3.	पंजाब	12	6538.31
4.	बिहार	9	2090.59
5.	हिमाचल प्रदेश	1	252.91
6.	कर्नाटक	5	4030.94
7.	मध्य प्रदेश	9	5886.86
8.	झारखंड	9	13129.68
9.	तमिलनाडु	25	9571.55
10.	केरल	11	3995.00
11.	हरियाणा	2	841.00
12.	महाराष्ट्र	56	20137.92
13.	उड़ीसा	19	7343.00
14.	दिल्ली	6	60487.00
15.	उत्तराखण्ड	2	2382.00
16.	गुजरात	6	1909.32
16.	गुजरात	6	1909.32
17.	उत्तर प्रदेश	48	16415.38
18.	राजस्थान	2	1267.00
19.	छत्तीसगढ़	1	149.65

[अनुवाद]

स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली

1148. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु एकल खिड़की प्रणाली आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में स्वतंत्र प्रशासनिक और नियंत्रण तंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) दिनांक 06 जनवरी, 2011 को तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इस अधिसूचना और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत मूल्यांकित की गई विकासात्मक परियोजनाओं के लिए एकल स्वीकृत पत्र जारी किया गया है जिसके माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली, तत्काल प्रभाव से लागू की गई।

(ग) से (ङ) अभी तक, एकल खिड़की स्वीकृतियों हेतु स्वतंत्र और प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ई-अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध

1149. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री नित्यानंद प्रधान:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश अन्य देशों से विषैले ई-अपशिष्ट सहित ई-अपशिष्ट आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पण्य/वस्तु-वार कितनी मात्रा में ऐसे आयात किए गए;

(ग) क्या यह ई-अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव डालता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट खतरनाक अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन और हथालन के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 को अधिसूचित किया है। ई-अपशिष्ट के आयात और निर्यात, इन नियमों के अनुसार विनियमित किये जाते हैं। निपटान के लिए ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। आयात की अनुमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और/अथवा महानिदेशालय विदेश व्यापार की अनुमति से मात्र रीसाइक्लिंग अथवा प्रतिप्राप्ति अथवा दोबारा उपयोग के लिए दी जाती है।

इन नियमों के अनुसार, ई-अपशिष्ट के आयात और निर्यात की अनुमति के लिए केवल उन्हीं रीसाइक्लिंग इकाइयों पर विचार किया जाता है जिनके पास पर्यावरणीय रूप से अनुकूल रीसाइक्लिंग सुविधाएं होती हैं और जो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से पंजीकृत हैं। विगत में इस मंत्रालय ने इन पंजीकृत रीसाइक्लिंग इकाइयों द्वारा ई-अपशिष्ट के निर्यात और रीसाइक्लिंग के लिए ऐसी ही एक इकाई को आयात की अनुमति दी है।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. आयात और निर्यात से संबंधित उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीजीएफटी), जहाजरानी मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चयनित राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्डों से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समन्वयन समिति का गठन किया गया है।

यह समिति देश में ई-अपशिष्ट के अवैध आयात की निगरानी करने के लिए इन नियमों के प्रवर्तन के संबंध में सीमा-शुल्क प्राधिकरणों को सुग्राही बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

2. दिनांक 12 मई, 2011 को पृथक ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 को अधिसूचित किया गया है। ये नियम, दिनांक 01 मई, 2012 से लागू होंगे।

3. ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राधिकृत और पंजीकृत सुविधाओं में ही किया जा सकता है। उत्सर्जित अपशिष्ट को पर्यावरणीय रूप से अनुकूल सुविधाओं वाले पंजीकृत अथवा प्राधिकृत रीसाइक्लर अथवा रीप्रोसेसर को भेजा अथवा बेचा जाना अपेक्षित है।

4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश, ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रुप से अनुकूल प्रबंधन दृष्टिकोण और कार्यपद्धति प्रदान करते हैं।

5. यह मंत्रालय, ई-अपशिष्ट के लिए खतरनाक और एकीकृत रीसाइक्लिंग सुविधाओं हेतु शोधन, निपटान और भण्डारण सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी आधार पर एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

बिहार में इस्पात फैक्ट्री

1150. श्री रमेन डेका:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री कादिर राणा:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश और असम सहित देश भर में लघु, मध्यम और बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार के वैशाली, गया और बेतिया जिलों में इस्पात फैक्ट्रियों और कामरूप जिले में असम इस्पात संयंत्रों को अनेक वर्षों पूर्व स्वीकृति दिए जाने के बाद भी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन संयंत्रों में उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) देश में सभी चालू इस्पात संयंत्रों और लाभ अर्जित करने वाले इस्पात संयंत्रों तथा रुग्ण इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार रुग्ण संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों में 10 इस्पात प्रसंस्करण यूनिट (एसपीयू) की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है जो निम्नलिखित हैं:

राज्य	संयंत्र
बिहार (3)	बेतिया, गया, महनार
मध्य प्रदेश (3)	होशंगाबाद, उज्जैन और ग्वालियर
असम (1)	गुवाहाटी
उत्तर प्रदेश (1)	लखीमपुर
जम्मू और कश्मीर (1)	श्रीनगर
हिमाचल प्रदेश (1)	कांगड़ा

इसके अतिरिक्त सेल ने जगदीशपुर में स्थित भूतपूर्व मालविका स्टील को खरीद लिया है और इस संयंत्र को कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ जीवनक्षम बनाया जा रहा है।

एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में नागरनार में 3 एम टी पी ए क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) बिहार और असम में विभिन्न इस्पात प्रसंस्करण यूनिटों की स्थिति निम्नानुसार है:

1. **बिहार**

बेतिया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट-यह परियोजना पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है और इसके नवम्बर, 2011 तक आरम्भ होने की आशा है।

गया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट: मृदा के अन्वेषण और स्थल के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। कृषि भूमि के उपयोग को औद्योगिक उपयोग में परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। अन्तिम अनुमोदन अभी दिया जाना है। अन्तिम अनुमोदन देने के बाद इसके पूरा होने की संभावित तारीख निश्चित की जाएगी।

महनार (जिला वैशाली) में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट: मृदा के अन्वेषण और स्थल के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। भूमि निचली पाई गई थी और उसमें काफी भराव करना अपेक्षित था। इससे परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

2. असम

गुवाहाटी में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट: भूमि का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 'सिद्धान्त रूप में अनुमोदन' के समय जो रियायतें और लाभ देने के बारे में विचार किया गया था, उनमें से अधिकांश इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अन्तिम अनुमोदन अभी दिया जाना है। अन्तिम अनुमोदन देने के बाद इसके पूरा होने की संभावित तारीख निश्चित की जाएगी।

(ङ) और (ङ) सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों/ की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची नीचे दी जाती है:

(वार्षिक क्रूड इस्पात क्षमता, मिलियन टन में)

क्र.सं.	कम्पनी	स्थान	राज्य	वर्तमान क्षमता* (लगभग)
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	इस्को, बर्नपुर	पश्चिम बंगाल	0.50
2.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	बोकारो	झारखण्ड	4.36
3.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भिलाई	छत्तीसगढ़	3.93
4.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	राउरकेला	ओडिशा	1.90
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	1.80
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	2.90
7.	टाटा स्टील लिमिटेड	जमशेदपुर	झारखण्ड	6.8
8.	इस्सार स्टील लिमिटेड	हजीरा	गुजरात	4.6
9.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	विजयानगर	कर्नाटक	6.6
10.	जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड	रायगढ़	छत्तीसगढ़	2,4
11.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डोल्वी	महाराष्ट्र	3.0
12.	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	झारसुगडा	ओडिशा	1.2
13.	भूषण स्टील लिमिटेड	अंगुल धेनकनाल	ओडिशा	1.5

*इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार।

इसके अतिरिक्त, देश में कई मझौले और छोटे इस्पात यूनिट हैं जिनमें मिनी ब्लास्ट फर्नेस, स्पंज आयरन यूनिट, इंडक्शन फर्नेस यूनिट और रोलिंग मिलें शामिल हैं। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 2009-10 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे यूनिटों की कुल संख्या लगभग 3647 है। इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र हैं और इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उन इस्पात यूनिटों तथा निजी क्षेत्र के

एकीकृत इस्पात यूनिटों का रिकार्ड रखता है जिनकी क्षमता 1 मिलियन टन या अधिक है। तथापि, देश में समूचे इस्पात क्षेत्र के लिए, लाभ अर्जित करने वाले अथवा रुग्ण इस्पात संयंत्रों के कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बर्नपुर में भूतपूर्व इस्को के संयंत्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार तथा सेल द्वारा जगदीशपुर में भूतपूर्व मालविका स्टील को जीवनक्षम बनाने संबंधी प्रस्ताव को छोड़कर रूग्ण इस्पात संयंत्रों को जीवनक्षम बनाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

इस समय श्री रमेश राठौड़, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपाध्यक्ष महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया

...(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या 5311/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल. टी. 5312/15/11]

(3) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्स, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्स, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल. टी. 5313/15/11]

(4) (एक) फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल. टी. 5314/15/11]

(5) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल. टी. 5315/15/11]

(6) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट राजकोट के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, राजकोट के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल. टी. 5316/15/11]

(7) (एक) मैरीन प्रौडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल. टी. 5317/15/11]

...*(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

(एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल. टी. 5318/15/11]

...*(व्यवधान)*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) का. आ. 284(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(दो) का. आ. 696(अ) जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया से फारबिसगंज से झंझापुर से दरभंगा से मुजफ्फरपुर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तीन) का. आ. 697(अ) जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चार) का.आ. 715(अ) जो 7 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-कर्नाटक/महाराष्ट्र खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पांच) का. आ. 842(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से देवीहल्ली खण्ड के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर नीलमंगला जंक्शन) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छह) का. आ. 949(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसुर-कृष्णागिरि खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सात) का.आ. 843(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बोरखेडी-वाडनेर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(आठ) का.आ. 844(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (गारामोर से समाखियाली खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(नौ) का. आ. 1002(अ) जो 5 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(दस) का.आ. 1542(अ) जो 6 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से शिवपुरी से भोगनीपुर खंड तक) के प्रयोगकर्त्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 670(अ) जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47(तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि खंड) और (वायटिला-अरुर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बारह) का.आ. 690(अ) जो 5 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापटिनम-तंजावुर-त्रिची-करूर-कोयम्बटूर-मेट्टपालयम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1415(अ) जो 16 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरुपुकोटई-तुतीकोरिन खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1422(अ) जो 20 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (लखनऊ-सीतापुर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1327(अ) जो 7 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया से फारबिसगंज से झंझापुर से दरभंगा से मुजफ्फरपुर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में हैं।

(सोलह) का.आ. 1354(अ) जो 10 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-इंदौर खंड) और (इंदौर-मुंबई खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1416(अ) जो 16 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) और (वाराणसी-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) तथा बिहार राज्य में (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-बरवा अड्डा खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1423(अ) जो 20 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु/सीमा से विजयवाडा खंड) और (चिलकालुरीपेट से विजयवाड़ा खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1424(अ) जो 20 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा-कोच्चि खंड) और (अलुवा-अंगमाली खंड) के प्रयोगकर्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या 5319/15/11]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 5-श्रीमती अंबिका सोनी।

अपराह्न 12.02 बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): मैं प्रस्ताव करती हूं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियमन 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियमन, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 $^{1}/_{2}$ बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 के बारे में विवरण**

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी): मैं केबल टेलिविजन नेटवर्क विनियमन संशोधन अध्यादेश 2011 (2011 का संख्यांक 3) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक स्पष्टीकरण विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूं।

...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 28.11.2011 में प्रकाशित।

सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए संख्या एल टी 5320/15/11

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। ऐसे सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए अनुमति प्रदान की गई हैं और जो इन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर तत्काल पर्ची भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनकी पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त की गई हैं और शेष को व्यपगत माना जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) उत्तर प्रदेश में जापानी एनसेफेलाइटिस को रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): देश के विभिन्न हिस्सों में बरसात शुरू होते ही जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस(एईएस) से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद अभी तक इस जानलेवा बीमारी के उपचार के लिए किसी भी प्रकार की दवा ईजाद नहीं हुई है। केवल उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 24 एवं 25 जुलाई को जापानी इंसेफेलाइटिस के 23 नये रोगी भर्ती हुए जिसमें 3 मरीजों की मृत्यु हो गई। अभी भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 150 मरीजों का इलाज चल रहा है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले तीन माह में 598 मरीजों की जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से जानें जा चुकी हैं। भारत सरकार ने उक्त रोग की रोकथाम के लिए 16 लाख टीकें उत्तर प्रदेश को दिये थे लेकिन दुर्भाग्यवश टीकाकरण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया और वह दवाएं एक्सपायर हो गई। अत: मैं इसे तत्काल लागू करने की मांग करता हूं।

(दो) उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच रेलवे लाईन के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गोण्डा-बहराइच रेल मार्ग का आमान

*सभा पटल पर रखे माने गए।

परिवर्तन का कार्य स्वीकृत है। इस परियोजना का काफी कार्य पूरा हो चुका है। किंतु वित्तीय अभाव में शेष कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। समय से वित्तीय सहायता न होने से इस रेल मार्ग के आमान परिवर्तन में विलम्ब हो ही रहा है साथ ही लागत भी बढ़ रही है। इस रेल मार्ग के आमान परिवर्तन से जनता को काफी सहूलियतें मिलेंगी। बहराइच जनपद भारत-नेपाल सीमा का जिला है। इस जनपद से होकर भारी संख्या में पर्यटकों तथा नेपाल आने-जाने वाले लोगों का आवागमन होता है। रेलमार्ग के आमान परिवर्तन से बहराइच के लोगों को देश के अन्य भागों में यात्रा करने हेतु सीधी सेवा मिल सकेगी तथा बहराइच में आम जनता को रेलमार्ग से खाद, सीमेंट आदि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में गोण्डा-बहराइच रेलमार्ग के आमान परिवर्तन के शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा इस रेलमार्ग को बहराइच-नानपारा-नेपालगंज रोड तक आमान परिवर्तन हेतु धन की स्वीकृति देने की कृपा करें जिससे दोनों देशों के मध्य अच्छा संबंध बने।

(तीन) पंजाब में भू-जल स्तर के घटने की समस्या का निवारण करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरूदासपुर): हरित क्रांति की शुरुआत के बाद में पंजाब में भू-जल के प्रयोग में 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के किसानों ने अधिक उपज वाले जल आधारित फसलों का उत्पादन किया है एक अनुमान के अनुसार इस अन्तर को कम करने के लिए राज्य में 12 बिलियन घन मीटर भू-जल का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय भू-भौतिकीय-अनुसंधान संस्थान ने पाया कि अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल के स्तर में औसतन प्रतिवर्ष 60 से. मी. की कमी आई है। पंजाब ने पिछले 105 वर्षों में निर्मित भू-जल भंडार का 30 से भी कम वर्षों में उपयोग कर लिया है।

जल स्तर तक पहुंचने में किसान जमीन की गहराई से खुदाई करने तथा अधिक जल निकालने के लिए अधिक विद्युत का उपयोग करने के लिए बाध्य है। जिससे प्रतिवर्ष उनकी लागत बढ़ रही है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण ने चेताया है कि यदि यह स्थिति पंजाब में जारी रहती है तो जमीन का बंजर होना अनन्यभावी है।

गिरते भू-जल स्तर से टोटल डिजाल्वड साल्यूबल (टी डी एस) और आर एस सी रेजयूडल सोडियम कोबोनेट साल्ट्र होता जा रहा है तथा इससे भू-जल का खारापन भी बढ़ता है फसलों का इष्टतम उत्पादन नहीं हो सकता जिससे खाद्यान्नों का खराब उत्पादन होता है।

चूंकि यह मामला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित है इस पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है, अनुसंधान और विकास संबंधी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और समेकन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, चेक 'डेम और वर्षा जल संचयन को शीघ्र अमल में लाना अति आवश्यक है। कम जल की खपत करने वाले फसलों के प्रति किसानों के रूझान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए क्योंकि यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा।

(चार) नेशनल रेयॉन कारपोरेशन लिमिटेड, कल्याण (मुंबई) के कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): नेशनल रेयॉन कं.लि. कल्याण, मुम्बई, सूत एवं केमिकल उत्पादन करने वाली कंपनी बंद हो चुकी है। लेकिन कर्मचारियों का बकाया वेतन, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। फैक्ट्री निर्माण के वक्त किसानों ने अपनी जमीन इसलिए दी थी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए सस्ते रेट में फैक्ट्री को भूमि प्रदान की गयी थी। लेकिन अब यह फैक्ट्री बंद हो गई है और फैक्ट्री की जमीन करोड़ों के भाव से बेची जा रही है। कर्मचारियों का वेतन भुगतान ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई है जिसके कारण किसानों, कर्मचारियों और आम जनों में तीव्र आक्रोश है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि नेशनल रेयॉन कं. लि. के कर्मचारियों का वेतन भुगतान करवाया जाए और तब तक जमीन बिक्री पर रोक लगाई जाए।

(पांच) पाकिस्तान से आए व्यथित हिन्दू परिवारों को बसाने और उन्हें भारत में स्थायी घर प्रदान किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा (देवास): विगत 2 वर्षों से पाकिस्तान में भारतीय हिन्दुओं पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। पिछले एक माह में पहले चार हिन्दु डॉक्टरों को सरेआम गोली मार दी गई फिर एक सप्ताह बाद हिन्दुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया जिसमें अनेक लोग मारे गए। हिन्दुओं

की संपत्ति लूटी जा रही है, उनकी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, पाकिस्तान में उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है।

पिछले माह 113 पाकिस्तानी हिन्दुओं और सिंधियों का जत्था भारत आया हुआ है, वह लोग पाकिस्तान के अत्याचारों से इतने भयभीत हैं कि अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, इन्हीं में से एक 17 वर्षीय बीमार कन्हैया से जब मीडिया ने बात की तो उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगा।

उसने मीडिया से मदद मांगते हुए कहा कि आप हमारी मदद कीजिए और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पाकिस्तानी हिन्दुओं के भारत में रहने और आने पर जो बाधाएं/कठिनाइयां हैं, उन नियमों को शिथिल कर इन पाकिस्तानी हिन्दुओं की जान की रक्षा करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाते हुए निर्णय लें।

(छह) नेपाल के साथ सामाजिक-आर्थिक संबंध सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): भारत एवं नेपाल के मध्य परस्पर शताब्दियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति भी इन देशों को परस्पर एक-दूसरे का सहयोगी बनाती है। यही कारण है कि आज भी दोनों राष्ट्रों के निवासी अबाध रूप से दोनों देशों के मध्य आ-जा सकते हैं। इस हेतु किसी प्रकार के वीजा की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं नेपाली राष्ट्र के नागरिक भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सम्मिलित होकर भारत की सैन्य सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-नेपाल के मध्य संबंधों में शिथिलता आई है। चीन की विस्तारवादी नीति एवं उसकी भारत के प्रति नीति का प्रभाव नेपाल पर भी पड़ा है। आज भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के पास के इलाकों में चीन द्वारा स्थापित किये जा रहे अध्ययन केन्द्र वास्तव में सामरिक महत्व के स्थानों पर चीन की भारत के प्रति अपनाई जाने वाली नीतियों को उजागर करता है।

लगभग 18 सौ किलोमीटर की भारत-नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी के साथ ही इस सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल के प्रति हमारी सदियों पुरानी प्रतिबद्धता एवं रिश्तों की प्रगाढ़ता को बढ़ाने हेतु हर संभव कदम उठाया जाना देशहित में अत्यंत आवश्यक है। साथ ही नेपाल सहित भारत को लाभ पहुंचाने वाली तमाम परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए भी पहल की आवश्यकता है ताकि नेपाल की आम जनता विकास से सीधे लाभान्वित हो सके।

(सात) उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की कमी की समस्या का निवारण करने और किसानों को आसानी से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): नियम 377 के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रबी फसलों की बुआई के लिए किसान डीएपी के लिए परेशान हैं। हर तरफ खाद एवं उर्वरक की समस्या से किसान त्रस्त दिखाई दे रहा है। उ.प्र. में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता का दावा किया गया है लेकिन डीएपी और यूरिया जैसी खाद सरकारी केन्द्रों से गायब है। सहकारी गोदामों में ताले लगे हैं तथा उर्वरक विक्रेताओं के यहां नो स्टाक का बोर्ड लगा हुआ है। मजबूरन किसानों को अन्य स्रोतों से खाद खरीदनी पड़ रही है जिसके चलते 297 रुपये प्रति बोरी यूरिया आज 1000 रुपये में खरीदनी पड़ रही है।

पूरे प्रदेश में उर्वरक की अनुपलब्धता संबंधी खबरें भी रोज अखबार में देखी एवं पढ़ी जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराकर किसानों की समस्याओं को अविलंब दूर करने की अति आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा भेजी जा रही उर्वरक किसानों को उचित दामों में उपलब्ध न होने से पूरे प्रदेश में समस्या बनी हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर की अधिकांश सहकारी समितियों पर ताले लगे हुए हैं। कुछ एक केन्द्रों पर उर्वरक की आपूर्ति अपर्याप्त मात्रा में की गई, जिसके कारण अधिकांश किसान महंगा खाद खरीदने को मजबूर हैं।

सरकार से मेरी यह मांग है कि रासायनिक खाद के वितरण की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दी जाए तथा जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना लिखित रूप में दी जाए। उपजिलाधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रह कर अपनी निगरानी में खाद वितरण सुनिश्चित कराएं।

(आठ) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): सैनिक स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रबंधनीय स्कूलों की व्यवस्था है। यह योग्य छात्रों को उनकी आय या वर्ग या पृष्ठभूमि के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। तमिलनाडु में सैनिक स्कूल केवल कोयम्बटूर जिले के अमरावती नगर में स्थित है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा दक्षिणी तमिलनाडु के छात्र सैनिक स्कूलों के मानक की तुलना में किसी स्कूल की अनुपलब्धता के कारण बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और तिरूनेलवेली जिले में इसकी स्थापना की लम्बे समय से मांग है। इससे पड़ोसी दक्षिणी जिलों में बड़ी संख्या में छात्रों को सुशिक्षित भी बनाया जाएगा और स्कूली शिक्षा खेल कूद और अन्य पाठयेतर कार्यकलापों में उनके कौशल का विकास करते हुए उसे को बढ़ाने में सहायता करेगा।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में सैनिक स्कूल खोलने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

(नौ) कर्नाटक के बेलगाम में मच्छे में केन्द्रीय विद्यालय सं. 3 के विद्यालय भवन का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम): केन्द्रीय विद्यालय खंड बेलगाम के लिये सच्चे बेलगाम (कर्नाटक) में एक नया विद्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव किया गया है जब तक यह नया विद्यालय भवन बन नहीं जाता है तब तक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय को अस्थायी रूप से केन्द्रीय विद्यालय 2 के साथ विलय किया गया है इससे मौजूदा केन्द्रीय विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या अत्यधिक बढ़ने से अव्यवस्था हो गई है।

केन्द्रीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित नए विद्यालय भवन हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन पुस्तकालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमानित 8 करोड़ की धनराशि पिछली बार स्वीकृत की गई है जिला प्राधिकारियों ने इस प्रयोजनार्थ भूमि और अन्य बुनियादी ढांचा मुहैया कराया है। इसके बावजूद अभी तक कार्य शुरु नहीं हो पाया है और 3 वर्षों की अवधि बीतने के बाद भी निर्माण कार्यकलाप में अनुचित विलंब हो रहा है।

अत: मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह मांग करता हूं कि वे इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और वे बेलगाम के छात्र और अभिभावक समुदाय के हित में प्रस्तावित स्थल पर नए विद्यालय मनन का निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निर्देश दें।

(दस) भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा को गैर-इरादतन पार किए जाने को रोकने के लिए भारतीय मछुआरों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उन्हें बायोमीट्रिक कार्ड और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं सरकार का ध्यान गुजरात के मछुआरों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात के मछुआरे जखाऊ क्षेत्र में मछली पकड़ने हेतु जाते रहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र मछली पालन के मामले में सबसे उपयुक्त है। कभी-कभी ये मछुआरे मछली पकड़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा तक पहुंच जाते हैं जिनको पाकिस्तान की तटीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्राय: नावों सहित पकड़ लिया जाता है।

पाकिस्तानी मेरीटाइम सेक्युरिटी एजेंसी द्वारा जब मछुआरों के नावों सहित पकड़े जाने की खबर निकट में ही मछली पकड़ रहे अन्य मछुआरों के माध्यम से मिलती है तब मछुआरों तथा नावों का पूर्ण विवरण विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को दिया जाता है और तब विदेश मंत्रालय द्वारा उनको मुक्त कराने की कवायद में समय लगता है। पिछले 8-9 सालों में 4000 मछुआरों को पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि गुजरात के मछुआरों की सुरक्षा के मद्देनजर उनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को न पार करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए तथा सभी मछुआरों को बायोमीट्रिक कार्ड तुरंत जारी करें तथा भारत सरकार द्वारा मछुआरों को सन् 2007 के आर्थिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध कराएं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुगलसराय रेल मंडल में रेल उपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली): मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौली में रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण के लिए रेल बजट 2011-12 पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण की मांग किये जाने पर तत्कालीन रेल मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मुगल सराय रेल मण्डल, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत सभी रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डीएफसीसी) के द्वारा करा दिया जाएगा। रेलवे द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में मुगलसराय रेलवे मंडल के अंतर्गत चंदौली स्थित रेलवे क्रासिंगों पर रेल ऊपरी पुलों का निर्माण किये जाने की सभी शर्तों तथा आवश्यक तकनीकी तथ्यों के अनुरूप पाया गया था तथा इसे रेल ऊपरी पुल के निर्माण को क्वालीफाई कर दिया गया था। जिसकी आवश्यक मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को अग्रसारित भी किया गया है। लेकिन अभी तक मंजूरी हेतु लंबित है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडार में भी यह व्यवस्था दी गई है कि जहां भी आर.ओ.बी. के निर्माण की आवश्यकता है तथा आर.ओ.बी. में भाग की शर्तों के अनुरूप हो वहां रेल ऊपरी पुल आर.ओ.बी. का निर्माण कराया जाएगा।

अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश स्थित मुगल सराय रेल मंडल के अंतर्गत प्रस्तावित तथा रेलवे

बोर्ड को अग्रसारित सभी रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए धन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने का कार्य करें ताकि उक्त स्थानों पर आम नागरिकों को प्रतिदिन हो रही आवाजाही की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके।

(बारह) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनाई और बर्तन उद्योगों में कार्यरत कामगारों की बेहतरी के लिए कल्याणकारी योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): उत्तर प्रदेश के संपूर्ण पूर्वांचल के अधिकांश लोगों की जीविका खेती तथा हथकरघा पर आश्रित है। कई माननीय सांसदों तथा स्वयं मेरे द्वारा अनुरोध करने के बावजूद हथकरघा बुनकरों तथा बर्तन उद्योग से जुड़े कामगारों के लिए सरकार द्वारा कोई लाभकारी योजना नहीं बनाई गई है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि बुनकरों तथा बर्तन उद्योग से जुड़े कामगारों के लिए एक आर्थिक पैकेज दिया जाए जिसमें प्रत्येक बुनकर एवं बर्तन कामगारों को 5 (पांच) लाख रुपये बिना ब्याज उपलब्ध कराया जाए। इनके लिए बैंकों के द्वारा इनके द्वारा तैयार माल का भुगतान कराया जाए। जिससे इनकी तथा इनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(तेरह) निजी बैंकों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आईसीआईसीआई व निजी ऑटो वित्तपोषण कंपनियों द्वारा ग्राहकों से अवांछित एवं अप्रिय व्यवहार किया जाता है। निजी वित्तीय कंपनियां वित्तीय मदद के समय तो उपभोक्ताओं के आगे पीछे घूमती हैं और सारे चेक्स अग्रिम में लेती हैं और अपने पास गिरवी या रेहन रखे जाने की सूचना तत्काल संबंधित सरकारी ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण को दे देती हैं परंतु पूर्ण पेमेंट मिलने के बाद यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने में उपभोक्ताओं को बहुत तंग करती हैं, उनके खाते में अनाप-शनाप बैलेन्स दिखाया जाता है और उसका भुगतान करने के बाद भी वो अन्य सुविधा शुल्क भी मांगते हैं और ग्राहकों से महीनों तक चक्कर लगवाते हैं। जबकि उनको किस्त का अंतिम चेक मिलने के तुरंत बाद नो ड्यूज की संपूर्ण सूचना संबंधित विभागों को तुरंत वितरित कर देनी चाहिए जैसाकि वो ऋण स्वीकृत करते समय करते हैं।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार इस प्रवृत्ति पर अविलंब रोक लगाये एवं सभी उपभोक्ताओं को राहत दिलवाये।

(चौदह) तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और माहे में एनटीसी मिलों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. आर. नटराजन (कोयम्बटूर): दक्षिणी क्षेत्र अर्थात तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में कार्यरत लिपकीय कर्मचारी 1.11.2011 से संशोधित वेतनमान लाभ जैसे औद्योगिक महंगाई अन्तर (आईटीए) आदि के संबंध में दिनांक 13.4.2004 के केन्द्र सरकार के आदेश के क्रियान्वयन की मांग को लेकर अन्तिम रणनीति के रूप में हड़ताल पर है। उपरोक्त चार राज्यों में कार्यरत 15 वस्त्र मिलों में लगभग 500 दैनिक श्रम कामगार काम कर रहे हैं।

इस संबंध में 1.1.2007 से आईडीए प्रतिमान पर आधारित औद्योगिक महंगाई अन्तर लाभ आदि तथा 1.4.2004 से मूल वेतन के पुनर्गठन हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों (लगभग 265) में कार्यरत लिपकीय कर्मचारी की मांगें बहुत दिनों से लंबित है तथा प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई आंदोलन होने के बावजूद एवं टी सी प्रबंधन द्वारा सुलझाया जाना है। दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय (एस आर ओ) रा. व. नि. के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत एच आई ए 4000/ स्पष्ट से लेकर 10000 रुपए का अनुमान किया जा रहा है जबकि कहीं और कार्यरत लिपकीय कर्मचारियों को केवल 167 रुपए का आवाज किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

भारत के उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के आधार पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.4.2004 को निर्णय का सामना करने के लिए आदेश जारी किया क्योंकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा एन टी सी कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना चाहिए।

(पन्द्रह) डाकघर अभिकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु राष्ट्रीय लघु बचत निधि को लागू किए जाने के बारे में श्यामल गोपीनाथ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री आनंद प्रकाश परांजपे (कल्याण): मैं सरकार का ध्यान डाकघर के एजेंटों को अदा किए जाने वाले कमीशन में प्रस्तावित कमी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारत में लगभग 5,00,000 एजेंट हैं जो किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, मियादी जमा खातों, मासिक आय योजना खातों और वरिष्ठ नागरिक योजना खातों जैसे डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं में बचत को प्रोत्साहित करने हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राहकों को जुटाते हैं। ग्रामीण

क्षेत्रों में वे ग्राहकों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ऐसे एजेंटों को विभिन्न योजनाओं के आधार पर अलग-अलग कमीशन का भुगतान किया जाता है। तथापि, इस मुद्दे पर विचार करने वाली श्यामला गोपीनाथ समिति ने एनएससी और डाकघर योजना में कमीशन घटाने और लोक भविष्य निधि और वरिष्ठ नागरिक योजना पर कमीशन समाप्त करने की सिफारिश की है। यह सुझाव इन्वेंट्री को अधिक ब्याज दर दिलाने के लिए दिया जा रहा है। यह ऐसा मुद्दा है जो उन एजेंटों के विरूद्ध जाएगा जिन्हें बहुत से गांवों में जाना होता है तथा ग्रामीणों को निवेश करने हेतु विश्वस्त करना होता है। इसके अतिरिक्त अति लघु बचत योजना पर कमीशन को घटाया/समाप्त किया जाता है तो इससे एजेंटों की आजीविका और उनके परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे उनका रोजगार छिनने की आशंका होती है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कोई निर्णय लेने से पूर्व पहले से ही परेशान डाक एजेंटों की दुर्दशा और जमाराशि जुटाकर डाक विभाग को देने की उनकी योजना पर ध्यान दे। सरकारी पैनल द्वारा दिए सुझाव के अनुसार डाक एजेंटों को कमीशन घटाने के बजाय उनको अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट देना उचित होगा।

(सोलह) देश में यक्ष्मा उन्मूलन हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): मैं भारत में क्षयरोग के बारे में चिंता व्यक्त करता हूं। क्षयरोग फेंफड़ों का संक्रामक रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है और अन्य के समय में विश्व की एक तिहाई जनसंख्या इससे संक्रमित हो रही है। क्षयरोग प्राय: फेफड़ों को प्रभावित करता है परंतु यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है केवल ऐसे व्यक्ति जो फेंफड़ों के क्षयरोग से प्रभावित हैं वे ही संक्रामक है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसते, छींकते, बात करते हैं अथवा थूकते हैं तो, वे बैसिली नामक टीबी के जीवाणुओं को हवा में छोड़ते है। आज के समय में भारत में टीबी से हर तीन मिनट में दो व्यक्तियों की मृत्यु होती है। एच आई वी पीड़ित व्यक्तियों के रूप में तपेदिक के संबंध के कारण भारत में टीबी की चिंताएं काफी बढ़ रही हैं क्योंकि उन्हें तपेदिक आसानी से हो जाती है और वर्तमान में एड्स के रोगियों की मृत्यु का पहला कारण तपेदिक है। संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) ने लगभग 1,00,00 व्यक्तियों को स्पुरम माइक्रोस्कोपी सेवाएं उपलब्ध कराते हुए 12,000 से अधिक माइक्रोस्कोपी सेवाएं स्थापित किए हैं परंतु तपेदिक अब भी काफी लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस बात को मानते हुए कि तपेदिक के कारण हर तीन मिनटों में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, लगभग 1000 प्रतिदिन चिंता का विषय है इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तपेदिक नियंत्रण के उपायों की तरफ पर्याप्त ध्यान दें और तपेदिक के कारण होने वाली मौतों की संख्या घटाने के लिए किये जाने वाले समुचित उपायों में मदद करें।

(सत्रह) दिल्ली सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): भारत सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के बारे में सरकार की नीति दिनांक 13 सितंबर 1950 के गृह मंत्रालय संकल्प सं. 42/21/49 एन एस जी में निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने दिनांक 14 अक्तूबर 1955 का. ज्ञा. संख्या 7/2/55-एस सी टी ने निर्णय लिया था कि श्रेणी 3 और 4 की स्थानीय और क्षेत्रीय भर्ती ये अ.जा./अ.ज.जा. का आरक्षण तथा ऐसे पद पर जिनके लिए दिल्ली को छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम के अलावा पदों के अतिरिक्त अखिल भारतीय आधार पर भर्ती हेतु निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत जहां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम के सिवाय पदों के आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए, वह राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या के समानुपात कर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 1970 के अपने संकल्प सं. 27/25/68 स्था (एएसीटी) द्वारा वर्ष 1961 की जनगणना में दिखाए गए इस समुदायों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण के प्रतिशत में परिवर्तन करने का निर्णय लिया अर्थात अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों पर खुली प्रतियोगिता और प्रतियोगिता के अतिरिक्त की गई भर्ती में अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का मौजूदा प्रतिशत 5 प्रतिशत स्थान पर 7.5 प्रतिशत होगा।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित जन जातियों समुदाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में तब तक आरक्षण लाभ उठा रहे थे जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2009 सिविल अपील सं. 5092 सुभाष चंद्र और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोड और अन्यों के निर्णय में घोषणा की थी कि पुष्पा (वर्ष 1998 का बेस अपील विजिल सं. 6-7 एस. पुष्पा और अन्य बनाम शिवा अनसुगाबेलु और अन्य) में डिवटा एक आर्बोटेट है और कोई बाइंडिंग रेश्यों निर्धारित नहीं करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लाभ माननीय उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के मद्देनजर माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करके एकमुश्त मामले को यह कहते हुए रोक दिए गए थे कि जारी किए गए प्रशासनिक परिपत्र

के आधार पर अथवा रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण दिया जा सकता है। जब संवैधानिक योजना राज्य और संघ राज्य को उसी वर्ग में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1)में वर्णित है। अनुसूचित जातियों को 1 प्रतिशत आरक्षण घटाने का निर्णय लेकर सरकार ने कमजोर वर्ग को लाभों से वंचित कर दिया है। रा. रा. क्षे. दि. सरकार द्वारा किया गया निर्णय देश भर की जनजातियों को प्रभावित कर रहा है और कमजोर वर्ग के युवक रोजगार के अवसर नहीं मिलने के कारण नक्सल गतिविधियों को ओर आकर्षित हो गए थे।

हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय को दो न्यायाधीशवाली खंड पीठ ने सिविल अपील ने वर्ष 2006 की 4494 दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 उत्तरांचल राज्य बनाम संदीप कुमार सिंह और अन्य ने निर्णय दिए हैं कि हमारी राय में इस न्यायालय की दो न्यायाधीश वाली खंड पीठ एस पुष्पा वाले मामले में ओरबिटर और तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ इन क्यूरियम नहीं हो सकती। अनुच्छेद, 16(4), 341 और 342 के निर्वचन के संबंध में विधि का अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपील में विचारार्थ उठता है। क्या संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति का आदेश किसी पिछड़े वर्ग के उन नागरिकों के पक्ष में विभुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण हेतु उपबंध करने में राज्य की कार्रवाई से कोई संबंध है जिनके बारे में राज्य का मानना है कि उन्हें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। संविधान के अनुच्छेद 16(4)341(1) में इंटर पले और इंटरक्षन की सीमा और स्वरूप के मुद्दे को हल किए जाने की आवश्यकता है। पूरे समुदाय का भाग्य माननीय न्यायालय द्वारा प्रयुक्त दो शब्दो। इतरोक्ति न्यायाधीश द्वारा की गई एक अनुषंगिक टिप्पणी जो कि निर्णय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए यह बाध्यकारी नहीं है। अर्थात विवरण विनिश्चय आधार का भाग नहीं है 2 अनवधानता के कारण (एक निर्णय जिसे न्यायालय तदुपरांत गलत पाता है इसलिए बाध्यकारी पूर्ण निर्णय नहीं है के कारण अधर में है।)

इसलिए वर्ष 2000 सिविल अपील सं. 4494 उत्तरांचल राज्य बनाम संदीप कुमार सिंह और अन्य की सिविल अपील सं. में निर्णय के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि वर्ष 2005 के सुभाषचंद्र और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्यों की सिविल अपील सं. 243 टन की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ द्वारा लगाया प्रतिबंध हटा दिया गया है इसलिए, यह प्रार्थना है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 1955 के गृ.म. के का ई सं. 7/2/55- एस सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लाभ प्रदान करने वाली भारत सरकार की मौजूदा नीति को तत्काल बहाल किया जाए ताकि अलग-थलग स्थानों पर रह रहे जनजातीय युवक राष्ट्र की मुसलाधार में आ सकें।

अपराह्न 12.03$^1/_2$ बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदयः खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर माननीय सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाएं माननीय अध्यक्ष महोदया के विचाराधीन हैं। वह यथा समय निर्णय लेंगी।

अतः अब हम कार्यसूची में उल्लिखित मदों पर विचार आरंभ करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया हाउस चलने दीजिए। आप प्लीज अपनी सीट्स पर वापिस जायें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा कल, 29 नवंबर, 2011 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 नवंबर, 2011/8 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री हेमानंद बिसवाल श्री आनंद प्रकाश परांजपे	81
2.	श्री आर. ध्रुवनारायण	82
3.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्री दिनेश चन्द्र यादव	83
4.	श्री बदरूद्दीन अजमल श्री महेन्द्र कुमार राय	84
5.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री कोडिकुन्नील सुरेश	85
6.	श्री जयवंत गंगाराम आवले श्रीमती रमा देवी	86
7.	श्री भर्तृहरि महताब श्री नलिन कुमार कटील	87
8.	श्री संजय भोई श्री प्रबोध पांडा	88
9.	श्री आनंदराव अडसुल श्री गजानन ध. बाबर	89
10.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	90
11.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे श्री मनसुखभाई डी. वसावा	91
12.	श्री महाबल मिश्रा	92
13.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री गोपीनाथ मुंडे	93
14.	चौधरी लाल सिंह	94
15.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी डॉ. क्रुपारानी किल्ली	95
16.	श्री के. सुगुमार श्री सी. शिवासामी	96
17.	श्री नारनभाई कछाड़िया	97
18.	श्री अशोक कुमार रावत	98
19.	श्री भक्त चरण दास	99
20.	श्री हंसराज गं. अहीर श्रीमती सुप्रिया सुले	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बसुदेव आचार्य	1050
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1035, 1115, 1119
3.	श्री आनंदराव अडसुल	1035, 1115, 1119
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	965,984, 1083, 1103, 1130
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	977, 1135, 1136, 1137
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	1108, 1130
7.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1000, 1122
8.	श्री सुरेश अंगड़ी	987, 998, 1026, 1040, 1140
9.	श्री अशोक अर्गल	1025
10.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1116
11.	श्री कीर्ति आजाद	967, 1066, 1104
12.	श्री गजानन ध. बाबर	1035, 1115, 1119
13.	श्री कामेश्वर बैठा	984, 1058, 1135, 1136, 1137
14.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	927, 1076, 1135, 1136, 1137

1	2	3
15.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	936, 1020
16.	श्री अवतार सिंह भडाना	1031, 1036, 1120
17.	श्री ताराचन्द भगोरा	1031
18.	श्री संजय भोई	1118, 1123
19.	श्री उदयनराजे भोंसले	1061
20.	श्री समीर भुजबल	964, 1030
21.	श्री पी.के. बिजू	997, 1006, 1019
22.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	998
23.	श्री सी. शिवासामी	1125
24.	श्री हरीश चौधरी	982, 1133
25.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	1047
26.	श्री दारा सिंह चौहान	952, 1096, 1131
27.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	939, 992, 994, 1088, 1131
28.	श्री एन.एस. वी. चित्तन	1059, 1124
29.	श्री भूदेव चौधरी	979, 1041, 1128
30.	श्री निखिल कुमार चौधारी	982
31.	श्रीमती श्रुति चौधरी	933, 947, 1093, 1124, 1132
32.	श्री अधीर चौधरी	1014, 1135, 1136, 1137
33.	श्री खगेन दास	1062, 1131
34.	श्री राम सुन्दर दास	1132
35.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1125
36.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	1043
37.	श्री रमेन डेका	1005, 1150
38.	श्री के.डी. देशमुख	1131
39.	श्रीमती रमा देवी	1130
40.	श्री के.पी. धनपालन	1019, 1027, 1119, 1131, 1135
41.	श्री संजय धोत्रे	1020, 1145
42.	श्री आर. ध्रुवनारायण	992, 1086
43.	श्रीमती ज्योति ध्रुवे	976, 984, 994, 997
44.	श्री निशिकांत दुबे	1001, 1048, 1118
45.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1134
46.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	118, 1123
47.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	1036, 1120
48.	श्री वरुण गांधी	995
49.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	984
50.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	1036, 1120
51.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	1037, 1115, 1139
52.	श्री एल. राजगोपाल	992, 1115, 1135, 1136, 1137
53.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	991, 1138, 1139
54.	श्री महेश्वर हजारी	971, 987
55.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	974, 1111, 1127, 1130
56.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	973, 982
57.	श्री बलीराम जाधव	985, 1042
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	997, 1130
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	923, 935, 1085, 1135
60.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1002
61.	श्रीमती जयाप्रदा	993, 1135, 1136, 1137, 1142

1	2	3
62.	श्री महेश जोशी	1015
63.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1000, 1114, 1124
64.	श्री प्रहलाद जोशी	997, 1056, 1135, 1136, 1137
65.	डॉ. ज्योति मिर्धा	990
66.	श्री पी. करुणाकरन	1067
67.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1065, 1132
68.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1145
69.	श्री लाल चन्द कटारिया	1002, 1143
70.	श्री नलिन कुमार कटील	997, 1107
71.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1028
72.	श्री चंद्रकांत खैरे	983, 1134, 1135, 1136, 1137
73.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	1118, 1131, 1132
74.	डॉ. किरोडी लाल मीणा	1073, 1124
75.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	994
76.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1094, 1124
77.	श्री मिथिलेश कुमार	984, 1039
78.	श्री विश्व मोहन कुमार	997
79.	श्री पी. कुमार	987, 1144
80.	श्री शैलेन्द्र कुमार	1135, 1136, 1137
81.	श्री यशवंत लागुरी	962, 1030, 1147
82.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	928, 993, 1078
83.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1001, 1142
84.	श्री नरहरि महतो	954, 986
85.	श्री भर्तृहरि महताब	1117

1	2	3
86.	श्री प्रदीप माझी	1032, 1052, 1139, 1068
87.	श्री प्रशान्त कुमार मजमूदार	956, 988
88.	श्री मंगनी लाल मंडल	1063, 1064
89.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	1123
90.	श्री दत्ता मेघे	1135, 1136, 1137
91.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	923, 984, 1001, 1058, 1099
92.	श्री गोबिन्द प्रसाद मिश्र	1041, 1135, 1136, 1137, 1141
93.	श्री सोमेन मित्रा	1138
94.	श्री पी.सी. मोहन	987, 1032, 1135, 1136, 1137
95.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1084, 1115
96.	श्री विलास मुत्तेमवार	985, 987, 1117, 1138
97.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	961, 1150
98.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	978, 1128
99.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	957, 991, 1135, 1136, 1137
100.	श्री इंदर सिंह नामधारी	1055
101.	श्री नारनभाई कछाड़िया	984, 997, 1097, 1127
102.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1038, 1072
103.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	950, 1121, 1135, 1136, 1137
104.	श्री पी. आर. नटराजन	1124
105.	श्री वैजयंत पांडा	1016, 1148, 1149
106.	श्री प्रबोध पांडा	1112

1	2	3
107.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1011
108.	कुमारी सरोज पाण्डेय	972, 1007, 1119, 1145
109.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1129, 1135, 1136, 1137
110.	श्री जयराम पांगी	966, 1040, 1129
111.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1118
112.	श्री कमलेश पासवान	1026, 1046
113.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	938, 1021
114.	श्री बाल कुमार पटेल	981
115.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1032, 1052, 1068, 1139
116.	श्री हरिन पाठक	1057
117.	श्री संजय दिना पाटील	957, 991, 1135, 1136, 1137
118.	श्री ए.टी. नाना पाटील	978, 984, 1135, 1136, 1137
119.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1018
120.	श्री सी.आर. पाटिल	937, 1005, 1087
121.	श्रीमती कमला देवी पटले	925, 1110
122.	श्रीमती पोन्नम प्रभाकर	929, 1079, 1121
123.	श्री नित्यानंद प्रधान	1016, 1148, 1149
124.	श्री प्रेमदास	1013, 1135, 1136, 1137
125.	श्री पन्ना लाल पुनिया	945, 1001, 1002, 1091, 1125
126.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	996
127.	श्री एम. के राघवन	1023

1	2	3
128.	श्री अब्दुल रहमान	984, 991, 993
129.	श्री सी. राजेन्द्रन	1001, 1026, 1144
130.	श्री एम. बी. राजेश	953, 1026
131.	श्री पूर्णमासी राम	984, 1022, 1138
132.	प्रो. राम शंकर	948, 1084, 1113, 1135, 1136
133.	श्री रामकिशुन	1146
134.	श्री जगदीश सिंह राणा	934, 1129, 1145
135.	श्री कादिर राणा	1150
136.	श्री निलेश नारायण राणे	960, 984
137.	डॉ. के. एस. राव	992, 1135, 1136, 1137
138.	श्री रायापति सांबासिवा राव	921, 997, 1106, 1121
139.	श्री रामसिंह राठवा	932, 1082
140.	श्री अशोक कुमार रावत	1074, 1101, 1129
141.	श्री रुद्र माधव राय	994, 1053, 1140
142.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	955, 1115
143.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	968, 994, 1141
144.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	924, 997, 1077
145.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	984, 1066, 1129, 113
146.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	954, 986
147.	श्री एस. अलागिरी	996, 1030
148.	श्री एस. सेम्मलई	1138
149.	श्री एस. पक्कीरप्पा	969, 1000, 1001
150.	श्री एस.आर. जेयदुरई	984, 1010

1	2	3
151.	श्री एस. एस. रामासुब्बू	930, 995, 1080
152.	श्री ए. संपत	984, 1126, 1142
153.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1006, 1144
154.	श्रीमती सुशीला सरोज	987
155.	श्री तूफानी सरोज	1044
156.	श्री तथागत सत्पथी	958
157.	श्री हमदुल्लाह सईद	949, 1006, 1084, 1138
158.	श्री अर्जुन चरण सेठी	1012
159.	श्री एम.आई. शानवास	1037, 1145
160.	श्रीमती जे. शांता	941, 984, 997, 1090, 1144
161.	श्री जगदीश शर्मा	1037, 1070
162.	श्री नीरज शेखर	993, 1125, 1135, 1136, 1137
163.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1007
164.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	929, 997, 1121
165.	श्री राजू शेट्टी	1005, 1114
166.	श्री एंटो एंटोनी	988, 989
167.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1069
168.	श्री जी एम. सिद्देश्वर	946, 1092
169.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	984, 985, 1135, 1136, 1137
170.	डॉ. भोला सिंह	1054
171.	श्री भूपेन्द्र सिंह	931, 1081, 1135, 1136, 1137
172.	श्री दुष्यंत सिंह	940, 1079, 1089, 1148

1	2	3
173.	श्री गणेश सिंह	1024, 1135, 1136, 1137, 1141
174.	श्री इज्यराज सिंह	1124, 1133, 1149
175.	श्री जगदानंद सिंह	980
176.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	959, 1083, 1100
177.	श्रीमती मीना सिंह	1029
178.	श्री राधा मोहन सिंह	1041
179.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1004, 1150
180.	श्री राकेश सिंह	975, 1135, 1136, 1137
181.	श्री रवनीत सिंह	1030, 1071, 1130, 1131, 1132
182.	श्री सुशील कुमार सिंह	984, 1000, 1002, 1022, 1149
183.	श्री उदय सिंह	984, 1115, 1135, 1136, 1137
184.	श्री यशवीर सिंह	993, 1135, 1136, 1137, 1140
185.	श्री रेवती रमण सिंह	1045
186.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1114, 1122, 1124
187.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1002, 1015, 1124, 1149
188.	श्री उदय प्रताप सिंह	1002, 1143
189.	श्री विजय बहादुर सिंह	1003
190.	डॉ. संजय सिंह	997, 1002, 1015, 1147
191.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	997, 1121, 1130
192.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	947, 998, 1102, 1126

1	2	3
193.	श्री मकनसिंह सोलंकी	1038
194.	श्री के. सुधाकरण	998
195.	श्री ई.जी. सुगावनम	970, 997, 1105
196.	श्री के. सुगुमार	984
197.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1135, 1136, 1137
198.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1138, 1139
199.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	951, 1010, 1083, 1095
200.	श्री मानिक टैगोर	1017, 1051
201.	श्रीमती अन्नू टन्डन	942, 1145
202.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1015, 1033, 1131
203.	श्री मनीष तिवारी	1060
204.	श्री जगदीश ठाकोर	922, 1109
205.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	926, 1075, 1145
206.	श्री आर. थामराईसेलवन	944, 1006, 1142
207.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	987, 1144
208.	श्री पी.टी. थॉमस	1021
209.	श्री मनोहर तिरकी	956, 988, 1098
210.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1127, 1135, 1136, 1137

1	2	3
211.	श्री जोसेफ टोप्पो	1074
212.	श्री लक्ष्मण टुडु	962
213.	श्री शिवकुमार उदासी	943, 1038
214.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	987
215.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	933, 936
216.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1000
217.	श्री सज्जन वर्मा	999
218.	श्रीमती ऊषा वर्मा	987
219.	श्री वीरेन्द्र कुमार	984, 1049, 1135, 1136, 1137
220.	श्री पी. विश्वनाथन	1115, 1109
221.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	963
222.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1020, 1063, 1064, 1145
223.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	933, 1083
224.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1035, 1119
225.	श्री ओम प्रकाश यादव	1034
226.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1034
227.	योगी आदित्यनाथ	1025, 1119

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	81, 85, 87, 95, 96
रक्षा	:	88, 99
पर्यावरण और वन	:	90, 98
श्रम और रोजगार	:	83, 86, 93
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	82, 89, 91, 92
पोत परिवहन	:	94
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	97
इस्पात	:	100
वस्त्र	:	84

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	924, 925, 928, 986, 988, 997, 1020, 1033, 1050, 1067, 1074, 1080, 1081, 1087, 1092, 1097, 1109, 1111, 1115, 1123, 1124, 1126, 1140
रक्षा	:	922, 927, 929, 932, 940, 943, 946, 950, 957, 965, 966, 976, 981, 985, 990, 994, 998, 1022, 1029, 1039, 1043, 1044, 1047, 1049, 1052, 1053, 1066, 1070, 1076, 1078, 1084, 1086, 1095, 1118, 1121, 1130, 1135, 1136, 1137, 1141, 1144
पर्यावरण और वन	:	921, 938, 939, 942, 945, 949, 951, 955, 962, 969, 979, 980, 983, 987, 995, 999, 1002, 1003, 1007, 1009, 1012, 1016, 1021, 1025, 1032, 1045, 1048, 1055, 1056, 1059, 1063, 1064, 1068, 1072, 1077, 1089, 1090, 1091, 1100, 1102, 1105, 1112, 1138, 1139, 1145, 1148, 1149
श्रम और रोजगार	:	923, 926, 931, 933, 944, 961, 963, 968, 974, 982, 1000, 1026, 1030, 1041, 1046, 1054, 1058, 1082, 1094, 1101, 1103, 1104, 1107, 1114, 1128, 1147
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	930, 934, 935, 936, 948, 959, 960, 971, 984, 989, 991, 1001, 1008, 1013, 1027, 1028, 1031, 1034, 1036, 1037, 1038, 1040, 1057, 1060, 1069, 1071, 1083, 1093, 1110, 1117, 1119, 1120, 1143, 1146
पोत परिवहन	:	937, 964, 970, 978, 993, 996, 1010, 1019, 1023, 1085, 1106
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	941, 954, 956, 967, 977, 1004, 1011, 1015, 1017, 1024, 1035, 1061, 1062, 1065, 1073, 1075, 1088, 1099, 1113, 1122, 1129, 1132, 1134
इस्पात	:	953, 958, 972, 1014, 1042, 1079, 1150
वस्त्र	:	947, 952, 973, 992, 1005, 1006, 1018, 1096, 1116, 1127, 1131, 133, 1142

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/20/5/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।